चतुर्दश माला, खंड 14, अंक 3

शुक्रवार, 25 नवम्बर, 2005
4 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Acc No. 59
Dated 3/7/06

(खण्ड 14 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी.के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 14, छठा सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 3, शुक्रवार, 25 नवम्बर, 2005/4 अग्रहायण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 61	4-104
अतारांकित प्रश्न संख्या 436 से 625	104-409
अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय	
स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में	410-412
सभा पटल पर रखे गए पत्र	412-424
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	424
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	424
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
सातवां प्रतिवेदन	425
रेल संबंधी स्थायी समिति	
पन्द्रहवां प्रतिवेदन	425
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति	
इक्यानवेंवां प्रतिवेदन	426
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरःस्थापित	
(एक) मेधावी छात्र (उच्चतर अध्ययन में सहायता) विधेयक, 2005	
श्री के.सी. सिंह 'बाबा'	428
(दो) वृद्ध व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपबंध विधेयक, 2005	
श्री के.एस. राव	428
(तीन) अंतर-जातीय विवाह (आरक्षण उपबंध) विधेयक, 2005	
श्री एस.के. खारवेनथन	429

विषय कॉलम

(चार) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक (धारा 2 का संशोधन), 2005

श्री रामदास आठवले 429

(पांच) बेरोजगारी उन्मूलन विधेयक, 2005

श्री रामदास आठवले 430

(छह) मुम्बई एशियाटिक सोसायटी विधेयक, 2005

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 430

(सात) अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग (सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण) विधेयक, 2005

श्री ए. कृष्णास्वामी 442

कार्यमंत्रणा समिति

अठारहवां प्रतिवेदन 431

संविधान संशोधन विधेयक, 2004

(नए अनुच्छेद 47क का अंतःस्थापन)

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन 432

श्री संदीप दीक्षित 433

श्री शैलेन्द्र कुमार 443

डा. सत्यनारायण जटिया 447

श्री ए.के.एस. विजयन 452

श्री विजय कृष्ण 454

श्री टी.के. हमजा 457

श्री ब्रह्मानंद पंडा 459

श्री मनोरंजन भक्त 461

श्री पुन्नूलाल मोहले 463

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 466

डा. पी.पी. कोया 469

प्रो. एम. रामदास 474

कुंवर मानवेन्द्र सिंह 479

विषय	कॉलम
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	481
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	482-488
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	489-490
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	489-492

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल
श्री गिरिधर गमांग
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री अजय माकन
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
श्री बालासाहिब विखे पाटील
श्री वरकला राधाकृष्णन
श्री अर्जुन सेठी
ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

शुक्रवार, 25 नवम्बर, 2005/4 अग्रहायण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। श्री पन्नियन रवीन्द्रन (तिरुवनंतपुरम)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 41—श्री हरिकेवल प्रसाद

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : नटवर सिंह जी और सोनिया जी को इस्तीफा देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी की भी बात नहीं सुन पा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, क्या आपने उनका प्रस्ताव स्वीकृत किया है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रश्नकाल के स्थगन प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय श्री संतोष गंगवार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे साग्रह निवेदन कर रहा हूं। यह तरीका ठीक नहीं है। आप अपने लोगों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। मैं सभा के सभी दलों के सदस्यों से अपील कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको किसी मुद्दे पर चर्चा करने से मना नहीं कर रहा हूं। यह सही तरीका नहीं है। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि यह एक अत्यंत दुखद बात है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बाहर चले जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप सबसे अपील करता हूं। हम मुद्दों पर चर्चा और बहस कर सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आपको इससे क्या फायदा हो रहा है। मुझे खेद है मैं सभा को स्थगित नहीं कर रहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाता। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है। यह बड़े दुख की बात है। कृपया आप चुपचाप वापसि चले जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बाहर जाकर बोलिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका गला खराब हो जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम लिखा जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर वापिस जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरे को भी बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा बोलने से गला खराब हो जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लीडर्स चुप हैं।

[अनुवाद]

नेता चुप हैं और आप चिल्ला रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : थोड़ा सा शांत हो जाइए। आपको बोलने के लिए बहुत समय मिलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं भविष्य में आपको अवसर नहीं दूंगा। मैं आपको कोई मौका नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया नाम लिखें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप हमारी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह कहते हुए बहुत खेद हो रहा है कि कुछ माननीय सदस्य जो कि जिम्मेदार सांसदों की भूमिका निभाने के लिए चुने गये थे, सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। यह अत्यंत दुखत बात है कि दलगत राजनीतिक हितों की खातिर देश की छवि को बिगाड़ा जा रहा है। मैं सभा में सभी दलों से सहयोग की अपील करता हूं। मैं आपको चर्चा में भाग लेने का पूरा अवसर दूंगा मैंने पहले भी नियमों के अधीन अनुमत्य मुद्दों पर चर्चा की अनुमति दी है और भविष्य में भी इसकी अनुमति दूंगा। कृपया सहयोग करें। कृपया संसद और देश की छवि खराब न करें।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

*41. **श्री हरिकेवल प्रसाद** :
श्री वी.के. ठुम्मर :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण, उन्हें उद्यतन बनाने तथा उनके रख-रखाव हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है और राज्यवार कितने जिलों में यह काम पूरा कर लिया गया है;

(ग) यह काम कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) ग्रामीण भारत में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण प्रणाली में अभी तक हुए सुधार से सरकार ने स्थिति का क्या अंदाजा लगाया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघवंश प्रसाद सिंह) : (क) भूमि अभिलेखों के रख-रखाव तथा इन्हें उद्यतन करने की मैनूअल प्रणाली में अंतर्निहित समस्याओं को दूर करने तथा प्रयोक्ताओं के विभिन्न समूहों

की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण (सी.एल.आर.) की योजना भारत सरकार से शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ वर्ष 1988-89 में आरंभ की गई थी। भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना का मुख्य उद्देश्य भू-स्वामियों को मांग किए जाने पर स्वामित्व संबंधी ब्यौरों की अद्यतन कम्प्यूटरीकृत प्रतियां उपलब्ध कराना है।

(ख) तहसील/तालुक, उप-प्रभाग तथा जिला स्तरों पर कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को निधियां उपलब्ध करायी गई हैं। इस योजना के तहत 582 जिलों की 3407 तहसीलों/तालुकों को शामिल किया गया है। इनमें से 3139 तहसीलों/तालुकों में कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं और 2668 तहसीलों/तालुकों से भू-स्वामियों को अधिकारों के अभिलेखों (आर.ओ.आर.) की कम्प्यूटरीकृत प्रतियां जारी की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों की राज्य-वार सूची को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और योजना के विभिन्न कार्यकलापों को पूरा करने के लिए राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तथापि समीक्षा के दौरान राज्यों में हुई प्रगति तथा कार्य-निष्पादन के आधार पर लक्ष्यों को समय-समय पर पुन: निर्धारित किया जा सकता है।

(घ) भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी, जिसके द्वारा अपारदर्शी प्रणाली को व्यावहारिक रूप से पारदर्शी प्रणाली में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त हुई है, का एक सफल अनुप्रयोग है। इससे राजस्व प्रशासन में उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुआ है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है और विलम्ब तथा लोगों को होने वाली परेशानी में कमी आई है तथा इससे सभी संबंधितों को भूमि से संबंधित आंकड़े आसानी से उपलब्ध होना सुनिश्चित हुआ है।

विवरण

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	शामिल किए गए जिले
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	23
2.	अरुणाचल प्रदेश	14
3.	असम	23
4.	बिहार	37
5.	गुजरात	25
6.	गोवा	1
7.	हरियाणा	19
8.	हिमाचल प्रदेश	12
9.	जम्मू और कश्मीर	14
10.	झारखण्ड	22
11.	कर्नाटक	27
12.	केरल	14
13.	मध्य प्रदेश	45
14.	महाराष्ट्र	35
15.	मणिपुर	8
16.	मेघालय	
17.	मिजोरम	9
18.	नागालैण्ड	8
19.	उड़ीसा	30
20.	पंजाब	17
21.	राजस्थान	32
22.	सिक्किम	4
23.	तमिलनाडु	29
24.	त्रिपुरा	4
25.	उत्तर प्रदेश	70

1	2	3
26.	उत्तरांचल	13
27.	पश्चिम बंगाल	18
28.	छत्तीसगढ़	16
29.	दादर एवं नगर हवेली	1
30.	दिल्ली	9
31.	पांडिचेरी	1
32.	चंडीगढ़	1
33.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	
34.	दमन एवं दीव	1
35.	लक्षद्वीप	
	योग	582

कालीन उद्योग को बढ़ावा देना

*42. श्री अजीत जोगी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कालीन उद्योग की स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कालीन विनिर्माताओं को सहायता देने पर विचार कर रही है ताकि कालीन उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्य कालीन उद्योग के विकास में अपना अंशदान नहीं दे रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी हां। कालीन उद्योग मूलत: एक निर्यातोन्मुखी उद्योग है और इसकी स्थिति इस क्षेत्र के निर्यात प्रदर्शन से प्रदर्शित होती है। वर्ष 2004-05 के दौरान कालीनों के निर्यात में 3.76% की गिरावट आई है और वर्ष 2005-06 (नवम्बर 2005 तक) के दौरान अमरीकी डालर के संबंध में 6.83% की वृद्धि दर्ज की गई है।

(ख) और (ग) जी हां। सरकार ने हाथ से बने कालीनों, बाजारों में आयातों, प्रतिस्पर्धा, व्यापार माध्यमों, बिचौलियों और उनके कार्यों के विश्लेषण सहित बाजार में पहुंच की स्थिति, मूल्य ढांचे, क्रेता वर्गों, बाजार की संभावनाओं आदि की विगत प्रवृत्तियों के विश्लेषण और अमरीका, यूरोपीय संघ तथा लेटिन अमरीकी देशों में भारतीय हस्तनिर्मित कालीनों की बिक्री बढ़ाने के संबंध में विपणन नीतियां विकसित करने के लिए कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सी ई पी सी) के माध्यम से एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर एक व्यापक रणनीति तैयार की जाएगी ताकि निर्यातों में एक अभूतपूर्व वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

तथापि, देश में कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कालीन विनिर्माताओं/निर्यातकों को निम्न प्रकार से सहायता प्रदान की जा रही है:-

(i) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1984 में भारतीय कालीन एक्सपो आरम्भ किया गया। अब यह कार्यक्रम वर्ष में दो बार आयोजित किया जाता है। हाल ही में, वाराणसी में आयोजित कालीन एक्सपो में 108 विनिर्माताओं/निर्यातकों ने भाग लिया और 100.00 करोड़ रुपये का व्यवसाय भी हुआ।

(ii) कालीन विनिर्माताओं को प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और परामर्श सेवाएं मुहैया कराने के प्रयोजन से भदोही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है जिसके दो सेटेलाइट केन्द्र जयपुर एवं श्रीनगर में हैं।

(iii) भदोही स्थित कालीन बैल्ट में एक विशेष आर्थिक जोन स्वीकृत किया जा चुका है।

(iv) यू एन डी पी कालीन परियोजना के अन्तर्गत विकसित लूमों और टूल-किट्स का कालीन विनिर्माताओं/बुनकरों को रियायती दरों पर वितरण।

(v) बुनकरों, विनिर्माताओं आदि के क्षमता निर्माण के लिए नियमित

आधार पर कार्यशालाएं, संगोष्ठियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में कालीन विनिर्माताओं/निर्यातकों के भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाती है।

(vii) हाल ही में क्रेडिट गारंटी आरम्भ की गई है जिसमें कारीगर एवं उत्पादक अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिना किसी कालेटरल सिक्योरिटि के 25 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल से उत्पादन और निर्यात बढ़ने की आशा है।

(viii) कालीनों की गुणवत्ता और यूनिट वेल्यू रियेलाईजेशन को बढ़ाने के प्रयोजन से कालीन विनिर्माताओं और बुनकरों को गुणवत्तायुक्त एवं प्रमाणीकृत ऊन और सिल्क के धागे मुहैया कराने के लिए श्रीनगर में कच्चा माल बैंक स्थापित किया गया है। इस स्कीम का देश के अन्य भागों में भी विस्तार किया जा रहा है।

(ix) कालीनों एवं हस्तशिल्पों के उत्पादन एवं निर्यात में तेजी लाने के उद्देश्य से पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मॉडल पर निर्यातकों/विनिर्माताओं/उद्यमियों द्वारा सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु स्कीम आरम्भ की गई है। इसमें सरकार की हिस्सेदारी 40 : 60 के अनुपात में, 60.00 लाख रुपये तक के निवेश में 24.00 लाख रुपये तक सीमित होगी।

(घ) कालीन सहित हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास के लिए केन्द्र सरकार की स्कीमों के कार्यन्वयन में राज्य सरकारों से योगदान की आशा नहीं की जाती क्योंकि ये स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्र सहायता अनुदान स्कीमें हैं जिनमें सहायता सीधे कार्यान्वियनकारी एजेंसियों को मुहैया कराई जाती है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

गांवों का विद्युतीकरण

*43. डा. राजेश मिश्रा :
श्री पारसनाथ यादव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु कितनी योजनाएं शुरू की गई और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार ने उपर्युक्त योजनाओं की कोई समीक्षा की है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(च) अगले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कितने गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) भारत सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण हेतु समय-समय पर निम्नलिखित कार्यक्रम आरंभ किए थे-

(i) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण

इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था और ग्रामीण विद्युतीकरण इस कार्यक्रम के घटकों में से एक है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को केंद्रीय सहायता के रूप में निधियां आंशिक अनुदान और आंशिक ऋणों के स्वरूप में प्रदान की गई थीं। एमएनपी के आरंभ होने के बाद से ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी घटक को एमएनपी के ऋण घटक खिलाफ विकसित किया गया था। ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रयोजनार्थ एमएनपी के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों में कम भार शक्यता वाले सुदूरवर्ती एवं दुर्गम गांवों को सम्मिलित किया गया था। चूंकि ग्रामीण विद्युतीकरण स्वयं में अलाभकारी कार्यक्रम है, इसलिए एमएनपी के अंतर्गत यह राज्य विद्युत बोर्डों और विद्युत विभागों में और अधिक अलाभकर है। आरंभ में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बजटीय सहायता के अंतर्गत प्रदत्त निधियों से कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराए गए थे। तथापि, एक समयावधि में एन एन पी और सामान्य बजटीय सहायता के अंतर्गत प्रभारित ब्याज दर को समान बनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप राज्य विद्युत बोर्डों को इन अमितव्ययी कार्यक्रमों के लिए उच्च ब्याज दर के भार को वहन करना पड़ा था। इसलिए स्कीम को वर्ष 2004 से आगे समाप्त

कर दिया गया है और बाद में इसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना नामक नई स्कीम के साथ विलय कर दिया गया।

(ii) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)

इस स्कीम को वर्ष 2000-01 में आरंभ किया गया था लेकिन इसमें ग्रामीण विद्युतीकरण घटक को अगले वित्तीय वर्ष 2001-02 में जोड़ा गया था। इसका कार्यान्वयन राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत विभागों/विद्युत यूटिलिटियों, जिन्हें कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में पदनामित किया गया था, द्वारा किया जा रहा था। कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां राज्य सरकार द्वारा जारी की जा रही थीं। राज्यों को कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान की गयी थी जिसमें केंद्रीय सहायता का सामान्य तरीका अपनाया गया था, अर्थात् विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90% अनुदान और 10% ऋण तथा अन्य राज्यों के लिए 30% अनुदान और 70% ऋण। ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु निधियों के प्रतिशत का स्पष्ट संकेत न होने के कारण इस स्कीम के अंतर्गत कठिनाईयों का सामना करना पड़ा था। राज्यों को अपनी स्वयं की प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न घटकों के लिए निधियां उपयोग में लाने का विवेकाधिकार प्राप्त था।

(iii) कुटीर ज्योति योजना:

इस कार्यक्रम को हरिजन एवं आदिवासी परिवारों समेत गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों को एकल प्वाइंट कनैक्शन प्रदान करने के लिए 1988-89 में आरंभ किया गया था। राज्यों के बीच आबंटन गरीबी रेखा से नीचे की ग्रामीण जनसंख्या के आकार और राज्य में ग्राम विद्युतीकरण के स्तर पर आधारित था। इसमें ग्रामीण गरीबों की अधिक जनसंख्या और कम विद्युतीकरण स्तर वाले राज्यों को महत्व दिया जाता है।

(iv) त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (एआरईपी)

स्कीम को वर्ष 2003-04 में आरंभ किया गया था जिसके अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम जारी रखने के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी), पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी), ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), राष्ट्रीय कृषि बैंक एवं ग्रामीण विकास (नाबार्ड) इत्यादि जैसे वित्तीय संस्थानों से राज्य सरकारों/विद्युत यूटिलिटियों द्वारा प्राप्त ऋणों पर 4% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जानी थी। यह सहायता ऊर्जा के परंपरागत व अपरांपरागत दोनों स्रोतों के जरिए गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण, हैमलेटों/दलित बस्तियों/जनजातीय गांवों के विद्युतीकरण और गांवों में घरों के विद्युतीकरण किए जाने तक सीमित था। निधियां वितरण पर लागू ब्याज सब्सिडी के निवल वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रदान की गयी थी।

(v) एक लाख गांवों और एक करोड़ घरों का त्वरित विद्युतीकरण

भारत सरकार ने ब्याज सब्सिडी स्कीम-एआरईपी (त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम) और कुटीर ज्योति कार्यक्रम को विलय करके "एक लाख गांवों व एक करोड़ घरों का त्वरित विद्युतीकरण" नामक एक स्कीम वर्ष 2004-05 में आरंभ की। इस स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए 40% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करने तथा शेष आरईसी से आसान शर्तों पर ऋण सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान था।

(vi) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)

चार वर्ष की अवधि में सभी ग्रामीण घरों को विद्युत की पहुंच प्रदान करने संबंधी राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अप्रैल, 2005 में ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना एवं घरेलू विद्युतीकरण की एक स्कीम लागू की गई है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन इस कार्यक्रम हेतु नोडल एजेंसी होगी।

इस स्कीम के अंतर्गत 90% पूंजीगत सब्सिडी निम्न-लिखित के संबंध में आरई परियोजनाओं के लिए प्रदान की जाएगी।

(i) प्रत्येक ब्लाक में एक 33/11 केवी (या 66/11 केवी) सब स्टेशन के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी) का निर्माण; जहां यह विद्यमान नहीं है।

(ii) प्रत्येक गांव/वास स्थान में उपयुक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों के साथ सभी गैर-विद्युतीकृत गांव/वास

स्थानों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वीईआई) का निर्माण।

(iii) उन गांवों/वास स्थानों के लिए परंपरागत स्रोतों से विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) एवं आपूर्ति प्रणाली, जहां ग्रिड आपूर्ति किफायती नहीं है और जहां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने कार्यक्रम के माध्यम से विद्युत उपलब्ध नहीं कराएगा।

शेष 10% आरईसी द्वारा आसान शर्तों पर ऋण सहायता होगी।

स्कीम में अन्य बातों के साथ-साथ देश में सभी ग्रामीण वास स्थानों में गरीबी रेखा से नीचे के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के 100% पूंजीगत सब्सिडी के साथ विद्युतीकरण हेतु वित्तपोषण किए जाने का प्रावधान किया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान इन स्कीमों पर किया गया खर्च दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(घ) जी, हां। सरकार समय-समय पर स्कीम की समीक्षा करती रही है और यह महसूस किया है कि-

(i) ग्रामीण विद्युतीकरण के दिशानिर्देश और गति राज्यों पर छोड़ी गई थी और इससे ग्रामीण विद्युतीकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(ii) निधियां कार्यान्वयन एजेंसियों तक समय पर नहीं पहुंची हैं।

(iii) राज्य यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति खराब थी और स्कीमों को सहायता देने में वे सक्षम नहीं थे।

(iv) राज्य विद्युत बोर्ड ग्रामीण विद्युतीकरण आरंभ करने के अनिच्छुक थे क्योंकि इससे और अधिक हानियां होंगी।

(v) अवसंरचना में किए गए निवेश की लागत को वसूलने और ऋण का भुगतान करने में अतिरिक्त विद्युतीकरण अवसंरचना की राजस्व स्थिरता को ध्यान में नहीं रखा जा रहा था।

(vi) इस प्रकार सृजित ग्रामीण विद्युत अवसंरचना के अनुरक्षण हेतु राज्य यूटिलिटियों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध नहीं थी।

(ङ) उपरोक्त कठिनाईयों पर ध्यान रखते हुए "एक लाख गांवों और एक करोड़ घरों का त्वरित विद्युतीकरण" वर्ष 2004-05 में आरंभ की गई थी जिसमें एआरईपी की पूर्व स्कीमों और कुटीर ज्योति का विलय किया गया तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम हेतु वर्ष 2004-05 में एमएनपी के अंतर्गत निधियां प्रदान नहीं की गई थी। स्कीम के लिए अनुदान के रूप में 40% सब्सिडी और ऋण के रूप में शेष 60% उपलब्ध था।

यहां तक कि 40% अनुदान और 60% ऋण के साथ भी राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों को कार्यान्वित करने में अनिच्छुक थे। तदनुसार सरकार द्वारा ग्रामीण विद्युत अवसंरचना विकसित करने और गृह विद्युतीकरण करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) नामक एक नई स्कीम पर विचार किया गया था और इसे अप्रैल, 2005 में आरंभ किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत 90% अनुदान पूंजीगत सब्सिडी के रूप में और शेष 10% आरईसी से आसान ऋण के रूप में प्रदान किया गया है। पीएमजीवाई के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक वर्ष 2005-06 से समाप्त कर दिया गया है जबकि कुटीर ज्योति को आरजीजीवीवाई के साथ विलय कर दिया गया है।

(च) स्कीम का उद्देश्य चार वर्षों की अवधि में सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकृत करना है। ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य वर्षवार निम्नवत है-

दसवीं योजना	प्रथम वर्ष (2005-06)	10,000
	द्वितीय वर्ष (2006-07)	40,000
ग्यारहवीं योजना	तृतीय वर्ष (2007-08)	40,000
	चतुर्थ वर्ष (2008-09)	10,000
	कुल	1,00,000

गैर-विद्युतीकृत गांवों, जिनको विद्युतीकृत किया जाना है और गैर-विद्युतीकृत घरों की राज्यवार सूची विवरण-III में दी गई है। इसमें अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से गांवों के विद्युतीकरण जिसका

कार्यान्वयन अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, को शामिल नहीं किया गया है।

इस स्कीम हेतु चार वर्षों की अवधि के लिए 16,000 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है। आरजीजीवीवाई के अंतर्गत दिशानिर्देश के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और आरईसी को इन्हें प्रस्तुत करने के लिए राज्यों को सलाह दी गई है।

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु स्कीम की स्वीकृतियां आरईसी द्वारा विस्तृत संवीक्षा किए जाने पर निर्भर है।

राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों और आरईसी द्वारा की गई संवीक्षा के आधार पर 182 जिलों के लिए 5861 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं जिसका ब्यौरा विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान गांवों की स्थिति (1.04.2002-31.3.2005)

क्रम सं.	राज्य	1991 की जनगणना के अनुसार कुल बसे हुए गांवों की संख्या	2002-03 के दौरान विद्युतीकृत गांवों की संख्या	2003-04 के दौरान विद्युतीकृत गांवों की संख्या	2004-05 के दौरान विद्युतीकृत गांवों की संख्या	गत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	26586				
2.	अरुणाचल प्रदेश	3649		189	88	277
3.	असम	24685	9	42	269	320
4.	बिहार	67513	94	118	134	346
5.	झारखंड					
6.	गोवा	360				
7.	गुजरात	18028			7	7
8.	हरियाणा	6759				
9.	हिमाचल प्रदेश	16997		1	6	7
10.	जम्मू-कश्मीर	6477	5	3	1	9
11.	कर्नाटक	27066	3	5		8
12.	केरल	1384				
13.	मध्य प्रदेश	51806	94	74		168
14.	छत्तीसगढ़	19720	120	219	62	401

1	2	3	4	5	6	7
15.	महाराष्ट्र	40412				
16.	मणिपुर	2182	6	9	4	19
17.	मेघालय	5484	177	544	474	1195
18.	मिजोरम	698		4		4
19.	नागालैंड	1216				
20.	उड़ीसा	46989	271	195		466
21.	पंजाब	12428				
22.	राजस्थान	37889	482	352	204	1038
23.	सिक्किम	447				
24.	तमिलनाडु	15822				
25.	त्रिपुरा	855	2	3	1	6
26.	उत्तर प्रदेश	97122	279	231	1516	2026
27.	उत्तरांचल	15681	217	454	466	1137
28.	पश्चिम बंगाल	37910	866	338	652	1856
	कुल (राज्य)	58165	2625	2781	3884	9290
	कुल यूटी	1093				
	अखिल भारत	587258	2625	2781	3884	9290

स्रोत–सीईए रिपोर्ट।

विवरण-II

वर्ष 2002-03 के दौरान संवितरित अनुदान

लाख रुपये में

क्र.सं.	राज्य	केजे	एमएनपी	पीएमजीवाई	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	1723.14	0.00	1705.00	3428.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	19.53	1200.00	684.00	1903.53
3.	असम	360.00	6000.00	3000.00	9360.00
4.	बिहार	990.72	6800.00	2417.30	10208.02
5.	छत्तीसगढ़	342.48	800.00	515.00	1657.48

1	2	3	4	5	6
6.	गोवा	0.00	0.00	6.00	6.00
7.	गुजरात	67.12	0.00	0.00	67.12
8.	हरियाणा	129.65	0.00	142.90	272.55
9.	हिमाचल प्रदेश	18.69	200.00	110.00	328.69
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	800.00	800.00
11.	झारखंड	293.69	6800.00	1116.90	8210.59
12.	कर्नाटक	5154.58	0.00	1000.00	6154.58
13.	केरल	509.20	0.00	0.00	509.20
14.	मध्य प्रदेश	313.57	800.00	1275.00	2388.57
15.	महाराष्ट्र	111.10	0.00	1664.00	1775.10
16.	मणिपुर	0.00	270.00	600.00	870.00
17.	मेघालय	27.09	3000.00	600.00	3627.09
18.	मिजोरम	54.00	0.00	598.00	652.00
19.	नागालैंड	85.45	130.00	650.00	865.45
20.	उड़ीसा	472.58	6000.00	100.00	6572.58
21.	पंजाब	47.68	0.00	444.00	491.68
22.	राजस्थान	229.65	0.00	1061.00	1290.65
23.	सिक्किम	6.93	0.00	400.00	406.93
24.	तमिलनाडु	609.13	0.00	1608.20	2217.33
25.	त्रिपुरा	96.69	0.00	500.00	596.69
26.	उत्तर प्रदेश	1050.00	15000.00	10187.00	26237.00
27.	उत्तरांचल	728.77	7000.00	2000.00	9728.77
28.	पश्चिम बंगाल	423.91	6000.00	2774.00	9197.91
	कुल	13865.35	60000.00	35958.30	109823.65

वर्ष 2003-04 के दौरान संवितरित अनुदान

लाख रुपये में

क्र.सं.	राज्य	केजे	एमएनपी	पीएमजीवाई	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2159.87	0.00	1438.00	3597.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	187.18	1200.00	684.00	2071.18
3.	असम	0.00	6000.00	2900.00	8900.00
4.	बिहार	152.75	6800.00	2417.30	9370.05
5.	छत्तीसगढ़	509.56	800.00	515.00	1824.56
6.	गोवा	0.00	0.00	6.00	6.00
7.	गुजरात	37.50	0.00	712.20	749.70
8.	हरियाणा	85.24	0.00	142.90	228.14
9.	हिमाचल प्रदेश	17.06	200.00	200.00	417.06
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	800.00	800.00
11.	झारखंड	66.55	6800.00	744.60	7611.15
12.	कर्नाटक	1541.13	0.00	1000.00	2541.13
13.	केरल	416.49	0.00	0.00	416.49
14.	मध्य प्रदेश	149.41	800.00	1275.00	2224.41
15.	महाराष्ट्र	50.37	0.00	1664.00	1714.37
16.	मणिपुर	0.00	400.00	600.00	1000.00

1	2	3	4	5	6
17.	मेघालय	51.16	3000.00	600.00	3651.16
18.	मिजोरम	27.00	0.00	598.00	625.00
19.	नागालैंड	43.60	0.00	2982.00	3025.60
20.	उड़ीसा	0.00	6000.00	100.00	6100.00
21.	पंजाब	100.37	0.00	444.00	544.37
22.	राजस्थान	222.30	0.00	1061.00	1283.30
23.	सिक्किम	14.74	0.00	400.00	414.74
24.	तमिलनाडु	145.81	0.00	608.20	754.01
25.	त्रिपुरा	66.10	0.00	700.00	766.10
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	15000.00	9277.00	24277.00
27.	उत्तरांचल	0.00	7000.00	1000.00	8000.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	6000.00	3816.75	9816.75
	कुल	6044.19	60000.00	36685.95	102730.14

केजे—कुटीर ज्योति

पीएमजीवाई—प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना

एमएनपी—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

वर्ष 2004-05 के दौरान संवितरित अनुदान

लाख रुपये में

क्र. सं.	राज्य	केजे	बीपीएल	पीएमजीवाई	कुल	एक लाख गांवों और एक करोड़ घरों का त्वरित विद्युतीकरण		
						ऋण	सब्सिडी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	377.00	912.00	1705.00	2994.00	0.00	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	186.00	225.00	684.00	1095.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	0.00	0.00	2900.00	2900.00	0.00	0.00	0.00
4.	बिहार	263.00	182.00	2417.30	2862.30	12014.00	8010.00	20024.00
5.	छत्तीसगढ़	111.00	744.00	584.00	1439.00	0.00	0.00	0.00
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	27.00	23.00	712.30	762.30	0.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	10.00	41.00	142.80	193.80	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	हिमाचल प्रदेश	9.00	9.00	200.00	218.00	0.00	0.00	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.	झारखंड	-34.00	120.00	744.60	830.60	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	213.00	0.00	1000.00	1213.00	0.00	0.00	0.00
13.	केरल	0.00	1047.00	0.00	1047.00	0.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	152.00	173.00	637.50	962.50	0.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	14.00	40.00	414.76	468.76	0.00	0.00	0.00
16.	मणिपुर	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00
19.	नागालैंड	22.00	0.00	824.50	846.50	0.00	0.00	0.00
20.	उड़ीसा	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	33.00	150.00	222.00	405.00	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	112.00	0.00	1061.00	1173.00	560.00	373.00	933.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	135.00	0.00	271.52	406.52	0.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	111.00	108.00	850.00	1069.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	5387.00	5387.00	38398.00	25598.00	63996.00
27.	उत्तरांचल	0.00	360.00	300.00	660.00	0.00	0.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	924.50	924.50	6869.00	4580.00	11449.00
	कुल	1741.00	4134.00	24470.78	30345.78	57841.00	38561.00	96402.00

केजे—कुटीर ज्योति

एआरईपी—त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

बीपीएल—गरीबी रेखा से नीचे

*वर्ष 2004-05 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए कोई निधि जारी नहीं की गई।

विवरण-III

31-3-2005 की स्थितिनुसार ग्राम विद्युतीकरण की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	2001 के अनुसार बसे हुए गांवों की कुल संख्या	विद्युतीकृत गांवों की कुल संख्या	शेष अविद्युतीकृत गांव	विद्युतीकृत गांवों का %
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	26613	26565	$	100
2.	अरुणाचल प्रदेश	3863	2335	1528	60.45
3.	असम	25124	19081	6043	75.95
4.	बिहार	39015	19251	19764	49.34
5.	झारखंड	29354	7641	21713	26.03
6.	गोवा	347	347	0	100
7.	गुजरात	18066	17940	$	100
8.	हरियाणा	6764	6759	$	100
9.	हिमाचल प्रदेश	17495	16891	604	96.55
10.	जम्मू-कश्मीर	6417	6001	416	93.52
11.	कर्नाटक	27481	26771	710	97.42
12.	केरल	1364	1364	—	100
13.	मध्य प्रदेश	52117	50474	1643	96.85
14.	छत्तीसगढ़	19720	18532	1188	93.98
15.	महाराष्ट्र	41095	40351	$	100
16.	मणिपुर	2315	2043	272	88.25
17.	मेघालय	5782	3016	2766	52.16
18.	मिजोरम	707	691	16	97.74

1	2	3	4	5	6
19.	नागालैंड	1278	1216	$	100
20.	उड़ीसा	47529	37663	9866	79.24
21.	पंजाब	12278	12278	—	100
22.	राजस्थान	39753	37276	2477	93.77
23.	सिक्किम	450	405	$	100
24.	तमिलनाडु	15400	15400	0	100
25.	त्रिपुरा	858	818	40	95.34
26.	उत्तर प्रदेश	97942	57042	40900	58.24
27.	उत्तरांचल	15761	13131	2630	83.31
28.	पश्चिम बंगाल	37945	31705	6240	83.56
29.	दिल्ली	158	158	0	100.00
	कुल (राज्य)	592991	473145	118816	79.79
	यूटी	1093	1090	$	100
	अखिल भारत	594084	474235	118816	79.83

$बकाया गांव विद्युतीकरण हेतु व्यवहार्य नहीं

स्रोत-सीईए तथा जनगणना रिपोर्ट।

ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण-2001 की जनगणना

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण घरों की संख्या	वे घर जिनमें बिजली है	विद्युतीकृत गांवों का %	अविद्युतीकृत घरों का %
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12,676,218	7,561,733	59.65	40.35
2.	अरूणाचल प्रदेश	164,501	73,250	44.53	55.47
3.	असम	4,220,173	697,842	16.54	83.46

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	12,660,007	649,503	5.13	94.87
5.	छत्तीसगढ़	3,359,078	1,548,926	46.11	53.89
6.	दिल्ली	169,528	144,948	85.50	14.50
7.	गोवा	140,755	130,105	92.43	7.57
8.	गुजरात	5,885,961	4,244,758	72.12	27.88
9.	हरियाणा	2,454,463	1,926,814	78.50	21.50
10.	हिमाचल प्रदेश	1,097,520,	1,036,969	94.48	5.52
11.	जम्मू-कश्मीर	1,161,357	868,341	74.77	25.23
12.	झारखंड	3,802,412	379,987	9.99	90.01
13.	कर्नाटक	6,675,173	4,816,913	72.16	27.84
14.	केरल	4,942,550	3,238,899	65.53	34.47
15.	मध्य प्रदेश	8,124,795	5,063,424	62.32	37.68
16.	महाराष्ट्र	10,993,623	7,164,057	65.17	34.83
17.	मणिपुर	296,354	155,679	52.53	47.47
18.	मेघालय	329,678	99,762	30.26	69.74
19.	मिजोरम	79,362	35,028	44.14	55.86
20.	नागालैंड	265,334	150,929	56.88	43.12
21.	उड़ीसा	6,782,879	1,312,744	19.35	80.65
22.	पंजाब	2,775,462	2,482,925	89.46	10.54
23.	राजस्थान	7,156,703	3,150,556	44.02	55.98
24.	सिक्किम	91,723	68,808	75.02	24.98
25.	तमिलनाडु	8,274,790	5,890,371	71.18	28.82
26.	त्रिपुरा	539,680	171,357	31.75	68.25

1	2	3	4	5	6
27.	उत्तर प्रदेश	20,590,074	4,084,288	19.48	80.16
28	उत्तरांचल	1,196,157	602,225	50.35	49.65
29.	पश्चिम बंगाल	11,161,870	2,262,517	20.27	79.73
	संघ शासित राज्य				
1.	अंडमान-निकोबार द्वीप	49,653	33,807	68.09	31.91
2.	चंडीगढ़	21,302	20,750	97.41	2.59
3.	दादरा व नगर हवेली	32,783	27,088	82.63	17.37
4.	दमन व दीव	22,091	21,529	97.46	2.54
5.	लक्षद्वीप	5,351	5,337	99.74	0.26
6.	पांडिचेरी	72,199	58,486	81.01	18.99
	अखिल भारत	138,271,559	60,180,685	43.52	56.48

विवरण-IV

23.11.2005 के अनुसार आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं

क्रम सं.	राज्य का नाम	जिले जिनके लिए प्रस्ताव अनुमोदित हो गए हैं	परियोजना की स्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	04	160.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	01	23.83
3.	असम	01	55.67
4.	बिहार	24	1287.70
5.	छत्तीसगढ़	01	37.07
6.	गुजरात	02	46.56
7.	हरियाणा	06	76.99
8.	हिमाचल प्रदेश	01	25.02
9.	जम्मू-कश्मीर	02	72.47
10.	झारखंड	—	—
11.	कर्नाटक	17	375.40
12.	केरल	07	221.76
13.	मध्य प्रदेश	04	200.60
14.	महाराष्ट्र	03	32.10
15.	मणिपुर	—	—

1	2	3	4
16.	मेघालय	–	–
17.	मिजोरम	–	–
18.	नागालैंड	2	16.73
19.	उड़ीसा	01	41.07
20.	पंजाब	01	22.97
21.	राजस्थान	25	406.77
22.	सिक्किम	–	–
23.	तमिलनाडु	–	–
24.	त्रिपुरा	–	–
25.	उत्तर प्रदेश	63	2151.64
26.	उत्तरांचल	04	220.59
27.	पश्चिम बंगाल	13	385.03
	कुल	182	5860.92

[अनुवाद]

बुने हुए वस्त्रों का निर्यात

***44. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बुने वस्त्रों का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का वैश्विक बाजार में चीन और अन्य देशों के साथ मुकाबला करने हेतु अवसंरचना में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) निटवियर सहित वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें सिले-सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित करना, वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी), वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस), अपैरल पार्क निर्यात योजना (एपीईएस) और एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) जैसे कुछ कदम शामिल हैं।

(ख) और (ग) भारतीय वस्त्र उद्योग को उन्नत आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :-

(i) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन को सुविधाजनक बनाने के लिए 1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू की गई है। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप-क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए इस योजना को और सुनियोजित किया गया है। 30 सितंबर, 2005 तक, 4047 आवेदनों पर 12759 करोड़ रु. की राशि स्वीकृति की गई है और 3415 आवेदनों पर 8401 करोड़ रु. वितरित कर दिए गए हैं।

(ii) प्रतिस्पर्धी मूल्य पर गुणवत्ता की कच्ची सामग्री की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया है। बेहतर कृषि परिपाटियों, कोटि के बीजों, बाजार अवसंरचना में सुधार और जिनिंग एवं प्रैसिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं। मिशन के तहत 1113.83 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 161 बाजार यार्डों के विकास और 616 जिनिंग एवं प्रैसिंग फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण की स्वीकृति दे दी गई है। इसमें भारत सरकार का हिस्सा 296.30 करोड़ रु. का है।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय मानकों की अपैरल इकाइयां स्थापित करने और महत्वपूर्ण वस्त्र केंद्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत करने पर जोर देने के उद्देश्य से सरकार ने अपैरल पार्क निर्यात योजना (ए पी ई एस) और वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टी सी आई डी एस) शुरू की है। तथापि, इन दो योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के बाद दोनों योजनाओं को मिलाकर एकीकृत वस्त्र पार्क योजना नामक नई योजना शुरू की गई है। यह योजना

सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पी पी पी) के आधार पर है और इससे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने के लिए अपनी वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के वास्ते उद्योग को विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस योजना के तहत भारत सरकार की सहायता अनुदान अथवा इक्विटी के रूप में परियोजना लागत के 40% तक सीमित होगी जो अधिकतम 40 करोड़ रु. होगी।

अवक्रमित भूमि का विकास

***45. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने के बावजूद अवक्रमित (डीग्रेडिड) भूमि के विकास की वास्तविक प्रगति काफी धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अवक्रमित भूमि के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है और दसवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग वनेतर बंजरभूमि को विकसित करने, सूखा प्रभावित क्षेत्र को सूखे से मुक्त करने तथा मरूस्थलीकरण को नियंत्रित करने के लिए देश में तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। बंजरभूमि को विकसित करने के कार्य की गति बंजरभूमि के क्षेत्रफल, उपलब्ध संसाधनों, भूमि को विकसित करने की लम्बी प्रक्रिया तथा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को संगठित करने तथा उन्हें इस कार्य में शामिल करने में समय लगने के कारण धीमी है। भूमि संसाधन विभाग द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद के सहयोग से दूर संवेदी तकनीकों का प्रयोग करके वर्ष 2000 में प्रकाशित किए गए भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस (वेस्टलैंड एटलस आफ इंडिया) के अनुसार भारत में 638.5 हैक्टेयर भूमि को बंजरभूमि के रूप में अंकित किया गया है। इसमें से 369.8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र विकसित की जा सकने वाली वनेतर बंजरभूमि है। ये बंजरभूमि क्षेत्र देश के सभी जलवायु क्षेत्रों में मौजूद हैं। मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) को उन खण्डों में कार्यानिवत किया जाता है जिन्हें हनुमंत राव समिति द्वारा क्रमश: शुष्क तथा उर्द्ध शुष्क/शुष्क अर्द्ध-आर्द्र क्षेत्रों में कुछेक वैज्ञानिक मानदण्डों के आधार पर अभिज्ञात किया गया है। 369.8 लाख हैक्टेयर बंजरभूमि के कुछ भाग को इन कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया गया है। शेष क्षेत्रों में बंजरभूमि के विकास के लिए समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) कार्यान्वित किया जाता है। भूमि संसाधन विभाग ने वाटरशेड संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत 1.4.1995 से लेकर 31.3.2005 तक की अवधि के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 106.765 लाख हैक्टेयर तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम की परियोजनाओं के अंतर्गत 57.38 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकास के लिए स्वीकृत किया है।

(ग) सरकार ने अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए आबंटित संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि की है तथा इसके परिणामस्वरूप स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या तथा शामिल क्षेत्र में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 1475.82 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 24.597 लाख हैक्टेयर भूमि को विकसित करने के लिए 460 आई.डब्ल्यू.डीपी. परियोजनाएं, 2268.90 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 37.815 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 7563 डी.पी.ए.पी. परियोजनाएं तथा 1429.20 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 23.82 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए 4764 डी.डी.पी. परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। परियोजना की अवधि 5 वर्षों की है। गत तीन वर्षों के दौरान इन तीन कार्यक्रमों के अंतर्गत चल रही तथा नई परियोजनाओं के लिए 2318.13 करोड़ रुपये के लगभग निधियां जारी की गई हैं। गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार तथा कर्याक्रम-वार स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या तथा विकसित करने के लिए शामिल किये गये क्षेत्र का ब्यौरा विवरण-I में तथा चल रही एवं नई परियोजनाओं के लिए जारी की गई निधियों का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अभी तक 2479.08 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 16.32 लाख हैक्टेयर, 15.00 लाख हैक्टेयर तथा 10.00 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए क्रमश: 340 आई.डब्ल्यू.डी.पी.

परियोजनाएं, 3000 डी.पी.ए.पी. परियोजनाएं तथा 2000 डी.डी.पी. परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 16 राज्यों में किए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों से यह पता चला है कि भूमि की समग्र उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जल का स्तर बढ़ा है तथा परियोजना क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समग्र आर्थिक विकास पर पर्याप्त सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

विवरण-I

वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक की अवधि के दौरान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों क अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या तथा क्षेत्र

क्रम सं.	राज्य	आई.डब्ल्यू.डी.पी.		डी.पी.ए.पी.		डी.डी.पी.	
		परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र (लाख है. में)	परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र (लाख है. में)	परियोजनाओं की संख्या	क्षेत्र (लाख है. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	22	1.32	865	4.325	330	1.65
2.	बिहार	18	0.9	188	0.94		
3.	छत्तीसगढ़	17	0.83576	348	1.74		
4.	गोवा	2	0.1				
5.	गुजरात	20	1.025	741	3.705	873	4.365
6.	हरियाण	8	0.35			357	1.785
7.	हिमाचल प्रदेश	10	0.58	130	0.65	160	0.8
8.	जम्मू-कश्मीर	5	0.24	198	0.99	158	0.79
9.	झारखंड	10	0.33	564	2.82		
10.	कर्नाटक	20	1.01448	675	3.375	497	2.485
11.	केरल	3	0.15				
12.	महाराष्ट्र	19	0.95	899	4.495		
13.	मध्य प्रदेश	31	1.54972	803	4.015		
14.	उड़ीसा	16	0.83	452	2.26		
15.	पंजाब	4	0.154				
16.	राजस्थान	18	0.9	305	1.525	2389	11.945

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	तमिलनाडु	21	1.06025	464	2.32		
18.	उत्तर प्रदेश	26	1.3	478	2.39		
19.	उत्तरांचल	13	0.72463	277	1.385		
20.	पश्चिम बंगाल	6	0.2382	176	0.88		
	योग	289	14.75204	7563	37.815	4764	23.82
	पूर्वोत्तर राज्य						
1.	अरुणाचल प्रदेश	29	1.58671				
2.	असम	64	3.49432				
3.	मणिपुर	18	1.145				
4.	मेघालय	14	0.42				
5.	मिजोरम	15	1.20685				
6.	नागालैंड	17	1.3725				
7.	सिक्किम	7	0.34455				
8.	त्रिपुरा	7	0.27529				
	पूर्वोत्तर राज्यों का योग	171	9.84522				
	क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का योग	460	24.59726	7563	37.815	4764	23.82

विवरण-II

वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक की अवधि के दौरान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के तहत चल रही तथा नई परियोजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य	आई.डब्ल्यू.डी.पी. (करोड़ रुपये में)	डी.पी.ए.पी (करोड़ रुपये में)	डी.डी.पी. (करोड़ रुपये में)	योग (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	77.90	138.01	35.53	251.44
2.	बिहार	8.72	8.84		17.56
3.	छतीसगढ़	34.71	47.22		81.93
4.	गोवा	0.83	0.00		0.83
5.	गुजरात	43.00	91.73	147.11	281.85
6.	हरियाणा	11.07	0.00	52.75	63.82
7.	हिमाचल प्रदेश	41.95	13.25	18.83	74.04

1	2	3	4	5	6
8.	जम्मू-कश्मीर	46.92	8.68	22.48	78.08
9.	झारखंड	5.20	28.31		33.51
10.	कर्नाटक	61.81	79.84	60.42	202.07
11.	केरल	5.71	0.00		5.71
12.	महाराष्ट्र	33.15	62.65		95.80
13.	मध्य प्रदेश	87.37	150.31		237.68
14.	उड़ीसा	42.83	30.89		73.71
15.	पंजाब	2.45	0.00		2.45
16.	राजस्थान	49.91	49.84	287.66	387.41
17.	तमिलनाडु	53.02	62.78		115.80
18.	उत्तर प्रदेश	54.34	46.73		101.07
19.	उत्तरांचल	19.28	19.76		39.04
20.	पश्चिम बंगाल	2.39	5.94		8.33
	योग	654.48	844.78	624.78	2124.04
	पूर्वोत्तर राज्य				
1.	अरुणाचल प्रदेश	16.14			16.14
2.	असम	63.73			63.73
3.	मणिपुर	15.01			15.01
4.	मेघालय	6.62			6.62
5.	मिजोरम	27.43			27.43
6.	नागालैंड	53.20			53.20
7.	सिक्किम	7.77			7.77
8.	त्रिपुरा	4.18			4.18
	पूर्वोत्तर राज्यों का योग	194.09			194.09
	क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का योग	848.57	844.78	624.78	2318.13

हस्तशिल्प का विकास

*46. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने देश में हस्तशिल्प का विकास करने के बारे में एक आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) वे राज्य कौन से हैं जिन्होंने हस्तशिल्प का विकास करने संबंधी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं;

(घ) वे राज्य कौन से हैं जो हस्तशिल्प के विकास में पिछड़े हुए हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इन राज्यों में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी हां। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् (ई पी सी एच) के माध्यम से हस्तशिल्पों के निर्यात की स्थिति का एक आकलन हाल ही में किया गया था।

(ख) इस आकलन का परिणाम इस प्रकार है:-

(i) हस्तशिल्पों का निर्यात 15 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है।

(ii) निर्यात के मुख्य अंशकारक हैं: कशीदाकारीकृत और कोशिए से बनी वस्तुएं (32.22 प्रतिशत); धातु की कलात्मक वस्तुएं

(25.8 प्रतिशत); और हाथ से छपे वस्त्र और स्कार्फ्स (14.18 प्रतिशत)।

(iii) विश्व के हस्तशिल्प व्यापार में भारतीय निर्यात का हिस्सा लगभग 1.3 प्रतिशत है।

(iv) देश से होने वाले हस्तशिल्पों के कुल निर्यात में मध्य क्षेत्र का योगदान 48 प्रतिशत और उत्तरी क्षेत्र का योगदान लगभग 35 प्रतिशत है।

(ग) हस्तशिल्पों के लक्ष्य एवं निर्यात आंकड़े देश में समग्र रूप से निर्धारित किए जाते तथा रखे जाते हैं और राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

(घ) निर्यात में प्रदर्शन के अनुसार, पिछड़े रह गए क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र (6.63 प्रतिशत), पश्चिमी क्षेत्र (5.66 प्रतिशत) और दक्षिणी क्षेत्र (4.99 प्रतिशत) हैं।

(ङ) पिछड़े रह गए क्षेत्रों सहित देश में हस्तशिल्पों के विकास और संवर्धन के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं जिनमें कलस्टर विकास, डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं सहायता सेवाओं, निर्यात संवर्धन के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए एच वी वाई), कौशल उन्नयन के लिए विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना, ऋण गारंटी स्कीम, अनुसंधान एवं विकास आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, पूर्वी, पूर्वोत्तर, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों से हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों के क्षमतावान शिल्पों की पहचान करके उत्पादों का विविधीकरण किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने अमरीका और यूरोपीय बाजारों में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से हस्तशिल्पों के ब्रांड संवर्धन के संबंध में भी कार्रवाई शुरू की है।

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के लिए एकमुश्त निपटान योजना

*47. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को लघु और मझौले उद्यमों से 10 करोड़ रुपए से कम की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली करने हेतु एकमुश्त निपटान योजना की अनुमति देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार को हुआ अनुमानित नुकसान कितना है; और

(घ) इससे कितने लघु और मझौले उद्यमों के लाभान्वित होने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 3 सितम्बर, 2005 के परिपत्र के तहत सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को छोटे एवं मझौले उद्यम (एसएमई) खातों के लिए एकबारगी निपटान योजना के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परिपत्र की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) इस योजना से सरकार को कोई हानि नहीं हुई है।

(घ) फिलहाल उन इकाइयों की संख्या बताना संभव नहीं है जिन्हें इस योजना से लाभ होगा।

विवरण

प्रेस सम्पर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, पोस्ट
बाक्स 406, मुंबई 400 001
फोन : *2266 0502* फैक्स : *2266 0358, 2270 3279*

भारतीय रिजर्व बैंक

हिन्दी वेबसाइट

http://www.rbi.org.in/hindi, Email: helpprd@rbi.org.in

भारिबैं / 2005-06 / 153

ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.बीसी.सं. 39/06.02.31/2005-06

सितंबर 3, 2005

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

महोदय,

छोटे और मध्यम उद्यम खातों के लिए एक बारगी निपटान संबंधी दिशानिर्देश

माननीय वित्त मंत्री ने 10 अगस्त 2005 को संसद में लघु और मध्यम उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए एक नीतिगत पैकेज की घोषणा की। तदनुसार 10 करोड़ रु. से कम की अनर्जक आस्तियों की वसूली के लिए एक बारगी समझौता योजना प्रस्तावित है जिसे सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा लागू किया जाना है। ये नए दिशानिर्देश छोटे और मध्यम उद्यम क्षेत्र में पुरानी अनर्जक आस्तियों के एक बारगी निपटान के लिए सरल और ऐसा तंत्र उपलब्ध कराएंगे जिसमें कोई भेदभाव न हो। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक इन दिशानिर्देशों को समान रूप से लागू करें।

2. तथापि, दिशा-निर्देशों में जानबूझकर की गयी चूक, कपट और धांधली के मामले शामिल नहीं होंगे। बैंकों को जानबूझकर चूक, कपट और धांधली के मामलों का पता लगाना चाहिए और उनके विरूद्ध तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तदनुसार, दिशा-निर्देशों को संशोधित करते हुए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी क्षेत्रों की अनर्जक आस्तियों से संबंधित प्राप्त राशियों के एक बारगी (समझौते द्वारा) निपटान के लिए संशोधित दिशा-निर्देश नीचे दिये गये हैं :

(अ) 10.00 करोड़ रुपये तक की बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए दिशा-निर्देश

(i) व्याप्ति

(क) संशोधित दिशा-निर्देशों में सभी क्षेत्रों की, चाहे उनके कारोबार का स्वरूप कुछ भी क्यों न हो, ऐसी सभी अनर्जक आस्तियां शामिल होंगी, जो 31 मार्च 2004 को संदिग्ध या हानिवाली हो गयी हैं और निर्दिष्ट तारीख को जिनकी बकाया जमाराशि 10.00 करोड़ रुपये और उससे कम है।

(ख) दिशा-निर्देशों में ऐसी अनर्जक आस्तियां भी शामिल होंगी, जिन्हें 31 मार्च 2004 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया गया हो और जो बाद में संदिग्ध या हानिवाली श्रेणी में आ गयी हों तथा खाते को संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाली तारीख को जिनकी बकाया राशि 10 करोड़ रुपये अथवा कम हों।

(ग) इन दिशा-निर्देशों में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत बैंकों द्वारा शुरू की गयी कार्रवाई के मामले तथा न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों/ औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित मामले भी शामिल होंगे, बशर्ते न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों/औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से सहमति डिक्री प्राप्त की गयी हो।

(घ) जानबूझकर की गयी चूक, कपट और धांधली के मामले शामिल नहीं होंगे।

(ङ) ऋणकर्ताओं से आवेदनपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2006 को कारोबार समाप्त होने की होगी। संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत जांच कार्य 30 जून 2006 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए।

(ii) निपटान फार्मूला- राशि

(क) 31 मार्च 2004 को संदिग्ध या हानिवाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अनर्जक आस्तियां

31 मार्च 2004 को संदिग्ध या हानिवाली आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के संदर्भ में संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत वसूल की जानेवाली न्यूनतम राशि, प्रतिवादित बिल लेखे में अंतरण की तारीख को खाते में बकाया जमाराशि या संदिग्ध अनर्जक आस्तियों के रूप में खाते को वर्गीकृत किये जाने की तारीख को बकाया राशि, इनमें से जो भी पहले हो, का, यथास्थिति, 100 प्रतिशत होगी।

(ख) 31 मार्च 2004 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत ऐसी अनर्जक आस्तियां जो बाद में संदिग्ध या हानिवाली बन गयी हों।

31 मार्च 2004 को अवमानक के रूप में वर्गीकृत जो अनर्जक आस्तियां बाद में संग्धि या हानि वाली बन गयी हों, उनके संदर्भ में वसूल की जानेवाली न्यूनतम राशि प्रतिवादित बिल लेखे में अंतरण की

तारीख को विद्यमान राशि, इनमें से जो भी पहले हो, का यथास्थिति, 100 प्रतिशत तथा 1 अप्रैल 2004 से अंतिम भुगतान की तारीख तक विद्यमान मूल उधार दर पर ब्याज।

(iii) अदायगी

उपर्युक्त दोनों ही मामलों में समझौते द्वारा हिसाब लगायी गयी राशि अधिमानतः एकमुश्त अदा की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां ऋणकर्ता संपूर्ण राशि एकमुश्त अदा करने में असमर्थ है, वहां निपटान की राशि का कम से कम 25 प्रतिशत उसी समय अदा किया जाना चाहिए और 75 प्रतिशत की शेष राशि, समझौते की तारीख से अंतिम अदायगी की तारीख तक विद्यमान मूल उधार दर पर ब्याज सहित एक वर्ष की अवधि के भीतर किस्तों में वसूल की जानी चाहिए।

(iv) मंजूर करने वाले प्राधिकारी

समझौते द्वारा निपटान तथा बाद में काफी या छूट या बट्टे खाते डालने की मंजूरी के संबंध में निर्णय प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना चाहिए।

(v) भेदभाव रहित व्यवहार

बैंकों को चाहिए कि वे बिना किसी भेदभाव के संशोधित योजना के अंतर्गत आनेवाली सभी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान के लिए उपर्युक्त दिशा-निर्देशों का पालन करें और संबंधित अधिकारी द्वारा निपटान की प्रगति और ब्यौरों की मासिक रिपोर्ट अगले उच्च अधिकारी तथा अपने केन्द्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें। बैंकों को चाहिए कि पात्र चूककर्ता ऋणकर्ताओं को इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अपनी बकाया देय राशियों के एक बार में निपटान के अवसर का लाभ उठाने के लिए व्यापक प्रचार करें और 31 जनवरी 2006 तक नोटिस दें। विभिन्न माध्यमों से इन दिशा-निर्देशों के पर्याप्त प्रचार को अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(vi) बोर्ड को रिपोर्ट देना

बैंकों को संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बहुत पुरानी अनर्जक आस्तियों के समझौते द्वारा निपटान की प्रगति के संबंध में रिपोर्ट हर तिमाही में निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत करनी चाहिए। तिमाही प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति हमें भी भेजी जाए।

3. कृपया उपर्युक्त दिशा-निर्देश अपने नियंत्रक कार्यालयों और शाखाओं को तुरन्त कार्रवाई हेतु सूचित करें। ये दिशा-निर्देश आपके बैंक की वेब साइट पर भी प्रदर्शित किए जाएं।

4. किसी ऋणकर्ता के लिए निपटान संबंधी उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में कोई व्यतिक्रम या इनसे हटकर कार्रवाई का प्रस्ताव हो तो वह केवल निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिए।

5. कृपया प्राप्ति-सूचना दें।

भवदीय

(जी.श्रीनिवासन)
मुख्य. महाप्रबंधक

ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस. सं. 277/06.02.31/2005-06

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित (डाक सूची के अनुसार)

(जी.पी.बोरा)
उप महाप्रबंधक

[हिन्दी]

न्यायाधीशों के रिक्त पद

*48. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री प्रभुनाथ सिंह :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों की स्वीकृत संख्या कितनी है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पड़े पदों की न्यायालय-वार संख्या कितनी है;

(ग) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में दीवानी, फौजदारी एवं अन्य मामले लंबित पड़े हैं;

(ङ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार लंबित पड़े मामलों की अवधि सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने और न्यायालयों में लंबे समय से लंबित पड़े मामलों के तीव्र निपटान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) से (च) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च विभिन्न उच्च न्यायालयों में तारीख 21.11.2005 को स्वीकृत पद संख्या और साथ ही रिक्त पदों की संख्या विवरण-I में दी गई है।

2. उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों का भरा जाना, सांविधानिक प्राधिकारियों के बीच चलने वाली एक सतत परामर्शी प्रक्रिया है। यद्यपि विद्यमान रिक्त पदों को शीघ्रता से भरे जाने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, फिर भी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या न्यायाधीशों की प्रोन्नति के कारण रिक्तियां होती रहती हैं।

2.1 उच्चतम न्यायालय की तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय के साथ पठित उनके तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय के अनुसार किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव चलाने की प्रक्रिया उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को आरंभ करनी होती है। तथापि, सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों और राज्यपालों को समय-समय पर विद्यमान तथा आगामी छह मास के दौरान होने वाली संभावित रिक्तियों को भरे जाने के लिए प्रस्ताव चलाने का अनुरोध करती रही है। इन प्रयासों के फलस्वरूप 21.11.2005 को यथाविद्यमान 139 रिक्तियों के प्रति उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से नियुक्तियों के लिए 60 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

3. 1 जनवरी, 2005 को, भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष 14,995 ग्रहण संबंधी मामले और 15,156 नियमित सुनवाई के मामले लंबित थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति को दर्शित करने वाला विवरण-II संलग्न है।

3.1 न्यायालयों में लंबित मामलों की अधिक संख्या भिन्न-भिन्न कारणों से है, जिनके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीशों की रिक्तियां, नए विधान, नए मामलों के संस्थन में सारवान वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, नागरिकों में अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता, स्थगनों का मंजूर किया जाना, देश में औद्योगिक विकास, व्यापार और वाणिज्य तथा सामाजिक-आर्थिक मामलों में वृद्धि नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले विधायी और प्रशासनिक पहलू, वकीलों की हड़ताल आदि हैं।

4. सरकार ने मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनके अंतर्गत त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना, सिविल प्रक्रिया संहिता का संशोधन, लोक उपयोगिताओं से संबंधित विवादों के लिए स्थायी अदालतें, न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना, विधिक शिक्षा के स्तर में सुधार, माध्यस्थम और सुलह जैसे विवाद समाधान के वैकल्पिक ढंगों को अपनाया जाना है।

विवरण-I

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	21.11.2005 को स्वीकृत पद संख्या	रिक्त पदों की संख्या	स्तंभ 4 के प्रतिनिर्देश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	2	3	4	5
	भारत का उच्चतम न्यायालय	26	04	—
	उच्च न्यायालय			
1.	इलाहाबाद	95	13	03
2.	आंध्र प्रदेश	39	09	03
3.	बंबई	60	05	03
4.	कलकत्ता	50	20	—
5.	छत्तीसगढ़	08	—	—
6.	दिल्ली	33	06	06
7.	गुवाहाटी	19	02	01
8.	गुजरात	42	07	—

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	08	01	03
10.	जम्मू-कश्मीर	14	04	01
11.	झारखंड	12	07	05
12.	कर्नाटक	40	08	05
13.	केरल	29	01	—
14.	मध्य प्रदेश	41	02	—
15.	मद्रास	42	20	21
16.	उड़ीसा	20	06	—
17.	पटना	31	09	—
18.	पंजाब और हरियाणा	40	11	07
19.	राजस्थान	40	08	02
20.	सिक्किम	03	—	—
21.	उत्तरांचल	09	—	—
	योग	675	139	60

विवरण-II

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की समयवार संख्या दर्शित करने वाला विवरण

क्रम सं.	उच्च न्यायालय	कुल लंबित मामले	पांच वर्ष से अधिक किंतु दस वर्ष से कम समय से लंबित मामले	दस वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	981245	164484	322244
2.	आन्ध्र प्रदेश	183139	35215	3796
3.	बम्बई	332975	66807	61035
4.	कलकत्ता	209233	48296	91080
5.	दिल्ली	113785	18909	20799
6.	गुजरात	143655	46808	19321
7.	गुवाहाटी	57381	10616	32
8.	हिमाचल प्रदेश	23539	36196	0
9.	जम्मू-कश्मीर	45225	5088	240
10.	कर्नाटक	129653	617	5656
11.	केरल	130267	18965	1026
12.	मद्रास	298759	26958	4347
13.	मध्य प्रदेश	200918	32567	9975
14.	उड़ीसा	106549	2905	32015
15.	पटना	84948	67075	13461
16.	पंजाब और हरियाणा	265302	66589	56338
17.	राजस्थान	204348	42234	14545
18.	सिक्किम	55	0	0
19.	उत्तरांचल	35898	6516	5960
20.	झारखंड	63732	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
21.	छत्तीसगढ़	35812	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
	योग	3648475	627680	654206

कोयले की कमी

*49. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कोयले की वार्षिक आवश्यकता कितनी रही है;

(ख) क्या इस आवश्यकता को घरेलू कोयला उत्पादन से पूरा किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या विद्युत एवं कोयला मंत्रालय विद्युत संयंत्रों हेतु कोयले की विद्यमान कमी से निपटने के लिए एक विस्तृत रूप-रेखा तैयार करने पर सहमत हो गए हैं;

(घ) क्या दोनों मंत्रालय देश में विद्युत संयंत्रों की कोयले की कमी को पूरा करने हेतु कोयले का अल्पकालिक आयात करने पर सहमत हो गए हैं जिसकी योजना वर्ष 2005-06 हेतु बनाई जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी को पूरा करने हेतु कोयले का कुल कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा निर्धारित विद्युत उत्पादन लागत तथा नियामक स्तर पर कोयले भंडार की आवश्यकता के आधार पर गत तीन वर्षों के दौरान नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की वार्षिक कोयला आवश्यकता निम्नानुसार रही-

(मि. टन में)

2002-03	2003-04	2004-05
80.736	86.137	97.528

पिछले तीन वर्षों के दौरान मशीनों की बेहतर उपलब्धता तथा विद्युत संबंधी मांग एवं वास्तविक विद्युत खपत के कारण वास्तविक विद्युत आवश्यकता निम्नानुसार थी:-

(मि. टन में)

	2002-03	2003-04	2004-05
आवश्यकता	83.097	91.611	101.333
खपत	83.097	90.113	98.786

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) की कोयला आवश्यकता की पूर्ति घरेलू कोयला उत्पादन से की गयी।

(ग) विद्युत मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय ने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए मौजूदा कोयला अभाव से निपटने हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं-

अल्पकालिक उपाय

(i) कोयला आयात

(ii) कोयले के घरेलू उत्पादन में वृद्धि

(iii) आपातकालीन खनन योजना

मध्यावधि उपाय

(i) एनटीपीसी को झारखंड में स्थित एक कोयला भंडार, अर्थात पकड़ी बरवाडिह समेत विद्युत उत्पादकों/यूटिलिटियों को नए कोयला भंडार का आवंटन।

(ii) लंबित कोयला खनन परियोजनाओं को पर्यावरण/वन स्वीकृति देने में तेजी लाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सरल प्रक्रिया।

(iii) त्वरित निवेश निर्णय

(घ) घरेलू स्रोतों से कोयले की मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतर को दूर करने के लिए तथा कोयला भण्डार बनाने और विद्युत उत्पादन जारी रखने के लिए पूरे देश में स्थित ताप विद्युत संयंत्रों के लिए 2005-06 के दौरान 13.45 मिलियन टन कोयले के आयात की योजना बनाई गई है जिसमें एनटीपीसी केन्द्रों के लिए 3.98 मिलियन टन कोयले का घटक भी शामिल है।

(ङ) वर्ष 2006-07 के लिए 20 मि. टन कोयले के आयात का विचार है।

[अनुवाद]

राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा जब्त विदेशी वाहन

*50. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारों सहित आयातित अन्य वाहनों में भारी सीमा शुल्क अपवंचन करने वाला एक गिरोह हाल ही में सरकार की पकड़ में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय (डी आर आई) द्वारा वाहनों के आयात में सीमा शुल्क अपवंचन के कितने मामले पकड़े गए हैं;

(घ) इस अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया तथा कितने मामले दर्ज किये गए;

(ङ) क्या गिरोह में कुछ सरकारी एजेंसियां भी शामिल हैं;

(च) यदि हां, तो ऐसे सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किये जाने का प्रस्ताव है; और

(छ) ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार ने और क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) कारों सहित आयातित अन्य वाहनों में भारी सीमा शुल्क अपवंचन करने वाले गिरोह का मामला हाल ही में सरकार की जानकारी में आया है।

(ख) राजस्व आसूचना निदेशालय ने हाल ही में अनेक मामलों को दर्ज किया है जिनमें कारों सहित वाहनों का होटलों, यात्रा संचालकों और गोल्फ रिजार्टों आदि रखने/चलाने वाली कम्पनियों जैसे सेवा प्रदाताओं के लिए ई.पी.सी.जी. स्कीम के अंतर्गत रियायती सीमा शुल्क दर पर आयात किया गया था। कुछ मामलों में आयातित वाहनों का निर्यात जिम्मेदारी को निभाने के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु सेवा प्रदान करने के अभीष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया। बल्कि इन वाहनों का उपयोग व्यक्तियों के निजी इस्तेमाल के लिए किया गया। अन्य मामलों में ऐसे आयातकों, जिनके पास होटल/यात्रा संचालन रोजगार नहीं था, द्वारा धोखे से ई.पी.सी.जी. लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया था।

(ग) विगत दो वर्षों में राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा वाहनों के आयात में सीमा शुल्क अपवंचन के पकड़े गए मामलों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

- सेवा प्रदाताओं के लिए निर्यात माल स्कीम के दुरुपयोग के कारण राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा 23.58 करोड़ रु. अनुमानित मूल्य के 61 वाहनों को पकड़ा गया है।
- ऐसे वाहनों के उत्पादन वर्ष अथवा माडल संख्या को गलत बताते हुए सीमा शुल्क के अपवंचन के कारण राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा 5.77 करोड़ रु. अनुमानित मूल्य के 12 वाहनों को जब्त किया गया है।

(घ) विगत दो वर्षों के दौरान 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और सतरह मामलों को दर्ज किया गया है।

(ङ) अभी तक की गई जांच में किसी सरकारी एजेंसी के शामिल होने की कोई सूचना सरकार को नहीं मिली है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) ई पी सी जी स्कीम के अंतर्गत कारों के आयात से संबंधित प्रावधानों को सख्त करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा वर्तमान नीतिगत प्रावधानों की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

मूल्यवर्धित कर

*51. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्यों ने मूल्यवर्धित कर (वैट) प्रणाली को अभी तक लागू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा पूरे देश में मूल्यवर्धित कर प्रणाली का क्रियान्वयन सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारत के संविधान की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 54 के अंतर्गत राज्य बिक्री कर राज्य का विषय है। बिक्री कर और राज्य वैट जिसे राज्य के बिक्री कर को प्रतिस्थापित करना है, इनसे संबंधित सभी मामलों पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति का गठन किया गया है। अधिकार प्राप्त समिति की 18 जून, 2004 को हुई बैठक में मोटे तौर पर इस बात पर मतैक्य हुआ कि वैट को 01 अप्रैल, 2005 से लागू किया जाए।

अब तक 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वैट को लागू किया है। दो संघ राज्य क्षेत्र नामत: अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में बिक्री कर/वैट नहीं है। शेष 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वैट को लागू किया जाना है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पांडिचेरी और चंडीगढ़ हैं। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से झारखंड सरकार ने अधिकार प्राप्त समिति को सूचित किया है कि वे दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वैट को लागू करना चाहते हैं। चंडीगढ़ के संघ राज्य प्रशासन ने पंजाब के वैट कानून को अपनाकर वैट को लागू करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके लिए आवश्यक विधायन संसद के समक्ष है। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में कुछ राज्यों ने सूचित किया है कि वे अपने-अपने राज्यों में मतैक्य स्थापित करने की प्रतिक्रिया में लगे हैं, जबकि कुछ अन्य राज्य वैट को प्रारंभ करने से पहले केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त कर दिए जाने पर जोर दे रहे हैं।

चूंकि वैट राज्य का विषय है इसलिए संघ सरकार इस महत्वपूर्ण कर सुधार प्रक्रिया में एक सुसाध्यकर्ता की भूमिका निभा रही है। संघ सरकार, वैट लागू करने के कारण राज्यों को होने वाले किसी भी किस्म के राजस्व घाटे के लिए सहमत सूत्र के अनुसार 1.4.2005 से प्रारंभ होने वाले पहले तीन वर्षों के दौरान क्षतिपूर्ति सहित सभी आवश्यक तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। केन्द्रीय बिक्री कर को समाप्त करने के संबंध में अधिकार-प्राप्त समिति ने पहले ही यह निर्णय ले लिया है कि इस मामले पर वर्ष 2005-06 के दौरान विचार-विमर्श किया जाएगा और इसके पश्चात् अधिकार-प्राप्त समिति इस संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देगी। अधिकार-प्राप्त समिति तदनुसार इस मद्दे पर विचार-विमर्श कर रही है।

[अनुवाद]

'आन लाइन ट्रेडिंग' धोखाधड़ी

*52. **श्री उदय सिंह :**

श्री अधीर चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज ने हाल ही में 'आन लाइन ट्रेडिंग' धोखाधड़ी को पकड़ने की योजना पेश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्टाक एक्सचेंज में विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ियों के कारण निवेशक ठगे जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश में विभिन्न स्टाक एक्सचेंजों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदंबरम) : (क) और (ख) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लि. (एनएसई) ने इंटरनेट कारोबार सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए अपने सदस्यों को हाल ही में दिनांक 10 मई, 2005 तथा 1 जुलाई, 2005 को दो परिपत्र जारी किए हैं। दिनांक 10 मई, 2005 के परिपत्र में सदस्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपनी इंटरनेट कारोबारी प्रणालियों की नियमित लेखापरीक्षा कराएं। सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे अर्ध-वार्षिक आधार पर अर्हकता प्राप्त प्रणाली लेखापरीक्षा व्यवसायी द्वारा प्रणाली लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें। दिनांक 1 जुलाई, 2005 के परिपत्र द्वारा, एनएसई ने साफ्टवेयर सुविधाकारी इंटरनेट आधारित कारोबार द्वारा व्यवस्था किए जाने वाले न्यूनतम सुरक्षा मानदंड विनिर्दिष्ट किए हैं।

(ग) ग्राहक के लॉग-इन नाम तथा पासवर्ड का दुरुपयोग करके कथित धोखाधड़ी किए जाने की एक शिकायत तथा इंटरनेट कारोबार में अनधिकृत लेनदेनों के संबंध में कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) बाजार प्रचालनों में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपायों की शुरूआत की गई है। एक्सचेंज पूर्णत: स्वचालित स्क्रीनधारित कारोबार प्रणाली उपलब्ध कराते हैं जिसमें इलैक्ट्रानिक रूप से कठोर कीमत समय पूर्विकता आधार पर आदेशों का मिलान किया जाता है। प्रणाली में कीमत संवेदी सूचना की प्रवृत्त कीमतों में अपेक्षाकृत तीव्र समावेशन की व्यवस्था की जाती है। यह बाजार भागीदारों को वास्तविक समय आधार पर पूर्ण बाजार का अवलोकन करने में समर्थ बनाती है। यह संपूर्ण गोपनीयता एवं लेखापरीक्षा ट्रेल की व्यवस्था करती है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास योजनाओं हेतु सतर्कता और निगरानी समितियां

*53. श्री कैलाश मेघवाल :

श्री रघुवीर सिंह कौशल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु जिला स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियां गठित करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन समितियों की संरचना क्या है;

(ग) उन जिलों की राज्यवार संख्या कितनी है जहां उक्त समितियां गठित की गयी हैं;

(घ) देश में ऐसी कुल कितनी समितियां गठित किए जाने की आवश्यकता है तथा ऐसी कितनी समितियां गठित की जा चुकी हैं; और

(ङ) कितने राज्यों में ऐसी समितियों ने कार्यकरण शुरू कर दिया है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) जी हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी के लिए देश के सभी जिलों में सतर्कता एवं निगरानी समितियों के पुनर्गठन के लिए अक्टूबर, 2004 में अनुदेश जारी किए हैं। पुनर्गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों में अध्यक्ष के रूप में एक सदस्य होता है। समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार हैं:

(i) जिले के सभी संसद सदस्य (लोक सभा) जो सह-अध्यक्ष के रूप में पदनामित किए जाते हैं।

(ii) राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संसद सदस्य (राज्य सभा) जो उस जिले की जिला स्तरीय समिति के साथ सहबद्ध होने के विकल्प का इस्तेमाल कर रहा है (पहले आओ पहले पाओ के आधार पर) को सह-अध्यक्ष पदनामित किया जाना है।

(iii) जिले के सभी विधायक

(iv) एक व्यक्ति को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक द्वारा नामांकित किया जाता है।

(v) जिला पंचायत का अध्यक्ष

(vi) पंचायत समितियों के सभी अध्यक्ष

(vii) जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी

(viii) परियोजना निदेशक, डीआरडीए

(ix) समिति में अध्यक्ष द्वारा अन्य संसद सदस्यों (लोक सभा) के परामर्श से किसी प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन के एक सदस्य को नामित किया जाता है।

(x) जिला कलकटर द्वारा नामांकित समाज सेवा/सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र से एक पेशेवर

(xi) समिति में, अध्यक्ष द्वारा अन्य संसद सदस्यों (लोक सभा) के परामर्श से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा अल्पसंख्यक समुदाय में प्रत्येक से एक-एक प्रतिनिधि को नामित किया जाना है।

(ङ) जिला प्राधिकरणों/राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों की जिला-वार एवं राज्य-वार आयोजित बैठकों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। आयोजित की गई बैठकों में, ये समितियां, संबद्ध जिलों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती रही हैं।

विवरण

(21.11.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	क्र.सं.	जिला	पिछली बैठक की तारीख		
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	1.	महबूब नगर	30.12.2004	12.02.2005	18.07.2005
		2.	रंगारेड्डी	07.04.2005		
		3.	कृष्णा	01.05.2005	01.09.2005	
		4.	कुडप्पा	बैठक हुई*		
		5.	नालगोंण्डा	24.04.2005		
		6.	श्रीकाकुलम	10.10.2005		
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.	चांगलांग	30.06.2005	03.10.2005	
		8.	लोअर सुबसानसिरी	06.06.2005		
		9.	दिबांग वैली	28.06.2005		
		10.	पू. कामेग	12.07.2005		
		11.	पापुमपेरा	04.06.2005		
		12.	लोहित	01.06.2005		
		13.	प. कामेग	09.09.2005		
3.	असम	14.	करीमगंज	25.11.2004		
		15.	बारपेटा	06.01.2005	12.07.2005	23.09.2005
		16.	एन सी हिल्स	26.05.2005		
		17.	तिन्सुकिया	29.12.2004	23.02.2005	
		18.	मोरीगांव	19.09.2005		
4.	बिहार	19.	जहानाबाद	06.07.2005	13.08.2005	
		20.	भागलपुर	बैठक हुई*		

1	2	3	4	5	6	7
		21.	रोहतास	29.06.2005		
		22.	मधुबनी	16.06.2005		
		23.	नवादा	20.08.2005		
		24.	शेखपुरा	15.04.2005		
		25.	भोजपुर	बैठक हुई*		
		26.	दरभंगा	बैठक हुई*		
		27.	कैमूर	बैठक हुई*		
		28.	खगरिया	10.04.2005		
		29.	कटिहार	10.06.2005		
		30.	सहरसा	बैठक हुई*		
		31.	सीतामढ़ी	बैठक हुई*		
		32.	शिवहर	बैठक हुई*		
		33.	पश्चिम चंपारण	14.05.2005		
		34.	पटना	23.07.2005		
		35.	पुर्णिया	08.07.2005		
5.	छत्तीसगढ़	36.	सरगुजा	24.06.2005	17.10.2005	
		37.	दुर्ग	28.03.2005		
		38.	जशपुर	09.03.2005		
		39.	रायगढ़	31.03.2005		
		40.	राजनांदगांव	30.06.2005		
		41.	बस्तर	25.05.2005		
6.	गुजरात	42.	अमरेली	28.12.2004	12.04.2005	
		43.	आणंद	13.04.2005	05.09.2005	

1	2	3	4	5	6	7
		44.	भुज	27.12.2004	08.04.2005	
		45.	बनासकांठा	21.05.2005		
		46.	दाहोद	30.04.2005	31.04.2005	
		47.	जूनागढ़	02.06.2005		
		48.	सूरत	21.03.2005	16.07.2005	
		49.	साबरकांठा	15.04.2005		
		50.	सुरेन्द्रा नगर	13.04.2005		
		51.	नावासारी	05.03.2005		
		52.	नर्वदा	24.06.2005		
		53.	मेहसाणा	24.03.2005	24.05.2005	
		54.	पाटन	05.03.2005		
		55.	पौरबन्दर	10.06.2005		
		56.	राजकोट	19.03.2005	27.07.2005	
		57.	बलसाड	30.03.2005	29.06.2005	
7.	हरियाणा	58.	अंबाला	12.09.2005		
		59.	कैथल	08.09.2005		
		60.	हिसार	23.07.2005		
		61.	यमुना नगर	03.09.2005		
8.	हिमाचल प्रदेश	62.	बिलासपुर	07.05.2005		
		63.	कुल्लु	30.03.2005		
		64.	शिमला	16.07.205		
		65.	सोनल	06.07.2005		
9.	झारखंड	66.	लतेहर	12.04.2005	08.10.2005	

1	2	3	4	5	6	7
		67.	लोहरडागा	13.09.2005		
		68.	पाकुर	30.04.2005	21.05.2005	
		69.	चतरा	07.05.2005	20.08.2005	
		70.	गुमला	19.09.2005		
		71.	दुमका	13.08.2005		
		72.	रांची	13.09.2005		
10.	कर्नाटक	73.	बीजापुर	15.04.2005		
		74.	बीदर	30.12.2004		
		75.	बैल्लारी	29.12.2004	23.07.2005	
		76.	बेलगाम	23.07.2005		
		77.	चिक्कमंगलूर	16.06.2005		
		78.	चित्रदुर्ग	16.07.2005		
		79.	धारवाड	10.01.2005		
		80.	दावनगेरे	30.04.2005		
		81.	द. कन्नड़	13.09.2005		
		82.	गडक	15.06.2005		
		83.	हवेरी	27.12.2004	15.04.2005	
		84.	कोडागु	13.07.2005		
		85.	कोप्पल	01.01.2005		
		86.	तुमकूर	16.06.2005		
		87.	मैसूर	06.01.2005		
		88.	रायचूर	15.04.2005		
		89.	उ. कन्नड़	28.01.2005		

1	2	3	4	5	6	7
11.	केरल	90.	कासरगोड	15.04.2005		
		91.	पलक्कड़	16.07.2005		
		92.	वायनाड	21.05.2005	29.06.2005	
		93.	कन्नूर	23.07.2005		
12.	मध्य प्रदेश	94.	बैतुल	20.10.2005		
		95.	भोपाल	28.05.2005	26.09.2005	
		96.	छतरपुर	07.02.2005	22.07.2005	
		97.	गुना	19.05.2005		
		98.	मन्दसौर	24.12.2004	01.02.2005	23.04.2005
		99.	नरसिंहपुर	10.09.2005		
		100.	होशंगाबाद	16.02.2005		
		101.	इंदौर	27.05.2005		
		102.	रतलाम	05.04.2005		
		103.	रीवा	29.03.2005		
		104.	सिवनी	31.03.2005	12.09.2005	
		105.	सिहोर	18.07.2005		
		106.	शाहडोल	03.06.2005	07.10.2005	
		107.	सागर	19.07.2005		
		108.	सीधी	12.03.2005		
		109.	शिवपुरी	18.09.2005		
13.	महाराष्ट्र	110.	अकोला	17.05.2005		
		111.	बुलडाना	27.12.2004	12.03.2005	
		112.	रायगढ़	28.12.2004	21.02.2005	04.04.2005

1	2	3	4	5	6	7
		113.	चंद्रपुर	22.02.2005	22.06.2005	06.10.2005
		114.	गढ़चिरोली	17.01.2005	25.05.2005	
		115.	हिंगोली	14.06.2005		
		116.	भंडारा	05.03.2005		
		117.	जलगांव	05.03.2005		
		118.	जालना	16.07.2005		
		119.	कोल्हापुर	01.07.2005		
		120.	सिंधुदुर्ग	29.06.2005		
		121.	सतारा	05.09.2005		
		122.	ओसमानाबाद	20.05.2005		
		123.	पुणे	30.04.2005		
		124.	परभनी	15.06.2005		
		125.	ठाणे	16.06.2005		
14.	मणिपुर	126.	थोबल	01.02.2005		
		127.	तामेंगलांग	31.01.2005		
15.	मेघालय	128.	प. गारो हिल्स	29.09.2005		
16.	मिजोरम	129.	ऐजवाल	12.01.2005	02.02.2005	27.10.2005
		130.	सैहा	11.02.2005		
		131.	लांगतलाई	10.02.2005		
		132.	चंफाई	10.02.2005		
		133.	कोलासिब	23.03.2005		
		134.	लुंगलेई	14.02.2005		
		135.	मामित	13.04.2005		

1	2	3	4	5	6	7
		136.	सरछिप	01.02.2005		
17.	उड़ीसा	137.	बारगढ़	06.01.2005	16.05.2005	
		138.	बालासोर	19.02.2005	26.06.2005	
		139.	बोलंगगिर	19.05.2005		
		140.	ढेंकानल	22.02.2005	18.05.2005	26.09.2005
		141.	गंजम	21.02.2005		
		142.	गजपति	27.05.2005		
		143.	नयागढ़	21.02.2005		
		144.	फुलबनी	24.01.2005	13.04.2005	15.07.2005
		145.	खुरदा	07.02.2005	18.07.2005	
		146.	कालाहांडी	25.01.2005	10.06.2005	
		147.	सुन्दरगढ़	18.02.2005	17.05.2005	
		148.	मयुरभंज	13.09.2005		
		149.	देवगढ़	11.02.2005	27.09.2005	
		150.	पुरी	22.02.2005		
18.	पंजाब	151.	फरीदकोट	31.03.2005		
		152.	फतेहगढ़ साहिब	30.03.2005		
		153.	फिरोजपुर	15.04.2005		
		154.	भटिंडा	29.09.2005		
		155.	होशियारपुर	28.01.2005	15.07.2005	
		156.	कपूरथला	31.03.2005		
		157.	नवांशहर	14.07.2005		
		158.	पटियाला	29.03.2005		

1	2	3	4	5	6	7
		159.	रोपड़	बैठक हुई*		
19.	राजस्थान	160.	अजमेर	18.06.2005	15.09.2005	
		161.	बाड़मेर	19.02.2005	23.05.2005	
		162.	डुंगरपुर	13.10.2005		
		163.	उदयपुर	26.12.2004	21.09.2005	
		164.	जैसलमैर	16.02.2005		
		165.	सवाईमाधोपुर	19.09.2005		
20.	तमिलनाडु	166.	कोयम्बटूर	14.06.2005	15.09.2005	
		167.	दिंडीगुल	31.12.2004	31.03.2005	30.06.2005
		168.	धर्मापुरी	29.04.2005		
		169.	कृष्णागिरी	01.07.2005		
		170.	करूर	06.09.2005		
		171.	पुदुकोट्टई	17.06.2005	30.09.2005	
		172.	पेराम्बलूर	04.07.2005		
		173.	तिरुवरूर	31.12.2004	15.10.2005	
		174.	तिरुनेलवैली	21.02.2005	09.09.2005	
		175.	वेल्लोर	31.12.2004	24.06.2005	13.07.2005
		176.	विल्लुपुरम	15.04.2005		
		177.	विरुदूनगर	22.02.2005	06.07.2005	
		178.	तिरुवन्नामलाई	11.02.2005	23.06.2005	
		179.	टुथूकुडी	22.02.2005		
		180.	तंजावुर	13.06.2005		
		181.	थीनी	23.09.2005		

1	2	3	4	5	6	7
		182.	सलेम	04.02.2005		
		183.	कंडामल	13.04.2005	15.07.2005	
		184.	कांचीपुरम	21.10.2005		
		185.	कन्याकुमारी	17.02.2005	06.07.2005	
		186.	नीलगिरी	19.07.2005		
		187.	नामक्कल	04.02.2005		
		188.	मुदैर	01.02.2005		
		189.	रामानाथपुरम	11.11.2005		
		190.	पेरियार (इरोड)	05.02.2005	15.09.2005	
21.	उत्तर प्रदेश	191.	आगरा	29.05.2005		
		192.	बिजनौर	28.12.2004		
		193.	बहराइच	21.09.2005		
		194.	चंदौली	05.10.2005		
		195.	देवरिया	07.02.2005	16.09.2005	10.11.2005
		196.	इटावा	14.05.2005		
		197.	फैजाबाद	12.04.2005		
		198.	कुशीनगर	30.04.2005		
		199.	कानपुर देहात	15.01.2005		
		200.	जोनपुर	27.12.2004		
		201.	मऊ	27.12.2004	20.07.2005	
		202.	मेरठ	11.06.2005		
		203.	सहारनपुर	31.12.2004	30.04.2005	16.07.2005
		204.	हरदोई	30.04.2005		

1	2	3	4	5	6	7
		205.	मैनपुरी	30.03.2005		
		206.	रविदासनगर	02.07.2005		
		207.	मिर्जापुर	06.06.2005		
		208.	हमीरपुर	12.01.2005		
22.	उत्तरांचल	209.	बागेश्वर	02.12.2004	11.04.2005	
		210.	पिथौरागढ़	30.12.2004	17.05.2005	
		211.	पौड़ी गढ़वाल	29.06.2005	06.10.2005	
		212.	अल्मोड़ा	28.12.2004	08.04.2005	
		213.	हरिद्वार	30.03.2005	05.04.2004	
		214.	देहरादून	13.04.2005		
		215.	चम्पावत	31.12.2004		
		216.	चमोली	21.09.2005		
		217.	उत्तरकाशी	12.04.2005		
		218.	टिहरी गढ़वाल			
23.	पश्चिम बंगाल	219.	बांकुरा	20.09.2005		
		220.	हुगली	19.09.2005		
24.	लक्षद्वीप	221.	लक्षद्वीप	01.04.2005		
25.	पांडिचेरी	222.	पांडिचेरी	02.05.2005	10.06.2005	

*बैठक की तारीख नहीं बताई गई है।

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम में घोटाला

*54. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. ने भारतीय जीवन बीमा निगम में एक घोटाले का पर्दाफाश किया है जिसमें भारी धनराशि शामिल है;

(ख) यदि हां, तो इस रैकेट का स्वरूप क्या है और इसमें कौन से लोग शामिल हैं;

(ग) ऐसे रैकटों के कितने मामले सरकार के जांचाधीन है;

(घ) दोषियों को सजा दिलवाने और पॉलिसी धारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसा घोटाला रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) एलआईसी ने सूचना दी है कि खान मार्किट क्षेत्र नई दिल्ली में स्थित इसका शाखा कार्यालय दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की वेतन बचत योजना संबंधी कार्य करता है। इस योजना के अनुसार, एम सी डी को कर्मचारियों के वेतन से देय प्रीमियम काटने और इसे एलआईसी को भेजना अपेक्षित होता है। अगस्त, 2003 में, कर्मचारियों से शिकायतें मिली कि काटे गए प्रीमियम को उनकी पालिसियों में समायोजन नहीं किया जा रहा है। शिकायत मिलने पर, एलआईसी ने जांच-पड़ताल की गई। जांच-पड़ताल से पता चला कि एमसीडी से प्राप्त किए गए मासिक प्रीमियम प्रेषणों को नए प्रस्तावों के लिए और अन्य पालिसीधारकों के नवीकरण प्रीमियम के लिए आंशिक रूप से परिवर्तित किया जाता रहा है। नवीकरण प्रीमियम के इस परिवर्तन के कारण, एमसीडी के कर्मचारियों की विभिन्न पालिसियों के प्रीमियम भुगतान में गुणात्मक अन्तराल था। एलआईसी ने इस मामले की विस्तृत छान-बीन करने के लिए दूसरी समिति नियुक्त की और इस समिति ने 10.9.2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मामले को एलआईसी के सतर्कता विभाग को भेजा गया जिसने इसे 21.05.2005 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेज दिया। तत्पश्चात्, 28.09.05 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एलआईसी के खान मार्किट कार्यालय में छापा मारा और प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। यह मामला सी बी आई के जांच अधीन है। एलआईसी ने भी पांच एजेन्टों और अठारह कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है।

(ग) एलआईसी ने सूचित किया है कि यह एक अकेली अनियमितता है और ऐसी कोई अन्य घटना नहीं हुई है।

(घ) एलआईसी एजेन्टस विनियमों/कर्मचारी विनियमों के अनुसार, पांच एजेन्टों और अठारह कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। पालिसीधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एलआईसी, दावों का निपटान, नियोक्ता द्वारा काटे गए प्रीमियम के सत्यापन के बाद ही कर रहा है। इस तरह से पालिसीधारकों के हितों की रक्षा की गई है।

(ङ) भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एलआईसी ने सख्त तंत्र अर्थात कम्प्यूटरों का व्यापक उपयोग और रिकार्डों का दोहरा रखरखाव आरम्भ किया है।

कपड़ा मिलों का बंद होना

***55. श्री एम. अप्पादुरई** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान पूरे भारत में राज्यवार कितनी कपड़ा मिलें बंद की गयीं;

(ख) ऐसी मिलों के बंद होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी मिलों के कामगारों के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) पिछले दो वर्षों अर्थात 1 अक्तूबर, 2003 से 30 सितंबर, 2005 के दौरान देश में चालीस सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें (गैर-एसएसआई) बंद पड़ी थीं। चालीस बंद मिलों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है :-

30 सितंबर, 2005 की स्थिति के अनुसार
राज्य-वार बंद मिलें

क्र.सं.	मिल का नाम	बंद मिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	असम	1
3.	गुजरात	5
4.	कर्नाटक	1
5.	केरल	2
6.	मध्य प्रदेश	2
7.	महाराष्ट्र	7

1	2	3
8.	तमिलनाडु	14
9.	उत्तर प्रदेश	1
10.	पश्चिम बंगाल	3
11.	पांडिचेरी	1
	कुल	40

(ख) मिलों के बंद होने का कारण वित्तीय एवं श्रम संबंधी समस्याएं हैं।

(ग) स्थाई रूप से बंद वस्त्र मिलों के वस्त्र कामगारों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों में से एक उपाय उन्हें वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना (टी डब्ल्यू आर एफ एस) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना। संबंधित राज्य सरकार/कामगार संघ/सरकारी परिसमापक/भविष्य निधि आयुक्त आदि के साथ समन्वय करके वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना देश में वस्त्र कामगारों के लिए लागू है और केवल उन कामगारों के लिए टैपरिंग आधार पर केवल 3 वर्षों की अंतरिम अवधि के लिए अंतरिम राहत प्रदान किए जाने के लिए है जो वस्त्र/एककों के स्थाई रूप से बंद हो जाने अथवा उनकी आंशिक बंदी की स्थिति में पूर्णतया विभाजित हो जाने के कारण विस्थापित हुए हैं बशर्ते वे मिलें/एकक तथा कामगार वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा करें। सहकारी क्षेत्र टी डब्ल्यू आर एफ एस के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। चालीस बंद मिलों में से किसी भी मिल ने टी डब्ल्यू आर एफ एस के तहत सुविधा प्राप्त नहीं की।

सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति

*56. श्री नवजोत सिंह सिद्धू :
डा. एम. जगन्नाथ :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोग 'फ्लोराइड', 'आयरन', 'नाइट्रेट', आर्सेनिक और क्षारीय नमक युक्त अत्यधिक संदूषित जल पीने के लिए मजबूर हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे क्षेत्र कौन से हैं जहां संदूषण अनुमत्य सीमा से अधिक पाया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने पेयजल में संदूषण को कम करने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई विदेशी सहायता मांगी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विभिन्न राज्य सरकारों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करने के लिए कितनी धनराशि आबंटित करने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ख) जी, नहीं। देश में 14,22,303 ग्रामीण बसावटों में से 96.13 प्रतिशत को पूर्ण रूप से और 3.55 प्रतिशत को आंशिक रूप से निर्धारित मानकों के अनुसार सुरक्षित पेयजल आपूर्ति उपलब्ध करा दी गयी है। भू-जल के अधिक उपयोग तथा अन्य घटकों के कारण कुछ पेयजल संसाधन रसायनिक रूप से दूषित एवं असुरक्षित हो गए हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा निर्धारित जल गुणवत्ता मानदंडों को ध्यान में रखकर आई.एस:10500 मानक के अनुरूप जिला जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्रोतों के पेयजल की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है। कुछ बसावटों में दोहरी जल आपूर्ति नीति को बढ़ावा दिया जाता है और राज्य सरकारों को सलाह दी गई है वे लाल पेन्ट से असुरक्षित दूषित पेयजल स्रोत अंकित करें ताकि लोग इसका उपयोग पीने और भोजन बनाने के लिए नहीं कर सकें, परन्तु कपड़ा धोने और नहाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। मार्च, 2000 में आदेश किए गए जल गुणवत्ता सर्वेक्षण के संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, 31.3.2004 को देश में जल गुणवत्ता की दृष्टि से प्रभावित बसावटों की संख्या 2,16,968 है। राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) ग्रामीण पेयजल राज्य का विषय है। भारत सरकार निर्धारित मानकों के अनुरूप पेयजल की आपूर्ति के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। रासायनिक दूषण के कारण जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए 1992-93 में केन्द्र और राज्य के बीच विनिपोषण 75:25 के अनुपात सहित ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत एक सब-मिशन कार्यक्रम आरंभ किया गया था। 1.4.1998 से राज्य सरकारों को सबमिशन

कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं जिसके लिए जल गुणवत्ता हेतु नियत निधियों का उपयोग किया जाना अपेक्षित है। राज्यों को जारी ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. निधियों का 15 प्रतिशत जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का निवारण करने के लिए तथा 5 प्रतिशत वर्षा के पानी के संग्रह एवं वाटर रिचार्जिंग जैसे साधन निरंतरता उपायों के लिए नियत किया गया है। इन उपायों से अन्य बातों के साथ-साथ भू-जल आधारित पेयजल स्रोतों के संदूषण में कमी आती है। पूर्ण रूप से कवर किए गए राज्य जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से अधिक निधियों का उपयोग कर सकते हैं। सब-मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा जल गुणवत्ता समस्या से निबटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए थे:

— मौजूदा भू-जल योजनाओं के लिए फ्यूराइड, खारापन और आर्सेनिक दूर करने के संयंत्र तथा उपचार और फिल्टर प्लांट की स्थापना।

— फ्लूराइड दूर करने के सामुदायिक संयंत्र और घरेलू फिल्टर।

— लौह की अधिकता वाले पानी के उपचार हेतु एरेशन।

— सुरक्षित और असुरक्षित जल स्रोतों का चिह्नांकन और पीने तथा भोजन बनाने के लिए सुरक्षित जल स्रोतों के प्रयोग हेतु लोगों को जागरूक बनाना।

— भू-जल/सतही जल के वैकल्पिक स्रोत से एक और अनेक गांवों में पाईप से जल 'आपूर्ति की योजना।

राज्यों ने यह भी प्रस्ताव किया है कि वे उपचार यूनिट/घरेलू फिल्टर छत पर वर्षाजल के संचयन, पाइप के माध्यम से जल आपूर्ति की योजना और मौजूदा जल स्रोतों की रिचार्जिंग/सुदृढ़ीकरण तथा वाटरशेड आधारित क्रियाकलापों द्वारा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने की नीति अपनाएं। बारहवें वित्त आयोग ने जल गुणवत्ता से बुरी तरह प्रभावित राज्यों के लिए धनराशि निर्धारित की है जो इस प्रकार हैं: आंध्र प्रदेश (325 करोड़ रु.), प. बंगाल (600 करोड़ रु.), राजस्थान (150 करोड़ रु.), हरियाणा (100 करोड़ रु.)। इसके अलावा, एआरडब्ल्यूएसपी में जल गुणवत्ता के लिए निर्धारित धनराशि को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने तथा इसे प्रभावित राज्यों में उपयुक्त रूप से आबंटित करने के नीतिगत उपाय किए गए हैं। समुदाय आधारित ग्राम जल निगरानी और पर्यवेक्षण कार्यक्रम का भी देश के 4 जिलों में प्रायोगिक परीक्षण किया गया है जिसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। केन्द्र सरकार की सहायता से राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न गुणवत्ता उपायों के फलस्वरूप गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में कमी आई है। तथापि, इसके साथ-साथ भू-जल के अधिक दोहन से समय-समय पर कुछ नई गुणवत्ता प्रभावित बसावटें उभरकर सामने आती हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात की राज्य सरकारों ने कवरेज की तथा गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की संख्या में कमी की जानकारी दी है।

(ङ) और (च) जल गुणवत्ता की समस्याओं के निपटने के लिए विदेशी वित्तीय सहायता की मांग हेतु एक अवधारणा पत्र विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया है। जल गुणवत्ता समस्याओं सहित ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में विदेशी वित्तीय सहायता के लिए तमिलनाडु तथा पंजाब से प्राप्त प्रस्तावों के बारे में विश्व बैंक से भी बातचीत की गई है।

(छ) वर्ष 2005-06 के लिए ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. निधियों का राज्यवार आबंटन विवरण-II में दिया गया है। इन निधियों का 15 प्रतिशत भाग जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु नियत किया जाता है।

विवरण-I

मार्च, 2000 में दिए गए सर्वेक्षण आदेश के आधार पर राज्यों द्वारा 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार बताई गई स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नलिखित से प्रभावित बसावटें						
		फ्लोराइड	खारापन	लौह	आर्सेनिक	नाइट्रेट	बहु-धारण	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	3072	973	5	0	0	0	4050

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	7585	0	0	534	8119
4.	बिहार	43	0	629	45	50	9	776
5.	छत्तीसगढ़	17	61	4932	11	0	0	5021
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	4341	2575	0	0	1336	465	8717
8.	हरियाणा	144	72	0	0	0	145	361
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0
10.	झारखंड	15	0	113	0	1	39	168
11.	जम्मू-कश्मीर	0	0	49	0	0	0	49
12.	कर्नाटक	5838	4460	6633	0	4077	0	21008
13.	केरल	34	86	564	0	78	105	867
14.	मध्य प्रदेश	3764	604	856	0	0	157	5381
15.	महाराष्ट्र	800	2077	196	0	296	418	3787
16.	मणिपुर	0	0	37	0	0	0	37
17.	मेघालय	0	0	160	0	0	0	160
18.	मिजोरम	0	0	26	0	0	0	26
19.	नागालैंड	0	0	157	0	0	0	157
20.	उड़ीसा	504	771	30979	0	0	0	32254
21.	पंजाब	613	1291	189	0	0	0	2093
22.	राजस्थान	8992	5428	131	0	7882	18639	41072
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	तमिलनाडु	737	674	1058	0	237	2868	5574
25.	त्रिपुरा	0	0	6850	0	0	181	7031
26.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	1046	295	2198	0	1	1522	5062
28.	पश्चिम बंगाल	1346	4126	54711	4973	0	0	65156
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	16	0	0	10	26
30.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
31.	दमन व द्वीप	0	0	0	0	0	0	0
32.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0
33.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
34.	पांडिचेरी	0	2	14	0	0	0	16
35.	चण्डीगढ़	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	31306	23495	118088	5029	13958	25092	2,16,968

विवरण-II

वर्ष 2005-06 के दौरान एआरडब्ल्यूएसपी सामान्य के अंतर्गत राज्यवार आबंटन

क्र.सं.	राज्य का नाम	आबंटन (लाख रु. में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	20902.00
2.	बिहार	15324.00
3.	छत्तीसगढ़	5154.00
4.	गोवा	193.00
5.	गुजरात	11186.00
6.	हरियाणा	3512.00
7.	हिमाचल प्रदेश	8585.00
8.	जम्मू-कश्मीर	19908.00
9.	झारखंड	5529.00
10.	कर्नाटक	15470.00
11.	केरल	5386.00
12.	मध्य प्रदेश	15101.00

1	2	3
13.	महाराष्ट्र	27591.00
14.	उड़ीसा	12405.00
15.	पंजाब	3642.00
16.	राजस्थान	31440.00
17.	तमिलनाडु	11875.00
18.	उत्तरांचल	5725.00
19.	उत्तर प्रदेश	24764.00
20.	पश्चिम बंगाल	13308.00
21.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.37
22.	चण्डीगढ़	0.00
23.	दादर व नगर हवेली	6.25
24.	दमन व द्वीप	0.00
25.	दिल्ली	4.69
26.	लक्षद्वीप	0.00
27.	पांडिचेरी	4.69
	उप योग (क)	257025.00
28.	अरुणाचल प्रदेश	9060.00
29.	असम	15280.00
30.	मणिपुर	3110.00
31.	मेघालय	3583.00
32.	मिजोरम	2569.00
33.	नागालैंड	2637.00
34.	सिक्किम	1083.00
35.	त्रिपुरा	3178.00
	उप योग (ख)	40500.00
	कुल (क+ख)	297525.00

एआरडब्ल्यूएसपी-डीडीपी के अंतर्गत आवंटन स्थिति

1.	आंध्र प्रदेश	130.00
2.	गुजरात	1153.00
3.	हरियाणा	78.00
4.	हिमाचल प्रदेश	2020.00
5.	जम्मू-कश्मीर	165.00
6.	कर्नाटक	2085.00
7.	राजस्थान	12594.00
	उप योग (ग)	18225.00
	कुल (क+ख+ग)	315750.00

नालको में विनिवेश

*57. श्री अनन्त नायक :
श्री परसुराम माझी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी (नालको) ने विनिवेश के विरुद्ध आपत्तियां व्यक्त की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने निर्णय की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

बीमा क्षेत्र में सुधार

*58. श्री चन्द्रभूषण सिंह :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा क्षेत्र में दूरगामी सुधारों की सिफारिशें की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त सिफारिशों पर क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे लोगों के किस सीमा तक लाभान्वित होने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) आईआरडीए ने बीमा अधिनियम, 1938 की संवीक्षा करने के लिए विधि आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट आईआरडीए को जुलाई, 2005 में प्रस्तुत कर दी गई थी। आईआरडीए ने इन्हें सभी स्टैकहोल्डरों की राय जानने के लिए सार्वजनिक किया है। आईआरडीए को अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी प्रस्तुत करनी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कार्यान्वयन

*59. श्री निखिल कुमार :
श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हाल में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अन्तिम रूप दिया गया है और उसे देश में लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इसके अन्तर्गत शामिल किए गए/शामिल किए जाने वाले जिलों का ब्यौरा क्या है और इससे राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं/लाभान्वित होंगे;

(घ) प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी धनराशि जारी की गई/की जानी है;

(ङ) इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को क्या निदेश/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और इस पर राज्यों की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है, तो वह क्या है; और

(च) योजना के कार्यान्वयन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तंत्र अपनाया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.), 2005,7 सितम्बर 2005 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। अधिनियम को लागू करने के लिए अधिसूचना को अभी अधिनियम की धारा 1(3) के अंतर्गत जारी किया जाना है। अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिन का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार देकर ग्रामीण परिवारों की जीवनयापन सुरक्षा को बढ़ाना है।

(ग) इस अधिनियम को पहले चरण में देश के 200 चयनित जिलों में क्रियान्वित किए जाने की संभावना है। जिलों के निर्धारण की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अधिनियम को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने की दृष्टि से दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों, विद्वानों और प्रसिद्ध लोगों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया है। दिशा-निर्देशों का मसौदा मंत्रालय की वेबसाइट में डाला गया है। दिशा-निर्देशों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(च) अधिनियम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 23 में प्रावधान किए गए हैं जो नीचे दिए अनुसार हैं :-

(i) जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिले के सभी कार्यान्वयन अभिकरण, किसी स्कीम के कार्यानवयन के प्रयोजन के लिए उनके व्ययन पर रखी गई निधि के उचित उपयोग और प्रबंध के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ii) राज्य सरकार, नियमों द्वारा, स्कीमों और स्कीमों के अधीन कार्यक्रमों के उचित निष्पादन के लिए और स्कीमों के कार्यान्वयन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता और दायित्व सुनिश्चित करने के लिए, की जाने वाली व्यवस्थाओं को अवधारित कर सकेगी।

(iii) नकद रूप में मजदूरी और बेकारी भत्ते के सभी संदाय, सीधे संबद्ध व्यक्ति को और पूर्व घोषित तारीखों पर समुदाय के स्वतंत्र व्यक्तियों की उपस्थिति में किए जाएंगे।

(iv) यदि ग्राम पंचायत द्वारा किसी स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित कोई विवाद या शिकायत उत्पन्न होती है तो वह मामला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा।

(v) कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक शिकायत की उसके द्वारा रखे शिकायत रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा और विवादों तथा शिकायतों को उसकी प्राप्ति से सात दिन के भीतर निपटाएगा और यदि वे ऐसे मामले से संबंधित हैं जिसे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सुलझाया जाना है तो वह उसे शिकायतकर्ता को सूचना देते हुए, ऐसे प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

अधिनियम की धारा 17 में नीचे दिए अनुसार ग्राम सभा द्वारा कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रावधान है :-

(i) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर कार्य के निष्पादन को मानीटर करेगी।

(ii) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के भीतर आरंभ की गई स्कीम के अधीन सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक संपरीक्षा करेगी।

(iii) ग्राम पंचायत, सभी सुसंगत दस्तावेज, जिसके अंतर्गत मस्टर रोल, बिल, वाउचर, माप पुस्तिकाएं, मंजूरी आदेशों की प्रतियां और अन्य संबंधित लेखा बहियां और कागजपत्र भी हैं, सामाजिक संपरीक्षा करने के प्रयोजन के लिए ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की गुणवत्ता

*60. श्री प्रबोध पाण्डा :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चल रही अनेक सड़क परियोजनाएं मानदंडों के अनुसार नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इस परियोजनाओं की निगरानी करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कितना व्यय किया गया है;

(छ) क्या संबंधित राज्यों द्वारा इन धनराशियों का पूरा उपयोग/खर्च किया गया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जाएगी?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (झ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। एक त्रि-स्तरीय निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। यदि प्रारंभिक निरीक्षण के समय कार्य की गुणवत्ता सही नहीं है तो अपेक्षित स्तर की गुणवत्ता लाने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। यदि किसी पूरे हो चुके कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक न हो तो ठेके में यह प्रावधान है कि ठेकेदार अपनी लागत पर दोषों का सुधार करेगा। भारत में ग्रामीण सड़कों का गुणवत्ता आश्वासन विकास की प्रक्रिया में है तथा गुणवत्ता सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। जुलाई, 2004 से जुलाई, 2005 तक

की अवधि के दौरान निरीक्षित पूरे कार्यों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं (एन.क्यू.एम.) द्वारा दी गई ग्रेडिंग का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़क कार्यों की गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली को, अधिक से अधिक केन्द्रित तथा आवश्यकता आधारित बनाने के लिए समय-समय पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के माध्यम से इसकी समीक्षा की जाती है। सही गुणवत्ता दर्शाने के लिए, ग्रेडिंग के मानदण्डों में भी बदलाव आए हैं।

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यों के चरण-II, III, IV, तथा V के कार्यों के लिए रिलीज की गयी तथा राज्यों द्वारा खर्च की गयी निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II पर दिया गया है। निधियों के उपयोग पर राज्यों में अवशोषण क्षमता की कमी तथा काम की प्रगति को प्रभावित करने वाली ऐसी अन्य विपरीत परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है।

3. कार्यों में तेजी लाने तथा निधियों के अधिकतम उपयोग के लिए राज्यों को नियमित रूप से प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना सड़क कार्यों के लिए समर्पित स्टाफ उपलब्ध कराने तथा उनकी क्षमता निर्माण पर बल देने की सलाह दी जाती है।

विवरण-I

जुलाई, 2004 से जुलाई, 2005 के दौरान राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्त्ताओं द्वारा निरीक्षित पूरे कार्यों की ग्रेडिंग

क्रम सं.	राज्य	ग्रेडिंग			
		कुल निरीक्षण	यू.एम. एस.	यू.सी. एम.	यू.क्यू. डब्ल्यू.
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	325	102	28	168
2.	अरुणाचल प्रदेश	50	31	20	33
3.	असम	61	10	10	28
4.	बिहार	150	86	14	143
5.	छत्तीसगढ़	204	123	6	33
6.	गुजरात	154	87	29	71
7.	गोवा	0	0	0	0
8.	हरियाणा	16	3	1	10
9.	हिमाचल प्रदेश	42	2	0	6
10.	जम्मू-कश्मीर	5	3	2	3
11.	झारखंड	86	56	8	64
12.	कर्नाटक	167	44	28	44
13.	केरल	32	23	3	11
14.	मध्य प्रदेश	510	333	40	192
15.	महाराष्ट्र	196	110	17	70
16.	मणिपुर	0	0	0	0
17.	मेघालय	19	17	8	8
18.	मिजोरम	21	5	5	15
19.	नागालैंड	18	11	3	17
20.	उड़ीसा	390	129	20	98
21.	पंजाब	31	14	7	11
22.	राजस्थान	713	188	14	159
23.	सिक्किम	10	7	3	8
24.	तमिलनाडु	190	87	27	99
25.	त्रिपुरा	15	9	0	5
26.	उत्तर प्रदेश	440	241	10	123

1	2	3	4	5	6
27.	उत्तरांचल	21	5	7	8
28.	पश्चिम बंगाल	233	166	22	47
	कुल	4099	1892	331	1447

यू.एम.एस. : असंतोषजनक प्रबंधन स्तर

यू.सी.एम. : असंतोषजनक संविदा प्रबंधन

यू.क्यू.डब्ल्यू : कार्य की असंतोषजनक गुणवत्ता

विवरण-II

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत रिलीज तथा खर्च

क्र. सं.	राज्य	चरण-II (2001-03)			चरण-III (2003-04)		चरण-IV (2004-05)		चरण-V (2005-06)		ए.डी.बी./विश्व बैंक	
		आबंटन 2005-06	रिलीज की गई राशि	सितम्बर, 05 तक किया गया खर्च	रिलीज की गई राशि	सितम्बर, 05 तक खर्च	रिलीज की गई राशि	सितम्बर, 05 तक खर्च	रिलीज की गई राशि	सितम्बर, 05 तक खर्च	रिलीज की गई राशि	सितम्बर, 05 तक किया गया खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	100	409.91	409.91	170.00	164.70	0.00					
2.	अरुणाचल प्रदेश	52	86.51	86.18	0.00		0.00					
3.	असम	176	154.92	145.01	199.72	143.14	134.82	71.40				
4.	बिहार	332	210.00	179.71	151.14	55.99	0.00					
5.	छत्तीसगढ़	235	203.22	189.97	376.06	233.64	184.07	184.07		5.98	50.00	12.41
6.	गोवा	5	5.00	0.32	0.00		0.00					
7.	गुजरात	60	111.70	109.06	88.70	59.14	0.00	9.26				
8.	हरियाणा	25	62.74	61.01	48.04	39.76	20.11	17.01				
9.	हिमाचल प्रदेश	82	128.66	116.50	127.00	91.03	0.00				42.74	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	जम्मू-कश्मीर	60	35.00	24.71	20.00	0.91	0.00					
11.	झारखंड	170	230.00	181.91	67.96	65.39	0.00					
12.	कर्नाटक	105	231.76	215.38	118.26	55.04	0.00					
13.	केरल	25	39.08	39.08	20.77	2.99	0.00					
14.	मध्य प्रदेश	435	552.49	552.49	583.00	399.28	361.94	361.94		0.76	43.45	15.68
15.	महाराष्ट्र	140	459.53	208.11	75.00	1.40	0.00	1.10				
16.	मणिपुर	28	58.00	49.04	0.00		0.00					
17.	मेघालय	40	80.72	55.23	0.00		0.00					
18.	मिजोरम	27	49.38	48.20	48.80	47.44	46.40	22.76				
19.	नागालैंड	25	47.76	47.76	21.44	17.68	18.00	13.94				
20.	उड़ीसा	268	345.09	322.19	350.00	299.80	97.75	28.60				
21.	पंजाब	30	75.39	65.05	36.81	23.28	0.00	4.42				
22.	राजस्थान	229	290.64	254.19	591.26	591.26	302.81	245.22	77.59	0.85	200.11	141.37
23.	सिक्किम	25	37.81	35.57	20.00	6.31	0.00					
24.	तमिलनाडु	85	115.81	99.88	164.78	109.43	0.00	0.46				
25.	त्रिपुरा	35	51.85	26.43	19.79	6.59	0.00					
26.	उत्तरांचल	370	588.65	479.73	650.27	547.52	503.88	6.81			129.96	6.81
27.	उत्तर प्रदेश	95	140.41	70.40		0.42	0.00					
28.	पश्चिम बंगाल	221	309.17	270.81	405.00	334.45	0.00					
	कुल	3480	5111.20	4343.83	4353.80	3296.59	1669.78	966.99	77.59	7.59	466.26	176.27
	संघ राज्य क्षेत्र											
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		0.00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	दादरा और नगर हवेली		5.00									
31.	दमन और दीव		0.00									
32.	दिल्ली		5.00									
33.	लक्षद्वीप		4.89									
34.	पांडिचेरी		0.00	4.65								
	कुल		14.89	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	3480	5126.09	4348.48	4353.80	3296.59	1669.78	966.99	77.59	7.59	466.26	176.27

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन

*61. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक आंतरिक समूह की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रिपोर्ट पर अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार विलय प्रक्रिया से पूर्व विभिन्न संघों की सिफारिशें और दृष्टिकोण पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ ने, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित आंतरिक कार्य समूह की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था जिसे सार्वजनिक किया गया। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, रिपोर्ट को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अंतिम रूप दिया गया है। कार्य समूह ने बहुत सी सिफारिशें की हैं जो, अन्य बातों के साथ-साथ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का समामेलन, कुछ मामलों में प्रायोजक बैंक को बदलना, अभिशासन से संबंधित विषय, प्रबंधन, विनियमन और पर्यवेक्षण और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थिति में सुधार लाने हेतु न्यूनतम पूंजी आवश्यकता और उन्हें व्यवहार्य ग्रामीण वित्तपोषक संस्थाएं बनाना शामिल है। सरकार कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी संबंधित पहलुओं पर विचार करेगी।

महाराष्ट्र को विद्युत आवंटन

436. **श्रीनिवास दादासाहेब पाटील :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से नेशनल ग्रिड से अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति हेतु अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष (2005-06) के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में प्रातः और सायं व्यस्ततमकालीन घंटों के दौरान विद्युत की कमी होने के कारण केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से अतिरिक्त विद्युत का आबंटन किए जाने हेतु इस मंत्रालय से अनुरोध किया है। पश्चिम क्षेत्र के अन्य राज्यों में व्याप्त कमियों और सरकार के निपटान क्षेत्र के अंतर्गत अनाबंटित पूल से विद्युत की सीमित उपलब्धता होने के मद्देनजर महाराष्ट्र में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे-

1. दिनांक 4.5.2005 में से पश्चिमी क्षेत्र के अनाबंटित पूल से अतिरिक्त 30 मेगावाट विद्युत आबंटित की गई है।

2. पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी स्टेशनों की लौटाई गई/अनाबंटित विद्युत से आबंटन दिनांक 4.5.2005 से 95 मेगावाट से बढ़ाकर 125 मेगावाट कर दिया गया है। पूर्वी क्षेत्र घटकों द्वारा लौटाई जाने वाली विद्युत की उपलब्धता में कमी होने के कारण इसे अब संशोधित करके दिनांक 15.11.2005 से व्यस्ततम घंटों (1800-2200 बजे तक) के दौरान 60 मेगावाट और-व्यस्ततम घंटों (0000-1800 बजे और 2200-2400 बजे तक) के दौरान 110 मेगावाट कर दिया गया है।

3. तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट-4 (540 मेगावाट) की समस्त अनाबंटित विद्युत (81 मेगावाट) इसके वाणिज्यिक प्रचालन से पहले दिनांक 12.9.2005 से महाराष्ट्र को आबंटित की गयी है।

4. एनटीपीसी के कवास और गांधार गैस स्टेशनों के लिए अतिरिक्त गैस की व्यवस्था की गई है जिससे राज्य के लिए अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध हो गई है।

एफ्रो-एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (ए.ए.आर.डी.ओ.) में भारत का अंशदान

437. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एफ्रो एशियाई ग्रामीण विकास संगठन (ए.ए. आर.डी.ओ) के सदस्य के रूप में काफी अधिक धनराशि का अंशदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार वार्षिक अंशदान का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अंशदान से भारत को सदस्य देशों के बीच आपसी समझ विकसित करने और देश के ग्रामीण लोगों की गरीबी दूर करने में किस प्रकार से सहायता मिली है, और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान भारत ने एएआरडीओ के किन-किन से और कितने कार्यकलापों में भाग लिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) एफ्रो-एशिया ग्रामीण विकास संगठन (एएआरडीओ) में भारत का वार्षिक सदस्यता अंशदान 106,000 अमरीकी डालर है।

(ख) विगत तीन वर्षों में एएआरडीओ में वर्ष-वार अंशदान नीचे दिए अनुसार है:

वर्ष	वार्षिक अंशदान
2003	106,000 अमरीकी डालर
2004	106,000 अमरीकी डालर
2005	106,000 अमरीकी डालर

(ग) एएआरडीओ एक ऐसा मंच है जिससे भारत घनिष्ठ रूप से सहयोजित है ताकि सदस्य देशों में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जा सके। हमारे अंशदान से संगठन को मानव संसाधन विकास और ग्रामीण लाभार्थियों के साथ साझेदारी के जरिए प्रायोगिक परियोजनाओं के विकास जैसे मुख्य क्रिया-कलापों को जारी रखने, आधारभूत भौतिक एवं सामाजिक सुविधा प्रदान करने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आय एवं रोजगार सर्जक क्रिया-कलापों के जरिए गरीबी उप-शमन कार्यक्रमों में मदद मिली है।

(घ) एएआरडीओ ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से (i) माइक्रो उद्यम को प्रोत्साहन (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन एवं अंतरण (iii) सूचना भंडारण एवं उपयोजन प्रणाली (iv) लघु उद्यम प्रबंधन परामर्श (v) लघु उद्यम नीति एवं प्रोत्साहन (vi) संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन एवं आईएसओ 9000/क्यूएस 9000 (vii) उद्यम के जरिए महिला सशक्तीकरण (viii) विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहन (ix) आंकड़ा संग्रहण एवं आकड़े तैयार करना (x) स्थायी औद्योगिक विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना (xi) प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण विधियां एवं कौशल (xii) निर्यातोन्मुख कृषि उद्योगों का प्रोत्साहन (xiii) लघु उद्योग वित्त पोषण-दृष्टिकोण एवं कार्यनीतियां (xiv) स्थायी कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए कार्यनीतियां (xv) वस्त्र प्रशिक्षण गुणवत्ता नियंत्रण, वस्त्र विस्तार आदि विषयों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें भारत सहित विभिन्न देशों ने भाग लिया।

गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

438. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई और एलआईसी की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) का ब्यौरा क्या है;

(ख) 10 करोड़ रुपए से अधिक की आस्तियों वाली कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है; और

(घ) इन कंपनियों की वसूली दर क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जूट कारपोरेशन आफ इंडिया पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

439. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2004 के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि मंत्रालय के सुस्त रवैये के फलस्वरूप जूट कारपोरेशन आफ इंडिया (जे.सी.आई.) 1.17 करोड़ रुपए का प्रयोग नहीं कर पाया जिसे लेखा-परीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद 1.53 करोड़ रुपए के ब्याज सहित वापस अदा किया गया;

(ख) यदि हां, तो धनराशि का प्रयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) से (ग) जी, हां। यह टिप्पणी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 2004 की रिपोर्ट में शामिल है। इस मंत्रालय ने भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई) को अनुदेश जारी कर दिए हैं कि वे, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सुधारात्मक कार्रवाई करें।

औषधि पर अनुसंधान

440. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भारत में औषधि अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत-तीन वर्षों के दौरान औषधि अनुसंधान हेतु वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) सरकार द्वारा भारत को औषधि विकास में अग्रणी बनाने हेतु क्या प्रस्ताव/योजनाएं बनाई गई हैं;

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) भारत में औषधि अनुसंधान पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक कदम उठाये गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

- औषधि अनुसंधान पर अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) के लिए परिव्यय में वृद्धि करना।
- आधुनिक और भारतीय औषध पद्धतियों में प्रयोगशालाओं/संस्थानों/उद्योग के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) को प्रोत्साहित करने तथा फार्मा उद्योग में आर एण्ड डी के लिए आसान ऋण देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) की औषध अनुसंधान और विकास सहायता निधि (पी आर डी एस एफ), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर) का प्रौद्योगिकी विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम (टी डी डी पी), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) के न्यू मिलेनियम इण्डिया टेक्नोलाजी लीडरशिप इनिसिएटिव (एन एम आई टी एल आई) तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी) की लघु व्यापार अभिनव अनुसंधान पहल (एस बी आई आर आई) जैसे नये-नये कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना।

– नवीनतम अनुसंधान और विकास सुविधाएं स्थापित करना।

– अनुसंधान अध्येतावृत्तियों, युवा वैज्ञानिक स्कीम आदि के माध्यम से मावन संसाधन विकास का सुदृढ़ीकरण।

– डी एस आई आर द्वारा अनुमोदित विभागीय अनुसंधान और विकास केन्द्रों में खर्च किये गये अनुसंधान और विकास व्यय पर 15% की दर से भारित कर कटौती तथा।

– अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पशुचिकित्सा औषधि विकास सहित आधुनिक, आयुर्वेदिक, यूनानी , सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों पर फार्मा उद्योग-सांस्थानिक अंतरसक्रिय बैठकों, संगोष्ठियों, परिचर्चाओं का आयोजन करना।

तथापि, औषधि विकास में देश को अग्रणी बनाने के लिए इन पहलक्रमों से भी काफी आगे जाने की आवश्यकता है और सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान औषध अनुसंधान पर 2002-03 में 6218 लाख रुपये, 2003-04 में 6444 लाख रुपये और 2004-05 में 9475 लाख रुपये के बजट का उपयोग किया।

(ग) जैसा कि प्रश्न के उपर्युक्त भाग (क) में बताया गया है।

सिक्योरिटी प्रेस, टकसाल, पेपर मिल का विलय

441. **श्री ई.जी. सुगावनम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की सभी सिक्योरिटी प्रेस, टकसाल और सिक्योरिटी मिलों का विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह विलय कब तक होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं। यह प्रस्ताव सभी प्रतिभूति मुद्रणालयों, टकसालों और प्रतिभूति कागज कारखानों को निगमित करने का है।

(ख) और (ग) प्रतिभूति मुद्रणालयों/करेंसी मुद्रणालयों/कागज कारखाना/टकसालों को निगमित करने का प्रस्ताव दिनांक 2 सितम्बर, 2005 को केन्द्रीत मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रतिभूति यूनिटों को निगमित करने का निर्णय बेहतर कार्य कुशलता एवं तीव्रतर निर्णय लेने की आवश्यकता पर आधारित है। यह निर्णय सरकार की किसी धारिता को कम किए बिना पूर्ण स्वामित्व वाले निगम की स्थापना हेतु है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों हेतु बीमा पालिसी

442. **श्री तुका राम गंगाधर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम एच.आई.वी. संक्रमित व्यक्तियों के लिए कोई नई पालिसी शुरू करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने संक्रमित व्यक्तियों ने यह पालिसी ली है; और

(घ) यह पालिसी एच.आई.वी. संक्रमित माता के लिए किस सीमा तक लाभप्रद साबित होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ)प्रश्न नहीं उठता।

ताला विद्युत परियोजना

443. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूटान स्थित निर्माणाधीन ताला जल विद्युत परियोजना संबंधी संयुक्त उद्यम की लागत को संशोधित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इसे कब तक कार्यपरक बनाए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) जी हां। भूटान में संयुक्त उद्यम ताला जल विद्युत परियोजना की लागत को भारत सरकार द्वारा 3580 करोड़ रुपये के पूर्व अनुमोदित लागत से 4124 करोड़ रुपये तक संशोधित कर दिया गया है। इस राशि में, 60% राशि भूटान सरकार को भारत सरकार द्वारा अनुदान है और 40% राशि 9% की प्रति वर्ष ब्याज दर वाला ऋण है। यह ऋण भूटान द्वारा 12 बराबर किश्तों में अदा किया जाएगा। परियोजना के मूल्य में वृद्धि कठिन औद्योगिक ढांचों, हैडरेस टनल (एचआरटी), प्रेशन और सर्जशाफ्ट आदि जैसी मुख्य सामग्री की रूपरेखा में परिवर्तन के कारण हुई थी।

(ग) और (घ) परियोजना समाप्त होने के अंतिम चरण में है और जून, 2006 तक इसका प्रचालन शुरू हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

444. श्री हरिभाऊ राठौड़ :
श्री वाई.जी. महाजन :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार किन-किन गैर-सरकारी संगठनों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई और प्रत्येक को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जैव-प्रौद्योगिकी पार्क

445. श्री दुष्यंत सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में जैव-प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य में जैव-प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु कितनी सहायता प्रदान की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्यमंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी नहीं। राजस्थान राज्य सरकार ने जैवप्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना करने हेतु बायोटेक्नोलाजी विभाग के पास कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश कारपोरेशन लि. (रिको) ने राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले बायोटेक पार्क में ''जांच और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए केंद्रित सामान्य सुविधा'' के बारे में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

(ख) राज्य सरकार प्राधिकरण की इच्छा और आवश्यकतानुसार बायोटेक्नोलाजी विभाग उसे बायोटेक नीति बनाने में सभी प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

[हिन्दी]

हस्तशिल्प योजनाओं की समीक्षा

446. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर झारखंड में चल रही हस्तशिल्प योजनाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में आई खामियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की क्या योजनाएं हैं;

(घ) क्या विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय शिल्पकारों के उत्थान में सहायता नहीं कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) और (ख) हस्तशिल्प क्षेत्र की स्कीमें राज्य विशिष्ट नहीं हैं और झारखंड राज्य सहित ये देशभर में कार्यान्वित की जा रही हैं। अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए एच वी वाई), डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं सहायता सेवाएं और निर्यात संवर्धन स्कीमों का मूल्यांकन स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से कराया जा चुका है और ये स्कीमें उपयोगी पाई गई हैं। तथापि, कुछ सुझाव उभर कर सामने आये हैं जिनमें इन स्कीमों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है :

(i) कारीगरों को दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह में बढ़ोतरी करना।

(ii) ए एच वी वाई के तहत् मार्गदर्शन एवं मानिटरिंग एजेंसियों के प्रावधान को शामिल करना।

(iii) सामान्य सुविधा केन्द्रों को निर्यातकों एवं उद्यमियों के साथ जोड़ना।

उपर्युक्त सुझावों पर समुचित कार्यवाही पहले की जा चुकी है।

(ग) हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास हेतु सरकार की स्कीमों में शामिल हैं: बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ए एच वी वाई); डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन; विपणन एवं सहायता सेवाए; निर्यात संवर्धन; अनुसंधान एवं विकास; बीमा योजना; विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना; वर्कशेड एवं ऋण गारंटी, आदि।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पावर ट्रेडिंग कंपनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन

447. **श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ट्रेडिंग कंपनियां लाइसेंस में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त कंपनियों का लाइसेंस रद्द करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीइआरसी) विद्युत अधिनियम, 2003 के खण्ड 79 (1) के अंतर्गत विद्युत के अत:राज्यीय व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु अधिकृत है। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (प्रक्रियागत सेवा शर्तों-व्यापार लाइसेंस व अन्य संबंद्ध मामलों के लिए) के अनुसार विनियम 2004 में ट्रेडिंग लाइसेंस धारकों को प्रत्येक तिमाही में सीईआरसी को विनिर्दिष्ट प्रपत्र में सूचना देनी होती है। इसकी एक प्रति क्षेत्रीय भार पारेषण केन्द्र (आरएलडीसी) तथा क्षेत्रीय बिजली बोर्ड (आरइबी) और क्षेत्रीय विद्युत समिति (आरपीसी), जैसा भी मामला हो, को भी भेजनी होती है। लाइसेंस धारकों को अपनी वेबयाइटों पर भी उक्त सूचना देनी होती है।

सीइआरसी की जानकारी में यह बात लाई गई थी कि लाइसेंसधारक सूचना को आरईबी/आरपीसी तथा आरएलडीसी पर प्रस्तुत करने और उसे वेबसाइटों पर भेजने संबंधी अपेक्षा की मूर्ति नहीं कर रहे हैं। सीईआरसी ने विनियम का अनुपालन सुनिश्चित न करने के लिए लाइसेंस धारकों को स्थिति स्पष्ट करने का कहा। लाइसेंस धारकों ने सीईआरसी को दिए गए स्पष्टीकरण में कहा कि भविष्य में इन विनियमों का सावधानी से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। लाइसेंसधारकों द्वारा लिखित में आश्वासन दिए जाने पर सीईआरसी ने दिनांक 22.9.2005 के अपने आदेश के माध्यम से ट्रेडिंग विनियमों का पहले अनुपालन न करने के लिए उन्हें क्षमा कर दिया है।

[अनुवाद]

सागर विकास आयोग का गठन

448. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़** : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को सागर विकास आयोग का गठन करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस आयोग का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) समुद्र विकास आयोग के गठन संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बैंकों में अनियमितताएं

449. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के कतिपय जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण मंजूर करने और माफ करने में अनियमितताएं बरते जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) और (ख) जब भी शिकायत प्राप्त होती है, उसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई हेतु संबंधित बैंक को भेज दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय स्टेट बैंक में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

450. श्री सी. कृष्णस्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक में दिवंगत अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर की जाने वाली नियुक्ति रोक दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देशभर में भारतीय स्टेट बैंक की अनेक शाखाओं में कर्मचारियों की भारी कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अधिकारियों/कर्मचारियों की मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति के कारण होने वाली रिक्तियों को लंबे समय से नहीं भरा गया है; और

(च) यदि हां, तो भारतीय स्टेट बैंक की 200वीं वर्षगांठ के दौरान अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने हेतु सरकार/भारतीय स्टेट बैंक द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के आलोक में, सेवाकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित के लिए अनुकम्पा आधारित नियुक्ति केवल उस परिस्थिति में मान्य है जब दिवंगत कर्मचारी का परिवार बेहद गरीबी में हो। इस प्रकार, अनुकम्पा आधारित रोजगार प्रदान करना परिवार को संकट से उबरने में समर्थ बनाना है न कि कोई पद देना। इसे ध्यान में रखते हुए तथा बैंकों के कारोबारी उद्देश्यों तथा कार्यकाल के दौरान दिवंगत होने वाले कर्मचारियों के परिवारों के लिए अपने सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन लाने के लिए अनुकम्पा आधारित नियुक्ति के बदले एकमुश्त अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु जुलाई 2004 में भारतीय बैंक संघ द्वारा सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) को अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से अपनी योजनाएं तैयार करने के लिए एक आदर्श योजना परिचालित की गई थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

मकान किराया भत्ता

451. श्री शैलेन्द्र कुमार : क्या वित्त मंत्री 18 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2570 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.1996 से 31.07.1997 तक संशोधन पुर्व मूल वेतन पर एच.आर.ए. का भुगतान करने के संबंध में माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट से संबंधित मामले पर कोई कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक अंतिम रूप देने/कार्रवाई करने की संभावना है और सरकारी कर्मचारियों को इसका भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) संशोधित वेतनमान पर केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिनांक 01.01.1996 से 31.07.1997 तक संशोधन-पूर्व दर पर मकान किराया भत्ते (एच.आर.ए.) का भुगतान किए जाने के संबंध में माध्यस्थम बोर्ड के पंचाट से संबंधित मामला जे.सी.एम. स्कीम में अभी भी प्रक्रियाधीन है।

(घ) इस बारे में कोई समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

खनिजों का निष्कर्षण

452. **श्री महबूब जाहेदी :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपनी खनिज संपदा को सूचीबद्ध करने का पूरा अधिकार विदेशी संगठनों को हस्तांतरित करने की योजना बना रही है;

(ख) सदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के हित की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, नहीं। देश में खनिज सम्पदा को सूचीबद्ध करने का कार्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय खान ब्यूरो के पास है। इसके अलावा, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम एम डी आर) की धारा 5(1) के तहत किसी भी व्यक्ति को कोई टोही परमिट, पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि ऐसा व्यक्ति भारतीय नागरिक अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में दी गई परिभाषानुसार कंपनी न हो।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

विधि आयोग की रिपोर्ट

453. **श्री वीरचन्द्र पासवान :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2003-05 के दौरान 17वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन रिपोर्टों पर क्या कार्रवाई की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) और (ख) भारत के 17वें विधि आयोग ने अभी तक नौ रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं, अर्थात् 186वीं से 194वीं तक, जिनमें से छः रिपोर्टों, अर्थात् 191वीं तक को पहले ही संसद् के पटल पर रख दिया गया है। शेष तीन रिपोर्टों को हिन्दी में अनुवाद के लिए भेजा गया है।

(ग) 186वीं, 187वीं, 189वीं और 190वीं रिपोर्टों के संबंध में प्रास्थिति को पहले ही अंतिम सत्र के दौरान संसद् के पटल पर रख दिया गया है। 188वीं और 191वीं रिपोर्टें संबंधित मंत्रालय की समीक्षाधीन हैं।

विदेशी सहायता

454. **श्री रघुनाथ झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत, सड़कों, अस्पतालों इत्यादि में निवेश हेतु लगभग 64,000/- करोड़ रुपए की विदेशी सहायता वर्षों से अप्रयुक्त

पड़ी है और सरकार प्रतिबद्धता प्रभार के रूप में विश्व बैंक और अन्य अभिकरणों को सैंकड़ों करोड़ रुपए का भुगतान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी सहायता का उपयोग नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सम्पूर्ण विदेशी सहायता के उपयोग के लिए सरकार की नीति क्या-क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) विदेशी ऋण सहायता के रूप में वचनबद्ध की गई 68,423.64 करोड़ रु. की कुल राशि वर्ष 2004-05 के अन्त तक आहरित नहीं की गई थी। तथापि, किसी भी परियोजना के लिए मंजूर की गई विदेशी सहायता का उपयोग करना निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है जो इसकी कार्यान्वयन अवधि के दौरान चलती रहती है। इसके परिणामस्वरूप, किसी भी समय-विशेष पर कुछ न कुछ अप्रयुक्त राशि अवश्य शेष रहेगी तथा जैसे-जैसे परियोजना का कार्यान्वयन होता है, वैसे-वैसे ये राशियां उपयोग में लाई जाती हैं। इसके अलावा, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग, राज्य सरकारें या सरकारी क्षेत्र के एकक (पीएसयू) जैसे परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण विधि कठिनाइयों की स्थितियों में काम करते हैं। सहायता के उपयोग के सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं- राज्य और केन्द्रीय सरकार के बजटों में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करना, अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाना, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मिलने वाली विदेशी सहायता के प्रवाह में मध्यवर्तियों को समाप्त करना, कुछ राज्यों में तथा केन्द्रीय मंत्रालयों में परियोजना मानीटरिंग एककों को मजबूत बनाना, राज्यों के लिए केन्द्रक अधिकारियों की नियुक्ति करना और परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करना। वर्ष 2004-05 के दौरान वचनबद्धता प्रभारों के रूप में 165.11 करोड़ रु. का भुगतान किया गया।

समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत जिले

455. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में, विशेषकर कर्नाटक में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम हेतु किन-किन जिलों की पहचान की गई है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जिले को इसके अंतर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत जिलों की पहचान नहीं की गई है। परियोजनाएं उन क्षेत्रों, जिनकी भूमि संसाधन विभाग के सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत पहचान नहीं की गई है, में प्रतिवर्ष राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता निर्धारित जिलों के लिए स्वीकृत की जाती हैं। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सहित राज्य-वार तथा जिला-वार जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत (2002-03 से 2004-2005 तक) जिला-वार जारी की गई निधियों को दिखाने वाला विवरण

क्रम सं.	जिले का नाम	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	आदिलाबाद	341.67
2.	चित्तूर	443.86
3.	कुडप्पा-VI	716.85
4.	पूर्वी गोदावरी	365.433
5.	गुन्टूर	96.43
6.	करीमनगर	251.59
7.	खम्माम	546.54
8.	मेडक	780.051
9.	नालगोंडा	498.275
10.	नेल्लोर	831.087

1	2	3
11.	निजामाबाद	444.42
12.	प्रकाशम	49.5
13.	रंगारेड्डी	525.4
14.	श्रीकाकुलम	529.14
15.	विशाखापत्तनम्	262.53
16.	विजयनगरम्	584.631
17.	वारंगल	522.71
	उप योग	7790.12
	बिहार	
18.	अरवल	41.25
19.	औरंगाबाद	41.25
20.	बांका	41.25
21.	दरभंगा	41.25
22.	गया	82.5
23.	जहानाबाद	41.25
24.	कैमूर	41.25
25.	किशनगंज	41.25
26.	मुंगेर	82.5
27.	नालंदा	170.63
28.	नवादा	41.25
29.	पूर्णिया	41.25
30.	रोहतास	41.25
31.	सारण	41.25
32.	सीवान	41.25
33.	वैशाली	41.25
	उप योग	871.88
	छत्तीसगढ़	
34.	बिलासपुर	273.125
35.	धामतरी	164.885
36.	दुर्ग	423.107
37.	जंजगिर-चम्पा	316.078
38.	जशपुर	36.3
39.	कंकेर	41.25
40.	कवार्धा	139.454
41.	कोरिया	157.84
42.	महासमंद	368.422
43.	रायगढ़	381.806
44.	रायपुर	773.295
45.	राजनंदगांव	395.2
	उप योग	3470.763
	गोवा	
46.	उत्तरी गोवा	41.25
47.	दक्षिणी गोवा	41.25
	उप योग	82.5
	गुजरात	
48.	अहमदाबाद	377.03

1	2	3
49.	आनंद	79.43
50.	बनासकांठा	215.97
51.	भरूच	278.9
52.	भावनगर	169.38
53.	गांधीनगर	41.25
54.	जामनगर	28.13
55.	जूनागढ़	676.56
56.	खेड़ा	179.74
57.	कच्छ-4	204.99
58.	मेहसाना	82.5
59.	नवसारी	41.25
60.	पंचमहल	216.63
61.	पाटन	560.36
62.	पोरबंदर	41.25
63.	राजकोट	293.26
64.	साबरकांठा	362.88
65.	सूरत	238.22
66.	वडोदरा	176.55
67.	वालसाड	293.98
	उप योग	4300.38
	हिमाचल प्रदेश	
68.	चम्बा	468.44
69.	हमीरपुर	908.42
70.	कांगड़ा	562.68
71.	किन्नोर	310.66
72.	कुल्लू	445.45
73.	मंडी	192.99
74.	शिमला	467.66
75.	सिरमौर	509.22
76.	सोलन	329.94
	उप योग	4195.46
	हरियाणा	
77.	अम्बाला	45.38
78.	फरीदाबाद	137.65
79.	गुडगांव	154.62
80.	जिंद	41.25
81.	कैथल	41.25
82.	करनाल	57.76
83.	पंचकुला	122.16
84.	पानीपत	191.36
85.	रोहतक	66
86.	सोनीपत	41.25
87.	यमुनानगर	208.63
	उप योग	1107.31
	जम्मू और कश्मीर	
88.	अनंतनाग	99

1	2	3
89.	जम्मू	238.685
90.	कठुआ	45.39
91.	कुपवाड़ा	24.75
92.	पूंछ	41.25
93.	रजौरी	233.34
94.	उधमपुर	203.32
	उप योग	885.735
	झारखण्ड	
95.	गिरडीह	82.5
96.	गुमला	82.5
97.	लोहरदग्गा	49.5
98.	रांची	41.25
99.	सरायकेला खरसांवा	49.5
100.	सिमडेगा	41.25
101.	पश्चिम सिंहभूम	173.17
	उप योग	519.67
	कर्नाटक	
102.	बैंगलोर (देहात)	270.996
103.	बेलगांव	798.714
104.	बेल्लारी	438.556
105.	बिदर	222.895
106.	चामराजनगर	164.96
107.	चिकमगलूर	41.25

1	2	3
108.	चित्रदुर्ग	713.62
109.	देवानगेरे	251.394
110.	गुलबर्गा	416.798
111.	हासन	199.936
112.	हवेरी	213.63
113.	कोलार	688.006
114.	कोपाल	123.519
115.	मांडया	251.788
116.	मैसूर	212.05
117.	रायचूर	603.349
118.	सिमोगा	253.274
119.	टूमकुर	275.17
120.	उत्तर कन्नड	41.25
	उप योग	6475.155
	केरल	
121.	इडुक्की	170.48
122.	कान्नूर	121.626
123.	कसारगोड	196.04
124.	मालपुरम	41.25
125.	पालाकाड	41.25
	उप योग	570.646
	महाराष्ट्र	
126.	अहमदनगर	41.25

1	2	3
127.	अमरावती	198.94
128.	औरंगाबाद	135.45
129.	बीड़	44.19
130.	भंडारा	41.25
131.	बुलधाना	41.25
132.	चन्द्रापुर	41.25
133.	गढ़चिरोली	41.25
134.	गोंदिया	41.25
135.	जलाना	41.25
136.	जलगांव	171.92
137.	कोल्हापुर	187.22
138.	लातूर	98.31
139.	नागपुर	125.81
140.	नंदेड़	41.25
141.	नंदूरबार	41.25
142.	उस्मानाबाद	41.25
143.	परभनी	231.82
144.	पुणे	100.82
145.	रायगढ़	180.25
146.	रत्नागिरी	127.29
147.	सांगली	95.81
148.	सतारा	242.26
149.	सिंधुदुर्ग	577.65
150.	सोलापुर	41.25
151.	थाने	162.45
152.	वर्धा	69.94
153.	यावतमल	110.67
	उप योग	3314.55
	मध्य प्रदेश	
154.	बालाघाट	147.997
155.	बरवानी	212.759
156.	भिंड	176.43
157.	भोपाल	156.211
158.	छतरपुर	346.59
159.	छिंदवारा	226.29
160.	दामोह	96.58
161.	दतिया	48.688
162.	धार	183.418
163.	डिंडोरी	89.751
164.	गुना	498.057
165.	ग्वालियर	297.254
166.	इन्दौर	33
167.	जबलपुर	41.25
168.	झबुआ	21.911
169.	कटनी	93.079
170.	खरगौन	41.25

1	2	3
171.	मांडला	378.57
172.	मंदसौर	174.01
173.	मोरेना	74.25
174.	नरसिंहपुर	76.46
175.	नीमच	434.809
176.	पन्ना	144.13
177.	रायसेन	600.043
178.	राजगढ़	228.385
179.	रतलाम	304.67
180.	सागर	270.08
181.	सतना	451.687
182.	सियोनी	68.18
183.	शहडोल	469.47
184.	शाजापुर	230.419
185.	शियोपुर	85.67
186.	शिवपुरी	1035.442
187.	सिधि	155.96
188.	टीकमगढ़	272.23
189.	उज्जैन	123.132
190.	विदिशा	240.69
191.	अन्य (पुरानी परियोजनाएं)	27.478
	उप योग	8736.93

1	2	3
	उड़ीसा	
192.	आंगूल	240.69
193.	बालासोर	88.795
194.	बारगढ़	107.01
195.	बोलांगिर	226.904
196.	कटक	165.709
197.	देवगढ़	164.92
198.	ढेनकनाल	69.58
199.	गजपति	97.815
200.	गंजम	62.06
201.	जजपुर	110.05
202.	झारसुरगुडा	98.52
203.	कालाहांडी	329.17
204.	क्योंझर	197.63
205.	खुर्दा	225.65
206.	कोरापुट	396.659
207.	मलकानगिरी	123.75
208.	मयूरभंज	220.6
209.	नवरंगपुर	413.441
210.	नयागढ़	75.45
211.	रायगढ़	377.87
212.	सम्बलपुर	127.97
213.	सोनेपुर	149.656

1	2	3
214.	सुन्दरगढ़	241.72
	उप योग	4282.539
	पंजाब	
215.	अमृतसर	24.75
216.	गुरदासपुर	75.98
217.	होशियारपुर	51.15
218.	मानसा	20.63
219.	रोपड़	41.5
220.	संगरूर	30.53
	उप योग	244.54
	राजस्थान	
221.	अजमेर	353.55
222.	अलवर	132.51
223.	बरान	281.42
224.	भरतपुर	174.3
225.	भीलवाड़ा	224.75
226.	बूंदी	480.5
227.	चित्तौड़गढ़	462.88
228.	दौसा	331.13
229.	धोलपुर	290.52
230.	जयपुर	391.15
231.	झालावाड़	412.203
232.	झुनझुनू	33.6
233.	करौली	82.5
234.	कोटा	41.25
235.	राजसमंद	400.9
236.	सिरोही	41.25
237.	टोंक	324.15
238.	उदयपुर	532
	उप योग	4990.563
	तमिलनाडु	
239.	कोयम्बटूर	327.26
240.	कुड्डालोर	206.68
241.	धर्मापुरी	512.33
242.	डिंडिगुल	550.617
243.	कांचीपुरम	41.25
244.	करूर	350.76
245.	कृष्णागिरी	41.25
246.	मदुरै	82.96
247.	मदुरै	124.21
248.	नामाक्कल	258.387
249.	पेरम्बलूर	119.282
250.	पुडुकोट्टई	335.007
251.	रामनाथपुरम	204.59
252.	सलेम	213.33
253.	शिवगंगा	203.6

1	2	3
254.	थेनी	112.461
255.	थिरुवल्लूर	41.25
256.	तिरुनेल्वेली	333.498
257.	थिरुवल्लू	40.74
258.	तिरुवन्नामलई	123.75
259.	टूटुकोडी	162.418
260.	तिरिचिरापल्ली	337.834
261.	वेल्लोर	209.066
262.	विल्लुपुरम	117.25
263.	विरुधुनगर	155.813
	उप योग	5302.074
	उत्तर प्रदेश	
264.	आगरा-4	284.23
265.	अलीगढ़	98.16
266.	इलाहाबाद	103.1
267.	अम्बेडकरनगर	242.61
268.	औरैया	41.25
269.	बदाऊं	94.5
270.	बाराबंकी	199.94
271.	चन्दौली	133.2
272.	इटावा	141.87
273.	फैजाबाद	183.36
274.	फतेहपुर	59.05
275.	फिरोजाबाद	153.38
276.	गोंडा	47.55
277.	हमीरपुर	140.19
278.	हरदोई	123.75
279.	जालन	41.25
280.	झांसी-4	392.3
281.	कन्नौज	41.25
282.	कौशाम्बी	41.25
283.	लखीमपुर खीरी	289.47
284.	ललितपुर	150.95
285.	लखनऊ	153.81
286.	महोबा	41.25
287.	मिर्जापुर	552.58
288.	मुजफ्फरपुर	41.25
289.	पीलीभीत	53.54
290.	प्रतापगढ़	365.07
291.	रायबरेली	41.25
292.	सहारनपुर	41.25
293.	शाहजहांपुर	140.28
294.	सीतापुर	691.39
295.	सुल्तानपुर	41.25
296.	वाराणसी	99.6
	उप योग	5434.23

1	2	3
	उत्तरांचल	
297.	अलमोड़ा	
298.	अलमोड़ा	148.52
299.	बागेश्वर	114.76
300.	चमोली	212.615
301.	चम्पावत	93.77
302.	देहरादून	89.74
303.	हरिद्वार	90.04
304.	नैनीताल	266.84
305.	पौरी	197.665
306.	पिथोरागढ़	204.41
307.	रुद्रप्रयोग	188.97
308.	टिहरी	137.381
309.	ऊधम सिंह नगर	49.5
310.	उत्तरकाशी	133.51
	उप योग	1927.72
	पश्चिम बंगाल	
311.	बांकुरा	37.95
312.	बीरभूम	41.25
313.	बर्द्धवान	118.95
314.	पश्चिम मिदनापुर	41.25
	उप योग	239.4
	अन्य राज्यों का योग	61575.612

1	2	3
	पूर्वोत्तर राज्य	
	अरुणाचल प्रदेश	
315.	चांगलांग	24.75
316.	पूर्वी कामेंग	224.81
317.	पूर्वी सियांग	74.25
318.	कुरूगं कुमेंग	173.25
319.	लोहित	182.59
320.	नीचली सुबांनसिरी	66
321.	पम्पपरे	291.16
322.	तवांग	33.42
323.	तिरप	24.75
324.	ऊपरी दिबांग	24.75
325.	ऊपरी सियांग	24.75
326.	ऊपरी सुबनसिरी	283.54
327.	पश्चिमी कामेंग	98.43
328.	पश्चिमी सियांग	88.03
	उप योग	1614.48
	असम	
329.	बारपेटा	363.428
330.	बोगांईगांव	173.25
331.	कछार	123.75
332.	दारंग	221.28
333.	धेमाजी	173.28

1	2	3
334.	धुबरी	189
335.	डिबरूगढ़	380.556
336.	गोलपारा	245.956
337.	गोलाघाट	435.407
338.	हैलाकांडी	276.37
339.	जोरहट	229.03
340.	कर्बी आंगलौंग	177.37
341.	कामरूप	475.828
342.	करीमगंज	351.324
343.	कोकराझाड़	473.12
344.	लखीमपुर	115.12
345.	मोरीगांव	228.964
346.	एन.सी. हिल्स	203.4
347.	नागांव	417.62
348.	नलबारी	294.21
349.	शिवसागर	188.46
350.	सोनितपुर	624.09
351.	तिनसुखिया	182.755
	उप योग	6543.57
	मेघालय	
352.	पूर्वी गारो हिल्स	93.454
353.	पूर्वी खासी हिल्स	115.97
354.	जैनतीया हिल्स	84.43

1	2	3
355.	री-भोई	88.94
356.	दक्षिण गारो हिल्स	49.5
357.	पश्चिमी गारों हिल्स	108.32
358.	पश्चिमी खासी हिल्स	121.1
	उप योग	661.71
	मणिपुर	
359.	बिशुनपुर	90.75
360.	चंदेल	165
361.	चुराचांदपुर	165
362.	इम्फाल पूर्व	188.635
364.	इम्फाल पश्चिम	179.42
365.	सेनापति	245.77
366.	तामेंगलौग	197.6
367.	थौम्बल	153.63
368.	उखरुल	49.5
369.	उकरुल	66
	उप योग	1501.3
	मिजोरम	
370.	आइजोल	438.49
371.	चम्फई	254.46
372.	कोलासिब	303.28
373.	लौंगतलई	403.974
374.	लंगलेई	283.31

1	2	3
375.	ममित	399.82
376.	सैहा	325.832
377.	सेरछिप	333.46
	उप योग	2742.63
	नागालैंड	
378.	दीमापुर	574.72
379.	किफिरे	264
380.	कोहिमा	1018.91
381.	मोंकोंकचुंग	456.38
382.	मोन	579.26
383.	फेक	335.44
384.	तुयेनसांग	778.9
385.	वोखा	454.38
386.	जुनोबुटो	598.95
	उप योग	5320.33
	सिक्किम	
387.	पूर्वी सिक्किम	171.75
388.	उत्तरी सिक्किम	244.5
389.	दक्षिणी सिक्किम	131.5
390.	पश्चिमी सिक्किम	229.62
	उप योग	777.37
	त्रिपुरा	
391.	धलाई	47.48
392.	उत्तरी त्रिपुरा	133.118
393.	दक्षिणी त्रिपुरा	106.523
394.	पश्चिमी त्रिपुरा	131.123
	उप योग	418.24
	पूर्वोत्तर राज्यों का योग	19579.636
	आई.डब्ल्यू.डी.पी. का कुल योग	81155.248

विद्युत बोर्डों का विभाजन

456. श्री पी. राजेन्द्रन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को उनके विद्युत बोर्डों के विभाजन के संबंध में कोई निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो बोर्डों का ब्यौरा और इनकी संख्या कितनी है जिन्होंने अब तक विभाजन का मार्ग अपनाया है;

(ग) क्या केरल सरकार ने उक्त विभाजन के संबंध में कोई वैकल्पिक प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों ने राज्य विद्युत सुधार अधिनियमों, जो अपने राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) के पुनर्गठन की व्यवस्था करते हैं, को अधिनियमित किया है। विद्युत अधिनियम 2003 के खंड 172(क) में यह व्यवस्था है कि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि अर्थात 10 जून, 2003 से राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) को राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू) और लाइसेंसधारक माना जाएगा। इस खंड में आगे यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से रा. वि बोर्डों को एसटीयू अथवा लाइसेंसधारक के रूप में आगे 1 वर्ष उसे अधिक की अवधि के लिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा परस्पर सहमति से यथा निर्णीत, कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

अब तक 12 राज्यों ने अपने रा.वि. बोर्डों का पुनर्गठन किया है। उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात तथा मध्य प्रदेश ने अपने राज्य विद्युत सुधार अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कर लिया है। असम तथा महाराष्ट्र ने विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने रा.वि. बोर्डों का पुनर्गठन कर लिया हैं मध्य प्रदेश तथा असम के रा.वि. बोर्ड अभी केवल विद्युत के व्यापार संबंधी लाइसेंसी कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने सूचित किया है कि विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार रा.वि. बोर्ड के सफल पुनर्गठन के लिए उन्हें कुछ और समय की जरूरत है तथा उन्होंने 9.12.2005 के आगे समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। केरल एसईबी केंद्र सरकार केरल रा.वि. बोर्ड के लिए 9.6.2005 से आगे समय विस्तार के लिए सहमत हो गई है ताकि वह एसटीयू और एक लाइसेंसी के रूप में कार्य करना जारी रख सके।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण

457. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :
श्री चन्द्रभान सिंह :
श्री कृष्णा मुरारी मोघे :
श्री राकेश सिंह :
डा. राम लखन सिंह :
श्रीमती नीता पटैरिया :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से दूर-दराज के गांवों का विद्युतीकरण करने की योजनाएं अग्रेषित की हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है और इनमें कितनी धनराशि शामिल है;

(ग) इन पर क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(घ) इन योजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) जी हां। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (एमपीयूवीएन), भोपाल ने 1315.5 लाख रु. की अनुमानित लागत के साथ अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से राज्य में 176 गांवों के विद्युतीकरण हेतु 8 प्रस्ताव अग्रेषित किए हैं। इसमें से. जिला मांडला में 30 गांवों के लिए विद्युतीकरण परियोजना मंजूर की गई है तथा यह इस समय कार्यान्वयनाधीन है।

(ग) और (घ) वर्ष 2005-06 के दौरान, विद्युत मंत्रालय की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के साथ केन्द्रीय सहायता के दोहराव को रोकने की दृष्टि से ऐसे दूरस्थ गांवों, जिन्हें ग्रिड के माध्यम से विद्युतीकृत नहीं किया जा सकता, की पहचान के लिए एकल प्वाइंट उत्तरदायित्व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को सौंपा गया हैं एमपीयूवीएन, भोपाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों में से 60 गांवों को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण हेतु उपयुक्त होने के लिए आरईसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। राज्य को सलाह दी गई है कि वर्ष 2005-06 के लिए दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक प्रशासनिक प्रावधान करें, तत्पश्चात प्रस्तावों को विचार हेतु लिया जा सकेगा।

टिहरी जल विद्युत परियोजना

458. श्री वाई.जी. महाजन :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री एस.के. खारवेनथन :
श्री विजय कृष्ण :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी बांध की टनल संख्या 2 को बंद करने के कारण बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापित होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसे बंद करने से कितने गांवों/परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बांध के कारण विस्थापित लोगों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य हेतु कितनी निधियां निर्धारित की गई हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) दिनांक 29.10.2005 को टनल टी 2 के बंद हो जाने से टिहरी बांध के जलाशय में पानी भरना शुरू हो गया है। जलाशय को भरने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और जलाशय को ईएल 830 एम स्तर तक भरने में तीन से चार वर्षों तक का समय लगेगा। टनल टी-2 के बंद होने से वर्ष 2006 के मानसून के दौरान जल स्तर ईएल 760 एम तक पहुंचने की संभावना है। ईएल 760 एम तक रहने वाले सभी 3681 परिवारों को पुन:स्थापित किया जा चुका है। शेष बचे हुए परिवारों को जलाशय के भरे जाने के साथ-साथ पुनर्स्थापित किया जा रहा है।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन जब यह परियोजना थी तब से ही परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का कार्य चालू किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा स्थानीय जन प्रतिनिधियों से बातचीत कर नई टिहरी टाउन (एनटीटी) सहित पुनर्वास नीति विकसित की गई। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन के सम्मिलित होने के बाद निगम द्वारा राज्य सरकार द्वारा विकसित पुनर्वास नीति को पूरी तरह स्वीकार कर लिया गया और बाद में प्रोफेसर हनुमंत राव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर मुआवजे की रकम को और बढ़ा दिया गया तथा एक उदार पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया।

(घ) पुनर्वास एवं पुन:स्थापन नीति के अनुसार पुरानी टिहरी के सभी 5291 शहरी परिवारों को पुन: स्थापित कर दिया गया है। सभी ग्रामीण 5429 परिवारों में से जलाशय भरने अर्थात ईएल 830 एम तक 4779 परिवारों का पुनर्वसन कर दिया गया है।

(ङ) पुनर्वास एवं पुनस्थापन कार्यों के लिए संशोधित अनुमानित लागत मार्च 2003 पीएल तक 983.14 करोड़ रुपये हैं पुनर्वास एवं पुनस्थापन कार्यों पर अक्टूबर, 2005 तक 1126.17 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

फैशन प्रौद्योगिकी

459. **श्री सुरेश अंगड़ि** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फैशन प्रौद्योगिकी संस्थाओं को एम्स और आई.आई.टी. जैसा दर्जा देकर भारत को फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी देश बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) फैशन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार का संसद के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई एफ टी) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान करने का विचार है। इस संबंध में संसद के चालू सत्र में एक विधेयक रखे जाने की संभावना है।

(ग) सरकार, विश्व अर्थव्यवस्थाओं के खुलने के बदलते व्यापार-संदर्भ में फैशन शिक्षा को गंभीरता से ले रही है। एन आई एफ टी (निफ्ट), निर्यात संवर्द्धन परिषद (ईपीसी) आदि जैसी संस्थाएं फैशन संबंधी पाठयक्रमों के क्षेत्र में प्रशिक्षण देती है। इन पाठयक्रमों से वस्त्रों, परिधानों, जीवन शैली के उत्पादों और अन्य फैशन सामानों के लिए भारतीय निर्यात व्यापार संवर्द्धित करने में गतिशील और वैश्विक बाजार की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिक तैयार होते हैं। इसके अलावा ये संस्थाएं/ईपीसी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फैशन शो, क्रेता-विक्रेता बैठकें आदि आयोजित करती हैं और इनमें भाग लेती हैं। सरकार ऐसे अनेक कार्यक्रमों को हर संभव सहायता प्रदान करती है जिनसे अन्य बातों के साथ-साथ फैशन संबंधी मदों के निर्यात को बढ़ाया जा सके।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजना स्थापित करना

460. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे** :
श्री राकेश सिंह :
डा. राम लखन सिंह :
श्रीमती नीता पटेरिया :

क्या विद्युत मंत्री 4.3.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 812 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विशेषकर मालवा और सतपुड़ा में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृत हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं में कार्य कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) जी, नहीं। मध्य प्रदेश राज्य में ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित नहीं है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, "कोई भी उत्पादन कंपनी बिना इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किए ताप विद्युत उत्पादन स्टेशन की स्थापना, प्रचालन एवं देखरेख कर सकती है यदि वह ग्रिड से संबद्धता से संबंधित तकनीकी मानकों का पालन करती है। इसलिए, ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से कोई तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।

हालांकि, मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी (एमपीजेनको) ने मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पूमी, डोंगालिया में 4x500 मेगावाट (अंतिम क्षमता) की कोयला आधारित मालवा विद्युत परियोजना का प्रस्ताव रखा है जिसमें से 2x500 मेगावाट यूनिटों के 11वीं योजनावधि में शुरू होने की संभावना है। एमपीजेनको विभिन्न निवेशों के तालमेल के लिए आवश्यक प्रयास कर रही है। परियोजना का पहला यूनिट 2010-11 और दूसरा यूनिट 2011-12 में शुरू होना प्रस्तावित है।

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानें

461. **श्री पंकज चौधरी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर स्थित शुल्क मुक्त दुकानों से विभिन्न वस्तुओं की बिक्री भारतीय रुपये से करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश जाने वाले निवासी भारतीय नागरिकों को भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर स्थित शुल्क मुक्त दुकानों से सामान खरीदने की अनुमति दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर शुल्क मुक्त दुकानों से ऐसी खरीद के लिए 5,000 रु. प्रति यात्रा प्रति यात्री की सीमा विहित की गई है।

वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहन

462. **श्री काशीराम राणा : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वस्त्र उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) 01.01.2005 से कोटा प्रतिबंधों की समाप्ति के बाद निर्यात प्रवृत्तियां यह दर्शाती है कि प्रमुख बाजारों को भारतीय वस्त्र निर्यात में काफी वृद्धि आई है। यूरोपीय संघ और अमेरिका में भारत के समग्र वस्त्र निर्यात का लगभग 60% है। अमेरिका के व्यापार आंकड़े यह दर्शाते हैं कि जनवरी-अगस्त, 2005 की अवधि में भारत से अमेरिका में वस्त्रों के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 26.49% की वृद्धि दर्ज हुई है। यह दर्शाता है कि भारत की वृद्धि पाकिस्तान (10.52%) और बंग्लादेश (20.33%) की वृद्धि की अपेक्षा अधिक है; यद्यपि यह चीन की वृद्धि (62.08%) से कम है। इसी प्रकार यूरोपीय संघ के आयातों में कमी (मूल्य की दृष्टि से 4%) के बावजूद यूरोपीय संघ के व्यापार आंकड़े जनवरी-अगस्त, 2005 की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में भारत से यूरोपीय संघ-25 को आयात में वृद्धि (मूल्य की दृष्टि से 13.9%) दर्शाते हैं।

(ग) वस्त्र निर्यात के संवर्धन के लिए सरकार समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:—

(1) स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(2) सरकार ने सिलेसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(4) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) शुरू किया है। बेहतर कृषि परिपाटियों, उत्तर बीजों, बाजार आधारभूत संरचना में सुधार और जिनिंग एवं प्रैसिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(5) उद्योग को वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए उन्हें विश्व स्तर की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दो मौजूदा योजनाओं अर्थात वस्त्र केंद्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) और अपैरल पार्क निर्यात योजना (एपीइएस) को मिलाकर "एकीकृत वस्त्र पार्क" नाम की एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अधीन भारत सरकार की सहायता अनुदान अथवा इक्विटी परियोजना लागत के 40% तक सीमित होगी जो अधिकतम 40 करोड़ तक होगी।

(6) विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अपैरल एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के उद्देश्य से "अपैरल पार्क निर्यात योजना" (एपीईएस) शुरू की गई है। एपीइएस के अधीन भारत सरकार की 191.70 करोड़ रु. की अनुमानित सहायता से 12 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।

(7) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई थी। टीसीआईडीएस के तहत भारत की 270.80 करोड़ रु. की अनुमानित सहायता से 18 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(8) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का विकल्प दिया गया है।

(9) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(10) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20.4.05 से मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के अधीन 10% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सहायता योजना शुरू की है।

(11) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की सात शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(12) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित आवास

463. श्री नवीन जिन्दल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान इंदिरा आवास योजना (आई.ए. वाई.) के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है;

(ख) लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन आवासीय इकाइयों को निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) राज्य

सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2004-05 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 1562356 मकानों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में 1516222 मकानों का निर्माण हुआ है। लक्ष्य प्राप्ति में कमी बहुत कम है और यह कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अप्रर्युक्त अथशेषों के कारण है।

(ग) और (घ) इंदिरा आवास योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार मकानों का निर्माण स्वयं लाभार्थियों द्वारा किया जाता है जिसमें उन्हें डिजाइन के चयन की पूरी स्वतंत्रता होती है। योजना के अंतर्गत कोई विनिर्देश निर्धारित नहीं है।

अनुसंधान संस्थानों का विलय

464. **श्री बसुदेव आचार्य : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सी.एफ. आर.आई.) का केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (सी.एम.आर.आई) के साथ विलय करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) जी हां, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) विशेषज्ञों की समिति के निष्कर्षों के आधार पर सी.एम.आर.आई. और सी.एफ.आर.आई., धनबाद की आंतरिक क्षमताओं को एक साथ मिलाने पर विचार कर रही है। इस समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने के लिए सीएसआईआर की शासी निकाय ने अब अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

पटसन का न्यूनतम समर्थन मूल्य

465. **श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन मिल मालिकों का एक वर्ग भारतीय पटसन निगम द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए भारतीय पटसन निगम से पटसन की खरीद नहीं कर रहा है। तथा इसके कारण पटसन उत्पादक न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित हो रहे हैं;

(ख) क्या सरकार पटसन और पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश की समीक्षा करने पर विचार कर रही है ताकि पटसन मिलों के मालिकों के लिए भारतीय पटसन निगम से पटसन खरीदना अनिवार्य हो जाए; और

(ग) यदि हां. तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) इस वर्ष चालू सत्र, 2005-06 (जुलाई-जून) के प्रारंभ से ही कच्चे पटसन का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर चल रहा है। इसलिए चालू पटसन क्षेत्र में भारतीय पटसन निगम ने 239 क्विंटल का छोड़कर एम एस पी के तहत कोई खरीद नहीं की है। अत: पटसन मिल मालिकों द्वारा भारतीय पटसन निगम से खरीद न करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वाणिज्यिक बैंकों में जमा धनराशि

466. **श्री तूफानी सरोज : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आज की तिथि के अनुसार देश के वाणिज्यिक बैंकों में जमा धनराशि में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की जमाराशियों में वृद्धि हुई है जो 30 जून, 2004 की स्थिति के अनुसार 15,24,546 करोड़ रुपए से बढ़कर 30 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार 17,57,846 करोड़ रुपए हो गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में विद्युत पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना

467. डा. राम लखन सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी.जी.सी.आई.एल. द्वारा मध्य प्रदेश में विद्युत की पारेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु क्या उपाय अपनाए जा रहे हैं; और

(ख) विद्युत के पारेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने का कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सहित पश्चिमी क्षेत्र में पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) द्वारा निम्नलिखित पारेषण योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(i) विंध्याचल III पारेषण प्रणाली

(ii) सीपत I पारेषण प्रणाली

(iii) सीपत II पारेषण प्रणाली

(iv) विंध्याचल कोरबा 400 के.वी. एस/सी लाइन

(v) पश्चिमी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना I

(vi) बीना नागदा 400 केवी डी/सी लाइन

(vii) कहलगांव II (चरण-I) पारेषण प्रणाली-पश्चिमी क्षेत्र भाग

इन पारेषण लाइनों के 2007 तक प्रगतिकात्मक रूप से शुरू हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, पीजीसीआईएल द्वारा कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित पारेषण योजनाएं भी बनाई गई हैं।

(i) उत्तर-पश्चिमी अन्त क्षेत्रीय पारेझा योजना

(ii) बाढ़ पारेषण प्रणाली

(iii) पश्चिमी क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना।

अन्त:— राज्यीय पारेषण एवं वितरण प्रणाली का विकास राज्य विद्युत यूटिलिटियों का उत्तरदायित्व है।

[अनुवाद]

सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना

468. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निचली, मध्यवर्ती और ऊपरी सुबनसिरी बांध परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा एनएचपीसी द्वारा इसे शुरू करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) क्या निचली सुबनसिरी बांध परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में असम सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना अभी भी शेष है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या एनएचपीसी ने सुबनसिरी बांध परियोजना की सुरक्षा एवं आपदा की स्थिति में इसके अपप्रवाह क्षेत्र में बसे लोगों की सुरक्षा हेतु आकलन किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस परियोजना में स्थानीय युवकों को रोजगार देने हेतु क्या नीति अपनाई गई है;

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एनएचपीसी) को लोअर, मिडिल एवं अपर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति एवं चालू करने का समय संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) दिनांक 19.4.2004 के अपने आदेश की समाप्ति/संशोधन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने से संबंधित मामले पर राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई याचिका के निष्कर्ष की प्राप्ति पर ही विचार किया जाएगा।

(घ) और (ङ) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्तर पर, खराब केस परिदृश्य हेतु एनएचपीसी द्वारा बांध तोड़ विश्लेषण किया गया था जिससे यह अनुमान लगा कि पूरा बांध ही छूट जाता है एक आपदा प्रबंधन योजना भी बनाई गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल है—

– तीव्र एवं आवधिक विश्लेषण और उपकरणीय एवं अवलोकन आंकड़ों की व्याख्या सहित प्रभावी बांध सुरक्षा निरीक्षण एवं मानीटरिंग कार्यक्रम की स्थापना।

– बांध के असफल होने की स्थिति में जीवन एवं संपत्ति की संभाव्य हानि को अधिक से अधिक कम करने के लिए आपातकाल कार्य योजना का प्रतिपादन एवं कार्यान्वयन। इसमें निवारक कार्यवाही, प्रभावी संचार प्रणाली, इवैक्यूएशन योजना एवं अधिसूचनाएं (सावधानी एवं चेतावनी स्थिति) शामिल है।

आपदा उप्रबंधन योजना के अंतर्गत विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन हेतु 1.50 करोड़ रुपये की राशि अलग रखी गई है। इसमें निरीक्षण एवं मानीटरिंग का प्रावधान और अतरिक्ष संचार प्रणाली, बेतार एवं सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का प्रावधान शामिल होगा।

(च) भर्ती रोजगार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के साथ पठित सरकार द्वारा अधिसूचित नियम 1960 के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा की जाती है। इन नियमों के अंतर्गत, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) वर्ग "ग" और "घ" के अंतर्गत आने वाले सभी पदों जिनका वेतनमान 13100 से अधिक नहीं है कि लिए संबंधित स्थानीय रोजगार कार्यालयों को सूचना देती है और तदनुसार भर्ती करती है।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संक्षिप्त स्थिति
1	2	3
1.	सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 9.9.2003 को भारत सरकार का अनुमोदन प्रदान किया गया था। परियोजना सितम्बर 2010 में शुरू होनी निर्धारित हैं मुख्य सिविल एवं इलेक्ट्रो मेकेनिकल कार्यों के लिए एनएचपीसी द्वारा ठेके प्रदान किए गए हैं और ठेकेदारों ने अपनी श्रमशक्ति एवं उपकरणों को गतिशील बनाया है।
2.	सुबानसिरी मिडिल (1600 मे.वा.) अरुणाचल प्रदेश	वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए एनएचपीसी द्वारा एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और अनिवार्य अवसंरचनात्मक कार्य शुरू करने के लिए एनएचपीसी को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परामर्श दिया गया है। एनएचपीसी द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इंडियन बोर्ड फार वाइलडलाइफ (आईबीडब्लूएल) के सुझावों के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा स्थल स्वीकृति अस्वीकृत की गई है। लोअर सुबानसिरी के इस मामले में कि भविष्य में सुबानसिरी नदी की बांध अपस्ट्रीम का निर्माण नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने दिनांक 19.4.2004 के अपने आदेश के पुनरीक्षण हेतु 27.5.05 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की है। राज्य सरकार की याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया है और प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए गए हैं। परियोजना की निर्माण अवधि निवेश अनुमोदन की तारीख से साढ़े सात वर्ष है।
3.	सुबानसिरी अपर (2000 मे.वा.) अरुणाचल प्रदेश	वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए एनएचपीसी द्वारा एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और अनिवार्य अवसंरचनात्मक कार्य शुरू करने के लिए एनएचपीसी को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परामर्श दिया गया है। एनएचपीसी द्वारा विस्तृत

1	2	3
		परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सुबानसिरी अपर जल विद्युत परियोजना के मामले में आईबीडब्लूएल के सुझाव के आधार पर स्थल स्वीकृत (स्टेज II) हेतु एनएचपीसी के आवेदन पर विचार करने से इंकार कर दिया है। मुख्य शर्तों नेशनल पार्क के रूप में लोअर सुबानसिरी के कैचमेंट क्षेत्र में संपूर्ण आरक्षित वन की घोषणा और भविष्य में सुबानसिरी नदी की बांध अपस्ट्रीम का निर्माण न होना शामिल हैं एनएचपीसी ने उपरोक्त शर्तों की समीक्षा और स्थल स्वीकृति (स्टेज II) प्रदान करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से संपर्क किया है। परियोजना की निर्माणावधि निवेश अनुमोदन की तारीख से 7 वर्ष है।

वस्त्र कामगार पुनर्वास कोष योजना

469. प्रो. एम. रामदास : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31.03.2005 की स्थिति के अनुसार कितनी वस्त्र मिलें बंद हो चुकी हैं;

(ख) बंद हो चुकी कितनी मिलों के कामगारों ने वस्त्र कामगार पुनर्वास कोष योजना (टी डब्ल्यू आर एफ एस) के अंतर्गत अपने लाभ प्राप्त करने के लिए वस्त्रायुक्त के कार्यालय से संपर्क किया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मुद्दे के समाधान के लिए राज्य सरकार और श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार टी डब्ल्यू आर एफ एस के मानदंडों में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार के पास बंद हो चुकी इन मिलों के कामगारों को अंतरिम राहत देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार देश में 475 वस्त्र मिलें बंद हैं।

(ख) ऐसी बंद मिले 44 हैं जो इस योजना के तहत पात्र हैं एवं जिनके कामगारों ने टी डब्ल्यू आर एफ एस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई से संपर्क किया है।

(ग) और (घ) टी डब्ल्यू आर एफ एस का सुचारु प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों एवं व्यापार संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करना एक सतत प्रक्रिया है इस संदर्भ में, हाल ही में अहमदाबाद में दो बैठकें क्रमश: 13.02.2005 एवं 31.08.2005 को आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय इस योजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में राज्य सरकार, व्यापार संघों, सरकारी परिसमापकों, भविष्य निधि प्राधिकारियों आदि से नियमित संपर्क में हैं।

(ङ) और (च) हाल ही में, टी डब्ल्यू आर एफ एस के तहत कामगारों के पात्रता संबंधी मानदंडों को 1.4.1993 को बंद अथवा इसके बाद बंद मिलों के लिए मजदूरी की सीमा बढ़ाकर क्रमश: 3500 रु. तक संशोधित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, टी डब्ल्यू आर एफ एस का अन्य कोई मानदंड फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हथकरघा कामगारों को रियायतें

470. श्री रामदास आठवले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को बुनकर सहकारी

समितियों और अन्य संगठनों से हथकरघा बुनकरों हेतु रियायतों की मांग करने वाले वर्षवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) वर्तमान में हथकरघा बुनकरों को दी जा रही छूटों/रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों के हथकरघा बुनकरों की वर्षवार संख्या कितनी है जो इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) हथकरघा क्षेत्र और/या हथकरघा उत्पादों द्वारा उपयोग किए गए इनपुट से संबंधित राज्य सरकारो द्वारा लगाए गए बिक्री कर से छूट की मांग के बारे में भारत सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त हुए थे। चूंकि मामला राज्य सरकारों से संबंधित है अत: इस मामले को उनके साथ उठाया गया था, लेकिन राज्य सरकारें इससे सहमत नहीं हैं। बुनकर सहकारी समितियों से भी सेवा कर के भुगतान से छूट एवं आर्ट सिल्क एवं पोलियस्टर यार्न पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट के आवेदन प्राप्त हुए है।

वर्ष 2002-03 के दौरान 1 मार्च, 2002 से लागू प्लेन रील हैंक रूप में सूती एवं सैल्युसलोसिक स्पन यार्न के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए उतपाद शुल्क (सेनवेट) को वापस लेने की मांग करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। माननीय वित्त मंत्री ने अपनी वर्ष 2004-05 के बजट भाषण में वस्त्र क्षेत्र के लिए एक नई कर प्रणाली का प्रस्ताव किया है जिसके तहत आवश्यक सेनवेट चेन 9.7.2004 से समाप्त कर दी गई है।

हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) से भी करूर, कन्नूर, मदुरई एवं खेकड़ा को ईएक्सआईएम पोलिसी की पैरा 33) के तहत विशिष्ट हथकरघा निर्यात केन्द्रों के रूप में घोषित करने के अनुरोध भी प्राप्त हुए थे। एचईपीसी ने भी कॉटन हैण्डलूम दरी के लिए वापसी दर में वृद्धि के साथ-साथ अनडाईड सूती हथकरघा दरी के लिए वापसी दर के पुनस्थापन के लिए भी मांग किया था। इन मामलों को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ को उठाया गया था। माननीय केन्द्रीय वाणिज्यि एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार द्वारा 31 अगस्त, 2004 को घोषित विदेश व्यापार नीति, 2004-09 के अनुसार हथकरघा को एक थ्रस्ट सैक्टर के रूप में पहचान किया गया है और तमिलनाडु में करूर एवं मदुरई, केरल में कन्नूर एवं उत्तर प्रदेश में खेकड़ा को 250 करोड़ रुपये की प्रारंभिक सीमा के साथ निर्यात बाजार के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(ग) और (घ) वस्त्र मंत्रालय मिल गेट कीमत योजना नामक एक योजना कार्यान्वित कर रही है जिसमें राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को मिल गेट कीमत पर यार्न की उपलब्धता को सुकर बनाना है। हथकरघा एजेंसियों के गोदाम तक मिल गेट से यार्न के परिवहन खर्च की प्रतिपूर्ति एन एच डी सी द्वारा एजेंसियों को दी जा रही है और उसके बाद भारत सरकार द्वारा एन एच डी सी को उसकी प्रतिपूर्ति की जा रही है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान योजना के तहत एन एच डी सी द्वारा यार्न की आपूर्ति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

वर्ष	मात्रा (लाख किलो ग्राम)	मूल्य (लाख रुपये में)
2002-03	397.750	33110.71
2003-04	242.768	24071.39
2004-05	202.453	22298.18

पिछले 3 वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में यार्न की आपूर्ति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं

वर्ष	मात्रा (लाख किलो ग्राम)	मूल्य (लाख रुपये में)
2002-03	0.02	1.79
2003-04	0.611	31.26
2004-05	0.331	40.68

मिल गेट कीमत योजना के तहत एन एच डी सी द्वारा आपूर्ति किए गए यार्न के प्रति लाभार्थी हथकरघा बुनकररों की संख्या के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

बिजली की चोरी

471. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत अधिनियम, 2003 में बिजली की चोरी रोकने हेतु कठोर प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य विद्युत बोर्डों को कोई दिशानिर्देश/निदेश जारी किए है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, हां। विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत विद्युत की चोरी एक संज्ञेय अपराध हैं अधिनियम में अपराधों के तीव्र निपटान के प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालय स्थापित करने की व्यवस्था भी की गई है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 183 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी किया है जिसमें राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट विद्युत आपूर्ति संबंधी कोड में चोरी नियंत्रण के उपायों को शामिल करने का प्रावधान हैं इस आदेश का संबंधित उद्धरण विवरण-I के रूप में संलग्न है।

केन्द्रीय सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 (I) के प्रावधानों के अंतर्गत विद्युत नियम 2005 को भी अधिसूचित किया है। इन नियमों के नियम 11 और 12 विद्युत की चोरी रोकने के प्रावधानों से संबंधित है। इन नियमों के संबंधित उद्धरण विवरण-II के रूप में संलग्न है।

केन्द्रीय सरकार ने विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए आवश्यक कार्रवाई का राज्यों से अनुरोध करते हुये उन्हें पत्र लिखा है। राज्य सरकारों और राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य यूटिलिटियों इत्यादि के प्रतिनिधियों के साथ विद्युत मंत्रालय में आयोजित बैठकों में विद्युत की चोरी व दुरुपयोग के लिए राज्यों द्वारा किये गये उपायों की भी समीक्षा की गई है। उपलब्ध सूचना के सूचना के अनुसार 13 राज्य पहले ही विशेष न्यायालयों का गठन कर चुके हैं और 5 राज्यों ने विशेष पुलिस स्टेशन भी स्थापित किये हैं।

विवरण-I

विद्युत (कठिनाईयां हटाना) आदेश, 2005 से उद्धरण

विद्युत आपूर्ति संहिता में विद्युत की चोरी पर नियंत्रण करने के लिए उपायों को शामिल करना है:

(1) अधिनियम की धारा 50 के अधीन राज्य आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट विद्युत आपूर्ति संहिता में निम्नलिखित भी शामिल होंगे नामतः—

(i) उपयुक्त न्यायालय द्वारा अधिनिर्णयन होने तक विद्युत की चोरी के मामले में देय विद्युत प्रभार के आकलन की विधि;

(ii) विद्युत की चोरी अथवा अनधिकृत प्रयोग के मामले में विद्युत की आपूर्ति विच्छेदित करना और मीटर, विद्युत लाईन, विद्युत संयंत्र और अन्य उपकरण हटाना; और

(iii) विद्युत की विपथन, चोरी अथवा विद्युत के अनधिकृत प्रयोग अथवा विद्युत संयंत्र, विद्युत लाईन अथवा मीटर से छेड़छाड़ करने, खतरे में डालने अथवा क्षति पहुंचाने को रोकने के लिए उपाय।

(2) विद्युत आपूर्ति संहिता में उपर्युक्त उपबंध अधिनियम अथवा अन्य लागू कानून के अधीन लाइसेंसधारी की परिसंपत्तियों अथवा हितों के संरक्षण के लिए तथा देय राशि वसूल करने के लिए लाइसेंसधारी के अन्य अधिकारों को प्रभावित किये बिना होंगे।

विवरण-II

विद्युत नियम, 2005 से उद्धरण

11. **न्यायालयों का क्षेत्राधिकार** : धारा 154 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष न्यायालयों से भिन्न न्यायालयों का क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 153 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष न्यायालय गठित होने के समय तक बाधित नहीं होगा।

12. **अपराध का संज्ञान** : (1) पुलिस को उपयुक्त सरकार अथवा उपयुक्त आयोग अथवा इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत उनके किसी अधिकारी अथवा मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक अथवा लाइसेंसधारी या उत्पादक कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा की गई लिखित शिकायत पर अधिनियम के अधीन पुलिस दंडनीय अपराधि का संज्ञान लेगी।

(2) पुलिस किसी शिकायत की जांच के लिए लागू सामान्य कानून के अनुसार शिकायत की जांच

करेगी। शिकायत की जांच के प्रयोजनार्थ पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन यथा-उपलब्ध सभी शक्तियां होंगी।

(3) जांच के बाद पुलिस उप-खंड (1) के अधीन दाखिल शिकायत के साथ एक रिपोर्ट अधिनियम के अधीन विचारण के लिए न्यायालय को अग्रेषित करेगी।

(4) उपरोक्त उप-खंड (1), (2) और (3) में कुछ विहित होते हुए भी अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए शिकायत उपयुक्त सरकार अथवा उपयुक्त आयोग या उनके द्वारा प्राधिकृत उनके किसी अधिकारी अथवा मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक अथवा लाइसेंसधारी या उत्पादक कंपनी के किसी प्राधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा सीधे उपयुक्त न्यायालय में दाखिल की जा सकती है।

(5) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में कुछ विहित होते हुए भी प्रत्येक विशेष न्यायालय विचारण के लिए उसे अभियुक्त को सुपुर्द किये बिना अधिनियम की धारा 135 से 139 में उल्लिखित अपराध का संज्ञान ले सकता है।

(6) अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान किसी भी प्रकार भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन कार्यवाईयों को प्रभावित नहीं करेगा।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को बंद किया जाना

472. श्री टेक लाल महतो : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, धनबाद, झारखंड के कामगार फैक्टरी के बंद होने की वजह से पिछले तीन वर्षों से कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का पुनरुद्धार करने का है;

(ग) यदि हां, तो इस फैक्टरी का पुनरुद्धार कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) भारत सरकार ने हिन्दुस्तान जिंक लि. (एच जैड एल) का प्रबंध नियंत्रण 11.4.2002 को स्ट्रेटजिक भागीदार के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया हैं एच जैड एल के इस प्रबंधन ने सूचित किया है कि टुन्डू, धनबाद स्थित सीसा प्रगालक के प्रचालनों को 23 फरवरी, 2004 से अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया है और पिछले 20 महीनों में कंपनी ने मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ हुए मतैक्य और बातचीत की पृष्ठभूमि में कामगारों को समय-समय पर 3.48 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।

(ख) से (घ) चूंकि प्रबंध नियंत्रण स्ट्रेटजिक भागीदार के पास है इसलिए केवल एच जैड एल का बोर्ड ही इकाई के पुनः चालू करने का निर्णय ले सकता है एच जैड एल के प्रबंधन ने सूचित किया है कि यह संयंत्र 60 वर्षों से अधिक पुराना है और पुरानी प्रौद्योगिकी पर आधारित है जिसकी वजह से यह संयंत्र अदक्ष एवं अव्यवहार्य हो गया है और घाटा उठा रहा हे और इसके अतिरिक्त प्रदूषण नियंत्रण, जल स्रोत, खतरनाक अपशिष्ट के निपटान संबंधी प्रमुख मुद्दे भी हैं। इन मुद्दों का समाधान किए बिना प्रचालनों को पुनः चालू करना अव्यवहार्य होगा।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय चुनौती

473. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 2005 से मल्टी फाइबर अरन्जमेंट की समाप्ति के बाद सरकार द्वारा भारतीय वस्त्र उद्योग के अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या चीनी वस्त्र उद्योग से मिल रही कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय वस्त्र उद्योग को समर्थ बनाने हेतु भारतीय श्रम कानूनों में सुधार हेतु भी कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) वस्त्र निर्यात के संवर्धन के लिए सरकार समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:—

(1) स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(2) सरकार ने सिलसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1-4-1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(4) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) शुरू किया है। बेहतर कृषि परिपाटियों, उत्तर बीजों, बाजार आधारभूत संरचना में सुधार और जिनिंग एवं प्रैसिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(5) उद्योग को वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए उन्हें विश्व स्तर की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दो मौजूदा योजनाओं अर्थात वस्त्र केंद्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) और अपैरल पार्क निर्यात योजना (एपीइएस) को मिलाकर "एकीकृत वस्त्र पार्क" नाम की एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अधीन भारत सरकार की सहायता अनुदान अथवा इक्विटी परियोजना लागत के 40% तक सीमित होगी जो अधिकतम 40 करोड़ तक होगी।

(6) विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अपैरल एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के उद्देश्य से "अपैरल पार्क निर्यात योजना" (एपीईएस) शुरू की गई है। एपीइएस के अधीन भारत सरकार की 191.70 करोड़ रु. की अनुमानित सहायता से 12 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।

(7) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई थी। टीसीआईडीएस के तहत भारत की 270.80 करोड़ रु. की अनुमानित सहायता से 18 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(8) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का विकल्प दिया गया है।

(9) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(10) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20-4-05 से मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के अधीन 10% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सहायता योजना शुरू की है।

(11) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की सात शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(12) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

(ग) और (घ) श्रम सुधार एक सतत प्रक्रिया है। सरकार परिवर्तित सामाजिक-आर्थिक परिवेश को देखते हुए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सभी भागीदारों के साथ निरंतर बातचीत करती रहती है।

बंद हुई कंपनियों के लिए निपटारा योजना

474. श्री अन्नासाहेब पाटील शिवाजीराव :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 50 प्रतिशत कंपनियां कंपनी अधिनियम के उपबंधों का पालन नहीं कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप निवेशकों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है जैसाकि दिनांक 20 अक्तूबर, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी बंद हुई कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए निपटारा प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या उपाय किए गए है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) और (ख) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2003-2004 के दौरान 641512 पंजीकृत कंपनियों में से 303107 कंपनियां सांविधिक प्रतिलाभ दाखिल करने में दोषी पाई गई। कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत ऐसी कंपनियां अन्य कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त विलंबित दाखिले के लिए अतिरिक्त शुल्क की देनदार होंगी।

(ग) और (घ) बंद हुई कंपनियों के विषय में, 2003 तथा 2005 में दो सरलीकृत निकास योजना (एस ई एस) की शुरुआत की गई थी। एस ई एस 2003 के अंतर्गत 26714 कंपनियों को हटा दिया गया है, जबकि एस ई एस 2005 के अंतर्गत 26,483 कंपनियों ने आवेदन दिया है।

कंपनी विधि निपटारा योजना, 2000 (सी एल एस एस 2000) के अंतर्गत 1,27,083 कंपनियों ने योजना का लाभ उठाया है तथा अपेक्षित सांविधिक दस्तावेज दाखिल किया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

475. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेन्सियों की सहायता से चलाई जा रही परियोजनाओं का परियोजनावार और एजेन्सीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से उक्त परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता में बढ़ोत्तरी करने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) महाराष्ट्र में प्रचालित की जा रही परियोजनाओं के परियोजना-वार और एजेंसी-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि हेतु आर्थिक कार्य विभाग को महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

महाराष्ट्र में विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

देश/संस्था का नाम	परियोजना का नाम	मुद्रा	राशि मिलियन में
1	2	3	4
बहुपक्षीय			
विश्व बैंक (आईडीए)	मुंबई शहरी परिवहन परियोजना	एक्सडीआर	62.50

1	2	3	4
	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता	एक्सडीआर	128.80
विश्व बैंक (आईबीआरडी)	महाराष्ट्र जलक्षेत्र सुधार परियोजना	अमरीकी डालर	325.00
	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता परि.	अमरीकी डालर	181.00
	मुंबई शहरी परिवहन परि.	अमरीकी डालर	463.00
	पुणे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रायोगिक आईसीटी कार्यक्रम	अमरीकी डालर	0.956
यूएनएफपीए	समेकित जनसंख्या एवं विकास परियोजना	अमरीकी डालर	9.185
द्विपक्षीय			
जर्मनी	बुनियादी स्वास्थ्य, महाराष्ट्र	यूरो	10.226
	ग्रामीण जलापूर्ति, महाराष्ट्र	यूरो	1.380
	ग्रामीण जलापूर्ति, एवं स्वच्छता	यूरो	22.446
	लघु सिंचाई कार्यक्रम	यूरो	23.008
	जलसंभर विकास कार्यक्रम, चरण-II, महाराष्ट्र	यूरो	19.940

हथकरघा बुनकरों को सहायता केन्द्र

476. श्री दरोगा प्रसाद सरोज : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कसीदाकारी का परम्परागत ज्ञान रखने वाले हथकरघा बुनकरों के परिवारों को सरकारी सहायता न मिलने के कारण कसीदाकारी की दुर्लभ कला गायब होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आने वाले इस कला के संरक्षण और परम्परागत बुनकरों के पुनर्वास हेतु कोई विशेष पैकेज तैयार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) राज्य सरकारों से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

477. श्री ब्रजेश पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार दूरसंचार और अन्य विभागों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उच्चतम सीमा में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को दूरसंचार और अन्य विभागों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उच्चतम सीमा में वृद्धि न करने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो आज की तारीख तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में प्राप्त हुए अनुरोधों पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की उच्चतम सीमा को न बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाया हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्ड

478. श्री ए. साई प्रताप : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों का ब्यौरा और नाम क्या है जिन्होंने अभी तक अपने राज्य विद्युत बोर्डों का पुनर्गठन नहीं किया है;

(ख) क्या इन राज्यों ने अपने राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन के लिए समय-सीमा में विस्तार की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) 9 राज्यों ने अपने राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबी) का पुनर्गठन अभी नहीं किया है तथा वे समय-समय पर विद्युत अधिनियम 2003 के खंड 172 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार से और अधिक समय देने का अनुरोध कर रहे हैं। अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा समय विस्तार की तारीख संबंधी सहमति को विवरण में रेखांकित किया गया है।

इसके अलावा, असम व मध्य प्रदेश, जिन्होंने पहले ही अपने रा. वि. बोर्डों का पुनर्गठन कर लिया है, ने सीमित व्यापार की दृष्टि से राज्य विद्युत बोर्डों की निरंतरता के लिए कुछ और समय की मांग की है। केन्द्र सरकार उनके अनुरोध से सहमत हो गई है और उसने 9 जून, 2006 तक का विस्तार प्रदान कर दिया है।

विवरण

रा.वि. बोर्डों के पुनर्गठन के लिए समय विस्तार की स्थिति

क्र. सं.	राज्य का नाम	केन्द्र सरकार द्वारा पहले किस तारीख तक विस्तार पर सहमति हुई थी।
1.	केरल	9.6.2006
2.	पंजाब	9.12.2005
3.	छत्तीसगढ़	9.12.2005
4.	बिहार	9.3.2006
5.	तमिलनाडु	9.6.2006
6.	मेघालय	9.12.2005
7.	हिमाचल प्रदेश	9.6.2006
8.	पश्चिम बंगाल	9.12.2005
9.	झारखंड	9.12.2005

सूचना का अधिकार कानून

479. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 24 अक्तूबर, 2005 में इकोनामिक टाइम्स में ''बैंक टेकिंग ए टफ स्टैंड ऑन राइट आन इन्फारमेशन लॉ'' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बैंककारी गोपनीयता और ग्राहक गोपनीयता के संबंध में बैंकों की सुरक्षा के लिए अधिनियम में संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 24 अक्तूबर, 2005 के इकोनामिक टाइम्स में "बैंक्स टेकिंग ए टफ स्टैंड आन राइट टु इनफार्मेशन ला" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार को देखा है। समाचार में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया है कि बैंक किसी के भी साथ सूचना का अदान-प्रदान नहीं करेंगे। सूचना मांगने वाले व्यक्ति को इसका प्रयोजन साबित करना होगा। समाचार में यह भी कहा गया है कि यदि ऐसी सूचना से बैंकिंग गोपनीयता और ग्राहक विश्वस्तता की चिरकालीन प्रथा का उल्लंघन होता है, तो बैंक सूचना देने का विरोध करेंगे।

(ग) से (ड) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि "सूचना का अधिकार कानून" अभी हाल ही में लागू हुआ है, बैंकिंग गोपनीयता और ग्राहक विश्वस्तता से बैंकों की रक्षा करने के लिए इस समय अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करना जल्दबाजी होगी।

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को आवास सुविधा

480. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में विशेषकर कर्नाटक में इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित कितने लोगों को श्रेणीवार, राज्यवार और जिलावार आवास सुविधा प्रदान की गयी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में ऐसे बहुत से निर्धन परिवार हैं जिन्हें ऐसी सुविधाएं देने पर विचार नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक सहित देश में इंदिरा आवास योजना (आई.ए. वाई.) के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए मकानों की राज्य-वार, वर्ग-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है। तथापि, केन्द्रीय स्तर पर जिले-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) से (घ) 2001 की जनगणना द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 148.34 लाख मकानों की कमी है। तथापि, यह मंत्रालय उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अंदर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण गरीबों के लिए प्रति वर्ष 14-15 लाख मकानों के निर्माण/उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। "भारत निर्माण कार्यक्रम" के अंतर्गत अगले चार वर्षों के दौरान 60 लाख मकान बनाने का विचार है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए/उपलब्ध कराए गए मकानों की वर्गवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

(संख्या इकाई में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03				2003-04				2004-05			
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य	कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	51127	19433	56277	126837	43100	19190	43005	105295	50915	230425	54699	126039

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	3423	0	3423	0	6602	44	6646	0	4162	0	4162
3.	असम	14004	25334	26249	65587	17977	28536	32239	78752	29695	48997	50803	129495
4.	बिहार	100521	5301	66702	172524	103714	5309	74769	183792	141564	7342	103120	252026
5.	छत्तीसगढ़	3152	8047	5056	16255	3341	9374	5587	18302	3404	10254	6476	20134
6.	गोवा	8	0	261	269	10	1	222	233	15	16	397	428
7.	गुजरात	7395	12456	7202	27053	7825	12982	10382	31189	7340	14305	12006	33654
8.	हरियाणा	6273	0	3567	9840	5840	0	3335	9175	5725	0	3120	8845
9.	हिमाचल प्रदेश	1644	181	1588	3413	1829	116	1896	3841	2240	308	2201	4749
10.	जम्मू व कश्मीर	0	0	5749	5749	0	0	8412	8412	0	0	7252	7252
11.	झारखंड	10594	19436	10452	40482	13608	28059	18623	60290	17398	28192	20491	66081
12.	कर्नाटक	18824	6166	17462	42452	21639	7554	20640	49833	22880	7339	20488	50707
13.	केरल	16210	1492	14405	32107	20508	2431	16886	39825	22071	2002	15758	39831
14.	मध्य प्रदेश	20883	21024	21784	63691	20660	23351	21757	65768	23594	27052	24719	75365
15.	महाराष्ट्र	30427	23079	32464	85970	34555	29793	38787	103135	37504	27620	40325	105449
16.	मणिपुर	65	2101	405	2571	95	1367	204	1666	122	5250	448	5820
17.	मेघालय	123	3100	82	3305	252	6015	198	6465	93	4533	39	4665
18.	मिजोरम	0	1305	0	1305	0	2202	0	2202	0	2052	0	2052
19.	नागालैंड	0	6698	0	6698	0	5966	0	5966	0	5099	0	5099
20.	उड़ीसा	191759	65612	187298	444669	60495	32747	60963	154205	33643	23917	32331	89891
21.	पंजाब	4976	0	675	5651	5093	0	957	6050	3806	0	654	4460
22.	राजस्थान	17181	6764	13647	37592	16837	10213	14838	41888	13374	6951	10745	31070
23.	सिक्किम	128	410	611	1149	120	859	1062	2041	221	604	759	1584
24.	तमिलनाडु	49291	1487	12210	62988	33304	2109	21656	57069	35306	1425	21956	58687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	त्रिपुरा	2234	4492	3595	10321	3395	7080	4528	15003	2386	5359	4387	12132
26.	उत्तर प्रदेश	110896	10	66284	177190	117404	96	73450	190950	120411	>60	78128	199096
27.	उत्तरांचल	5734	666	5399	11799	10743	1586	9337	21666	116887	2304	12385	26376
28.	पश्चिम बंगाल	44948	9084	32677	86709	47025	11074	35502	90601	74027	20652	55836	150515
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0	402	130	532	0	402	269	671	0	217	120	337
30.	दादर व नागर हवेली	0	54	0	54	0	14	0	14	0	108	0	108
31.	दमन व दीव	0	26	22	48	0	2	5	7	0	8	1	9
32.	लक्षद्वीप	0	5	0	5	0	14	0	14	0	16	0	16
33.	पांडिचेरी	235	0	168	403	104	0	160	264	53	0	35	88
	कुल	708632	247588	592421	1548641	589473	255044	516713	1361230	659474	277072	579676	1516222

कूड़े-कचरे से बिजली बनाना

481. **श्री देविदास पिंगले :** क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से बिजली की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कूड़ा-कचरा आधारित बिजली संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने शहरी अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर एक त्वरित कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें पात्रता और अन्य निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन कूड़े-कचरे से ऊर्जा प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर आधारित परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल है। यह कार्यक्रम सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए है।

भविष्य निधि

482. **श्री पी. मोहन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान सामान्य भविष्य निधि (जी.पी. एफ.) में कुल कितनी धनराशि संचित की गई है;

(ख) क्या जी.पी.एफ. की धनराशि को किसी सरकारी और निजी प्रतिभूतियों/बांडों में निवेश किया गया है;

(ग) इसमें से कितनी प्रतिशत धनराशि का निवेश किया गया है;

(घ) क्या इस निवेश से कोई लाभ प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वर्ष 2004-05 के दौरान सामान्य भविष्य निधि में से निधियों का निवल संचयन 3206.77 करोड़ रुपए (अ-लेखापरीक्षित) रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त उत्तर (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

वस्त्र निर्यात

483. श्री भर्तृहरि महताब :
श्री जुएल ओराम :
श्री दुष्यंत सिंह :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय वस्त्र निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए निर्यात का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वस्त्र उद्योग के निर्मित माल के निर्यात में वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन देशों के क्या नाम हैं जिनको किए जाने वाले वस्त्र निर्यात में कमी आई है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा वस्त्र निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (घ) जी, हां। वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता के अनुसार भारत का वस्त्र मदों का निर्यात अप्रैल-अगस्त, 2005 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 24385.41 करोड़ रुपए से बढ़कर 25655.61 करोड़ रुपए हो गया है जो 5.2% की वृद्धि दर्शाता है पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रेणीवार वस्त्र निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) डीजीसीआई एंड एस, के अनुसार अप्रैल-जुलाई, 2005 के दौरान जिन दस देशों को भारत के वस्त्र निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि में कमी आई है वे हैं:- संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, सऊदी अरब, टर्की, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, इस्राइल और ताइवान।

(च) वस्त्र निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैः—

(1) स्वचालित मार्ग के तहत वर्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(2) सरकार ने सिलेसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(4) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) शुरू किया है। बेहतर कृषि परिपाटियों, उत्तर बीजों, बाजार आधारभूत संरचना में सुधार और जिनिंग एवं प्रैसिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(5) उद्योग को वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए उन्हें विश्व स्तर की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दो मौजूदा योजनाओं अर्थात वस्त्र कोंद्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) और अपैरल पार्क निर्यात योजना (एपीइएस) को मिलाकर "एकीकृत वस्त्र पार्क" नाम की एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अधीन भारत सरकार की सहायता अनुदान अथवा इक्विटी परियोजना लागत के 40% तक सीमित होगी जो अधिकतम 40 करोड़ तक होगी।

(6) विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानको के अपैरल एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के उद्देश्य से "अपैरल पार्क निर्यात योजना" (एपीईएस) शुरू की गई है।

(7) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई थी। टीसीआईडीएस के

तहत भारत की 270.80 करोड़ रु. की अनुमानित सहायता से 18 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।

(8) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया हैं मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का विकल्प दिया गया है।

(9) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(10) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20.4.05 से मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के अधीन 10% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सहायता योजना शुरू की है।

(11) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान (निफ्ट) की सात शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(12) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं उतेयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

वस्त्र निर्यात एक झलक (अनंतिम)

श्रेणीवार	अप्रैल-मार्च 2002-03	अप्रैल-मार्च 2003-04	% परिवर्तन	अप्रैल-मार्च 2004-05 (अ)	% परिवर्तन	अप्रैल-अगस्त, '04	अप्रैल-अगस्त, '05	% परिवर्तन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सिले-सिलाए परिधान	25815.4	26589.1	3.0%	24719.1	-7.0%	10506.86	11834.96	12.6%
सहायक सामग्री सहित कपास के सिले-सिलाए परिधान	21510.0	22009.11		20521.11		8770.0	9697.2	
मानव-निर्मित फाइबर के सिले-सिलाए परिधान	3520.3	3529.92		3140.49		1329.3	1583.1	
अन्य वस्त्र सामग्री के सिले-सिलाए परिधान	785.1	1050.10		1057.50		406.8	554.7	
सूती वस्त्र	16267.8	16542.2	1.7%	14753.8	-10.8%	6181.84	6200.81	0.3%
अपशिष्ट सहित कच्चा सूत	50.3	942.4		364.5		211.4	475.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूती यार्न, फैब्रिक एवं मेड अप्स	16217.5	15599.9		14389.3		5970.5	5725.5	
मानव-निर्मित वस्त्र	6860.0	8368.8	-22.0%	8738.1	4.4%	3636.06	3041.48	-16.4%
मानव-निर्मित स्टेपल फाइबर	220.6	276.1		384.9		79.0	113.6	
मानव-निर्मित यार्न, फ्रैब्रिक एंव मेड अप्स	6639.4	8092.8		8353.1		3557.1	2927.9	
ऊन एवं ऊनी वस्त्र	1303.5	1553.1	19.1%	1856.0	19.5%	712.54	749.92	5.2%
ऊन के सिले-सिलाए परिधान	1057.1	1285.3		1557.4		602.7	606.6	
ऊनी यार्न, फ्रैब्रिक एंव मेड अप्स	246.4	267.8		298.5		109.8	143.3	
रेशम	2184.1	2505.3	14.7%	2625.1	4.8%	1016.03	1103.84	8.6%
रेशम के सिले-सिलाए परिधान	664.0	760.0		800.9		311.9	385.2	
प्राकृति रेशन यार्न, फ्रैब्रिक एवं मेड-अप्स	1504.4	1740.0		1823.1		703.4	715.5	
रेशम अपशिष्ट	15.8	5.3		1.1		0.7	3.1	
कुल वस्त्र	52430.8	55558.6	6.0%	52692.0	-5.2%	22053.32	22931.01	4.0%
हस्तशिल्प	6378.1	4987.4	-21.8%	4222.7	-15.3%	1675.01	1973.31	17.8%
हस्तशिल्प (हस्त निर्मित कालीनों सहित)	3800.6	2296.1		1543.3		742.1	780.8	
कालीन (रेशम सहित) हस्त निर्मित	1940.8	2571.0		2556.9		902.2	1164.4	.
कालीन (रेशम सहित) मिल निर्मित	540.6	0.0		0.0				
रेशम कालीन	96.1	120.2		122.6		30.7	28.2	
कायर एवं कयर विनिर्माण	355.0	357.4	0.7%	456.4	27.7%	182.23	211.40	16.0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कायर एवं कयर विनिर्माण	355.0	357.4		456.4		182.2	211.4	
पटसन	907.8	1114.0	22.7%	1213.5	8.9%	474.85	539.88	13.7%
पटसन का फ्लोर कवरिंग	122.4	164.3		217.2		82.0	102.6	
अन्य पटसन विनिर्माण	222.0	306.3		241.0		107.0	113.2	
पटसन यार्न	214.0	233.3		333.2		111.2	107.9	
पटसन हैसियन	349.3	410.1		422.1		174.6	216.3	
कुल वस्त्र निर्यात	60071.7	62017.3	3.2%	58584.5	-5.5%	24385.41	25655.61	5.2%

स्रोत: भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी (पी सी एंड सी), डीजीसीआईएस, कोलकाता

(अ) - अनंतिम

केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना

484. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से तिरूवनन्तपुरम में केरल उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान में स्थिति क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) और (ख) किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने के संबंध में राज्य सरकार उसे संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जाता है। तथापि, इस संबंध में ऐसा कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

टेक्सटाइल पार्क्स

485. श्री सुग्रीव सिंह :
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में समेकित टेक्सटाइल पार्क्स स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नई शुरू की गई योजना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में ऐसे पार्क्स स्थापित करने हेतु स्थानों का चयन करने के लिए क्या मानदंड हैं; और

(च) इन पार्कों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) वस्त्र उद्योग को अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना

सुविधाएं प्रदान करने के लिए, सरकार ने "निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना (एपीई) और वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टी सी आई डी एस)" को मिलाकर "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस आई टी पी) शुरू की है। यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित है और वस्त्र एककों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी और सामाजिक मानकों को पूरा करने में यह आसान बनाएगी।

(ख) एस आई टी पी के तहत अब तक कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पी एम सी) के रूप में अवसंरचना लीजिंग एवं वित्तीय सेवाएं (आई एल एवं एफ एस) के साथ करार के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पी एम सी निम्नलिखित कार्य करेगा:—

(i) क्षेत्र की मांग और संभावना के वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर एकीकृत वस्त्र पार्क की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करना।

(ii) स्थानीय उद्योग की भागीदारी से प्रत्येक परियोजना स्तर पर विशिष्ट उद्देश्य वाहन (एस पी वी) का निर्माण आसान करना।

(iii) अवसंरचना के लिए मानकों का निर्धारण करने सहित परियोजना प्लान तैयार करना।

(iv) परियोजनाओं का ढांचा तैयार करना तथा उनका मूल्यांकन करना और परियोजना अनुमोदन समिति (पी ए सी) के विचारार्थ उसे प्रस्तुत करना।

(v) परियोजना के बोली दस्तावेजों को तैयार करने, निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव सुविधाओं के लिए एजेंसियों के चयन में एस पी वी की सहायता करना।

(vi) वित्तीय समाप्ति प्राप्त करने में एस पी वी की सहायता करना।

(vii) राज्य सरकारों के साथ राज्य से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए संपर्क करना।

(viii) पी ए सी द्वारा यथा निर्धारित परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना।

(ङ) ऐसे पार्कों की स्थापना के लिए स्थानों के चयन के मानदंडों में अन्य बातों के साथ-साथ संभावित निवेश, रोजगार सृजन और परियोजनाओं की व्यवहार्यता शामिल हैं।

(च) अनुदान अथवा इक्विटी के रूप में इस योजना के तहत भारत सरकार की सहायता परियोजना लागत के 40% अर्थात अधिकतम 40 करोड़ रु. की सीमा तक सीमित है। तथापि, भारत सरकार/राज्य सरकार/राज्य औद्योगिक विकास निगम की संयुक्त इक्विटी धारिता, यदि कोई हो, 49% से अधिक नहीं होगी।

[हिन्दी]

मुद्रा स्फीति की दर

486. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री महबूब ज़ाहेदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को वर्ष 2005-2006 में मुद्रा स्फीति की दर के 5 से 5.5 प्रतिशत रहने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऊपर उल्लिखित मुद्रा स्फीति की दर पर अपनी चिंता जताई है;

(ग) यदि हां, तो क्या मुद्रा स्फीति की दर नीचे लाने के लिए सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) 25 अक्तूबर, 2005 को घोषित वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक नीति विवरण की मध्यावधिक समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक ने संकेत दिया है कि "अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि के पूरे प्रभावों को अब तक मंद रखा गया है और मुद्रास्फीति से होने वाले दबावों को नियंत्रित रखा गया है। घरेलू मुद्रास्फीति के परिदृश्य में कच्चे तेल के मूल्य अत्यन्त निर्णायक कारक बन रहे हैं। वर्ष के शेष भाग में मुद्रास्फीति की स्थितियों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे

तेल के मूल्यों में हो रही वृद्धि की अनिश्चितताओं को देखते हुए और घरेलू मुद्रास्फीति में संभावित दबावों को नियंत्रित रखने के लिए निरन्तर सावधानी बरतनी होगी"। भारतीय रिजर्व बैंक ने पुन: निर्दिष्ट किया है कि "तथापि, भारत में मुख्यत: तेल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण को देखते हुए बगैर किसी उपर्युक्त नीति के प्रत्युत्तर में पूर्वानुमानित मुद्रास्फीति को 5.0 से 5.5 प्रतिशत के स्तर पर रोके रखना कठिन हो सकता है।

(ग) से (ङ) सरकार के पास मुद्रास्फीति की दर के लिए अलग से कोई लक्ष्य नहीं है। सरकार की मुद्रास्फीति रोधी नीतियों में कठोर राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन बनाए रखना, आवश्यक वस्तुओं के उत्पाद तथा आयात शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना ताकि गरीब वर्ग पर अनावश्यक बोझ न पड़े, उदार टैरिफ दरों और व्यापार नीतियों के माध्यम से संवेदनशील वस्तुओं का प्रभावशाली मांग-आपूर्ति प्रबंधन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना शामिल हैं।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्ड

487. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत सुधारों के कारण असम, गुजरात, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल सहित 11 राज्यों में वाणिज्यिक विद्युत घाटे कम हुए है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों ने यह कार्य विद्युत दरों में बढ़ोतरी किये बिना ही कर लिया है;

(ग) क्या दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा केरल जैसे राज्यों के राजस्व घाटों में सर्वाधिक कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इन राज्यों का राज्य-वार राजस्व घाटा कितना कम हुआ है; और

(ङ) इन राज्यों में विद्युत की स्थिति में सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) विद्युत यूटिलिटियों की बदली वाणिज्यिक हानियों की प्रवृति में 2001-02 के पश्चात रुकावट आयी है। राज्य विद्युत बोर्डों में वाणिज्यक हानियां (सब्सिडी के बिना) 1992-93 के दौरान 4560 करोड़ रुपये से 2000-01 के दौरान 25,259 करोड़ रुपये तक बढ़ गयी थीं। विद्युत वित्त निगम द्वारा संकलित किए गए आंकड़ों के अनुसार यूटिलिटियों की हानियां 2001-02 में 27,068 करोड़ रुपये से 2003-04 में 20,623 करोड़ रुपये तक कम हो गई हैं।

(ख) आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान टैरिफ में वृद्धि नहीं की है।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्यों में वाणिज्यिक हानियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

गोआ, मेघालय, उड़ीसा और पाण्डीचेरी राज्यों ने वर्ष 2003-04 में लाभ अर्जित किया है। छत्तीसगढ़ राज्य ने 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान लाभ अर्जित किए हैं। यह देखा जा सकता है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल आदि राज्य अपनी वाणिज्यिक हानियों को कम करने में सफल हुए हैं।

(ङ) देश में विद्युत स्थिति में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए गए हैं—

(i) 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 41,110 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा गया है जिसमें हाइड्रो, थर्मल और न्यूक्लीयर के घटक क्रमश: 14,393 मेगावाट, 25417 मेगावाट और 1300 मेगावाट सहित केन्द्रीय क्षेत्र में 22,832 मेगावाट, राज्य क्षेत्र में 11,157 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 7,121 मेगावाट शामिल है।

(ii) थर्मल विद्युत स्टेशनों के उत्पादन में वृद्धि और संयंत्र भार घटक (पी एल एफ) में वृद्धि।

(iii) नई प्रारम्भ यूनिटों का शीघ्र स्थायीकरण।

(iv) तीव्र गति से जल क्षमता का दोहन।

(v) विद्युत वित्त निगम द्वारा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी सहित पुराने और अदक्ष उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार।

(vi) कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से अतिरिक्त विद्युत की टैपिंग।

(vii) अन्त: क्षेत्रीय पारेषण सम्पर्कों के सुदृढ़ीकरण द्वारा

अन्तरराज्यीय और अन्त:क्षेत्रीय विद्युत की वृद्धि ताकि अंत में राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण हो सके।

(viii) उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण/वृद्धि।

विवरण

विद्युत यूटिलिटियों के वाणिज्यिक लाभ/हानि के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य विद्युत बोर्ड	2001-02	2002-03	2003-04	क्षति में कमी (—)/वृद्धि	
					2101-02 से 2002-03 तक	2102-03 से 2003-04 तक
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	-2948	-1209	-1400	-1739	191
2.	असम	-696	-776	-655	80	-121
3.	अरुणाचल प्रदेश	-93	-117	-82	24	-35
4.	बिहार	-896	-1095	-980	199	-115
5.	छतीसगढ़	-204	-792	-587	*	*
6.	दिल्ली	-NA	-733	-1774	—	1041
7.	गोवा	-7	-130	-153	*	*
8.	गुजरात	-3102	-2250	-3020	-852	770
9.	हरियाणा	-947	-804	-769	-143	35
10.	हिमाचल प्रदेश	-107	-53	-46	-54	-7
11.	झारखंड	-255	-397	-522	142	125
12.	जम्मू व कश्मीर	35	-1242	-1229	1277	-13
13.	कर्नाटक	-1844	-1568	-1235	-277	-332
14.	केरल	-1254	-935	-915	-319	-20
15.	मध्य प्रदेश	-1347	-822	-1230	-525	408
16.	महाराष्ट्र	-540	-255	-549	-285	294

1	2	3	4	5	6	7
17.	मणिपुर	-129	-128	-125	-1	-3
18.	मेघालय	-38	-19	64	-19	*
19.	मिजोरम	-30	-34	-49	4	15
20.	नागालैंड	-52	-55	-42	3	-13
21.	उड़ीसा	-252	-928	215	676	*
22.	पंजाब	-1868	-1386	-663	-482	-723
23.	पांडिचेरी	-44	34	38	*	*
24.	राजस्थान	-1324	-1738	-1777	414	39
25.	सिक्किम	-10	-30	-15	20	-15
26.	तमिलनाडु	-5175	-2100	-1416	-3075	-684
27.	त्रिपुरा	-100	-94	-5	-6	-89
28.	उत्तर प्रदेश	-2518	-2374	-2848	-144	474
28.	उत्तरांचल	-27	32	-35	*	67
30.	पश्चिम बंगाल	-1705	-914	-296	-791	-618
	कुल	-27068	-21064	-20623		

संसाधन: "विद्युत वित्त निगम द्वारा 2001-02 से 2003-04 के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों की निष्पादन संबंधी रिपोर्ट"

* अर्जित लाभ।

[हिन्दी]

इंदिरा आवास निर्माण कार्यों में नियमों का उल्लंघन

488. श्री हरिसिंह चावड़ा :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि इंदिरा आवास निर्माण कार्यों के लिए बने नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है।

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामले सामने आये हैं;

(घ) क्या निर्माण कार्यों में घपले में शामिल किसी व्यक्ति के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) 1999-2000 (55वां दौरा) में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराए गए नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार यह अनुमान है कि अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल संख्या 260.2 मिलियन है इसमें से 193.2 मिलियन लोग ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 67.0 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं।

(ख) से (च) योजना संतोषजनक ढंग से काम कर रही है किन्तु जब कभी इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में नियम/विनियमन के उल्लंघन के संबंध में शिकायतें मंत्रालय के ध्यान में लायी जाती हैं तो उस मामले पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए उसे संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के साथ तत्काल उठाया जाता है। आईएवाई के कार्यान्वयन में नियमों/विनियमनों के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतों तथा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में नियमों/विनियमनों के उल्लंघन संबंधी प्राप्त शिकायतें

आंध्र प्रदेश

शिकायत

(i) श्रीमती रेणुका चौधरी, संसद सदस्य (लोकसभा) खम्माम जिला, आंध्र प्रदेश से लाभार्थियों के चयन में अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि लाभार्थियों के चयन में ग्राम सभा से विरले ही सलाह ली जाती है और जिला कलक्टर पक्षपात ढंग से आवासों के आबंटन में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है।

की गई कार्रवाई

इस मामले को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के साथ उठाया गया था तथा उन्होंने बताया कि दिशा-निर्देशों के अनुसार खम्माम जिले में आईएवाई आवास आदिम जनजातीय समूहों अर्थात् कोंडारेड्डीस्, कोयार एस.टी. लम्बादस जैसे अतिनिर्धन परिवारों तथा आग/बाढ़ पीड़ितों, विधवाओं, जो परिवार की मुखिया हैं, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं।

बिहार

शिकायत

(i) श्री शरद यादव, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के पूर्व केन्द्रीय मंत्री से बिहार के मधेपुरा जिले में आईएवाई के कार्यान्वयन में निधियों के दुरुपयोग के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

मामले की जांच करने के लिए राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ता (एनएलएम) नियुक्त किया गया था। एनएलएम द्वारा दी गई रिपोर्ट उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दी गई थी। तदनुसार, श्री शरद यादव, पूर्व केन्द्रीय मंत्री को इससे अवगत करा दिया गया था।

शिकायत

(ii) श्री नवल किशोर राय संसद सदस्य (लोकसभा) से बिहार के सीतामढ़ी जिले में आईएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

मामले की जांच करने के लिए राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ता (एनएलएम) नियुक्त किया गया था। एनएलएम द्वारा दी गई रिपोर्ट उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दी गई थी। तदनुसार, श्री राय, संसद सदस्य को यह बता दिया था कि राज्य सरकार ने पहले ही दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है।

शिकायत

(iii) 2005 में सारन जिले में आईएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में श्री जय नारायण प्रसाद मिश्रा

द्वारा प्रेषित श्री तारकेश्वर सिंह, विधायक (बिहार) की शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगने के लिए राज्य सरकार को शिकायत भेज दी गई है। राज्य सरकार की एटीआर के अनुसार 10 दोषी अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है।

शिकायत

(iv) श्री ईश्वर सहाय राम, कार्यपालक अभियन्ता, अररिया (बिहार) से 2005 में उक्त जिले में आईएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय पुलिस स्टेशन में दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई है।

उत्तर प्रदेश

शिकायत

(i) श्री सूर्य प्रताप साही, पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार से पत्थरदेवा ब्लॉक, देवरिया जिला, उत्तर प्रदेश में आईएवाई के अंतर्गत कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

मामले की जांच करने के लिए राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ता नियुक्त किया गया था।

शिकायत

(ii) जोला दिनडोली, ब्लॉक नागल, तहसील देवबंद, जिला-सहारनपुर (उ.प्र.) के गांव वालों से आईएवाई के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन में अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। यह आरोप लगा था कि आईएवाई के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन के लिए ग्राम सभा की बैठकें नहीं हुई थी तथा ग्राम प्रधान और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने मकानों के निर्माण के लिए अपात्र लोगों को धनराशि दी थी।

की गई कार्रवाई

उचित आवश्यक कार्रवाई के लिए शिकायत राज्य सरकार को भेज दी गई थी। राज्य सरकार ने बताया कि लाभार्थियों के चयन में संबंधित ग्राम पंचायत ने वरीयता के मानदंड को बरकरार नहीं रखा तथा अपात्र गांव वालों का चयन किया है अपात्र लोगों को दी गई निधियां वसूलने के लिए आवश्यक निदेश दे दिए गए हैं तथा दोषी ग्राम पंचायत प्रधान तथा ग्राम पंचायत के संबंधित अधिकारियों के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

उड़ीसा

शिकायत

(i) श्री प्रभात सामंतराय, पूर्व संसद सदस्य से केन्द्रपाड़ा जिले (उड़ीसा) में आईएवाई के कार्यान्वयन में निधियों के दुर्विनियोजन के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

मामले की जांच करने के लिए राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ता नियुक्त किये गये थे। एनएलएम द्वारा दी गई रिपोर्ट आवश्यक कार्रवाई/टिप्पणियों के लिए राज्य सरकार को भेज दी गई है।

शिकायत

(ii) 2005 में उड़ीसा में बोलंगीर जिले में गांव करवामंडा के श्री गौरी पांडी से बोलंगीर जिले में आईएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी।

की गई कार्रवाई

एनएलएम ने शिकायत की जांच की थी तथा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के आरोपों को सही पाया गया था। उड़ीसा राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई/टिप्पणियों के लिए रिपोर्ट की एक प्रति भेज दी गई है।

उत्तरांचल

शिकायत

(i) चम्पावत जिले में आईएवाई के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में अध्यक्ष (बीजेपी), बाराकोटा, जिला चम्पावत, उत्तरांचल की शिकायत को श्री बच्ची सिंह रावत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा था।

की गई कार्रवाई

इस मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारी ने शिकायत की जांच की थी तथा क्षेत्र अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कोई मुख्य अनियमितताएं नहीं पाई गई थी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की भूमि की बिक्री

489. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री मोहन सिंह :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वस्त्र निगम के अधीन आने वाली तथा उन कतिपय वस्त्र मिलों को जो बंद पड़ी हुई हैं तथा जो महानगरों में हैं की कुछ परिसंपत्तियां तथा भूमि बेचकर उनको पुनः चलाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों की बिक्री से कितनी पूंजी प्राप्त होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुंबई उच्च न्यायालय में मुंबई की सरकारी क्षेत्र की तथा निजी क्षेत्र की कुछ मिलों की बिक्री के ठेके को निरस्त कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अस्वीकृत हो जाने से कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है तथा इससे भविष्य की योजना किस प्रकार बाधित हुई है;

(ङ) क्या सरकार मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में इन बंद मिलों की भूमि तथा परिसंपत्तियों को बेचकर कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, हां। औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने कंपनियों के पुनर्वासन के लिए निधियां सृजित करने के लिए बेशी भूमि की बिक्री वाली एन टी सी कंपनियों की पुनर्वासन योजनाएं अनुमोदित कर दी हैं।

(ख) पुनर्वासन योजनाओं की कुल लागत 3937 करोड़ रु. है और पूरी राशि बंद मिलों की परिसंपत्तियों तथा अर्थक्षम पायी गई मिलों की बेशी परिसंपत्तियों की बिक्री से सृजित किए जाने के लिए प्रस्तावित है।

(ग) से (च) जी, हां। माननीय उच्च न्यायाल, मुंबई ने महाराष्ट्र सरकार, एन टी सी एवं अन्य के विरुद्ध मुंबई पर्यावरण कार्रवाई समूह (बी ई ए जी) द्वारा दायर एक जनहित याचिका में माना है कि एन टी सी द्वारा की गई पांच मिलों की भूमि की बिक्री बी आई एफ आर योजना और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 27.9.2002 और 11.5.2005 के विरुद्ध हैं एन टी सी ने इस आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है और उसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया है। यह मामला अब न्यायाधीन है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

490. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उपलब्धता के संबंध में गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में उन गांवों की संख्या कितनी है जहां विद्युतीकरण केवल अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ही संभव है क्योंकि वहां ग्रिड के माध्यम से आपूर्ति संभव नहीं है;

(घ) क्या जम्मू-कश्मीर से कश्मीर के दूर-दराज एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युतीकरण करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस बारे में क्या क्या कार्रवाई की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) स्थानीय रूप से उपलब्ध अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से दूरस्थ अविद्युतीकृत जनगणना गांवों के विद्युतीकरण के लिए मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे दूरसी गांवों को शामिल किया जाएगा जिन्हें अव्यवहार्यता अथवा लागत किफायती न होने के कारण ग्रिड विस्तार से विद्युतकृत नहीं किया जा सकता। विद्युतीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में बायोमास, सौर ऊर्जा, लघु पनबिजली आदि शामिल हैं। मंत्रालय इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु इन प्रौद्योगिकियों की संस्थापना के लिए बैंचमार्क लागत का 90% तक उपलब्ध कराता है।

(ग) ऐसे दूरस्थ गांवों की संख्या के प्रारंभिक अनुमान, जहां ग्रिड कनेक्टिविटी के माध्यम से विद्युतीकरण व्यवहार्य नहीं हो सकता, राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट के आधार पर बनाए गए थे। इनसे पता चला कि ऐसे लगभग 25000 गांव हो सकते हैं। तथापि, वर्ष 2005-06 के दौरान, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के साथ दोहराव को रोकने की दृष्टि से ऐसे गांवों की पहचान करने का एकल प्वाइंट उत्तरदायित्व ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को सौंपा गया है।

(घ) से (च) जम्मू एवं कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी से 140 दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन्हें मंत्रालय द्वारा मंजूर किया गया और 90 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है। शेष 50 गांवों में विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त, 18000 घरेलू रोशनी प्रणालियां उपलब्ध कराने के लिए लद्दाख अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी से और विद्युतीकरण हेतु अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, कारगिल से भी प्रारंभिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वर्ष 2005-06 के लिए कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार करें।

[हिन्दी]

विनिवेश नीति

491. श्री के.एम. आरून रशीद :
श्री महबूब ज़ाहेदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सरकारी कंपनियों के विनिवेश के संबंध में कोई ठोस नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इच्छा घाटे में चल रही कंपनियों से पूर्व लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों तथा नवरत्न कंपनियों का विनिवेश करने की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सरकार द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में सरकार की नीति की रूप-रेखा दी गई है जिससे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकार की इक्विटी का विनिवेश शामिल है। इस संबंध में राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

(i) सरकार एक सुदृढ़ और प्रभावशाली सार्वजनिक क्षेत्र के लिए वचनबद्ध है जिसके सामाजिक उद्देश्यों को उसके वाणिज्यिक क्रियाकलापों द्वारा पूरा किया जाता है लेकिन इसके लिए चयनात्मकता और एक अनुकूल फोकस की आवश्यकता होती है। सरकार प्रतिस्पर्द्धात्मिक वातावरण में कार्य करने वाली सफल, लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों के लिए पूर्ण प्रबंधकीय और वाणिज्यिक स्वायत्तता सौंपने के लिए वचनबद्ध है। सामान्यतः लाभ कमाने वाली कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

(ii) समस्त निजीकरण संबंधी विचार-विमर्श मामला-दर-मामला आधार पर पारदर्शी और परामर्शी तरीके से किया जाएगा। 'नवरत्न' कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र में बनी रहेंगी जबकि ये कंपनियां संसाधन पूंजी बाजार से जुटाएंगी। जहां सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण कंपनियों के आधुनिकीकरण और पुनर्संरचना तथा रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने का हरसंभव प्रयास किया जाएगा, वहीं लगातार घाटे में चल रही कंपनियों के सभी कामगारों को उनकी न्यायसंगगत बकाया राशियां और मुआवजे मिल जाने के बाद या तो इन्हें बेच दिया जाएगा अथवा बंद कर दिया जाएगा। सरकार, उन कंपनियों के बहुमुखी विकास के लिए निजी उद्योग को शामिल करेगी, जिनके पुनरुद्धार की संभावना हो।

सरकार का यह मत है कि निजीकरण से प्रतिस्पर्द्धा बढ़नी चाहिए, न कि घटनी चाहिए। यह किसी भी एकाधिकार के प्रादुर्भाव का समर्थन नहीं करेगी जिससे प्रतियोगिता सीमित होती है। इसका यह भी मत है कि निजीकरण और सामाजिक आवश्यकताओं के बीच सीधा संबंध होना चाहिए - उदाहरण के लिए निर्दिष्ट सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए निजीकरण से जुटाए गए राजस्व का उपयोग करना। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को संसाधनों को जुटाने और खुदरा निवेशकों को निवेश के नए अवसर प्रदान करने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा विनिवेश संबंधी निर्णय ऊपर उल्लिखित नीति के अनुसरण में मामला-दर-मामला आधार पर लिए जाते हैं। जहां लगातार घाटे में चल रही कंपनियों को या तो बेच दिया जाएगा अथवा बंद कर दिया जाएगा, वहीं राष्ट्रीय निवेश कोष के लिए संसाधन जुटाने के लिए लाभ अर्जित करने वाली गैर-नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में इक्विटी के छोटे भाग को विनिवेशित किए जाने का प्रस्ताव है।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का क्रियान्वयन

492. श्री हेमलाल मुर्मू :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज की तिथि तक सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई.) देश के सभी राज्यों में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत शामिल जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा खर्च की गयी;

(घ) उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कुल कितने लाभार्थी तथा श्रम दिवस सृजित किए जाने का लक्ष्य है तथा वास्तविक लाभार्थी कितने हैं तथा कितने श्रम दिवस सृजित किए गये हैं;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान अब तक पूरे किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी हां। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) चंडीगढ़ और हरियाणा दिल्ली को छोड़कर देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है।

(ख) चंडीगढ़ और दिल्ली के जिलों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिले एसजीआरवाई के अंतर्गत कवर कर लिए गए हैं।

(ग) ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) एसजीआरवाई के अंतर्गत, केन्द्र स्तर पर लाभार्थियों/कार्यों के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। चूंकि एसजीआरवाई में स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है; इसलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। तथापि उक्त अवधि के दौरान, राज्य-वार सृजित श्रमदिवसों और पूरे हो चुके कार्यों की संख्या विवरण-II में है।

(च) कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी के लिए राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि राज्य, सब-डिवीजन और ब्लॉक स्तरों के अधिकारी दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यस्थलों के दौरों के माध्यम से कार्यक्रम के सभी पहलुओं की सूक्ष्म निगरानी करते हैं। इसके अलावा एसजीआरवाई के अंतर्गत प्रत्येक कार्य के लिए गांववासियों की निगरानी अनिवार्य है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी राज्यों से प्राप्त लिखित रिपोर्टों और क्षेत्र दौरों के माध्यम से कार्यक्रम की निगरानी करता है। मंत्रालय ने कार्य की गुणवत्ता, निधियों का उचित उपयोग और क्षेत्र दौरों के जरिए वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि की देख-रेख करने के लिए क्षेत्र अधिकारी दौरा नामक योजना शुरू की है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय ने निचले स्तर पर कार्यक्रम की नीति, कार्यान्वयन माहौल की निगरानी करने के लिए राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्त्ताओं का एक पैनल बनाया है।

विवरण-I

वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान एसजीआरवाई के अंतर्गत निधियों के आवंटन, रिलीज तथा उपयोग को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03			2003-04			2004-05			2005-06		
		आवंटन	रिलीज	उपयोग	आवंटन	रिलीज	उपयोग	आवंटन	रिलीज	उपयोग	आवंटन	रिलीज	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	18977.31	24380.17	28944.18	22014.18	23995.5	33965.38	23487.18	24049.88	22317.62	28139.33	16883.63	13507.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	986.98	824.26	1427.27	1142.85	1560.75	1257.74	1246.98	1368.64	685.09	1524.09	914.46	180.75
3.	असम	25626.43	22496.96	27332.23	29673.53	29681.01	41422.14	32368	32124.06	39533.75	39560.89	23736.54	17611.54
4.	बिहार	36327.51	26727.42	44312.74	42137.71	34203.1	48593.41	46512.14	49196.29	63479.623	55724.83	33434.91	16619.79
5.	छत्तीसगढ़	9286.06	12013.04	15827.2	10769.37	12023.34	16805.85	131.08.64	12931.67	17757.39	15705.09	9423.11	6712.43
6.	गोआ	158.36	75.04	70.57	183.93	110.36	78.92	336.74	292.55	282.73	403.44	242.07	7.04
7.	गुजरात	7728.31	6942.87	9069.84	8966.17	9654.67	13596.1	10283.3	9941.23	14856.35	12320.13	7757.1	5840.5
8.	हरियाणा	4290.25	5610.37	9206.71	4976.97	5599.45	7442.93	5417.38	5567.67	6794.277	6490.41	3894.25	3010.871
9.	हिमाचल प्रदेश	1806.79	2046	1827.04	2098	2394.67	3256.44	2281.48	2259.63	3683.45	2733.38	1474.03	1559.45
10.	जम्मू व कश्मीर	2154.84	2051.61	3894.86	2499.61	10803.04	4195.3	2681.02	2715.61	4197.5	3212.07	1876.48	306.65
11.	झारखंड	24828.98	17584.68	32556.044	28803.56	26675.15	40280.58	31543.52	27394.54	39485.112	37791.4	24790.99	6096.253
12.	कर्नाटक	14098.08	17429.04	24293.34	16353.72	19428.39	24748.91	17539.74	18290.28	26682.'09	21013.87	12608.32	9370.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	केरल	6325.52	7665.17	7710.51	7337.56	8696.74	10065.14	7870.1	7866.56	13565.39	9428.94	6516.11	46561.85
14.	मध्य प्रदेश	21841.08	26872.02	33324.5	25338.23	269705.26	38744.86	28308.64	28713.84	40023.35	33915.78	20349.49	17832.34
15.	महाराष्ट्र	28002.67	28960.58	38213.83	32483.24	31212.1	47411.11	34672.18	33657.28	49000.74	41539.76	25238.24	15430.76
16.	मणिपुर	1719.36	669.8	1257.14	1990.89	1331.4	1071.19	2172.42	2123.41	2387.2	2655.18	1593.1	363.69
17.	मेघालय	1926.22	1905.92	1833.13	2230.43	2055.44	2716.95	2433.74	2439.01	3199.36	2974.57	1148.08	928.29
18.	मिजोरम	445.73	573.88	869.41	516.13	757.86	801.684	563.18	574.44	557.19	688.33	413	136.12
19.	नागालैंड	1321.29	667.28	1111.86	1529.96	1168.08	1170.55	1669.4	1637.97	1433.7	2040.38	1224.23	
20.	उड़ीसा	21353.15	27406.55	32947.22	24769.56	24743.95	38608.74	26567.3	26939.86	36291.37	31829.53	20804.87	13852.31
21.	पंजाब	3461.06	3848.98	4157.25	4017.63	4620.08	6055.59	6025.6	5818.55	6215.06	7219.1	4331.48	2474.72
22.	राजस्थान	10710.59	14904.76	20514.24	12424.25	13860.68	22075.62	13318.66	14564.97	20437.32	15956.71	11377.16	10217.66
23.	सिक्किम	493.5	439.18	478.25	571.44	703.55	760	623.52	685.88	771.95	762.08	457.25	447.05
24.	तमिलनाडु	16564.43	21161.09	27467.54	19214.77	23318.54	33602.528	20538.1	22470.43	30960.67	24606.12	24366.15	16091.147
25.	त्रिपुरा	3104.49	3850.07	4211.478	3594.77	3991.89	5959.21	3922.76	4079.04	5891.076	4794.48	2876.69	1721.76
26.	उत्तरांचल	4258.87	4398.54	5031.26	4940.35	5355.75	7492.65	5242.62	5361.66	8502.94	6281.04	4116.95	3596.93
27.	उत्तर प्रदेश	63243.32	66092.08	91865.03	73362.27	65695.85	111863.13	78495.06	79279.95	106468.4	94042.72	56696.13	39909.32
28.	पश्चिम बंगाल	23729.76	20649.89	30040.03	27526.41	21453.96	31604.04	29524.26	26731.84	32836.27	35372.18	21223.3	14078.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	139.88	42.32	0	162.34	97.4	23.77	220.94	220.94	65.35	264.7	0	101.16
30.	दादर व नागर हवेली	109.27	61.4	0	126.77	41.13	0	145.46	87.28	0	174.27	0	
31.	दमन व दीव	30.27	0	0	35.17	0	0	70.5	0	0	84.46	0	0
32.	लक्षद्वीप	48.16	0	5.79	55.95	28.57	2.59	110.5	28.57	11.37	132.39	79.43	
33.	पांडिचेरी	154.5	112.61	200.97	179.28	136.13	101.69	223.94	205.09	34.06	268.3	0	69.29
	अखिल भारत	355253.02	368463.58	500001.46	412025	412103.79	595774.742	449525	449618.62	598407.748	539650	339847.55	222735.35

विवरण-II

वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान सृजित श्रमदिवसों और पूरे किए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06 (सितम्बर, 2005 तक)	
		सृजित श्रमदिवस (लाख में)	पूरे हो चुके कार्यों की सं.	सृजित श्रमदिवस (लाख में)	पूरे हो चुके कार्यों की सं.	सृजित श्रमदिवस (लाख में)	पूरे हो चुके कार्यों की सं.	सृजित श्रमदिवस (लाख में)	पूरे हो चुके कार्यों की सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	392.09	88119	445.55	89062	336.26	84171	180.95	36491
2.	अरुणाचल प्रदेश	16.62	2411	18.42	3426	8.53	1491	3.22	456
3.	असम	483.5	40517	637.2	84781	626.02	96475	318	35865
4.	बिहार	442.44	66876	489.85	70077	605.32	80623	162.26	31254
5.	छत्तीसगढ़	377.68	37215	308.55	50152	3248.85	56147	118.03	21748
6.	गोवा	0.68	27	0.49	18	3.57	45	0.05	18
7.	गुजरात	201.4	20884	323.19	50477	264.68	78404	71.27	24481
8.	हरियाणा	119.184	29933	68.87	40302	70.118	17004	29.48	5192
9.	हिमाचल प्रदेश	21.74	8761	39.06	17849	40.18	18954	13.9	7780
10.	जम्मू व कश्मीर	47.1	17419	47.89	20481	43.73	18060	1.85	1058
11.	झारखंड	283.85	39153	386.05	46017	303.88	47007	52.69	11785
12.	कर्नाटक	519.6	126445	566.07	112144	419.24	116254	161.54	37330
13.	केरल	70.95	12999	100.86	12257	118.91	15021	43.43	4242
14.	मध्य प्रदेश	531.52	161574	585.21	175147	581.39	169110	237.52	39759
15.	महाराष्ट्र	490.38	72068	630.96	87761	674.69	99929	195.82	30799
16.	मणिपुर	14.91	4278	14	3281	31.93	6923	4.374	397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	मेघालय	24.43	2952	34.37	5458	36.96	5545	12.4	1418
18.	मिजोरम	12.99	5277	15.38	6019	6.54	2644	0.22	716
19.	नागालैंड	16.39	474	398.99	0	36.71	2818	36.71	2818
20.	उड़ीसा	599.03	96868	618.57	114536	553.94	59808	236.27	14229
21.	पंजाब	25.93	17227	46	18076	33.39	26053	11.88	2822
22.	राजस्थान	377.84	57073	268.62	63643	219.48	49458	89.67	15254
23.	सिक्किम	6.28	778	8.21	850	5.34	1339	3.15	575
24.	तमिलनाडु	491.96	79225	512.06	153846	519.41	137100	295.66	30805
25.	त्रिपुरा	99.46	13921	126.96	25414	108.46	24849	67.06	8842
26.	उत्तरांचल	62.1	4654	91.44	26937	94.29	33881	46.73	10986
27.	उत्तर प्रदेश	1335.11	253913	1330.53	270985	1750.45	277648	502.48	81300
28.	पश्चिम बंगाल	414.39	154857	445.04	139387	377.56	112659	215.04	41483
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0.42	13	3.01	131	3.79	185
30.	दादर व नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	
31.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	
32.	लक्षद्वीप	0.1	0	0.01	0	0.13	4	0	
33.	पांडिचेरी	3.28	198	1.42	197	0.13	64	0.76	122
	अखिल भारत	7482.93	1416096	8560.24	1688593	8223.09	1639619	3116.2	500210

[अनुवाद]

कृषि जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान में सहयोग

493. **श्री बालासाहिब विखे पाटील :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा अमेरिका जून, 2004 में रोग रोधी फसल किस्में सुधारने, सूखे की स्थिति में तथा कीड़ों आदि की स्थिति में सुधार करने हेतु कृषि जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास में सहयोग देने पर सहमत हुए हैं;

(ख) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

क्षेत्र में सहयोग के लिए योजना बनाने हेतु एक संयुक्त संचालन समिति गठित करने की सहमति दे दी है;

(ग) क्या अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं में सहयोग के लिए इजराइल के उप-प्रधानमंत्री तथा भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने आशय पत्र जारी किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है तथा वर्तमान स्थिति क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्यमंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी हां। कृषि जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास में सहयोग देने के लिए भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच जून, 2004 को एक आशय-पत्र हस्ताक्षरित हुआ था। इस कार्यक्रम से भारतीय तथा अमरीकी संस्थानों को एक मंच पर लाने वाली साझेदारी की शुरुआत को प्रोत्साहन मिलेगा ताकि आपसी हितों वाली कृषि जैवप्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाओं को आगे चलाया जा सके। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कीट तथा रोग-प्रतिरोधी एवं सूखा सहनशील उन्नत किस्मों की फसलों के उत्पादन के लिए सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकीय विकल्पों के दायरे को बढ़ाना है।

(ख) इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए एक भारत-यूएस संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया है। संयुक्त कार्य दल की पहली बैठक नई दिल्ली में 8-9 दिसम्बर, 2004 को आयोजित की गई थी। संयुक्त कार्य दल ने सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में फसलों में जीवीय तथा अजीवीय प्रतिबल सहनशीलता एवं पौष्टिकता के विकास का पता लगाया है। हाल ही में, चावल में सूखा तथा लवणता सहनशीलता के विकास संबंधी एक सहयोगात्मक परियोजना शुरू की गई है।

(ग) जी हां। भारत-इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पहल के संबंध में एक आशय-विवरण पर माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार एवं इजराइल सरकार की ओर से उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग, व्यापार एवं श्रम मंत्री द्वारा नई दिल्ली में 8 दिसम्बर, 2004 को हस्ताक्षर किए गए।

(घ) इस आशय विवरण में भारत - इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पहल (आईआईआईआरडीसीआई) की स्थापना पर विचार किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य भारत एवं इजराइल के बीच अनुमोदित संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करना है जिसमें प्रत्येक पक्ष से कम से कम एक औद्योगिक साझेदार सम्मिलित हो और जो वैश्विक बाजारों में व्यापारीकृत किये जाने वाले उत्पादों एवं प्रक्रियाओं के विकास पर लक्षित हो। इसमें आईआईआईआरडीसीआई पर एक समझौता ज्ञापन के शीघ्र हस्ताक्षरित होने का भी उल्लेख था।

(ङ) इस आशय विवरण की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में भारत सरकार की ओर से माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और इजराइल सरकार की ओर से उप प्रधानमंत्री एवं उद्योग, व्यापार तथा श्रम मंत्री द्वारा येरूशलम में 30 मई, 2005 को औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पहल पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। प्रारम्भ में, आपसी परामर्श से जैवप्रौद्योगिकी, नैनोप्रौद्योगिकी, जलप्रबंधन, अंतरिक्ष एवं विमान-विज्ञान प्रौद्योगिकी और गैर पारम्परिक ऊर्जा संसाधन विशेष रूप से सौर ऊर्जा जैसे 5 क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग संभावनाएं

494. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की प्रचुर संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रचुर संभावनाओं को दोहन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी क्षेत्र के लोगों, विशेषकर गरीबों को बैंकिंग सेवा देने की दृष्टि से, बिना अतिरिक्त सुविधा वाले खाते जिसमें जमा पूंजी शून्य अथवा न्यूनतम हो, तथा लिए जाने वाला शुल्क इतना कम हो जिससे अधिकांश लोग ऐसे खाते खोल सकें, वाली आधारभूत बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में दिनांक 11.11.2005 को बैंकों को एक परिपत्र जारी किया है। ऐसे खातों में लेन-देन की प्रकृति एवं संख्या पर प्रतिबंध रखा जा सकता है किन्तु पारदर्शिता लाने के लिए ग्राहकों को इस बारे में पहले ही अवगत करा दिया जाए।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्य-निष्पादन

495. श्री बाडिगा रामकृष्ण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा करने के लिए एक योजना तैयारी की है;

(ख) यदि हां, तो कब तक तथा इसके क्या परिणाम होंगे; और

(ग) बैंकिंग को ग्रहक हितैषी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सरकार को वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए एक ''वार्षिक लक्ष्यों संबंधी उद्देश्य विवरण'' पेश किया है जिसमें विभिन्न कार्यनिष्पादन पैरामीटरों अर्थात जोखिम पूंजी आस्ति अनुपात (सीआरएआर), प्रति शेयर आय, कारबार में वृद्धि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार, अनुपयोज्य आस्तियां, लाभप्रदता, जोखिम प्रबंधन पद्धतियों, प्रौद्योगिकी के प्रयोग, उपेक्षितों तक पहुंचने के लिए विशेष उप्रयास आदि से संबंधित मात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लक्ष्यों संबंधी उद्देश्य विवरण की सतत् आधार पर समीक्षा की जाती है। वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में जहां भी प्रगति धीमी पाई जाती है, वहां लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा जाता है।

(ग) बैंकिंग को अधिक ग्राहक-अनुकूल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं अर्थात महत्वपूर्ण बैंकिंग समाधान (सीबीएस) लागू करना, एटीएम स्थापित करना, कार्य-घंटे बढ़ाना, प्रक्रिया एवं फार्मों का सरलीकरण, उचित व्यवहार संहिता पर भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देश, क्रेडिट कार्ड परिचालन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, आदि।

निर्यात संवर्द्धन योजनाओं का दुरुपयोग

496. श्री असादूद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कंपनियां निर्यात संवर्द्धन योजनाओं जैसे शुल्क प्रति अदायगी योजना, डेबिट फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट स्कीम तथा ड्यूटी इनटाइटलमेंट पासबुक स्कीम का दुरुपयोग करके सरकार को चूना लगाने के मामले बढ़ा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या अनुवीक्षण तथा जांच प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(घ) इस संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान सामने आए मामलों का वर्ष-वार और स्कीम-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

एनटीपीसी का बकाया धनराशि

497. श्री सुबोध मोहिते : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे तथा सरकारी क्षेत्र की कोयला कंपनियों पर एनटीपीसी की बहुत ज्यादा धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) एनटीपीसी इन सरकार क्षेत्र के उपक्रमों से अपनी बकाया धनराशि किस प्रकार वसूल करेगी?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) विद्युत आपूर्ति के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि. (एनटीपीसी) को रेलवे द्वारा कोई बकाया राशि देय नहीं है। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी प्रत्यक्ष रूप से कोयला कंपनियों को विद्युत आपूर्ति नहीं करती हैं।

[हिन्दी]

विद्युत कंपनियों को लाइसेंस

498. डा. चिन्ता मोहन :
श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'' :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कई विद्युत ट्रेडिंग कंपनियों को लाइसेंस जारी किये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी कंपनियां स्थापित किये जाने के लिए सरकार द्वारा कोई मानदंड निर्धारित किये गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सी ई आर सी) को विद्युत में अंतर-राज्य व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करने तथा विद्युत व्यापारी की आवश्यकताओं को बताने हेतु अधिकार दिये गय हैं। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने अब तक विद्युत में अंतर-राज्य व्यापार हेतु 17 लाइसेंस जारी किए हैं। 17 लाइसेंसों की सूची विवरण-I में संलग्न है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने व्यापार हेतु लाइसेंस प्रदान करने तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए प्रक्रिया के विनियम, उपबंध एवं शर्तें भी जारी की हैं। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं विवरण-II में संलग्न हैं।

विवरण-I

विद्युत में अंत:राज्यीय व्यापार लाइसेंसियों की सूची, जिन्हें सी ई आर सी द्वारा लाइसेंस दिए गए हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	लाइसेंस/स्थिति/श्रेणी जारी करने तारीख
1	2	3
1.	लेनको इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी लि., लेनको हाऊस 141, एवेन्यू, 8 बजांरा हिल्स, हैदराबाद-500034	23.7.2004 ''सी'' श्रेणी
2.	विनर्जी इंटरनेशनल प्रा.लि. 403, अरुण चैम्बर्स, ताड़देव मेन रोड, मुंबई-400 034.	12.7.2004 ''बी'' श्रेणी
3.	टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी लि. 34, संत तुकाराम रोड कर्नाक बंडर मुंबई-400 009.	9.6.2004 ''एफ'' श्रेणी
4.	पीटीसी इंडिया लि. द्वितीय तल, एनबीसीसी टावर, 15, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-110066	30.6.2004 ''एफ'' श्रेणी
5.	डीएलएफ लिमिटेड डीएलएफ गैलेरिया, 12वां तल, डीएलएफ सिटी, फेज-4, गुड़गांव-122002 (हरियाणा)	2.11.2004 ''ए'' श्रेणी
6.	अदानी एक्सपोर्ट लि. 13, पालम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057	9.6.2004 ''एफ'' श्रेणी
7.	रिलायंस एनर्जी ट्रेडिंग लि., रिलायंस एनर्जी सेंटर सांताक्रुज (ई), मुंबई-400 055.	30.6.2004 ''ए'' श्रेणी
8.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि. 7वां तल, कोर-6, स्कोप कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली-110033	23.7.2004 ''एफ'' श्रेणी
9.	छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लि. इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर सित्तारा, रायपुर-493111	3.11.2004 ''ए'' श्रेणी
10.	एमएमटीसी लिमिटेड कोर-1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीटयूशनल एरिया, लोधी रोड नई दिल्ली-110003	23.7.2004 ''ग'' श्रेणी
11.	जीएमआर एनर्जी लिमिटेड स्किप हाऊस 25/1, म्यूजियम रोड बंगलौर-560025.	9.11.2004 ''ए'' श्रेणी

1	2	3
12.	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जिंदल सेंटर 12, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली	2.11.2004 "ए" श्रेणी
13.	करमचंद थापर एंड ब्रदर्स (कोल सेल्स) लिमिटेड केसीटी ब्लूक, ऋषिवामुक बिल्डिंग 85-ए, पंचकुइयां, रोड नई दिल्ली-110001	27.1.2005 "ए" श्रेणी
14.	सुभाष कबीनी पावर कारपोरेशन लि. 8/2, उलसूर रोड, बंगलौर-560042.	26.5.2005 "ए" श्रेणी
15.	स्पेशल ब्लास्टस लि. नावानी बिल्डिंग, शास्त्री चौक, रायपुर-492001 (छत्तीसगढ़)	21.7.2005 "ए" श्रेणी
16.	महेश्वरी इस्पात लिमिटेड पी-5, कलाकार स्ट्रीट, ग्राउन्ड फ्लूर, कोलकाता-700 007.	19.7.2005 "ए" श्रेणी
17.	इंस्टींक्ट एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड, सी-201, नारायणा इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110 028.	7.9.2005 "ए" श्रेणी

विवरण-II

विद्युत व्यापार हेतु लाइसेंस प्रदान करने तथा अन्य संबंधित मामलों पर जनवरी 2004 में जारी किए गए प्रक्रिया के विनियम शर्त और उपबंधों की मुख्य विशेषताएं

— विद्युत में अंतर-राज्य व्यापार हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदक को भारत का निवासी होना चाहिए, अथवा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अंतर्गत पंजीकृत सहभागी फर्म (पार्टनरशिप फर्म) का होना चाहिए अथवा कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत समाविष्ठ की गई कंपनी अथवा निगमित रकिए गए अथवा निगमित नहीं किए गए व्यक्तिगत संगठन अथवा निकाय को हो अथवा भारतीय कानून के तहत वैद्य घोषित किया गया व्यक्ति होना चाहिए।

— **तकनीकी आवश्यकता**— आवेदक को निम्नलिखित प्रत्येक प्रशिक्षणों का व्यवसायिक अनुभव प्राप्त होना चाहिए जिसमें कम से कम एक पूर्णकालिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए नामत: (I) विद्युत प्रणाली प्रचालन और विद्युत अंतरण के व्यवसायिक पहलू और (II) वित्त, वाणिज्य और लेखा।

— **पूंजी की पर्याप्तता और ऋण संबंधी विश्वसनीयता**— हाथ में लिए जाने हेतु प्रस्तावित अंतर-राज्य व्यापार की मात्रा पर विचार करते हुए, आवेदन करते समय विद्युत व्यापारी का निवल मूल्य, निम्नानुसार विनिर्दिष्ट राशि से कम का नहीं होना चाहिए:

क्र. सं.	व्यापार हेतु लाइसेंस की श्रेणी	व्यापार हेतु बिजली की प्रस्तावित मात्रा (किलो-वाट घंटा में)	कुल (करोड़ रुपये में)
1.	ए	100 मिलियन तक	1.50
2.	बी	100 से 200 मिलियन तक	3.0
3.	सी	200 से 500 मिलियन तक	7.5
4.	डी	500 से 700 मिलियन तक	10.0
5.	ई	700 से 1000 मिलियन तक	15.00
6.	एफ	1000 मिलियन से ऊपर	20.00

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना (पी.यू.आर.ए.) का कार्यान्वयन

499. **श्री पी. करुणाकरण** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी.यू.आर.ए. योजना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) 20 राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों मे शहरी सुविधाओं की व्यवस्था (पीयूआरए) करने की योजना में शामिल करने के लिए सरकार के विचारार्थ विस्तृत योजना रिपोर्ट भेजी है। ये राज्य हैं- असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने अब 7 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में प्रायोगिक आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था (पीयूआरए) करने की योजना क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

कपार्ट के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को प्रशिक्षण

500. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को काउंसिल फार एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन और रूरल टेक्नोलोजी (कपार्ट) के माध्यम से प्रशिक्षण देने हेतु कोई योजना बनाई है और उसे लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप आज की तिथि के अनुसार उनमें से क्षेत्रवार कितने व्यक्तियों को नियोजित किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने गैर सरकारी संगठनों से भी इस योजना को लागू करने के लिए सहायता ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 22 राज्यों के 50 जिलों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले एक लाख बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को मांग आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए कुल 1200.21 लाख रुपए की लागत से लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना मंजूर की है। कपार्ट को दिनांक 11.03.2005 को पहली किस्त के रूप में 480.08 लाख रुपए की धनराशि रिलीज की गई। आई.ए.एम.आर. द्वारा इन चुने हुए 50 जिलों के लिए विपण सर्वेक्षण किया जाएगा और प्रशिक्षक गैर-सरकारी संगठनों का पता लगाया जाएगा और योजना के संबंध में अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया जाएगा। कपार्ट के क्षेत्रीय प्रतिनिधि की अध्यक्षता में स्थानीय समिति के माध्यम से ग्रामीण गरीबों का पता लगाकर प्रशिक्षत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात लाभदायक मजदूरी/स्वरोजगार के लिए ग्रामीण गरीब का अन्य एजेंसियों/बैंकों से संपर्क कराया जाना होता है। बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण के लिए चुने गए 50 में से 37 जिलों के लिए विपणन सर्वेक्षण कार्य पूरे कर लिए गए हैं और योजना के अंतर्गत 29 गैर-सरकारी संगठनों (प्रशिक्षक गैर-सरकारी संगठन) के 48 प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया है। इन गैर-सरकारी संगठनों के द्वारा ग्रामीण गरीबों के प्रशिक्षण के लिए अब तक 17 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अनुप्रयुक्त मानव श्रम अनुसंधान संस्थान द्वारा गैर-सरकारी संगठनों का चयन किया जाता है और प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें अपने जिले में लाभार्थी प्रशिक्षणार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की ओर अभिमुख किया जा सके। 50 जिलों के विपणन सर्वेक्षण लागत की पूर्ति करने और गैर-सरकारी संगठनों के अभिमुखीकरण प्रशिक्षण के लिए आई.ए.एम.आर. को अब तक 47.88 लाख रुपए रिलीज किए गए हैं।

आयकर छापे

501. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्री संतोष गंगवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान आयकर विभाग द्वारा मारे गए छापों में कितनी धनराशि बरामद की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से सरकारी अधिकारियों के परिसरों में कितने छापे मारे गए हैं और अधिकारियों का नाम और ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा आयकर अपवंचन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) दिनांक 1-4-2005 से 31-10-2005 के दौरान आयकर विभाग के द्वारा की गई तलाशी एवं जब्ती कार्रवाइयों के विवरण निम्नानुसार हैं:

कार्यान्वित किए गए वारंटों की संख्या	जब्त की गई परिसंपत्तियों का मूल्य (लाख रुपए में)			
	नकद	ज़ेवरात	अन्य परिसंपत्तियां	कुल
1308	9935.15	2471.29	5061.42	17467.86

तथापि, उपर्युक्त आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) सरकारी अधिकारियों के परिसरों की कोई तलाशियां नहीं ली गई थीं। तथापि, आयकर अधिनियम की धारा 132 क के अंतर्गत दिनांक 4.9.2005 को श्री जी. अनन्तरामू, आई ए एस, निदेशक, तकनीकी शिक्षा, आंध्र प्रदेश से 21 लाख रुपए की राशि हैदराबाद विमानपत्तन पर जब्त की गई थी। इस मामले में की गई कार्रवाई में आयकर अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच/पूछ-ताछ शामिल हैं।

(ग) सरकार कर अपवंचन को रोकने एवं काले धन की उत्पत्ति को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस संबंध में कई कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें तलाशी एवं जब्ती एवं सर्वेक्षण कार्रवाई, आयकर विवरणियों की संवीक्षा, अर्थदण्ड अधिरोपित करना एवं उपयुक्त मामलों में अभियोजन शुरू करना शामिल है। नए करदाताओं का पता लगाने एवं कर अपचंन को रोकने के लिए कर सूचना नेटवर्क को महत्वपूर्ण कर सूचना नेटवर्क के एक आधान के रूप में स्थापित किया गया है। वित्त वर्ष 2005-06 से आगे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए उनके समक्ष दिनांक 1-4-2004 से आगे निष्पन्न अथवा पंजीकृत कुछ विनिर्दिष्ट उच्च मूल्य के लेन-देनों के संबंध में वार्षिक सूचना विवरणी (ए आई आर) प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

वित्त अधिनियम, 2005 ने दो कर अपचंचन रोधी उपायों को लागू किया है। बैंक के खातों में से बचत खातों के अलावा बैंक के खातों में से विनिर्दिष्ट राशि से अधिक के नकद के आहरण के संबंध में एवं बैंकों से विनिर्दिष्ट राशियों से अधिक आवधिक निक्षेपों के नकदीकरण पर दिनांक 1.6.2005 से एक ''बैंककारी नकद संव्यवहार कर'' लागू कर दिया गया है। बैंकों के लिए यह भी बाध्यकारी हो गया है कि वे सरकार को उन सभी निक्षेपों की सूचना दें जिन्हें ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती से छूट प्राप्त है।

[अनुवाद]

तस्करी संबंधी गतिविधियां

502. **श्री के.एस. राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न मार्गों से तस्करी के आरोप में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनसे कितनो सोना, हीरा, स्वापक आदि बरामद हुआ है और दोष-सिद्धि के मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को विदेशी डाकघरों के माध्यम से स्वापकों की बड़ी मात्रा में तस्करी की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सभी तरह की तस्करी के मामलों से निपटने के लिए कठोर कानून बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) ब्यौरा विवरण-I के रूप में प्रस्तुत है।

(ग) और (घ) जी, हां। ब्यौरा विवरण-II के रूप में प्रस्तुत है।

(ङ) तस्करी के मामलों से निपटने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 पी.आई.टी.एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 आदि में सख्त प्रावधान हैं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

वर्ष	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या	जब्त सामानों का मूल्य (करोड़ रु. में)		
			सोना	हीरा	स्वापक औषधि
2002-03	501	124	6.73	3.60	30.58
2003-04	415	131	2.04	42.59	26.64
2004-05	400	131	1.24	8.18	80.44
2005-06 (अक्तूबर, 05 तक)	191	59	1.67	1.98	55.69

विवरण-II

वर्ष	स्वापक औषधियों की कुल जब्ती		एफ.पी.ओ. में स्वापक औषधियों की जब्ती	
	मामलों की सं.	मूल्य (करोड़ रु. में)	मामलों की सं.	मूल्य (करोड़ रु. में)
2002-03	464	32.99	10	0.07
2003-04	647	29.36	6	0.10
2004-05	696	87.04	43	0.38
2005-06 (अक्तूबर, 05 तक)	347	61.48	65	8.19

एन.टी.सी. मिलों का अधुनिकीकरण

503. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन.टी.सी. मिलों का आधुनिकीकरण कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(ख) मुंबई में ऐसी कौन-कौन सी मिलें हैं जहां अतिरिक्त भूमि को बेचा गया है; और

(ग) सरकार द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प न चुनने वाले एन टी सी कामगारों के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) एन टी सी मिलों के पहले चरण का आधुनिकीकरण 2006-07 में पूरा किए जाने की उम्मीद है जो कि बेशी भूमि की बिक्री से निधियों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ख) एन टी सी ने मुंबई स्थित निम्नलिखित मिलों की बेशी भूमि बेच दी है।

(1) ज्यूपिटर टेक्सटाइल मिल्स

(2) मुंबई टेक्सटाइल मिल्स

(3) कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स नं. 3

(4) एल्फिंस्टन मिल्स

(5) अपोलो टेक्सटाइल मिल्स

(ग) बंद किए जाने के लिए अभिज्ञात की गई मिलों के जो कामगार वी आर एस नहीं चुनते उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

किसानों के ऋणों की रीशेड्यूलिंग

504. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में हाल की बारिश और बाढ़ के कारण फसलों के बर्बाद हो जाने से किसान तबाह हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो बैंक से ऋण लेने वाले किसान ऋणों की रीशेड्यूलिंग हेतु अनुरोध कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार आन्ध्र प्रदेश में किसानों को दिए गए ऋण की माफी हेतु बैंकों को निदेश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के संयोजक आन्ध्र बैंक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य में बाढ़/चक्रवात के कारण फसलों को हुई क्षति के संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को अक्तूबर 2005 के पहले सप्ताह में जानकारी दी है। आन्ध्रा बैंक ने 4-10-2005 को संचालन समिति की विशेष बैठक बुलाई थी और सदस्य बैंकों को राज्य में बाढ़/चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों के अनुसार ऋणों को पुनर्निर्धारित करने सहित राहत के आवश्यक उपाय शुरू करने का परामर्श दिया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जल विद्युत परियोजनाओं को क्षति

505. **श्री जुएल ओराम :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में हाल के भूकंप से वर्तमान और निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं को कोई क्षति पहुंची है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन विद्युत परियोजनाओं की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) क्षेत्र में हाल ही के भूकम्प के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य में चालू केन्द्रीय क्षेत्र जल विद्युत परियोजनाओं में कोई क्षति रिपोर्ट नहीं की गई है। हालांकि, नैशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एन एच पी सी) के उड़ी स्टेज-II जल विद्युत परियोजना के एप्रोच रोड, कुछ कार्यालयों तथा आवासीय भवनों को कुछ क्षति पहुंची है, जो कि निर्माणाधीन है।

जम्मू और कश्मीर में राज्य क्षेत्र में वर्तमान जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में क्षति रिपोर्ट दर्ज की गई है। क्षति और उनकी मरम्मत के लिए उठाए गए कदमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

क्र.सं.	क्षति के ब्यौरे	मरम्मत हेतु किऐ गये उपाय
1	2	3
1.	लोअर झेलम हाईडल स्टेशन (105 मेगावाट), जिला बारामूला (क) 4 संख्या 132 के वी न्यूनतम आयल सर्किट ब्रेकर की खराबी (ख) विद्युत गृह स्थल में विद्युत गृह भवन एवं अन्य सिविल ढांचों में दरारें। (ग) गन्तामुल्ला उड़ी, आवासीय क्वाटरों में स्टोर परिसर में दरारें (घ) बारामुल्ला/हैडवर्क में कार्यालय, आवासीय तथा अन्य भवनों को क्षति	कार्य न करने वाले सर्किट ब्रेकरों का उपयोग करके 132 के वी न्यूनतम आपूर्ति सर्किट ब्रेकर प्रचालनगत बनाये गये है। भवनों को टूट से बचाने के लिए विभिन्न सिविल ढांचों में स्ट्रट लगाये गए हैं। ये एक अस्थायी व्यवस्था है और जम्मू कश्मीर पावर डेवेलपमेंट कारपोरेशन (जे के पी डी सी) द्वारा कार्यों की स्थायी मरम्मत के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

1	2	3
2.	अपर सिंध स्टेज-I हाइडल पावर स्टेशन (22.6 मेगावाट) जिला श्रीनगर सिविल ढांचों को क्षति	जे के पी डी सी ने सिविल ढांचों को होने वाली क्षति का मरम्मत कार्य शुरू किया है।
3.	गन्देरबाल विद्युत स्टेशन (15 मेगावाट), जिला श्रीनगर	तदैव
4.	करनाल जल विद्युत परियोजना (2 मेगावाट) जिला श्रीनगर	मरम्मत कार्यों की गतिविधियां जे के पी डी सी द्वारा अभी शुरू की जानी है। सर्दी के मौसम के दौरान क्षेत्र तक पहुंच नहीं है और क्षति काफी ज्यादा है।
5.	मिनी हाइडल परियोजना (1.5 मेगावाट) भदेवाह, जिला डोडा	जल कनडक्टर की क्षति की मरम्मत शून्य की गई है, जिसके लिए विभिन्न स्थानों पर दरारों को भरा जाना आवश्यक है।
6.	(i) मारपाचु (0.75 मेगावाट) (ii) इकाबाल (3.75 मेगावाट) (iii) हफताल (1.0 मेगावाट) सिविल ढांचों को क्षति — जिला कारगिल	सिविल ढांचों की क्षति की मरम्मत जम्मू व कश्मीर पी डी सी द्वारा शुरू की गई है।
7.	(i) दमखर (0.50 मेगावाट) (ii) स्तकना (4.0 मेगावाट) (iii) हण्डर (0.40 मेगावाट) सिविल ढांचों को क्षति — जिला लेह	तदैव

सुनामी चेतावनी प्रणाली

506. श्री एल. गणेशन : क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कनाडा माडल सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली की व्यवहार्यता का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पड़ोस में अन्य दक्षिण एशियाई देशों से भी संयुक्त कार्रवाई के लिए परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) कनाडा, अमरीका और अन्य प्रशातारम राष्ट्रों में मौजूद प्रणालियों की समीक्षा की गई और सुनामी और तूफान महोर्मि पूर्व चेतावनी प्रणाली की परिकल्पना की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) तथा महासागर विकास विभाग द्वारा 21 और 22 जनवरी 2005 को संपन्न चिंतन बैठक में इसका अनुमोदन किया गया कि इस क्षेत्र में उत्पन्न सुनामी और उसके प्रसार को देखते हुए हिन्द महासारग को मानीटर किया जाना अपेक्षित है। मानीटरन और यंत्रीकरण के ब्यौरे

तैयार किए गए और इसके पश्चात भारत सरकार ने सुनामी और तूफान महोर्मि की पूर्व चेतावनी से संबद्ध एक परियोजना को अनुमोदित कर दिया है। इसे विशेष रूप से भारतीय अपेक्षाओं के लिए तैयार किया है। प्रशांत क्षेत्र में जो मॉडल मौजूद है उन्हें हिन्द महासागर के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया है।

(ग) जी नहीं। भारत स्वयं अपनी सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना कर रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूंजी का बढ़ाया जाना

507. डा. के. धनराजू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री ने बैंकरों से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने के लिए बैठक की थी और उनकी पूंजी को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की थी; और

(ख) यदि हां, तो की गई चर्चा और इसमें हुए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। बासिल-II द्वारा निर्धारित मानकों के मद्देनजर, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी जोखिम धारित आस्तियों के अनुरूप पर्याप्त पूंजी को बनाए रखें। दिनांक 18.11.2005 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ हुई वित्त मंत्री की बैठक में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सांविधिक उपबंधों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप अतिरिक्त पूंजी जुटा कर अपने पूंजी आधार में वृद्धि करने की सलाह दी गई थी।

चीन निर्मित वस्त्रों की बिक्री

508. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बाजार में चीन निर्मित वस्त्र बहुत कम दर पर बेचे जाते है;

(ख) क्या भारतीय वस्त्र उद्योग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (ग) चीनी परिधान भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धी मूल्य पर बेचे जाते हैं क्योंकि चीन को आधारभूत संरचना, कच्ची सामग्री लागत, किराया ढांचा, विद्युत दरों आदि के संबंध में भारत की अपेक्षा कुछ अधिक लाभ प्राप्त हैं। तथापि देश में चीनी परिधानों के आयात से घरेलू उद्योग के सामने ज्यादा खतरा पैदा नहीं हुआ है क्यों इस संबंध में भारतीय वस्त्र उद्योग से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। चीन से भारत को परिधानों का आयात 2003-04 में 23 करोड़ रु. से 2004-05 में वस्तुत: 22 करोड़ रु. घट गया।

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों में जमा धनराशि

509. श्री छत्तर सिंह दरबार :
श्री जीवाभाई ए. पटेल :
श्री काशीराम राणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश के सहकारी बैंकों में कुल कितनी धनराशि जमा की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि का ऋण संवितरित किया गया है;

(ग) क्या सहकारी बैंकों में जमाकर्ताओं की धनराशि सुरक्षित नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान सहकारी बैंकों द्वारा जमाकर्ताओं की धनराशि का भुगतान न किए जाने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान शहरी

सहकारी बैंकों (यूसीबी) को छोड़कर सहकारी बैंकों (जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी), राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी), प्राथमिक सहकारी तथा कृषि ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी), राज्य सहकारी और कृषि ग्रामीण विकास बैंकों (एससीएआरडीबी) द्वारा जमा की गई और संवितरित राज्यवार कुल राशि संलग्न विवरण-I से IV में दी गई है। शहरी सहकारी बैंकों की कुल जमाराशियां वर्ष 2003-04 के 1,04,256 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 1,05,017 करोड़ रुपए हो गई हैं जबकि शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित अनंतिम आंकड़े के अनुसार) वर्ष 2003-04 के 67,930 करोड़ रुपए और वर्ष 2004-05 में 66,905 संकलित अनंतिम आंकड़े के अनुसार) वर्ष 2003-04 के 67,930 करोड़ रुपए और वर्ष 2004-05 में 66,905 करोड़ रुपए थे।

(ग) और (घ) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) सहकारी बैंकों में जमा 1 लाख रुपए तक की जमाराशियों पर बीमा प्रदान करता है।

(ङ) और (च) सरकार को जमाराशियों का भुगतान नहीं किए जाने सहित सहकारी बैंकों के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सहकारी बैंकों के ग्राहकों से शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। इन शिकायतों को समाधान के लिए नाबार्ड/भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है।

विवरण-I

जमा (31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

क्रम. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एस.सी.बी.		डी.सी.सी.बी	
		2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	19060	20324	•	•
2.	आंध्र प्रदेश	167794	186764	258360	237625
3.	अरुणाचल प्रदेश	19224	20689	•	•
4.	असम	52353	54063	•	•
5.	बिहार	75136	93918	76596	73413
6.	चण्डीगढ़	12552	11378	•	•
7.	छत्तीसगढ़	78484	88296	129337	131564
8.	दिल्ली	57494	58475	•	•
9.	गोवा	55321	57480	•	•
10.	गुजरात	276061	230972	675839	649075
11.	हरियाणा	111769	110631	230641	242106
12.	हिमाचल प्रदेश	164951	186200	218624	241538
13.	जम्मू-कश्मीर	28672	30538	71957	76650
14.	झारखण्ड	•	•	43537	50641
15.	कर्नाटक	191755	197749	359870	368230
16.	केरल	242747	241530	630212	590223
17.	मध्य प्रदेश	150883	154843	365865	385013
18.	महाराष्ट्र	1329987	1340403	2388800	2482269
19.	मणिपुर	3959	3480	•	•
20.	मेघालय	38750	44916	•	•
21.	मिजोरम	12042	13073	•	•
22.	नागालैंड	14318	14216	•	•
23.	उड़ीसा	102601	107851	174714	183599
24.	पाण्डिचेरी	16591	18356	•	•
25.	पंजाब	113715	118440	391804	417988
26.	राजस्थान	102205	113926	205074	226734
27.	सिक्किम	1223	1537	•	•

1	2	3	4	5	6
28.	तमिलनाडु	311987	306258	669155	688636
29.	त्रिपुरा	19694	19921	*	*
30.	उत्तर प्रदेश	329223	318103	545701	565787
31.	उत्तरांचल	2379	22533	160652	175035
32.	पश्चिम बंगाल	248033	246990	277192	315154
	समस्त भारत	4350962	4433852	7873932	8101279

नोट : वर्ष 2004-05 के आंकड़े अनंतिम हैं

*राज्यों में कोई डी.सी.सी.बी नहीं है।

विवरण-II

ऋण जारी (31 मार्च तक)

(रुपये लाख में)

क्रम. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एस.सी.बी.		डी.सी.सी.बी	
		2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2327	2099	*	*
2.	आंध्र प्रदेश	328670	362865	272591	237479
3.	अरुणाचल प्रदेश	1238	2658	*	*
4.	असम	18730	एन.ए.	*	*
5.	बिहार	18965	27897	8707	27705
6.	चण्डीगढ़	293	516	*	*
7.	छत्तीसगढ़	19846	17493	41329	42349
8.	दिल्ली	6724	7040	*	*
9.	गोवा	21961	22118	*	*
10.	गुजरात	137946	245469	493050	471058
11.	हरियाणा	314105	331191	435508	517034
12.	हिमाचल प्रदेश	32216	32274	82283	23279
13.	जम्मू-कश्मीर	1348	1725	8286	9250
14.	झारखण्ड	*	*	5504	6044
15.	कर्नाटक	172462	150585	286029	282923
16.	केरल	125810	167176	383305	458144
17.	मध्य प्रदेश	167023	183997	197374	219034
18.	महाराष्ट्र	694557	690641	1326897	799413
19.	मणिपुर	843	955	*	*
20.	मेघालय	2359	4270	*	*
21.	मिजोरम	2719	3395	*	*
22.	नागालैंड	1722	2374	*	*
23.	उड़ीसा	101982	104624	128674	147149
24.	पांडिचेरी	15798	2356	*	*
25.	पंजाब	328822	338331	571111	585232
26.	राजस्थान	110232	175266	164330	274108
27.	सिक्किम	615	792	*	*
28.	तमिलनाडु	230464	414038	921500	876086
29.	त्रिपुरा	3902	2418	*	*

1	2	3	4	5	6
30.	उत्तर प्रदेश	401963	468606	367548	382304
31.	उत्तरांचल	1098	6242	80298	87428
32.	पश्चिम बंगाल	50716	62518	122103	130364
	समस्त भारत	3317458	3831929	5896427	5576383

नोट : वर्ष 2004-05 के आंकड़े अनंतिम हैं।

*राज्य में कोई डी.सी.सी.बी. नही है।

विवरण-III

जमा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	एस.सी.ए.आर.डी.बी.		पी.सी.ए.आर.डी.बी	
		2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	असम	37	15	*	*
2.	बिहार	1963	150	*	*
3.	छत्तीसगढ़	3244	2728	2621	*
4.	गुजरात	7589	7248	*	*
5.	हरियाणा	3985	3484	228	328
6.	हिमाचल प्रदेश	719	991	—	—
7.	जम्मू एवं कश्मीर	332	222	*	*
8.	कर्नाटक	3682	2260	8015	7667
9.	केरल	1711	—	26	—
10.	मध्य प्रदेश	14321	15601	2544	—
11.	महाराष्ट्र	119	—	1802	—
12.	मणिपुर***	—	—	*	*
13.	उड़ीसा	318	316	736	—
14.	पाण्डिचेरी	377	664	*	*
15.	पंजाब	4102	6929	—	—
16.	राजस्थान	6306	347	282	—
17.	तमिलनाडु	5332	5433	—	—
18.	त्रिपुरा	—	—	*	*
19.	उत्तर प्रदेश	615	482	*	*
20.	पश्चिम बंगाल	6700	4914	8810	8810
	समस्त भारत	60451	51784	25064	16805

नोट : वर्ष 2004-05 के आंकड़े अनंतिम है।

*राज्य में पी.सी.ए.आर.डी.बी नहीं है।

***मणिपुर एस.एल.डी.बी परिसमापन में है।

$वर्ष 2005 में वर्ष 2004 के आंकड़े दोहराये गए

विवरण-IV

वर्ष के दौरान जारी ऋण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	एस.सी.ए.डी.बी.		पी.सी.ए.आर.डी.बी	
		2003-04	2004-05	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	असम	22	43	*	*
2.	बिहार	1002	1053	*	*

1	2	3	4	5	6
3.	छत्तीसगढ़	3980	3928	4043	4089
4.	गुजरात	5992	7009	*	*
5.	हरियाणा	41474	49673	42725	49511
6.	हिमाचल प्रदेश	5720	5278	1618	2256
7.	जम्मू एवं कश्मीर	120	22	*	*
8.	कर्नाटक	8377	11914	12810	16247
9.	केरल	26854	33286	26683	33956
10.	मध्य प्रदेश	22750	30038	23069	30480
11.	महाराष्ट्र	—	—	195	—
12.	मणिपुर***	—	—	*	*
13.	उड़ीसा	1013	754	1088	—
14.	पांडिचेरी	426	867	*	*
15.	पंजाब	45779	72501	51405	76440
16.	राजस्थान	18932	21741	20222	21756
17.	तमिलनाडु	19007	1202	18745	1244
18.	त्रिपुरा	358	411	*	*
19.	उत्तर प्रदेश	71052	70755	*	*
20.	पश्चिम बंगाल	21350	13006	17049	15767
	समस्त भारत	294208	323481	219652	251746

नोट : वर्ष 2004-05 के आंकड़े अनंतिम हैं।

*राज्य में कोई पी.सी.ए.आर.डी.बी नहीं है।

***मणिपुर एस.एल.डी.बी परिसमापन में है।

$वर्ष 2005 में वर्ष 2004 के आंकड़े दोहराये गए।

ग्रामीण विद्युतीकरण

510. श्री शिशुपाल पटले :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री मुन्शीराम :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एशियाई विकास बैंक से सहायता मांगने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त बैंक ने इस प्रयोजनार्थ सहायता प्रदान करने के लिए मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जानी है; और

(घ) प्रत्येक वर्ष इस संबंध में प्रदान की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम.सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी हेतु नए केन्द्र

511. डा. वल्लभभाई कथीरिया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वित्त वर्ष के दौरान गुजरात में नए विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) प्रोद्योगिकी संस्थान को खोलने और उनके विकास हेतु सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गुजरात में वर्तमान प्रौद्योगिकी संस्थानों के आधुनिकीकरण और उन्नयन हेतु सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

कपार्ट के अंतर्गत लम्बित प्रस्ताव

512. श्री एम. अंजनकुमार यादव :
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में विभिन्न अभिकरणों/गैर सरकारी संगठनों द्वारा काउंसिल फार एडवांसमेंट आफ पीपुल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलोजी (कपार्ट) को विचारार्थ भेजे गये प्रस्तावों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन प्रस्तावों पर अभी विचार नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार लोक विकास केन्द, बिहार और इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(ङ) कापार्ट द्वारा इन प्रस्तावों के निपटान के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है और ऐसे सभी प्रस्तावों पर कब तक विचार किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष (21.11.05 तक) के दौरान गैर सरकारी संगठनों द्वारा कपार्ट को भेजे गए प्रस्तावों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है। इन वर्षों के दौरान गैर सरकारी संगठनों से 13048 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) इन 13048 प्रस्तावों में से फिलहाल कपार्ट में केवल 2649 प्रस्ताव लंबित पड़े हैं।

(ग) कपार्ट से कारणों का पता लगाया जा रहा है।

(घ) आवास योजना संबंधी लोक विकास केन्द, बिहार का प्रस्ताव, कपार्ट द्वारा किए गए पत्राचार का स्वैच्छिक संगठन की तरफ कोई जवाब न मिलने के कारण सितम्बर, 2005 में नामंजूर कर दिया गया था। क्षेत्रीय समिति कपार्ट, पटना ने दिनांक 23.9.2005 के पत्र के माध्यम से संगठन को इस निर्णय से अवगत करा दिया था। फिलहाल इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन के संबंध में कपार्ट में कोई भी परियोजना प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ङ) ऐसे सभी मामलों को निपटाने की समय-सीमा के बारे में कपार्ट से जानकारी ली जा रही है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कपार्ट को भेजे गए प्रस्तावों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	गैर-सरकारी संगठनों द्वारा भेजे गए परियोजना प्रस्तावों की संख्या				
		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	494	658	390	234	1776
2.	अरुणाचल प्रदेश	5	6	0	2	13

1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	47	51	45	24	167
4.	बिहार	393	360	110	139	1002
5.	चण्डीगढ़	1	1	0	0	2
6.	छत्तीसगढ़	8	18	15	6	47
7.	दिल्ली	14	23	13	13	64
8.	गुजरात	22	98	77	71	268
9.	गोवा	0	0	0	0	0
10.	हिमाचल प्रदेश	76	73	67	27	243
11.	हरियाणा	197	191	147	85	620
12.	झारखंड	98	87	21	18	224
13.	जम्मू-कश्मीर	27	65	55	25	172
14.	केरल	78	174	130	88	470
15.	कर्नाटक	136	237	180	105	658
16.	मध्य प्रदेश	45	142	82	58	327
17.	महाराष्ट्र	93	326	77	52	548
18.	मणिपुर	139	133	86	60	418
19.	मिजोरम	30	12	3	3	48
20.	मेघालय	7	4	31	2	44
21.	नागालैंड	31	54	9	20	114
22.	उड़ीसा	262	296	179	75	812
23.	पंजाब	19	26	18	12	75
24.	राजस्थान	170	288	188	81	727
25.	सिक्किम	6	0	0	2	8

1	2	3	4	5	6	7
26.	त्रिपुरा	20	16	8	33	77
27.	तमिलनाडु	293	316	156	68	833
28.	उत्तर प्रदेश	520	702	592	226	2040
29.	उत्तरांचल	68	115	84	30	297
30.	प. बंगाल	272	380	221	79	952
31.	पांडिचेरी	0	1	1	0	2
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
33	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
34.	दादर व नगर हवेली	0	0	0	0	0
	कुल	3571	4854	2985	1638	13048

[अनुवाद]

डाभोल विद्युत परियोजना

513. **श्री देविदास पिंगले :**

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे :

श्री तुकाराम गंगाधर गदाख :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाभोल विद्युत परियोजना की इस समय स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा डाभोल विद्युत परियोजना के कार्य और प्रगति को देखने के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम के नाम पर एक कंपनी की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो एसपीवी की शेयर होल्डर बनने की पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसमें महाराष्ट्र सरकार और अन्य सरकारी निकायों का कितनी प्रतिशतता/अनुपात होगा;

(ङ) परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और इसके कब तक आरम्भ होने की संभावना है;

(च) क्या महाराष्ट्र और समीप के राज्यों के विद्युत संकट के मद्देनजर सरकार का विचार इस प्रक्रिया को शीघ्र समाप्त करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) मुंबई में माननीय उच्च न्यायालय ने 2005 की सहमति याचिका सं. 116 में अपने आदेश में डाभोल विद्युत कंपनी की परिसंपत्तियों को रत्नागिरि गैस एंड पावर प्राइवेट लि. (आरजीपीपीएल) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। आरजीपीपीएल ने दिनांक 6.10.2005 को कोर्ट रिसीवर से परिसंपत्तियों का भौतिक स्वामित्व प्राप्त कर लिया है और पूर्व डाभोल विद्युत परियोजना की पूर्णता और पुनः आरंभ हेतु कार्य शुरू कर दिया है।

(ख) जी, हां। संबंधित शेयरहोल्डरों के साथ विस्तृत विचार-विमर्शों के पश्चात् सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना के पुनःस्थापन

एवं पुनर्गठन हेतु समग्र ढांचे के अंतर्गत, डाभोल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों को प्राप्त करनें, पूर्ण करने एवं प्रचालन करने के लिए परियोजना के रूप में आरजीपीपीएल की स्थापना की गई है।

(ग) और (घ) आरजीपीपीएल की शेयर होल्डर बनने का तरीका नीचे दिया गया है-

एनटीपीसी लिमिटेड	28.33%
गैस अर्थारिटी आफ इंडिया लिमिटेड	28.33%
आईडीबीआई लिमिटेड	10.65%
आईसीआईसीआई लि.	7.14
स्टेट बैंक आफ इंडिया लि.	8.67%
केनरा बैंक	1.87
एमएसईबी होल्डिंग कंपनी लि.	15.01

(ङ) परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का अनुमान 2150 मेगावाट लगाया गया है। तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की उपलब्धता के अधीन एक ब्लाक से विद्युत उत्पादन जून, 2006 तक शुरू होने की संभावना है। सभी तीन ब्लाकों को नवंबर, 2006 तक वाणिज्यिक घोषित किए जाने की संभावना है।

(च) और (छ) ग्रीष्मकाल में व्यस्ततमकालीन समय के दौरान विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए स्थल पर कार्यों की प्रगति के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि एलएनजी की आपूर्ति सहित सभी संबंधित गतिविधियों की संयुक्त पूर्णता के अधीन मई, 2006 तक एक ब्लाक विद्युत आपूर्ति शुरू कर सकें।

न्यायालयों के लिए निधियां

514. श्री पी.सी. थामस : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवसंरचनात्मक विकास के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल उच्च न्यायालय को न्यायालय भवन के निर्माण हेतु निधियां उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	वर्ष 2002-03 के दौरान जारी की गई राशि	वर्ष 2003-04 के दौरान जारी की गई राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	695.26	283.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	106.25	0
3.	असम	505.25	0
4.	बिहार	489.51	526.66
5.	छत्तीसगढ़	317.28	234.00
6.	गोवा	55.00	0
7.	गुजरात	308.80	324.09
8.	हरियाणा	129.00	137.20
9.	हिमाचल प्रदेश	68.00	53.20
10.	जम्मू-कश्मीर	74.60	60.80
11.	झारखंड	271.52	112.36
12.	कर्नाटक	436.50	339.26
13.	केरल	283.86	216.51
14.	मध्य प्रदेश	432.70	0
15.	महाराष्ट्र	618.60	708.00

1	2	3	4
16.	मणिपुर	0	0
17.	मेघालय	0	0
18.	मिजोरम	106.25	114.00
19.	नागालैंड	106.25	114.00
20.	उड़ीसा	360.25	166.35
21.	पंजाब	171.89	177.67
22.	राजस्थान	258.82	300.07
23.	सिक्किम	106.25	0
24.	तमिलनाडु	579.53	416.54
25.	त्रिपुरा	106.25	152.00
26.	उत्तरांचल	176.00	76.00
27.	उत्तर प्रदेश	1277.12	1090.86
28.	पश्चिमी बंगाल	857.85	878.07
	योग	9198.69	6481.56
	संघ राज्यक्षेत्र		
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	63.00	60.80
2.	चंडीगढ़	63.00	167.20
3.	दादरा और नागर हवेली	30.00	0
4.	दमण और दीव	30.00	0
5.	दिल्ली	528.70	304.00
6.	लक्षद्वीप	0	0
7.	पांडिचेरी	75.00	152.00
	योग	789.70	684.00
	कुल योग	9988.39	7165.56

टिप्पण : न्यायालय भवनों के सन्निर्माण के लिए 2004-05 के दौरान कोई निधि जारी नहीं की गई थी।

[हिन्दी]

फ्लुओरोसिस पर नियंत्रण

515. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा की जानकारी है जिसने इन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की समस्या उत्पन्न कर दी है और फ्लुओरोसिस को जन्म दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में जनजातीय बहुल क्षेत्रों में फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस क्षेत्रों में फ्लुओरोसिस बीमारी को नियंत्रित करने और पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) जी, हां। देश में फ्लूराइड प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें से कुछ क्षेत्र जनजाति बहुल हैं। राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) ग्रामीण जलापूर्ति राज्यों का विषय है। भारत सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी) नामक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है।

रासायनिक संदूषण की वजह से हुई पेय जल गुणवत्ता संबंधी समस्या से निपटने के लिए 1992-93 में एक उपमिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि गुणवत्ता प्रभावित बसावटों में जल गुणवत्ता समस्याओं का समाधान किया जा सके। राज्यों को रिलीज की गई ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. निधि का 15 प्रतिशत जलगुणवत्ता समस्याओं से निपटने के लिए तथा 5 प्रतिशत वर्षा जल एकत्रीकरण तथा जल पुनर्भरण जैसे स्रोतों को स्थायी बनाने वाले उपाय शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया है जिससे अन्य बातों के साथ-साथ भूमि जल आधारित पेय जल स्रोतों का संदूषण घटेगा। पूर्वत: कवर किए गए राज्य भारत सरकार के अनुमोदन से जल गुणवत्ता समस्याओं से निपटने के लिए और अधिक निधियों का उपयोग कर सकते हैं। ए आर डब्ल्यू एस पी के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु ए आर डब्ल्यू एस पी निधियों का कम से कम 25% तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कम से कम 10% निर्धारित करनी है तथा इनका उपयोग करना है। जिस राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत अधिक होने के कारण निर्धारित प्रावधानों से अधिक धनराशि निर्धारित/उपयोग करने की जरूरत है वहां अतिरिक्त धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। 1-4-1998 से, उपमिशन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृत करने की शक्तियां राज्य सरकारों को सौंप दी गई हैं। राज्य सरकारें फ्लूराइड की समस्या से निपटने के लिए परियोजनाएं स्वीकृत करती रही हैं जिनमें अन्य के साथ-साथ घरेलू और सामुदायिक स्तर पर डीफ्लूराइडेशन संयंत्र, डीफ्लूराइडेशन संयंत्र के साथ लगने वाले हैंडपम्प, जीएलआर के साथ जुड़ी इकाईयां लगाना, वैकल्पिक स्वच्छ स्रोतों-सतही या भू-जल आधारित-से आपूर्ति शामिल हैं।

पेय जल आपूर्ति भारत निर्माण के 6 घटकों में से एक है जिसे वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक 4 वर्षों में ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास के लिए कार्यान्वित की जाने वाली योजना के रूप में माना गया है। भारत निर्माण के पेय जल घटक के अंतर्गत पूरे किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप में गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की कवरेज शामिल है।

विवरण

भारत में फ्लूराइड से प्रभावित जनजाति बहुल जिलों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम		जिले का नाम
1	2		3
1.	आंध्र प्रदेश	1.	महबूब नगर
		2.	आदिलाबाद
		3.	वारंगल
		4.	विशाखापतनम
		5.	पश्चिम गोदावरी
2.	छत्तीसगढ़	1.	दंतेवाड़ा
3.	गुजरात	1.	सूरत
		2.	भरूच
		3.	वलसाड
		4.	पंचमहल और दाहोद
		5.	बदोदरा
		6.	साबरकांठा
		7.	बनासकांठा
		8.	नर्मदा
		9.	नवसारि
4.	मध्य प्रदेश	1.	बैतूल
		2.	धार
		3.	झबुआ
		4.	बालाघाट
		5.	मंडला
		6.	डिंडोरी
		7.	सिवनी
		8.	छिंदवाडा

1	2	3
5.	महाराष्ट्र	1. थाणे
		2. नासिक
		3. नंदरबार
		4. गडचिरौली
		5. अमरावती
		6. पूणे
		7. जलगांव
		8. यावतमल
		9. नागपुर
		10. चंद्रपुर
		11. नांदेड
6.	उड़ीसा	1. मलकांगिरी
		2. नवरंगपुर
7.	राजस्थान	1. बांसवाडा
		2. डूंगरपुर
		3. सिरोही
		4. चित्तौड़गढ़
		5. उदयपुर
8.	झारखंड	15 बसावट

शहरी सहकारिता बैंकों के लिए अनुसूची दर्जा

516. श्री विजय कृष्ण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शहरी सहकारिता बैंकों, जिन्होंने स्वयं को अनुसूचित बैंकों में परिवर्तन हेतु अनुरोध किया है, का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे बैंकों में से किसी बैंक को अभी तक अनुसूचित बैंक घोषित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे बैंकों में से किसी भी बैंक को अनुसूचित बैंक के वर्ग में शामिल न करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) अब तक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में 55 शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को शामिल किया गया है। 34 शहरी सहकारी बैंकों से प्राप्त आवेदनों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया है।

(घ) उपर्युक्त 34 शहरी सहकारी बैंकों को दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर में दर्शाए गए अनुसार उनकी वित्तीय स्थिति को पर्याप्त रूप से संतोषजनक नहीं माना गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2004-05 की वार्षिक मौद्रिक और ऋण-नीति के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त विधिक और विनियामक ढांचे बनाने और शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार संबंधी नीति तैयार हो जाने सहित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित व्यापक नीति तैयार हो जाने के पश्चात ही नए लाइसेंस जारी किए जाने पर विचार करने का निर्णय लिया है।

भूमि सुधार

517. श्रीमती नीता पटैरिया : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दसवीं योजना में चिन्हित भूमि सुधार को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय के रूप में माना गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रगति के संतोषजनक न होने की स्थिति में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि, सरकारी बंजरभूमि तथा भू-दान भूमि के वितरण तथा काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने, जनजातीय भूमि के अंतरण को रोकने तथा अंतरिम भूमि जनजातियों को वापस दिलाने एवं भूमि जोतों की चकबंदी के संबंध में राज्य-वार प्रगति को दिखाने वाले विवरण क्रमशः विवरण-I, II, III, IV, V तथा VI में दिए गए हैं।

भूमि तथा इसका प्रबंधन अनन्य रूप से राज्यों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भूमि सुधारों के क्षेत्र में एक सलाहकार एवं समन्वयक भूमिका अदा करता है। भूमि सुधार निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय कारगर भूमि सुधार आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय सहमति तैयार करने में भूमिका अदा करता है। यह समय-समय पर मुख्य-मंत्रियों तथा राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन आयोजित करता है तथा कशतकारों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने, जनजातीय भूमि के अंतरण को रोकने तथा अंतरिम भूमि जनजातियों को वापस दिलाने, भूमि जोतों की चकबंदी, सरकारी बंजरभूमि, अधिकतम सीमा से फालतू भूमि तथा भू-दान भूमि आदि के वितरण के संबंध में निगरानी करता है।

विवरण-I

अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण को दिखाने वाला विवरण (क्षेत्र एकड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	फालतू घोषित किया गया क्षेत्र	कब्जे में लिया गया क्षेत्र	अलग-अलग लाभभोगियों को वितरित किया गया क्षेत्र	लाभभोगियों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	855943	649417	587920	531702
2.	असम	613405	575337	545875	445862
3.	बिहार	415447	390752	306964	379528
4.	गुजरात	226043	161716	146578	33312
5.	हरियाणा	105783	101932	101166	29349
6.	हिमाचल प्रदेश	316556	304895	6167	6259
7.	जम्मू-कश्मीर	8836	शून्य	शून्य	शून्य
8.	कर्नाटक	268478	164675	123412	33727
9.	केरल	141427	96851	68745	166814
10.	मध्य प्रदेश	219927	189556	133883	46867
11.	महाराष्ट्र	708140	650073	614461	135472
12.	मणिपुर	1830	1685	1682	1258
13.	उड़ीसा	180301	168035	158030	141155
14.	पंजाब	223115	105858	104257	28582
15.	राजस्थान	613034	570395	464295	82938
16.	तमिलनाडु	205494	197025	186503	147733
17.	त्रिपुरा	1995	1944	1598	1424
18.	उत्तर प्रदेश	366147	335525	260509	300163
19.	पश्चिम बंगाल	1396943	1306776	1098537	2800120
20.	दादर और नगर हवेली	असूचित	असूचित	2767	3749
21.	दिल्ली	1132	394	394	654
22.	पांडिचेरी	2326	1286	1070	1464
	योग	6872302	5974457	4919313	5318132

विवरण-II

सरकारी बंजरभूमि का वितरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वितरित क्षेत्र (लाख एकड़ में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	42.02
2.	असम	5.89
3.	बिहार*	13.21
4.	गुजरात	13.81
5.	हरियाणा	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	0.17
7.	कर्नाटक	13.72
8.	केरल	4.57
9.	मध्य प्रदेश#	0.79
10.	महाराष्ट्र	10.23
11.	मणिपुर	0.32
12.	पंजाब	1.10
13.	उड़ीसा	7.26
14.	तमिलनाडु	2.07
15.	त्रिपुरा	1.32
16.	उत्तर प्रदेश@	24.89
17.	पश्चिम बंगाल	4.32
18.	गोवा	0.05
19.	मिजोरम	0.74
20.	राजस्थान	0.93
21.	दिल्ली	0.06
	योग	147.47

*झारखंड सहित, #छत्तीसगढ़ सहित, $उत्तरांचल सहित

विवरण-III

भूदान भूमि का वितरण

(क्षेत्रफल लाख एकड़ में)

क्रम सं.	राज्य	क्षेत्र		
		दान दिया गया	वितरित	शेष
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2.52	1.10	1.42
2.	असम	0.01	0.04	शून्य
3.	बिहार*	21.18	7.23	13.95
4.	गुजरात	0.34	0.27	0.07
5.	हरियाणा	0.02	0.02	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	नगण्य	नगण्य	नगण्य
7.	जम्मू और कश्मीर	नगण्य	नगण्य	नगण्य
8.	कर्नाटक	0.11	0.05	0.06
9.	केरल	0.02	0.02	शून्य
10.	मध्य प्रदेश#	1.72	1.41	0.31
11.	महाराष्ट्र	1.04	0.27	0.77
12.	उड़ीसा	6.39	5.80	0.59
13.	पंजाब	0.05	0.01	0.04@
14.	राजस्थान	1.15	1.14	0.01

1	2	3	4	5
15.	तमिलनाडु	0.24	0.21	0.03
16.	उत्तर प्रदेश%	4.37	4.21	0.16
17.	पश्चिम बंगाल	नगण्य	नगण्य	नगण्य
	योग	39.16	21.75	17.41

@कब्जे में नहीं लिया गया क्षेत्र *झारखंड सहित

#छत्तीसगढ़ सहित %उत्तरांचल सहित

विवरण-IV

स्वामित्व अधिकार प्रदत्त (या सरंक्षित अधिकार) काश्तकारों की संख्या और उनको आबंटित किया गया क्षेत्र

क्रम सं.	राज्य	कशतकारों की संख्या (लाख में)	आबंटित किया गया क्षेत्र (लाख एकड़ में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1.07	5.95
2.	अरुणाचल प्रदेश	प्रणाली लागू नहीं है	
3.	असम	29.08	31.75
4.	बिहार*	असूचित	असूचित
5.	गुजरात	12.76	25.92
6.	गोवा	असूचित	असूचित
7.	हरियाणा	काश्तकारी चलन में नहीं है	
8.	हिमाचल प्रदेश	4.01	असूचित
9.	जम्मू और कश्मीर	6.10	असूचित
10.	कर्नाटक	6.05	26.32
11.	केरल	28.42	14.50
12.	मध्य प्रदेश#	काश्तकारी चलन में नहीं है	
13.	महाराष्ट्र	14.92	42.90
14.	मणिपुर	असूचित	असूचित
15.	मेघालय	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	असूचित	असूचित
18.	उड़ीसा	1.65	0.98
19.	पंजाब	असूचित	असूचित
20.	राजस्थान	0.18	असूचित
21.	सिक्किम	असूचित	असूचित
22.	तमिलनाडु	4.98	6.95
23.	त्रिपुरा	0.14	0.39
24.	उत्तर प्रदेश@	असूचित	असूचित
25.	पश्चिम बंगाल	14.60	असूचित
	संघ राज्य क्षेत्र		
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य
27.	चण्डीगढ़	असूचित	असूचित
28.	दादर एवं नगर हवेली	0.26	0.64
29.	दिल्ली	असूचित	असूचित
30.	दमन और द्वीव	असूचित	असूचित
31.	लक्षद्वीप	नगण्य	नगण्य
32.	पांडिचेरी	नगण्य	नगण्य
	समग्र भारत:	124.22	156.30

*झारखंड सहित, #छत्तीसगढ़ सहित, @उत्तरांचल सहित

विवरण-V

अंतरित तथा वापस दिलाई गई जनजातीय भूमि के संबंध में राज्य-वार सूचना

(क्षेत्र एकड़ में)

क्रम सं.	राज्य	न्यायालय में दायर मामलों की संख्या	क्षेत्र	न्यायालय द्वारा निपटाये गये मामलों की संख्या	क्षेत्र	खारिज किए गए मामलों की संख्या	क्षेत्र	जनजातीय लोगों के पक्ष में निर्णीत मामलों की संख्या	क्षेत्र	उन मामलों की संख्या जिनमें जनजातीय लोगों को भूमि वापस दिलाई गई थी	क्षेत्र	न्यायालय में लंबित पड़े मामलों की संख्या	क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	65875	287776	58212	256452	31737	150227	26475	106225	23383	94312	7663	31324
2.	असम	2042	4211	50	19	—	—	50	19	50	19	1992	4192
3.	बिहार*	86291	104893	76518	95151	31884	49730	44634	45421	44634	45421	9773	9742
4.	गुजरात	47926	140324	40400	120691	119	497	40281	120194	39503	118259	7526	19633
5.	हिमाचल प्रदेश						नगण्य						
6.	कर्नाटक	42582	130373	38521	115021	16687	47159	21834	67862	21834	67862	4061	15352
7.	मध्य प्रदेश#	53806	158398	29596	97123	29596	97123	असूचित	असूचित	असूचित	असूचित	24210	61275
8.	महाराष्ट्र	45634	असूचित	44624	99486	24681	असूचित	19943	99486	19943	99486	1010	एनआर
9.	उड़ीसा	1431	1712	594	816	152	204	442	612	212	455	837	896
10.	राजस्थान	651	2300	240	774	53	187	187	587	187	587	411	1526
11.	त्रिपुरा	28926	25295	28888	25274	20084	18366	8804	6908	8551	6732	38	21
	योग	375164	855282	317643	810807	154993	363493	162650	447314	158297	433133	57521	143961

*झारखंड सहित, #छत्तीसगढ़ सहित @ आंकड़ें शामिल हैं।

विवरण-VI

भूमि जोतों की चकबंदी राज्य-वार

(क्षेत्रफल लाख एकड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चकबंदी किया गया क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	8.18*
2.	बिहार	96.05*
3.	गुजरात	69.98*
4.	हरियाणा	104.38
5.	हिमाचल प्रदेश	29.91
6.	जम्मू और कश्मीर	1.37*
7.	कर्नाटक	26.76#
8.	मध्य प्रदेश	95.53
9.	महाराष्ट्र	526.50$
10.	उड़ीसा	26.74
11.	पंजाब	121.81
12.	राजस्थान	42.30@
13.	उत्तर प्रदेश	481.63
14.	दिल्ली	2.33
	योग	1633.47

*योजना बंद कर दी गई हैं (आंध्र प्रदेश में 1966 से, बिहार तथा गुजरात में 1992 से)

#जोतों की चकबंदी अधिनियम, 1966 को, 1991 में निरस्त कर दिया गया है।

@योजना 1965 से समाप्त कर दी गई है।

$1.4.93 से योजना का कार्यान्वयन बन्द कर दिया गया है।

भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों को हानियां

518. कुंवर मानवेन्द्र सिंह :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आए भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में बैंकों की संख्या क्या है और उनके द्वारा कितनी हानि उठाई गई है;

(ख) इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या हाल ही के भूकंप से पाकिस्तान स्थित भारतीय बैंकों को व्यापक हानि उठानी पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हथकरघा उत्पादों के लिए मानक मार्क

519. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकल रोकने के लिए अथकरघा उत्पादों के लिए कोई मानक मार्क मौजूद है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) पोस्ट कोटा मार्किट में निर्यात की चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति बनाई और तैयार की गई है;

(घ) क्या सरकार ने अभिकल्प केन्द्रों की स्थापना हेतु निधियां उपलब्ध कराई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी नहीं,

(ख) सिल्क मार्क एवं वूल मार्क की तर्ज पर हैण्डलूम मार्क के विकास का कार्य वस्त्र मंत्रालय के वस्त्र समिति को सौंपा गया है।

(ग) सरकार द्वारा निम्नलिखित रणनीतियां अपनाई जा रही है :-

वूल मार्क की तरह हैण्डलूम के लिए एक ट्रेड मार्क विकसित किया जा रहा है जिससे हथकरघा उत्पाद एक विशिष्ट पहचान के रूप में विकसित होंगे।

- हथकरघा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार यूएसपी में द्वितीय, विशिष्ट, कस्टम डिजाइन्ड, उत्तम उत्पाद के रूप में लाया जाएगा। हथकरघा निर्यातों की वृद्धि के लिए विकसित देशों के महत्वपूर्ण क्षेत्र सतत् संभावी बाजार बने रहेंगे।

- अनन्वेषित देशों पर ध्यान देने के प्रयास किए जा रहे हैं। नई एवं संभावित उत्पाद वस्तुओं जैसे गारमेंटस, लाईफ स्टॉइल प्रोडक्ट्स एसेसरीज, मेड-अप्स, गिफ्ट, नेचर फाईबर, नेचुरल डाइड, प्रोडक्ट्स, आरगेनिक टैस्टाइल इत्यादि के विकास एवं संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

- हथकरघा को परम्परागत उत्पाद के रूप में मानते हुए विश्व व्यापार संगठन समझौते एवं इसके सतत् एवं वृद्धि से बेरोजगारी और गरीबी कम होने के आधार के माध्यम से हथकरघा उत्पादों को शुल्क मुक्त रखने की मांग की जाएगी।

(घ) और (ङ) जी नहीं, तथापि, देश में 25 बुनकर सेवा केन्द्र बुनकरों को टेक्सटाइल डिजाइन प्रदान करते हुए कार्य कर रहे हैं।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

520. **श्री चंद्रकांत खैरे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों को शासित करने वाले नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) संबंधित जोन के विभिन्न प्रांतीय कार्यालयों से विगत तीन वर्षों के दौरान-प्राप्त किए गए आवेदनों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है तथा उन्हें रद्द किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मेरठ क्षेत्रों के रद्द किए गए कुछेक मामलों को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा पुनर्विचार किए जाने पर अनुमोदित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे समान मामलों में पक्षपातपूर्ण मापदंडों के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों के आलोक में, सेवाकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित के लिए अनुकम्पा आधारित नियुक्ति केवल उस परिस्थिति में मान्य है जब दिवंगत कर्मचारी का परिवार बेहद गरीबी में हो। इस प्रकार, अनुकम्पा आधारित रोजगार प्रदान करना परिवार को संकट से उबरने में समर्थ बनाना है न कि कोई पद देना। इसे ध्यान में रखते हुए तथा बैंकों के कारोबारी उद्देश्यों तथा कार्यकाल के दौरान दिवंगत होने वाले कर्मचारियों के परिवारों के लिए अपने सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन लाने के लिए अनुकम्पा आधारित नियुक्ति के बदले एकमुश्त अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु जुलाई 2004 में भारतीय बैंक संघ द्वारा सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) को अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से अपनी योजनाएं तैयार करने के लिए एक आदर्श योजना परिचालित की गई थी। तदनुसार, पंजाब नेशनल बैंक (पीएसबी) ने आईबीए की उपर्युक्त आदर्श योजना के अनुसार अनुग्रह (एकमुश्त) राशि की अदायगी करने के लिए अपनी पुरानी योजना को नई योजना से दिनांक 29.10.2004 को प्रतिस्थापित कर दिया था। मेरठ अंचल में गत तीन वर्षों के दौरान पीएनबी द्वारा प्राप्त आवेदनों, उन पर की गई कार्रवाई एवं रद्द किए जाने के कारणों के ब्यौरे निम्नांकित हैं:

वर्ष	मामलों की संख्या जिन पर विचार किया गया	अनुमोदित मामलों की संख्या	निरस्त किए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4
2002	14	7	7

1	2	3	4
2003	10	4	6
2004	10	1	*

इस प्रकार, वर्ष 2002-2004 के बीच पीएनबी के मेरठ क्षेत्र में 12 मामले अनुमोदित हुए, जिनमें से 3 मामलों को पुनर्विचार करने के पश्चात अनुमोदित किया गया। साथ ही, वर्ष 2002 एवं 2003 में 13 मामलों को निरस्त कर दिया गया क्योंकि दिवंगत कर्मचारियो के परिवारों की वित्तीय स्थिति दयनीय नहीं मानी गई।

* बाकी बचे 9 मामलों के संबंध में, (3 मामले जिन पर पुनर्विचार करने पर, जैसार कि उल्लिखित है, पहले ही मंजूरी दे दी गई, को छोड़कर) मामलों पर इस योजना के तहत अनुग्रह राशि की अदायगी के लिए विचार किया जा रहा है।

(घ) कोई भेदभाव नहीं हुआ तथा परिवार की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा आधारित नियुक्ति के प्रत्येक मामले पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। वे मामले जिन्हें पुनर्विचार हेतु अनुमोदित किया गया, के संदर्भ में संबंधित परिवारों की वित्तीय स्थिति में बदलाव की सूचना मिली जिसके परिणामस्वरूप पुनर्विचार की आवश्यकता पड़ी।

भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन के लिए सीएजी रिपोर्ट

521. **श्रीमती जयाबेन बी. ठक्कर :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने 2004 की अपनी रिपोर्ट में यह पाया है कि भारतीय पटसन उद्योग अनुसंधान एसोसिएशन, कोलकाता की खराब योजना और प्रबंधन निष्फलता की वजह से 1.34 करोड़ रु. के व्यय के बावजूद पटसन विविधिकरण की एक परियोजना में 12 वर्ष का विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (ग) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (2004 की सं. 4) में यह टिप्पणी की गई है कि 77 निकायों के संबंध में वार्षिक लेखा/सूचना संबंधित निकायों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थीं जिसमें भारतीय पटसन उद्योग संघ (इजिरा) शामिल है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (2001 की सं. 4) में इजिरा द्वारा परियोजना को शुरू करने में हुए विलम्ब के संबंध में लेखा परीक्षा पैरा है। इस संबंध में, सीएंडएजी को स्पष्ट कर दिया गया है कि सामान्य रूप में कोई विकास संबंधी परियोजना और विशेष रूप से अनुसंधान एवं विकास परियोजना में जोखिम एक अंतर्निहित तत्व होता है। जोखिम प्रत्यक्ष रूप से परियोजना में उस औद्योगिक साझीदार के उद्यम संबंधी हितों के आनुपातिक होता है जो अंतिम मूल्यांकन में परियोजना का लाभार्थी होता है। कई विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पटसन उत्पाद विविधीकरण परियोजनाएं चलाकर पटसन उद्योग की सहायता करने का निर्णय लिया। इजिरा ने इस संबंध में मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। भूमि आदि की व्यवस्था करने वाले औद्योगिक साझीदार की इसमें रूचि नहीं रही क्योंकि परीक्षण के आधार पर संचालन के बाद उन्होंने यह पाया कि अनुसंधान परियोजना के परिणाम वाणिज्यिक रूप से अच्छे नहीं निकल सकते। परियोजना का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में किया जाना था। परियोजना का परीक्षण संचालन निर्धारित समय में पूरा किया गया था लेकिन उद्योग ने इस परियोजना के परिणाम गैर-अर्थक्षम पाए। उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए यह कहना सही नहीं होगा कि परियोजना को चालू करने में 12 वर्ष का विलम्ब हुआ।

बुनकरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

522. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेष रूप से कर्नाटक में बुनकरों के लिए नए दक्षता संबंधी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रों को आधुनिक और नवीनतम प्रौद्योगिकी से सुसज्जित किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो इन केन्द्रों के किस सीमा तक बुनकरों के सहायक बनने की संभावना है; और

(ङ) देश में मौजूदा प्रशिक्षण केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) इस समय, देश में 25 बुनकर सेवा केन्द्र बुनकरों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ कार्य कर रहे हैं। ये केन्द्र दिल्ली, मेरठ, पानीपत, चमोली, जयपुर, वाराणसी, श्रीनगर, चैन्नई, हैदराबाद, विजयवाड़ा, सलेम, कांचीपुरम, कन्नूर, बैंगलूर, मुम्बई, नागपुर, इंदौर, रायगढ़, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, भागलपुर, भुवनेश्वर, इम्फाल एवं अगरतल्ला में स्थित हैं।

पनधारा विकास परियोजनाएं

523. श्री परसुराम माझी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान स्थिति के अनुसार देश में शुरू की गई पनधारा विकास परियोजनाओं की संख्या और उन पर खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन पनधारा परियोजनाओं ने अपेक्षित परिणाम हासिल किए हैं;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शुरू करने के प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खामियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) भूमि संसाधन विभाग देश में तीन क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी) को वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। 1.4.1995 से राज्यों को 1225 आई.डब्ल्यू.डी.पी., 24353 डी.पी.ए.पी. तथा 13476 डी.डी.पी. परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। 1.4.1995 से 18.11.2005 तक की अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए राज्यवार जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। 16 राज्यों में पूरी हो चुकी परियोजनाओं के संबंध में किए गए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों से यह पता चला है कि भूमि की समग्र उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जल का स्तर बढ़ा है तथा परियोजनाओं क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समग्र आर्थिक विकास पर इसका महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

(घ) परियोजनाओं की निगरानी तिमाही प्रगति रिपोर्टों के द्वारा, वार्षिक लेखाओं की परीक्षा करके, स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा मध्यावधिक मूल्यांकन करके, क्षेत्र अधिकारियों एवं राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्त्ताओं के दौरों तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के निगरानी प्रभाग की सतर्कता तथा निगरानी समितियों के जरिए नियमित रूप से की जाती है।

विवरण

1995-96 से 2005-2006 तक (18.11.2005 की स्थिति के अनुसार) आई.डब्ल्यू.डी.पी., डी.पी.ए.पी. तथा डी.डी.पी. के अंतर्गत राज्यवार जारी की गई निधियां

क्र. सं.	राज्य का नाम	आई.डब्ल्यू.डी.पी.		डी.पी.ए.पी.		डी.डी.पी.		योग	
		परियोजनाओं की सं.	कुल जारी (करोड़ रु. में)	परियोजनाओं की सं.	कुल जारी (करोड़ रु. में)	परियोजनाओं की सं.	कुल जारी (करोड़ रु. में)	परियोजना क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	कुल जारी (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	74	155.11	3882	3514.93	906	93.76	28.82	3763.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	बिहार	37	16.45	453	29.47			3.26	45.93
3.	छत्तीसगढ़	43	52.38	1020	69.47			6.93	121.85
4.	गोवा	4	1.07	0	0			0.1	1.07
5.	गुजरात	62	88.14	2149	179.56	2642	287.25	27.61	554.96
6.	हरियाणा	20	30.41			1030	111.98	6.03	142.39
7.	हिमाचल प्रदेश	47	72.62	365	28.56	504	49.9	7.37	151.08
8.	जम्मू-कश्मीर	22	24.61	483	26.23	667	80.92	6.56	131.76
9.	झारखंड	20	10.12	1453	51.89			8.04	62.01
10.	कर्नाटक	59	101.96	2105	178.1	1362	97.69	20.62	377.75
11.	केरल	18	15.3					0.45	15.3
12.	महाराष्ट्र	58	66.04	3170	187.5			18.93	253.54
13.	मध्य प्रदेश	82	156.11	2934	324.72			19.35	480.82
14.	उड़ीसा	61	83.89	1146	70.46			8.69	154.35
15.	पंजाब	13	5.61					0.3	5.61
16.	राजस्थान	62	93.84	987	106.46	6290	642.11	39.6	842.41
17.	तमिलनाडु	64	90.12	1414	127.04			9.85	217.15
18.	उत्तर प्रदेश	83	143.77	1576	141.83			13.29	285.59
19.	उत्तरांचल	36	35.95	737	35.52			5.32	71.47
20.	पश्चिम बंगाल	14	4.6	479	21.35			2.69	21.35
	योग	879	1248.09	24353	1963.15	13476	1363.61	234.19	4574.86
	अन्य	0			11.17				11.17
1.	अरुणाचल प्रदेश	53	20.74					1.68	20.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	असम	112	108.45					5.49	108.45
3.	मणिपुर	33	28.91					1.89	28.91
4.	मेघालय	29	14.02					0.77	14.02
5.	मिजोरम	44	47.98					2.34	47.98
6.	नागालैंड	39	89.62					3.16	89.62
7.	सिक्किम	20	19.05					1.12	19.05
8.	त्रिपुरा	16	8.2					0.47	8.2
	पूर्वोत्तर राज्यों का योग	346	336.95					16.92	336.95
	कुल योग	1225	1585.05	24353	1974.32	13476	1033.82	236.11	4860.18

वस्त्रों का निर्यात

524. श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वस्त्र निर्यात ने अभी तक का सबसे अधिक आंकड़ा अर्जं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वस्त्र निर्यात की बढ़ोत्तरी की वजह से विदेशी मुद्रा में कितनी वृद्धि की संभावना है;

(ग) अगले पांच वर्षों के लिए कितने वस्त्र निर्यात करने का लक्ष्य है; और

(घ) विश्वव्यापी बाजार में वस्त्रों के निर्यात में भारत को एक "दिशा प्रवर्तक" बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता के अनुसार भारत की वस्त्र मदों का निर्यात अप्रैल-अगस्त, 2005 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5359.5 मिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 5885 मिलियन अमेरिकी डालर हो गया जो 515.5 मिलियन अमेरिकी डालर की वृद्धि दर्शाता है।

(ग) अगले पांच वर्षों के लिए निर्यात सवंर्धन परिषदों को दिए गए वस्त्र निर्यात (वस्त्र एवं क्लोदिंग) के लक्ष्य निम्नलिखित है :-

(बिलियन अमेरिकी डालर में)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
क्लोदिंग	9.01	11.77	15.37	20.12	26.32	34.49
वस्त्र	5.56	6.59	8.02	9.95	12.64	16.36
कुल	14.57	18.36	23.99	30.07	38.96	50.85

(घ) विश्वव्यापी बाजार में वस्त्रों के निर्यात में भारत को एक

"दिशा प्रवर्तक" बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(2) सरकार ने सिलेसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1-4-1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(4) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) शुरू किया है। बेहतर कृषि परिपाटियों, उत्तर बीजों, बाजार आधारभूत संरचना में सुधार और जिनिंग एवं प्रैसिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(5) वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र अवसंरचना विकास योजना और अपैरल पार्क निर्यात योजना को मिला दिया है और 2010 तक 50 बिलियन डालर का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने के दृष्टिकोण को वास्तविक स्वरूप देने के लिए एक नई "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" शुरू की है। यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर आधारित है और इसमें परियोजना के क्रियान्वयन के लिए किसी व्यावसायिक एजेंसी को नियुक्त किए जाने की संकल्पना है।

(6) वित्तीय शुल्क ढांचा सामानयत देश के भीतर विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मावनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पादन शुल्क की छूट का विकल्प दिया गया है।

(7) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीना की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(8) ट्रिमिंग एवं अलंकरण की 21 मदों का शुल्क मुक्त आयात करने के लिए परिधान निर्यातकों को पिछले वर्ष के दौरान उनके वास्तविक निर्यात निष्पादन के 3% तक अनुमति दी गई है।

(9) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20-4-05 से मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के अधीन 10% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सहायता योजना शुरू की है।

(10) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की सात शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(11) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

[हिन्दी]

विद्युत सृजन क्षमता

525. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विद्युत की आपूर्ति करने वाले विद्युत संयंत्रों की संस्थापित विद्युत सृजन क्षमता को विगत दो वर्षों के दौरान संवर्धित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) 1. महाराष्ट्र में विद्युत की आपूर्ति करने वाले विद्युत संयंत्रों की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता पिछले 2 वर्षों में बढ़ा दी गई है, विवरण निम्नलिखित है-

(i) तिल्लारी जल विद्युत परियोजना संस्थापित क्षमता 1+60 मेगावाट का नवीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम)

तथा उच्चीकरण वर्ष 2004-05 के दौरान पूरा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप यूनिट की संस्थापित क्षमता 60 मेगावाट से बढ़कर 66 मेगावाट हो गई।

(ii) कोयना जेनरेशन काम्पलेक्स चरण-1 से 3 (संस्थापित क्षमता 4×70 मेगावाट + 4×60 मेगावाट +4×80 मेगावाट) का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम) एवं उच्चीकरण वर्ष 2004-05 के दौरान पूरा हो गया जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की विश्वसनीयता/उपलब्धता में सुधार हुआ।

2. पुनः निम्नलिखित तीन जल विद्युत परियोजनाओं का कुछ नवीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य इस समय प्रगति पर है और उनके 10वीं योजना के अंत तक पूरा होने की आशा है-

(i) कोयना-1 और 2 (संस्थापित क्षमता 4×80 मेगावाट + 4×80 मेगावाट)।

(ii) वैतरणा (संस्थापित क्षमता 1×60 मेगावाट)।

(iii) कोयना-III (संस्थापित क्षमता 4×80 मेगावाट)।

ग्रामीण विकास में व्यय

526. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ग्रामीण विकास पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का रेगिस्तानी जिलों में धनराशि को बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो यह धनराशि कब तक बढ़ाई जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2002-03, 2003-04, 2004-05 और चालू वर्ष 2005-06 के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राजस्थान को आबंटित एवं रिलीज की गई कुल निधियां नीचे दी गई हैं :

वर्ष	रिलीज की गई निधियां (केन्द्र + राज्य) (करोड़ रु. में)	एसजीआरवाई और एनएफएफडब्ल्यूपी के अंतर्गत रिलीज किया गया खाद्यान्न (इकाई टन में)
2002-03	866.80	183856
2003-04	841.10	224972
2004-05	1449.94	196871*
2005-06	844.46 (अक्तूबर, 2005 तक)	122580*

एसजीआरवाई : संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

एनएफएफडब्ल्यूपी : काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम

*एनएफएफडब्ल्यूपी सहित

(ख) से (घ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार राजस्थान सहित राज्यों में निर्धनता की स्थिति के आधार पर प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां आबंटित की जाती हैं। उपयोग क्षमता, ग्रामीण गरीबों की कुल संख्या और राज्य में ग्रामीण गरीब के अनुपात जैसे अन्य मानदंडों के अलावा विस्तृत कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार भी आवास की कमी को महत्व दिया जाता है।

[अनुवाद]

एसबीआई कैप प्रतिभूतियां

527. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी एसबीआई कैप प्रतिभूतियां शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एसबीआई का विचार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को मिलाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एसबीआई द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है और इसे 19.8.2005 को निगमित किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

जैव-ईंधन नीति

528. श्री महबूब जाहेदी : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित टेरी के अनुसंधानकर्त्ताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे राजस्थान की रेतीली मृदा में भी जटरोफा उगा सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में कृषि अपव्यय चावल भूसी तथा गन्ने के छिलकों से कार चलाने के लिए एथेनोल के उत्पादन की प्रौद्योगिकी मौजूद है;

(ग) क्या सरकार की वर्ष 2025 तक पुन:प्रयोज्य जैव ईंधन से आटोमोबाइल ईंधन के न्यूनतम 50% प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) ने सूचित किया है कि उन्होंने वर्ष 2003-04 से जोधपुर (राजस्थान) के निकट सरदारसामन्द में 90 हैक्टेयर बंजर भूमि पर जटरोफा का प्रदर्शन आरंभ किया है।

(ख) भारत में चावल भूसी और गन्ने की खोई जैसे कृषि अपशिष्टों से एथेनोल का उत्पादन करने के लिए वाणिज्यिक स्तर पर प्रौद्योगिकियां उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं।

[अनुवाद]

जटरोफा की खेती

529. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री के.सी. पलनिसामी :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जैव डीजल के उत्पादन के लिए जटरोफा तथा प्रयुक्त होने वाले अन्य पेड़ों की खेती को बढ़ावा देने के लिए समिति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति का गठन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) जटरोफा की खेती को बढ़ावा देने और जैव-डीजल को पेट्रोल/डीजल के विकल्प के रूप में बायोडीजल का उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) बायो-ईंधन के विकास के संबंध में योजना आयोग द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल, 2003 में प्रस्तुत कर दी है। समिति ने जटरोफा, जिसके बीज बायो-डीजल के उत्पादन के लिए मुख्य कच्ची सामग्री है, के पौधरोपण पर विशेष जोर देते हुए बायो-डीजल के संबंध में राष्ट्रीय मिशन आरंभ करने की सिफारिश की है। राष्ट्रीय मिशन आरंभ करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का केन्द्रीय (नोडल) मंत्रालय के रूप में चयन किया गया है। इस प्रयोजना के लिए योजना आयोग का "सिद्धांत रूप में अनुमोदन" प्राप्त करने हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

(घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में पांच वर्षों की अवधि के दौरान वनीय और वनेतर क्षेत्रों (2.00 लाख हैक्टेयर वनेतर भूमि और 2.00 लाख हैक्टेयर वन भूमि) में, विशेषरूप से बंजरभूमि में जटरोफा

की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदर्शन परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। बायो-डीजल के उपयोग के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 अक्तूबर, 2005 को बायो-डीजल की खरीद संबंधी नीति की घोषणा की है। इस नीति के अंतर्गत 1.1.2006 से सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियां बायो डीजल की 25 रुपये प्रति लीटर के एकसमान मूल्य पर खरीद करेंगी, जो दिनांक 26.7.2004 के पी.सी.डी.3(2242) सी. के द्वारा प्रतिपादित औद्योगिक मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) के विनिर्देशन द्वारा निर्धारित ईंधन गुणवत्ता मानक को पूरा करता है। एक बार निर्धारित एकसमान मूल्य छः मास की अवधि के लिए लागू रहेगा और इस अवधि के अंत में इसकी समीक्षा की जाएगी।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के सेवानिवृत कर्मचारियों हेतु पेंशन योजना

530. डा. एम. जगन्नाथ : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 2004 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की धारिता कंपनी से सेवानिवृत्त सभी कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे सभी सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए पेंशन कब तक स्वीकृत की जाएगी?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम धारक कंपनी, नई दिल्ली के 83 कर्मचारियों ने जुलाई 2004 में एमवीआरएस ले ली है।

(1) 83 मामलों में से 2 कर्मचारी परिवार पेंशन/पेंशन योजना के सदस्य नहीं थे।

(2) 53 मामले क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली द्वारा सीधे ही निपटा दिए गए हैं।

(3) 22 कर्मचारियों ने पेंशन के लिए आवेदन-पत्र नहीं दिए है।

(4) 6 मामले कर्मचारियों से स्पष्टीकरण के अभाव में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय में अविलंबित हैं।

(घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम पेंशन निर्धारण के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली कार्यालय को पूर्व कर्मचारियों के आवेदन-पत्र विधिवत सत्यापित कर भेजता है। उसके बाद क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली उन दस्तावेजों पर कार्रवाई करता है और संबंधित व्यक्ति को सीधे ही सूचित करते हुए पेंशन निर्धारित करता है। एनटीसी ने सत्यापन के लिए कोई भी आवेदन-पत्र निर्धारित नहीं किया है।

[हिन्दी]

फास्ट ट्रैक कोर्ट

531. डा. राजेश मिश्रा :
श्री बी.एम. सिद्धेश्वर :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में उन राज्यों की आलोचना की है जिन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रयोजन हेतु पूरा केन्द्रीय सरकार अनुदान प्राप्त करने के बावजूद अपेक्षित संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने में चूक की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने अपेक्षित संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने में चूक की है; और

(ग) इन राज्यों द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) उच्चतम न्यायालय ने, ब्रज मोहन लाल बनाम भारत संघ के मामले में अपने तारीख 29 अप्रैल, 2004 तथा तारीख 29 जुलाई, 2005 के आदेश में यह संप्रेक्षण किया था कि त्वरित निपटान न्यायालयों के गठन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के बावजूद भी अनेक राज्य सरकारों ने अपने उत्तर फाइल नहीं किए थे।

(ख) अपेक्षित संख्या में त्वरित पिनटान न्यायालयों के गठन में व्यतिक्रम करने वाली राज्य सरकारें हैं, बिहार, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिमी बंगाल।

(ग) ऐसे त्वरित निपटान न्यायालयों की, जो कार्य कर रहे थे और जिनकी कार्यावधि 31.3.2005 को समाप्त हो गई थी, कार्यावधि को 100% केन्द्रीय वित्त पोषण के साथ 31.3.2010 तक पांच वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। केवल ऐसे त्वरितनिपटान न्यायालयों (1562) की कार्यावधि बढ़ाने के लिए विचार किया गया था, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा क्रियाशील बनाया गया था।

आयकर विभाग द्वारा अनुदेश

532. श्री विजय कुमार खंडेलवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने बैंकों को पैन कार्ड धारी व्यक्तियों के उन बैंक खातों में लेन-देन पर नजर रखने के अनुदेश दिए हैं जिनमें भारी राशि के लेन-देन हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके कारण अनेक खाता धारकों द्वारा अपने खाते बंद करने की स्थिति उत्पन्न हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमानिक्कम) : (क) और (ख) बैंककारी नकद संव्यवहार कर नियमावली, 2005 के अंतर्गत अनुसूचित बैंक की प्रत्येक शाखा से यह अपेक्षित है कि वह उस शाखा में निष्पन्न हुए कराधेय बैंककारी संव्यवहारों के ब्यौरों को रखे। अनुसूचित बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे कराधेय बैंककारी संव्यवहारों का ब्यौरा नियमावली के अंतर्गत विहित तरीके से समय-समय पर आयकर विभाग को प्रस्तुत करें।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 ख क एवं उसके अंदर बनाए गए नियमों के अंतर्गत, बैंकों से अपेक्षित है कि वे उस बैंक में रखे गए किसी व्यक्ति के किसी बचत खाते में एक वर्ष में 10 लाख अथवा इससे अधिक के नकद निक्षेपों के संबंध में एक वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत करें।

(ग) ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

किसान क्रेडिट कार्ड

533. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री आलोक कुमार मेहता :
श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण :
डा. के. धनराजू :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसानों को कितने किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में इस योजना का कोई मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमानिक्कम) : (क), (ग) और (घ) इस योजना का उद्देश्य प्रधानतः किसानों की अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करना था इसलिए बैंकों ने उन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किए जो कृषि उद्देश्यों के लिए उत्पादन ऋण की मंजूरी हेतु पात्र थे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के माध्यम से केसीसी योजना के लिए एक राष्ट्रीय समाघात आकलन सर्वेक्षण का गठन किया। अध्ययन के माध्यम से प्रकट हुई इस योजना की कुछ सकारात्मक विशेषताएं निम्नांकित हैं:

- उधार लागत में कमी।
- ऋण आवेदनों के निपटान के लिए समय में महत्वपूर्ण कमी।
- अनौपचारिक स्रोतों (महाजन, इत्यादि) से ऋणों में कमी।
- बैंकों की परिचालन लागत में कमी, इत्यादि।

अध्ययन से इस योजना की कुछ कमजोरियों का भी पता चला है जो निम्नांकित हैं:

- केसीसी धारकों के लिए चेक बुक आहरण सुविधा का प्रावधान नहीं है।
- परिचालन के सामान्य सीमित क्षेत्र के बाहर केसीसी का प्रयोग करने में किसानों की असमर्थता।
- अधिक संख्या में लेन-देन करने पर प्रतिबंध।
- बैंकों द्वारा लिए जाने वाले सेवा एवं निरीक्षण शुल्कों में अंतर।

कृषि एवं इससे संबद्ध क्रियाकलापों के लिए मीयादी ऋण/कार्यशील पूंजी तथा खपत के लिए संघटक जैसे अन्य संबंधित उद्देश्यों को शामिल करने के लिए इस योजना के कार्यक्षेत्र को और व्यापक किया गया है। तथापि, काश्तकारों, मौखिक पट्टेदारों, बंटाईदारों एवं चूककर्ताओं सहित सभी नए पात्र उधारकर्ताओं को केसीसी के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनिवासी भारतीयों से धनराशि जुटाना

534. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री अविनाश राय खन्ना :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों से धनराशि जुटाने का है;

(ख) यदि हां। तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त धनराशि का किन प्रयोजनों हेतु उपयोग किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) प्रत्यावर्तन लाभों सहित पोर्टफोलियों निवेश योजना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत भारत में निवेश करने के लिए अनिवासी भारतीयों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। निवेश अवसरों के अलावा, अनिवासी भारतीयों के लिए अनेक बैंक जमाराशियां भी प्रचालनरत हैं, जैसे एफसीएनआर (बी) जमा योजना, एनआरई रुपया जमा योजना।

केवल सरकार द्वारा उपयोग हेतु अनिवासी भारतीयों से धनराशि जुटाने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विद्युत संकट

535. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में विद्युत की अत्यधिक कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) द्वीपसमूह में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार और अंडामान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में बिजली की कोई कमी नहीं है।

(ग) 26 दिसंबर, 2004 को आए भूकंप एवं सुनामी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 36 पावर हाउसों में से 22 पावर हाउस नष्ट हो गए या बिल्कुल साफ हो गए। सारे द्वीप समूह में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 65 मेगावाट में से 37 मेगावाट अस्त-व्यस्त हो गई थी, जिस कारण पावर हाउस बंद कर दिए गए थे। 30.75 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता को पुनः चालू कर दिया गया है और साथ ही 75 मेगावाट डीजल उत्पादन क्षमता को भी जोड़ा है। बसे हुए सारे मुख्य द्वीपों एवं मध्यवर्ती शरण स्थलों में बिजली की आपूर्ति को चालू किया गया है।

पाकिस्तान में भारतीय बैंक खोलना

536. श्री उदय सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के देश में बैंक शाखाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान में बैंक शाखाएं स्थापित करने के सुरक्षा संबंधी पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह निर्णय दोनों देशों के लिए पारस्परिक रूप से कितना लाभकारी होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अंतर्विभागीय समिति (आईडीसी) द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार पारस्परिक आधार पर पाकिस्तान में भारतीय बैंकों की दो शाखाएं तथा भारत में पाकिस्तानी बैंकों की दो शाखाएं खोलने के लिए अनुमति प्रदान करने से संबंधित दिनांक 7 नवम्बर, 2005 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। शाखाएं खोलने के लिए अनुमत विशिष्ट बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक एवं स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान (एसबीपी) द्वारा अपनी विनियामक नीतियों एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए परस्पर सहमति होगी। बैंकों की अन्य अथवा अतिरिक्त शाखाओं को लाइसेंस देने के संबंध में निर्णय आरबीआई एवं एसबीपी द्वारा विदेशी बैंकों को समय-समय पर लागू अपनी नीति एवं लाइसेंसीकरण मानदंडों के अनुसार लिया जाएगा। इस निर्णय से दोनों देशों के मध्य व्यापार एवं द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने में फायदा होगा।

विश्व बैंक ऋण

537. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में सरकार ने महाराष्ट्र के लिए 325 मिलियन डालर के ऋण हेतु विश्व बैंक से कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(ग) इस ऋण के अंतर्गत कौन सी परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी) से मिलने वाले ऋण की अदायगी 20 वर्ष, जिसमें 5 वर्ष की रियायती अवधि भी शामिल है, में की जानी होती है। ब्याज-दर का निर्धारण 6 माह के लिबोर और एक परिवर्तनीय विस्तार के आधार पर किया जाता है।

(ग) महाराष्ट्र जल क्षेत्र सुधार परियोजना के निम्नलिखित घटक हैं :

(i) जल क्षेत्र संस्थागत पुनर्रचना तथा क्षमता निर्माण

(ii) सिंचाई सेवा आपूर्ति तथा प्रबंधन सुधार

(iii) नवीन प्रायोगिक कार्यक्रम, तथा

(iv) परियोजना प्रबंधन

(घ) इस परियोजना को 29 सितम्बर, 2005 से प्रभावी घोषित किया गया है।

एनटीसी मिलों को पट्टे पर देना

538. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय वस्त्र निगम को अपनी मिलों को निजी क्षेत्र को पट्टे पर देने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी मिलों को पट्टे पर दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उन एनटीसी मिलों का ब्यौरा क्या है जिनका आधुनिकीकरण और प्रचालन स्वयं एनटीसी द्वारा किया जाना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) और (ख) जी, हां। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज करने के उद्देश्य से सरकार ने अपनी कुछ मिलों को पट्टे के आधार पर लेने, आधुनिकीकृत करने और चलाने के लिए निजी भागीदारी की मांग करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में रुचि संबंधी सूचना प्रमुख समाचार पत्रों में 16.11.2005 को प्रकाशित कर दी गई है।

(ग) बी.आई.एफ.आर के अनुमोदन के अध्यधीन पट्टे के लिए 29 मिलों की पहचान की गई है।

(घ) एन.टी.सी लि. का विचार है कि वे एनटीसी मिलों की बेशी परिसंपत्तियों की बिक्री से अर्जित निधियों से लागत पूरी कर खुद 22 मिलों का आधुनिकीकरण एवं प्रचालन करें। इन मिलों की सूची संलग्न विवरण में है।

विवरण

आधुनिकीकृत किए जाने (52 में से) के लिए 22 मिलों की सूची

क्र.सं.	मिलों के नाम	स्थान
1	2	3
अ. प्रथम चरण में आधुनिकीकृत किए जाने के लिए 15 मिलें		
एनटीसी (एपीकेकेएम)लि.		
कर्नाटक		
1.	मिनर्वा मिल्स	बंगलोर
केरल		
2.	अनगप्पा टेक्सटाइल मिल्स	अलगप्पानगर
3.	कन्नानोर स्पि. व विविंग मिल्स	कन्नानोर
4.	केरल लक्ष्मी मिल्स	तिरुचुर
5.	विजयमोहिनी मिल्स	त्रिवेन्द्रम
माहे		
6.	कन्नानोर स्पि. व विविंग मिल्स	माहे
एनटीसी (एमएन) लि.		
महाराष्ट्र		
7.	पोद्दार मिल्स	मुंबई
एनटीसी (एसएम) लि.		
महाराष्ट्र		
8.	बारसी टेक्सटाइल् मिल्स	बारसी
9.	फिनले मिल्स	मुंबई
एनटीसी(टीएन एंड पी) लि.		
तमिलनाडु		
10.	कम्बोडिया मिल्स	कोयम्बटूर
11.	कोयम्बटूर मुरुगन मिल्स	कोयम्बटूर
12.	पंकज मिल्स	कोयम्बटूर
13.	पायनियर स्पिनर्स मिल्स	कमुदकड्डी
14.	श्री रंगाविलास एस व डब्ल्यू मिल्स	कोयम्बटूर
15.	कालीश्वरर मिल्स 'बी' यूनिट	कलयारकोइल
ब. उपर्युक्त 15 मिलों के अतिरिक्त आधुनिकीकृत किए जाने के लिए 7 मिलें		
एनटीसी (डीपीआर) लि.		
राजस्थान		
1.	उदयपुर काटन मिल्स	उदयपुर
एनटीसी (गुज.) लि.		
गुजरात		
2.	राजनगर टेक्सटाइल मिल सं.1	अहमदाबाद

1	2	3
एनटीसी (एमएन) लि.		
महाराष्ट्र		
3.	टाटा मिल्स	मुंबई
4.	इंडिया यूनाईटेड मिल सं. 5	मुंबई
एनटीसी (डब्ल्यूबीएबीओ) लि.		
पश्चिम बंगाल		
5.	आरती करटन मिल्स	दास नगर
एनटीसी (एमपी) लि.		
मध्य प्रदेश		
6.	बुरहानपुर ताप्ति मिल्स	बुरहानपुर
7.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स	भोपाल

सरकारी ऋण प्रणाली

539. **श्री निखिल कुमार :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों में सहकारी ऋण प्रणाली असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्यों में सहकारी ऋण प्रणालियों को मजबूत करने के लिए क्या नए कदम उठाए जाएंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सकल घरेलू उत्पाद अभिवृद्धि कई कारकों से प्रभावित होती है तथा सहकारी ऋण उन कारकों में से एक है। सहकारी ऋण ढांचे को पुनरुज्जीवित करने के लिए अल्पावधि ऋण ढांचे के संदर्भ में प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कार्यबल की रिपोर्ट को राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यान्वयन के लिए सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

540. **श्री सूरज सिंह :**
श्री रामचन्द्र पासवान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंकों सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नई योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक और इसके अनुषंगी बैंकों में विद्यमान पेंशन नियमों/विनियमों के अधीन, वह कर्मचारी जिसने अपनी अर्हक सेवा के 20 वर्ष पूरे कर लिए हों, नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम 3 माह का लिखित रूप में नोटिस देते हुए, अपनी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध कर सकता है। तथापि, वहां, राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक और उनके अनुषंगी बैंकों के कर्मचारियों के लिए विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

नोटरी पब्लिक का पद

541. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के विभिन्न न्यायालयों में नोटरी पब्लिक के अनेक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो रिक्त पदों का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) और (ख) नोटेरी नियम, 1956 द्वारा यह विहित किया गया है कि पश्चिमी बंगाल राज्य के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नोटेरियों की अधिकतम संख्या 450 है और जिसमें से केन्द्रीय सरकार ने अभी तक 137 नोटेरियों की नियुक्ति की है। इस संबंध में कोई जिलावार कोटा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

(ग) किसी आवेदन के प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी जांच की जाएगी और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास नियम 3 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं नहीं हैं, या यह कि आवेदक की नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए किसी पूर्व आवेदन को वर्तमान आवेदन की तारीख से छह मास पूर्व की अवधि में नामंजूर किया गया था, तो वह आवेदन को नामंजूर करेगा और तदनुसार आवेदक को इसकी सूचना देगा। यदि सक्षम प्राधिकारी आवेदन को रद्द नहीं करता है तो वह यदि उचित समझता है तो उस क्षेत्र की, जहां आवेदक वृत्ति करने का प्रस्ताव करता है, विधिज्ञ परिषद, विधिज्ञ संगम आदि से आवेदक की नोटेरी के रूप में नियुक्ति के संबंध में टिप्पणियों और आक्षेपों, यदि कोई हों, की मांग कर सकेगा और आवेदक से एक शपथ-पत्र भी ले सकेगा। आवेदनों की संख्या काफी अधिक होने के कारण प्रत्येक आवेदन के संबंध में कार्यवाही करने में कुछ समय लगता है। इसके अतिरिक्त नोटेरियों की नियुक्ति के लिए आवेदनों पर शीघ्र कार्यवाही करने के लिए एक पृथक नोटरी प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गई है।

भारतीय रुपये का मूल्य

542. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुपये के मूल्य में अमरीकी डालर और यूरो के मुकाबले निरंतर गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत छह महीनों में प्रत्येक महीने के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण है; और

(घ) भारतीय रुपये के मूल्य को ऊपर उठाने के लिए क्या राजकोषीय उपाय किए जाने हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) जी नहीं। अमरीकी डालर और यूरो के मुकाबले भारतीय रुपये के मूल्य में निरंतर गिरावट नहीं आ रही है। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम सात महीनों (अर्थात् अप्रैल-अक्तूबर 2005-06) के दौरान इन दो मुद्राओं के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई पड़ी। अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपये के मूल्य में उतार-चढ़ाव घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में मांग एवं आपूर्ति की स्थिति पर निर्भर करता है। वर्तमान में रुपये की विनिमय दर के संबंध में कोई राजकोषीय उपाय विचाराधीन नहीं है।

भारत और अमरीका के बीच समझौता

543. **प्रो. एम. रामदास :**
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते से प्रभावित वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के व्यापक क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह समझौता संयुक्त उत्तरदायित्व और समान योगदान और लाभ सुनिश्चत करेगा; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे उत्तरदायित्वों, योगदानों और लाभ का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी हां। दिनांक 17 अक्तूबर, 2005 को वाशिंगटन डी सी में भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर एक अन्तर सरकारी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं। यह एक संरक्षणात्मक करार

है जिसमें सहयोग के विभिन्न तरीकों का प्रावधान इस करार के कार्यान्वयन के क्रम में किया गया है।

(ग) और (घ) इस करार के अंतर्गत सहयोग साझे उत्तरदायित्वों और समान योगदानों तथा लाभों पर आधारित होगा जो संबंधित पक्षों के अपने-अपने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय शक्तियों तथा संसाधनों के अनुरूप होगा। सहयोगात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से दोनों पक्षों के उत्तरदायित्वों, योगदानों और लाभों का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर किया जायेगा।

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की समीक्षा

544. श्री रामदास आठवले :
श्री जोआकिम बखला :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री रनेन बर्मन :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने परिवार गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और इन परिवारों में से राज्यवार कितने परिवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2009 तक ऐसे सभी परिवारों का उत्थान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2009 तक प्रतिवर्ष कितने परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का लक्ष्य रखा गया है;

(घ) क्या पिछली और चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की कोई समीक्षा की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त की गयी सफलता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार चालू योजना के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत विशेषकर पिछड़े राज्यों में और अधिक धनराशि खर्च करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गरीबों के उत्थान के लिए कौन सी नई योजनाएं आरंभ की जाएंगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा लगभग पांच वर्ष के अन्तराल पर किए गए 'परिवार उपभोग व्यय' संबंधी वृहद नमूना सर्वेक्षण से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाया जाता है और गरीबी के ये अनुमान व्यक्तियों के संबंध में होते हैं न कि परिवारों के संबंध में। वर्ष 1999-2000 में किए गए ऐसे नवीनतम सर्वेक्षण (55 वां चक्र) के अनुसार, अखिल भारत स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों का प्रतिशत एवं संख्या और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

अखिल भारत स्तर पर दसवें योजना दस्तावेज में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का अनुपात 1999-2000 में 26.1% की तुलना में 2006-07 में घटकर 19.3% रहने की संभावना बताई गई है।

(घ) से (छ) मंत्रालय द्वारा व्यापक मानीटरिंग एवं मूल्यांकन पद्धति के माध्यम से विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सतत रूप से समीक्षा की जाती है। इन समीक्षाओं के निष्कर्ष का विभिन्न स्तरों पर आवश्यक नीतिगत कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। योजना आयोग द्वारा भी समय-समय पर इन कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षाओं के निष्कर्ष के आधार पर मौजूदा स्वरोजगार कार्यक्रम अर्थात् स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) और मजदूरी रोजगार कार्यक्रम अर्थात् संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई) पुनः बनाया गया था।

42873.80 करोड़ रु. के 9वें योजना आबंटन की तुलना में 10वीं योजना के लिए ग्रामीण विकास और गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के लिए 76774 करोड़ रु. का संवर्धित आबंटन किया गया है। इस संवर्धित आबंटन के अतिरिक्त देश के 150 अत्यंत पिछड़े जिलों में 2004-05 के दौरान काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन एफ एफ डब्ल्यू पी) शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार के और अवसर पैदा करने के प्रयासों में सहायता प्रदान करना था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (एन आर

ई जी) अधिनियम 2005 भी पारित किया गया जिसके अंतर्गत 200 जिलों (इसमें 150 एन एफ एफ डब्ल्यू पी जिले शामिल हैं) में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यान्वित की जाएगी। एन आर ई जी अधिनियम में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करके परिवारों को जीवनयापन सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है।

विवरण-I

1999-2000 के दौरान राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की %	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की %	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	व्यक्तियों की %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	58.13	11.05	60.88	26.63	119.01	16.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.80	40.04	0.18	7.47	3.98	33.47
3.	असम	92.17	40.04	2.38	7.47	94.55	36.09
4.	बिहार	376.51	44.30	49.13	32.91	425.65	42.60
5.	गोआ	0.11	1.35	0.59	7.52	0.70	4.40
6.	गुजरात	39.80	13.17	28.09	15.59	67.89	14.07
7.	हरियाणा	11.94	8.27	5.39	9.99	17.34	8.74
8.	हिमाचल प्रदेश	4.84	7.94	0.29	4.63	5.12	7.63
9.	जम्मू-कश्मीर	2.97	3.97	0.49	1.98	3.46	3.48
10.	कर्नाटक	59.91	17.38	44.49	25.25	104.40	20.04
11.	केरल	20.97	9.38	20.07	20.27	41.04	12.72
12.	मध्य प्रदेश	217.32	37.06	81.22	38.44	298.54	37.43
13.	महाराष्ट्र	125.12	23.72	102.87	26.81	227.99	25.02
14.	मणिपुर	6.53	40.04	0.66	7.47	7.19	28.54

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मेघालय	7.89	40.04	0.34	7.47	8.23	33.87
16.	मिजोरम	1.40	40.04	0.45	7.47	1.85	19.47
17.	नागालैण्ड	5.21	40.04	0.28	7.47	5.49	32.67
18.	उड़ीसा	143.69	48.01	25.40	42.83	169.09	47.15
19.	पंजाब	10.20	6.35	4.29	5.75	14.49	6.16
20.	राजस्थान	55.06	13.74	26.78	19.85	81.83	15.28
21.	सिक्किम	2.00	40.04	0.04	7.47	2.05	36.55
22.	तमिलनाडु	80.51	20.55	49.97	22.11	130.48	21.12
23.	त्रिपुरा	12.53	40.04	0.49	7.47	13.02	34.44
24.	उत्तर प्रदेश	412.01	31.22	117.88	30.89	529.89	31.15
25.	पश्चिम बंगाल	180.11	31.85	33.38	14.86	213.49	27.02
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.58	20.55	0.24	22.11	0.82	20.99
27.	चण्डीगढ़	0.06	5.75	0.45	5.75	0.51	5.75
28.	दादर व नागर हवेली	0.30	17.57	0.03	13.52	0.33	17.14
29.	दमन व दीव	0.01	1.35	0.05	7.52	0.06	4.44
30.	दिल्ली	0.07	0.40	11.42	9.42	11.49	8.23
31.	लक्षद्वीप	0.03	9.38	0.08	21.27	0.11	15.60
32.	पांडिचेरी	0.64	20.55	1.77	22.11	2.41	21.67
	कुल	1932.42	27.09	670.07	23.62	2602.50	26.10

1. असम का गरीबी अनुपात सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा त्रिपुरा के लिए उपयोग होता है।

2. तमिलनाडु का गरीबी अनुपात पांडिचेरी तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए उपयोग होता है।

3. केरल का गरीबी अनुपात लक्षद्वीप के लिए उपयोग होता है।

4. महाराष्ट्र का गरीबी अनुपात और गोवा का व्यय वितरण गोवा के गरीबी अनुपात के लिए उपयोग होता है।

5. पंजाब का शहरी गरीबी अनुपात, चंडीगढ के ग्रामीण एवं शहरी दोनों गरीबी अनुपात के लिए उपयोग होता है।

6. हिमालय प्रदेश का गरीबी अनुपात एवं जम्मू तथा कश्मीर का व्यय वितरण, जम्मू तथा कश्मीर के गरीबी अनुपात के लिए उपयोग होता है।

7. महाराष्ट्र का गरीबी अनुपात तथा दादर एवं नगर हवेली का व्यय वितरण, दादर एवं नगर हवेली के गरीबी अनुपात के लिए उपयोग होता है।

8. गोवा का गरीबी अनुपात, दमन एवं दीव के लिए उपयोग होता है।

विवरण-II

1999-2000 के दौरान राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे की अनु. जाति/जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी	
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	16.49	23.82	41.42	44.99
2.	असम	44.00	38.73	19.99	2.70
3.	बिहार	59.81	59.68	51.91	39.47
4.	गुजरात	17.77	29.11	29.13	36.66
5.	हरियाणा	19.03	-	25.38	-
6.	हिमाचल प्रदेश	13.15	5.73	6.74	-
7.	कर्नाटक	26.22	25.49	47.01	51.37
8.	केरल	14.64	24.20	24.15	-
9.	मध्य प्रदेश	41.29	56.26	54.24	52.59
10.	महाराष्ट्र	33.27	43.56	39.88	42.98
11.	उड़ीसा	51.83	73.93	70.59	59.59
12.	पंजाब	12.39	17.99	11.30	12.95
13.	राजस्थान	19.62	25.27	41.82	20.71

1	2	3	4	5	6
14.	तमिलनाडु	32.59	43.20	44.94	5.22
15.	उत्तर प्रदेश	43.65	34.06	43.51	13.27
16.	पश्चिम बंगाल	35.10	50.02	28.15	31.88
	अखिल भारत	36.25	45.86	38.47	34.75

1. समग्र जनसंख्या के लिए गरीबी रेखा का अनु.जाति तथा जनजातियों के लिए उपयोग होता है।

2. अखिल भारत गरीबी रेखा का निर्धारण व्यक्तियों के एन एस एस वितरण तथा अखिल भारत गरीबी रेखा किया जाता है।

[अनुवाद]

वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण

545. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण तथा वर्ष 2008 में चीन से प्रतिबंध हटने से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बड़े हिस्से पर प्रभाव जमाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) और (ख) वस्त्र निर्यात के संवर्धन के लिए सरकार समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:-

(1) स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।

(2) सरकार ने सिलेसिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गई है।

(4) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) शुरू किया है। बेहतर कृषि परिपाटियों, उत्तर बीजों, बाजार आधारभूत संरचना में सुधार और जिनिंग एवं प्रैसिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

(5) उद्योग को वस्त्र इकाइयां स्थापित करने के लिए उन्हें विश्व स्तर की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दो मौजूदा योजनाओं अर्थात वस्त्र केंद्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) और अपैरल पार्क निर्यात योजना (एपीइएस) को मिलाकर "एकीकृत वस्त्र पार्क" नाम की एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के अधीन भारत सरकार की सहायता अनुदान अथवा इक्विटी परियोजना लागत के 40% तक सीमित होगी जो अधिकतम 40 करोड़ तक होगी।

(6) विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानको के अपैरल एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के उद्देश्य से "अपैरल पार्क निर्यात योजना" (एपीईएस) शुरू की गई है। एपीइएस के अधीन भारत सरकार की 191.70 करोड़ रु. की अनुमानित सहायता से 12 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है।

(7) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र केन्द्र अवसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई थी। टीसीआईडीएस के तहत भारत की 270.80 करोड़ रु. की अनुमनित सहायता से 18 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

(8) वित्तीय शुल्क ढांचा सामान्यत: देश के भीतर विकास एवं अधिकमत मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए

युक्तिसंगत बना दिया गया है। मानवनिर्मित फिलामेंट यार्न तथा मानवनिर्मित स्टेपल फाइबर पर अनिवार्य उत्पादन शुल्क को छोड़कर समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पादन शुल्क की छूट का विकल्प दिया गया है।

(9) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों केमाध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(10) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20.4.05 से मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के अधीन 10% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजी सहायता योजना शुरू की है।

(11) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की सात शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(12) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

[हिन्दी]

बोकारो ताप विद्युत संयंत्र

546. श्री टेक लाल महतो : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो ताप विद्युत स्टेशन सं. ए कई वर्षों से बंद पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस संयंत्र को पुन: खोलने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक पुन: खोले जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) बोकारो "ए" थर्मल पावर स्टेशन जुलाई, 2000 से इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपीटेटर्स की अधिस्थापना नहीं होने और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मापदंडों के पूरा न होने के कारण बंद है।

(ग) दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) इस संयंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए विचार कर रही है।

(घ) इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपीटेटर्स (ईएसपीएस) की अवधिष्ठापना के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की सूचना जारी की जा चुकी हैं। दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) के अनुसार संयंत्र के मार्च, 2008 तक पुन: खोले जाने की संभावना है।

वस्त्र उत्पादन

547. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्त्र की मात्रा कितनी है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या देश में वस्त्र उत्पादन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रतिशत कम हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात 2001, 2002 और 2003 के दौरान देश में उत्पादित वस्त्र की मात्रा उसके हिस्से सहित निम्नलिखित हैं :-

(मिलियन कि.ग्रा.)

मद	उत्पादन			विश्व में भारत का %		
	2001	2002	2003	2001	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7
कच्ची कपास*	—	2312	3009	—	12	15

1	2	3	4	5	6	7
विस्कोस स्टेपल फाइबर	190	234	218	12	14	12
सेल्युलोसिक	62	62	66	13	13	14
सिंथेटिक फाइबर	652	666	715	6	6	6
सिंथेटिक फिलामेंट यार्न	913	1093	077	6	7	6
कच्ची ऊन (ग्रेसी)	50	51	49	2	2	2
पटसन#	1890	2061	1978	61	65	65

स्रोत : डब्ल्यूटीओ, आइंटीएमएफ, आईसीएसी, आईएसए, जेएमडीसी, एएमएफआई, एएसएफआई।

वित्तीय वर्ष 2002-03, 2003-04 देखें।

वित्तीय वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 देखें।

(ख) विश्व की तुलना में देश में वस्त्र का उत्पादन और उसकी प्रतिशतता की वर्ष 2001, 2002, और 2003 के दौरान कुल मिलाकर समान प्रवृति रही।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूकंप के संबंध में उपग्रह आंकड़े

548. **श्री अचलराव पाटील शिवाजीराव :**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस, जापान तथा कुछ अन्य देशों के वैज्ञानिक भूकंप पूर्वानुमान के लिए उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आपदा पूर्वानुमान, रोकथाम तथा इसे कम करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा चेतावनी प्रणाली विकसित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) विभिन्न देशों में भू-वैज्ञानिकों द्वारा भूकम्प से सम्बंधित अनुसंधान और विकास के लिए उपग्रह आकड़ों का उपयोग किया गया है। भूकम्प की भविष्यवाणी में उपग्रह आंकड़े अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में भूकम्प की घटनाओं के अन्तराल, समय और परिणाम के संबंध में उचित रूप से सही भविष्यवाणी के साथ विश्व में कहीं भी कोई वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार की गई भवन संहिताओं के समुचित आयोजन और अभिग्रहण के माध्यम से काफी हद तक भूकम्प के कारण होने वाली हानि कम की जा सकती है।

(ग) और (घ) वर्तमान में भूकम्पों की भविष्यवाणी के लिये वैज्ञानिक ज्ञान अपर्याप्त है। भूकम्पों के लिए एक चेतावनी प्रणाली स्थापित करना व्यावहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

परिसीमन आयोग

549. **श्री ब्रजेश पाठक** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा विधान सभा क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या परिसीमन का कार्य अंतिम चरण में है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) परिसीमन कार्य को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) से (च) परिसीमन आयोग ने गोवा, मिजोरम, केरल, पांडिचेरी और त्रिपुरा राज्यों के संबंध में अपने अंतिम आदेशों को सरकार को प्रस्तुत कर दिया है। परिसीमन आयोग ने यह रिपोर्ट किया है कि राजस्थान, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल राज्यों के लिए परिसीमन कार्य अंतिम चरणों में है।

2. देश भर के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के प्रयोजन के लिए जुलाई, 2002 में परिसीमन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसरण में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने नवम्बर/दिसंबर, 2002 में कार्य करना आरंभ कर दिया था। सांविधानिक उपबधों के निबंधनों के अनुसार आयोग को 1991 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना था। जून, 2003 तक आयोग ने 1991 की साधारण जनगणना के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के आधार पर अपना लगभग 60% कार्य पूरा कर लिया था। तथापि, कार्य को रोकना पड़ा क्योंकि संसद ने यह उपबंध करने के लिए कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के आधार पर किया जाए न कि 1991 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर, सतासीवें संशोधन तारीख 22 जून, 2003 के माध्यम से भारत के संविधान का संशोधन किया था। इसके परिणामस्वरूप, आयोग द्वारा 1991 की जनगणना के आधार पर किया गया कार्य विधि के प्रवर्तन द्वारा अर्थहीन हो गया। यद्यपि आयोग ने अधिनियम के पारित हो जाने के पश्चात् 2001 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के साथ परिसीमन कार्य पुनः आरंभ किया, किन्तु यह शीघ्रता से कार्य नहीं कर सका क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित 2001 की जनगणना के अनंतिम आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। 2001 की जनगणना के आंकड़ों को 31 दिसंबर, 2003 को प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात् आयोग ने आंकड़ों को एकत्रित करने और उन्हें सारणीबद्ध करने का कार्य आरंभ किया। यह प्रक्रिया चल ही रही थी कि लोक सभा भंग हो गई तथा नए निर्वाचनों की घोषणा कर दी गई।

3. आयोग के पास इसके सहयुक्त सदस्यों के रूप में प्रत्येक राज्य से पांच लोक सभा सदस्य होते हैं। जहां किसी राज्य में संसद सदस्यों की संख्या पांच से कम होती है वहां सभी आयोग के सदस्य होते हैं। लोक सभा के भंग होने के साथ विधि के प्रवर्तन से सहयुक्त सदस्य नहीं रहे। निर्वाचनों के दौरान अन्यथा भी आयोग का क्षेत्रीय कार्य लगभग रुक गया था। चौदहवीं लोक सभा के गठन के पश्चात आयोग ने माननीय अध्यक्ष से यह अनुरोध किया कि वे प्रत्येक राज्य से परिसीमन आयोग के सहयुक्त सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करें। नामनिर्देशनों की प्राप्ति के पश्चात आयोग ने परिसीमन कार्य पुनः आरंभ किया, जो अब एक कड़ी समय-सूची के अनुसार पूरा किया जा रहा है।

4. सभी राज्यों में लोक सभा और विधान सभा क्षेत्रों का परिसीमन करने में काफी वक्त लगता है। अधिनियम की स्कीम के अधीन सहयुक्त सदस्यों को आरंभ से ही परिसीमन कार्य से सहबद्ध किया जाना होता है। जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक राज्य के सहयुक्त सदस्यों के साथ एक से अधिक बैठकें करनी होती हैं। तत्पश्चात्, अंतिम परिसीमन प्रारूप को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है और जनता से सुझाव तथा विचार आमंत्रित किए जाते हैं। अंतिम चरण में आयोग द्वारा सभी राज्यों में लोक बैठकों का आयोजन किया जाता है और प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाता है। परिसीमन आयोग ने यह और कथन किया है कि परिसीमन कार्य एक कड़ी समय-सूची के अनुसार जोर-शोर से किया जा रहा है और आयोग इस कार्य को यथाशीघ्र समाप्त करने के लिए पूरा प्रयास करेगा।

5. आरंभ में परिसीमन आयोग को सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में परिसीमन कार्य पूरा करने के लिए दो वर्ष का कार्यकाल प्रदान किया गया था, किन्तु 1991 की जनगणना के आंकड़ों के स्थान पर 2001 की जनगणना को रखते हुए परिसीमन अधिनियम, 2002 का संशोधन, लोक सभा का भंग होना और परिणामतः सहयुक्त सदस्यों

का पुन: नामनिर्देशन, आदि जैसे अनेक कारणों से आयोग के कार्यकाल को दो बार विस्तारित किया गया था। परिसीमन आयोग का वर्तमान कार्यकाल 31 जुलाई, 2006 तक है। तथापि, परिसीमन आयोग ने यह कथन किया है कि परिसीमन आयोग के कार्य के दिसंबर, 2006 तक समाप्त होने की संभावना है।

[अनुवाद]

मतदाता सूची

550. **श्री ए.साई प्रताप : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :**

(क) क्या सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को मतदाता सूची को उद्यतन रखने के निर्देश दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों द्वारा यह कार्य पूर्ण कर लिया गया है; और

(ग) मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने संबंधी प्रत्येक राज्य की स्थिति क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 324 के उपबंधों के अनुसार निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने तथा संसद के और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के सभी निर्वाचनों के संचालन के संबंध में अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है। अत: सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्वाचक नामावलियां अद्यतन रखने के संबंध में कोई अनुदेश जारी करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, निर्वाचन आयोग ने यह सूचना दी है कि जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का 1 जनवरी, 2005 को अर्हक तारीख के साथ पुनरीक्षण/अद्यतन किया गया है और उन्हें अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है। जम्मू-कश्मीर की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 30 नवम्बर, 2005 को किया जाना है। तथापि, कतिपय कारणों से 1 जनवरी, 2005 की अर्हक तारीख के प्रतिनिर्देश से अरुणाचल प्रदेश में पुनरीक्षण नहीं किया जा सका था।

(ग) प्रत्येक राज्य में मतदाताओं को फोटो पहचान-पत्र जारी करने की प्रास्थिति को दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचक फोटो पहचान-पत्रों की प्रगति की प्रास्थिति

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.1.2005 की निर्वाचक नामावली के संबंध में कुल निर्वाचक	निर्वाचक जिन्हें पहचान-पत्र जारी किए गए	जारी किए गए निर्वाचक फोटो पहचान-पत्रों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	52,215,678	38,889,946	74.48
2.	अरुणाचल प्रदेश	624,086	304,822	48.84
3.	असम	14,995,084	67,479	0.45
4.	बिहार	51,144,882	40,701,930	79.58
5.	छत्तीसगढ़	13,904,884	9,620,499	69.19
6.	गोवा	952,723	776,688	81.52
7.	गुजरात	33,847,275	24,807,957	73.29
8.	हरियाणा	12,642,552	11,187,854	88.49
9.	हिमाचल प्रदेश	4,159,962	3,053,116	73.39
10.	जम्मू-कश्मीर	6,345,696	3,198,936	50.41
11.	झारखंड	17,736,462	10,635,945	59.97
12.	कर्नाटक	39,947,927	32,517,985	81.40
13.	केरल	20,824,302	20,824,302	100.00
14.	मध्य प्रदेश	38,386,651	27,254,099	71.00
15.	महाराष्ट्र	62,667,450	44,455,999	70.94
16.	मणिपुर	1,667,729	2,841	0.17

1	2	3	4	5
17.	मेघालय	1,335,812	723,657	54.17
18.	मिजोरम	559,132	401,814	71.86
19.	नागालैंड	1,040,347	723,749	69.57
20.	उड़ीसा	26,231,561	20,701,672	78.92
21.	पंजाब	16,659,243	12,025,689	72.19
22.	राजस्थान	34,751,347	26,900,347	77.41
23.	सिक्किम	288,674	220,297	76.31
24.	तमिलनाडु	46,288,197	35,026,156	75.67
25.	त्रिपुरा	2,130,299	1,427,146	66.99
26.	उत्तर प्रदेश	114,012,751	63,895,986	56.04
27.	उत्तरांचल	5,640,034	3,938,864	69.84
28.	पश्चिमी बंगाल	48,085,522	40,862,587	84.98
29.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	250,191	214,282	85.65
30.	चंडीगढ़	563,610	301,688	53.53
31.	दादर और नागर हवेली	126,256	83,615	66.23
32.	दमण और दीव	80,961	59,847	73.92
33.	लक्षद्वीप	39,892	36,506	91.51
34.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र	9,337,971	6,007,549	64.33
35.	पांडिचेरी	638,099	638,099	100.00
	योग	680,123,242	482,489,948	70.94

राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान

551. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा इलैक्ट्रानिक्स तथा नैनो-प्रौद्योगिकी में अनुसंधान कार्य करने के लिए त्रिवेन्द्रम में राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा इस संस्थान की स्थापना हेतु भूमि देने का प्रस्ताव किया गया है/ भूमि दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस प्रस्ताव को कग तक अंतिम अनुमोदन दिए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम में राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स तथा नैनो-प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

आटो रिक्शा का बीमा

552. श्री पी. मोहन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सामान्य बीमा कंपनियों को आटो रिक्शा के लिए बीमा पालिसी के पुन: नवीकृत न करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बीमा नीति में परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रूस के साथ ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग

553. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल क्षेत्र सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग हेतु रूस के साथ विभिन्न स्तरों पर बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप कौन सा समझौता किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है जिसपर इन्डो-रसियन इंटर-गवर्नमेंटल कमीशन फार ट्रेड, इकोनामिक, साइन्टिफिक, टेक्नोलाजिकल एण्ड कल्चरल कापरेशन के चर्चा चल रही है। इस आयोग के तत्वावधान में एक ऊर्जा संबंधी कार्यकारिणी समूह भी कार्यरत है। अपनी अंतिम बैठक में कार्यकारिणी समूह ने तेल एवं गैस क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित प्राथमिकता वाले कार्यों की पहचान की गई है:-

— भारत, रूस एवं तीसरी दुनिया के देशों में भावी तेल एवं गैस परियोजनाओं पर द्विपक्षीय सहयोग को ठोस रूप देना।

— रोजनेफ्ट और ओवीएल तथा गेल और गेजप्रॉम के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के क्रियान्वयन की प्रगति को बढ़ावा देना।

— भारत के न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पालिसी के छठे दौर में रूस की तेल एवं गैस कंपनियों की प्रतिभागिता को सक्रियता से समर्थन देना।

— द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अवसर तलाशने हेतु रूस में दूसरी ऊर्जा संगोष्ठी आयोजित करना।

— ओवीएल तथा रोजनेफ्ट सखालिन-1 से अधिकतम लाभ हासिल करने के लिए प्रत्यक्ष या परस्पर परिवर्तन प्रबंध के जरिए भारत के साथ इसके अलावा एनएलजी जैसे विभिन्न विकल्पों का संयुक्त रूप से अध्ययन करेंगे।

जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए रूस के साथ दीर्घकालिक सहयोग जारी है।

रूस के साथ सिविल न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में भी सहयोग जारी है। रूस की सहायता से कुडनकुलम, तमिलनाडु में 1000 मे.वा. क्षमता की दो न्यूक्लियर संयंत्र निर्माणधीन हैं।

निजी बैंकों द्वारा शिक्षा के लिए ऋण

554. **श्री चेंगरा सुरेन्द्रन :**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
श्री पी. राजेन्द्रन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश नए निजी बैंक छात्रों को शिक्षा के लिए ऋण नहीं दे रहे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने (नए निजी बैंकों सहित) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार की गई नई शिक्षा ऋण योजना के कार्यान्वयन के लिए सलाह दी थी। अन्य बैंकों के साथ-साथ, नए निजी बैंक विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण भी देते हैं।

"हाई-टैक नोट"

555. **श्री सुग्रीव सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का विचार देश में जाली नोटों की रोकथाम के लिए हाई-टैक करेंसी नोटों का मुद्रण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रौद्योगिकी द्वारा नए मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों के लिए मुद्रण प्लेटों के निर्माण पर आर.बी.आई. द्वारा कितना व्यय किए जाने की संभावना है; और

(घ) हाई-टैक करेंसी नोटों के कब तक शुरू होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। जालसाजी की समस्या से निपटने हेतु भारत सरकार ने वर्ष 2000 में बैंक नोटों की जालसाजी की खबरों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) का गठन किया था। एचएलसी की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नई/अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं वाले बैंक नोट जारी करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) इंटैग्लियो प्रिंटिंग प्लेटों की लागत 1 लाख रु. होगी।

(घ) नई/अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताओं वाले 50/-रु. एवं 100/-रु. के बैंक नोट अगस्त, 2005 में एवं 500/-रु. एवं 1000/-रु. के बैंक नोट अक्तूबर, 2005 में जारी किए गए थे। 10/-रु. और 20/-रु. के नए बैंक नोट वर्ष में जारी किए जाएंगे।

[हिन्दी]

आयकर छूट की राशि पर ब्याज

556. **श्री रामजीलाल सुमन :**
डा. चिन्ता मोहन :
श्री मोहन रावले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा आयकर वापसी के भुगतान में विलम्ब के कारण ब्याज स्वरूप वर्ष-वार कितनी धनराशि का भुगतान किया गया; और

(ख) आयकर वापसी के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अदा की गई राशि निम्नानुसार है :-

वि. वर्ष	(करोड़ रुपए में)
2002-03	6,268.07
2003-04	4,701,16
2004-05	3,865.98

(ख) विभागीय दिशा-निर्देश हैं कि वापसी के दावे के लिए प्राप्त की गई विवरणियों पर विवरणियों के प्राप्त होने के 4 महीनों के अन्दर कार्रवाई की जानी चाहिए। साधारणतया दिशा-निर्देशों में निर्धारित समय-सीमा का पालन किया जाता है। वापसियों को जारी करने की प्रक्रिया की उच्च अधिकारियों द्वारा निगरानी की जाती है।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्र में बीमा के विकास हेतु संचालन समिति

557. **श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में बीमे के विकास पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त समिति द्वारा कब तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देने की संभावना है; और

(घ) ग्रामीण विकास हेतु इन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) सरकार द्वारा ग्रामीण बीमे के विकास पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति गठित करने का निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

अधिक लागत वाले ऋण

558. **श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय संस्थानों तथा बीमा कंपनियों से लिए गए अधिक लागत वाले ऋणों की पूर्व अदायगी

करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के लिए इन संस्थानों से राज्यों द्वारा लिए गए ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्तीय संस्थानों तथा बीमा कंपनियों द्वारा ऋण की पूर्व अदायगी की इस योजना का विरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) जी, हां। राज्यों को उनके उच्च लागत वाले बकाया ऋणों की समय पूर्व अदायगी के बदले में बैंकों/वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज दर वाले नए ऋण लेने और अतिरिक्त खुले बाजार से ऋण उगाही की अनुमति दी गई है।

(ख) इस संबंध में एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) हालांकि वित्तीय हालात और समय-पूर्व अदायगी की जटिलताओं के मद्देनजर इन मामलों पर प्रत्येक वित्तीय संस्थान की अपनी-अपनी नीतियां होती हैं, तथापि किसी वित्तीय संस्थान ने ऋणों की समय पूर्व अदायगी का विरोध नहीं किया है। अधिकांश वित्तीय संस्थानों ने ऋणों की पूर्व अदायगी पर प्रीमियम लिया है, जबकि कुछ संस्थानों की नीति है कि पूर्व अदायगी के वर्ष में उक्त राज्य को कोई अन्य ऋण न दिया जाए।

विवरण

वर्ष 2004-05 के दौरान राज्यों के उच्च लागत सांस्थानिक ऋणों की पूर्व अदायगी के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत बाजार ऋणों और राज्यों को दी गई सहमति के माध्यम से उगाही जा रही अनुमत राशि को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	अतिरिक्त बाजार ऋण	बैंक/वित्तीय संस्थानों से निधियों हेतु अनुमति के लिए अनुच्छेद 293(3)
1	2	3	4
1.	गुजरात	—	390.21
2.	केरल	327.19	—
3.	मध्य प्रदेश	337.25	—
4.	महाराष्ट्र	941.86	—
5.	मेघालय	49.21	—
6.	मिजोरम	46.82	—
7.	नागालैंड	8.93	—
8.	उड़ीसा	37.47	—
9.	राजस्थान	—	893.90
10.	सिक्किम	19.48	—
11.	उत्तर प्रदेश	*964.97	—

*उत्तर प्रदेश राज्य को नाबार्ड (एन.ए.बी.ए.आर.डी.) से आर.आई.डी. एफ. ऋणों की पूर्व अदायगी के लिए 964.97 करोड़ रुपए के बाजार ऋणों की उगाही करने की अनुमति दी गई थी। उचित प्रतिक्रिया न मिलने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राशि उगाही नहीं की जा सकी।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत जिलों का चयन

559. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2005-07 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) प्रथम और द्वितीय चरण में कार्यक्रम शुरू करने हेतु चुने गए जिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) वर्ष 2005-06 के लिए इस परियोजना हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ग) अन्तर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने सिफारिश की थी कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के बेरोजगार ग्रामीण युवकों को बाजार संबंधी कुशलता प्रदान करने हेतु ऐसा मांग आधारित कौशल विकास कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जिससे वे या तो संगठित संस्थानों में पक्का रोजगार प्राप्त कर सकें अथवा वे माइक्रो उद्यम के माध्यम से स्थायी स्व-रोजगार प्राप्त कर सकें। आईएमजी की सिफारिशों के बाद सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों के बेरोजगार युवकों के लिए एसजीएसवाई के अंतर्गत कौशल विकास के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रायोगिक योजना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और राज्यों में परिचालित कर दिए गए हैं।

योजना के प्रायोगिक चरण (2005-07) के दौरान 100 चयनित जिलों में प्रति वर्ष कम-से-कम 1000-2000 ग्रामीण युवकों को कवर किए जाने का प्रस्ताव है। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए एसजीएसवाई के अंतर्गत उसी सहायता पद्धति (75:25) के अनुरूप विशेष परियोजनाओं के रूप में वित्तीय व्यवस्था की जाएगी जो आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अपनाई जाती है। राज्य सरकारों से ऐसी कोई विशेष परियोजना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

जल विद्युत उत्पादन

560. डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जल विद्युत के संभावित/दोहन न किए गए स्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के कतिपय क्षेत्रों में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी का दोहन करके जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी नदियां कौन सी हैं जिनके जल का दोहन करके जल विद्युत उत्पादन संभव है;

(घ) क्या सरकार का विचार कम लागत पर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए इन नदियों के जल का दोहन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1987 में देश में कराए गए जल-विद्युत क्षमता के पुनर्मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर 60% भार घटक पर आर्थिक रूप से दोहनीय जल विद्युत क्षमता 84,044 मे.वा. आंकी गई है और इसके पूर्ण विकसित होने पर संभाव्य औसत भार घटक के आधार पर लगभग 1,50,000 मे.वा. संस्थापित क्षमता तैयार हो सकेगी। विभिन्न बेसिनों में कुल 845 जल-विद्युत स्कीमें अभिज्ञात की गई हैं। अब तक 28,625 मे.वा. (19.2%) विकसित हो चुका है तथा 13,382 मे.वा. (9.0%) विकासाधीन है। 60% भार घटक पर देश में बेसिन-वार जल विद्युत क्षमता विकास की स्थिति विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2001-02 में एक रैंकिंग स्टडी आयोजित थी, जिसमें हाइड्रो स्कीमों के विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं के आधार पर कुल मिलाकर 1,06,910 मे.वा. की 399 स्कीमों को प्राथमिकता की गई। रैंकिंग स्टडी के आधार पर भारत सरकार ने 2003-04 के दौरान 500,000 मे.वा. जल विद्युत क्षमता का विकास नामक पहल शुरू किया, जिसके अंतर्गत 16 राज्यों की 162 आकर्षक जल-विद्युत परियोजनाओं की आरंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार की गई हैं। पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्टों के परिणामों के आधार पर 77 स्कीमें, जिनकी कुल संस्थापित क्षमता 33,951 मे.वा. है तथा जिनकी प्रथम वर्ष टैरिफ 2.50 रुपये/कि. वा. घं. से कम है, विस्तृत सर्वेक्षण एवं जांच तथा क्रियान्वयन हेतु डीपीआर निरूपण हेतु हाथ में लिए गए हैं। इसके जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु अनेक विश्वसनीय डीपीआर तैयार किए जा सकेंगे, जिनसे 11वीं योजना एवं इसके बाद लाभ प्राप्त होगा।

इसके अलावा सरकार ने गैर-संदोहित जल विद्युत क्षमता के दोहन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(i) सरकार ने अगस्त, 1998 में एक हाइड्रो नीति घोषित की, जिसमें जल विद्युत के त्वरित विकास के लिए अनेक उपाय शामिल थे। उक्त नीति निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता को अधिकाधिक प्रोत्साहित करता है।

(ii) जल विद्युत के विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में अनेक जल विद्युत निगम तथा राज्य सरकारों के साथ संयुक्त उद्यम गठित किए गए हैं।

(iii) सरकार ने केंद्रीय पूल में जल विद्युत परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए तीन चरण की एक प्रक्रिया अनुमोदित की है। प्रक्रिया संबंधी अन्य सुधार भी शुरू किए गए हैं।

(iv) 16वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण के आधार पर अनुमानित मांग के आधार पर 11वीं योजना के अंत तक अखिल भारतीय उच्चतम मांग एवं ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए जल विद्युत स्कीमों को अभिज्ञात करने के लिए अग्रिम कार्रवाई की गई है ताकि 11वीं योजनावधि में इनसे लाभ मिल सके।

(v) विद्युत अधिनियम, 2003 को 10 जून, 2003 से अधिनियमित कर दिया गया है, जो उत्पादन कंपनियों तथा उपभोक्ताओं/विद्युत व्यापारियों के बीच प्रत्यक्ष वाणिज्यिक संबंध स्थापित करता है। विद्युत पारेषण के लिए राज्य तथा केंद्रीय पारेषण प्रणाली में खुले प्रवेश का अधिकार दे दिया गया है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से टैरिफ निर्धारित करने के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, राज्य विनियामक आयोग तथा अपीलीय आयोग जैसे सांविधिक निकाय गठित किए गए हैं।

विवरण

जल विद्युत शक्यता विकास की स्थिति (बेसिन वार)

01.10.2005 के अनुसार

बेसिन	60% पर एलएफ मूल्यांकित क्षमता	60% पर एलएफ विकसित क्षमता	% विकसित	% विकासाधीन क्षमता	% विकासाधीन	% विकसित + विकासाधीन	60% एलएफ पर सीईए द्वारा स्वीकृत मेगावाट क्षमता	%सीईए द्वारा स्वीकृत क्षमता	%कुल
सिंधु	19988.00	3730.85	18.67	1475.42	7.38	26.05	948.75	4.75	30.79
गंगा	10715.00	1969.08	18.38	1298.88	12.12	30.50	526.47	4.91	35.41
मध्य भारत का नदियां	2740.00	1751.68	63.93	455.28	16.62	80.55	190.50	6.95	87.50
पश्चिम को प्रवाहित नदियां	6149.00	3704.17	60.24	82.03	1.33	61.57	415.80	6.76	68.34
पूर्व को प्रवाहित नदियां	9532.00	4215.23	44.22	126.85	1.33	45.55	212.70	2.23	47.78
ब्रह्मपुत्र बेसिन	34920.00	660.83	1.89	1138.63	3.26	5.15	409.00	1.17	6.32
अखिल भारत	84044.00	16031.85	19.08	4577.10	5.45	24.52	2703.22	3.22	27.74

नेशनल पावर ग्रिड की स्थापना

561. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों का समेकन करके एक नेशनल पावर ग्रिड की स्थापना करने में अब तक सरकार द्वारा कितनी प्रति की गयी है; और

(ख) इस पर आज तक कुल कितनी राशि खर्च की गयी है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) वर्तमान अन्तः क्षेत्रीय पारेषण क्षमता 9500 मेगावाट है, जो बढ़कर सन् 2012 तक 30,000 मेगावाट से अधिक हो जाने की संभावना है। क्षेत्रीय ग्रिड एकीकरण प्रक्रिया के जरिए नेशनल पावर ग्रिड का निर्णय एक विकास मूलक प्रक्रिया है। इस समय सभी पांच मौजूदा क्षेत्रीय ग्रिडों को या तो तुल्यकालिक या फिर अतुल्यकालिक इण्टर-कनेक्शन के जरिए जोड़ा गया है।

पूर्वी, उत्तर-पूर्वी तथा पश्चिमी क्षेत्रों को पूर्वी क्षेत्र और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के बीच 1250 मेगावाट क्षमता तथा पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र के बीच 1800 मेगावाट क्षमता के साथ तुल्यकालिक सम्पर्क के जरिए एकीकृत किया जाता है।

उत्तरी क्षेत्र वर्तमान में अतुल्यकालिक रेडियल मोड तथा पूर्वी क्षेत्र के साथ 600 मेगावाट क्षमता और पश्चिमी क्षेत्र के साथ 1000 मेगावाट क्षमता एच वी डी सी बैक-टू-बैक अन्त क्षेत्रीय पारेषण कनेक्टिविटी से जुडा है। दक्षिण क्षेत्र एच वी डी सी बाई पोल, बेक-टू-बैक और पूर्वी क्षेत्र के साथ 3100 मेगावाट क्षमता के रेडियल सम्पर्क और पश्चिमी क्षेत्र के साथ अतुल्यकालिक 1700 मेगावाट सम्पर्क के जरिए जुड़ा है।

(ख) पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. (पी जो सी आई एल) ने मार्च 2005 तक पावर निकासी, ग्रिड सुदृढ़ीकरण, अन्तः क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय ग्रिड विकास के लिए अन्तः क्षेत्रीय पारेषण स्कीमों पर लगभग 21,500 करोड़ रु. का निवेश किया है।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में विद्युत उत्पादन

562. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार उत्तरांचल में विद्युत की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जा रहा है; और उत्तरांचल राज्य द्वारा किन राज्यों को विद्युत की आपूर्ति की जा रही है तथा यह आपूर्ति किन दरों पर की जा रही है; और

(ख) दिल्ली में विद्युत की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जा रही योजना का ब्यौरा क्या है और उत्तरांचल से की जा रही विद्युत की आपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) वर्तमान वर्ष (अप्रैल अक्टूबर, 2005) के दौरान, उत्तरांचल में (केन्द्रीय क्षेत्र से उत्पादन सहित) 2968 एमयू विद्युत का उत्पादन किया गया था। (अप्रैल-अक्टूबर, 2005) की अवधि के दौरान उत्तरांचल द्वारा अन्य राज्यों को आपूर्ति की गई विद्युत के ब्यौरे निम्नवत है:-

राज्य	आपूर्ति की गई विद्युत (एमयू)	टिप्पणी
हरियाणा	84.8	बैंकिंग व्यवस्था की मुकाबले 82.0 एमयू
हिमाचल प्रदेश	333.8	उत्तरांचल परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश के हिस्से के बदले में
पंजाब	94.0	बैंकिंग व्यवस्था के मुकाबले
उत्तर प्रदेश	96.4	अप्रैल और मई 2005 के दौरान पीटीसी के माध्यम से गैर-व्यस्ततमकालीन विद्युत के लिए 2% छूट सहित 2.70रु./केडब्लूएच पर द्विपक्षीय बिक्री के मुकाबले।

(ख) विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, राज्य में विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से विद्युत परियोजनाओं को शुरू करके राज्य सरकार के प्रयासों को केवल सहायता देती है। तथापि, दिल्ली में विद्युत की समुचित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे है-

(i) दिल्ली (प्रगति सीसीजीटी) में 225.78 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य 10वीं योजना के दौरान निर्धारित किया गया था जो कि वर्ष 2002-03 में प्राप्त कर लिया गया है। इसके अलावा, केन्द्रीय क्षेत्र में कई नए यूनिट/परियोजनाएं जैसे कि 500 मे.वा. रिहंद स्टेज-II (उत्तर प्रदेश में स्थापित), 3 x 130 मे.वा. दुलहस्ती (जम्मू-कश्मीर में स्थापित), 210 मे.वा. ऊंचाहार III (उत्तर प्रदेश में स्थापित), 220 मे.वा. राजस्थान एटामिक विद्युत संयंत्र यूनिट

5 (राजस्थान में स्थापित) और 4 x 250 मे.वा. टिहरी एचपीएस (उत्तरांचल में स्थापित) कार्यान्वयनाधीन हैं जिनमें से दिल्ली का हिस्सा उसके हक के अनुसार होगा।

(ii) उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत, 922.61 करोड़ रुपये की राशि की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और अब तक दिल्ली को 105.51 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

ए पी डी आर पी

563. डा. चिन्ता मोहन :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधारों में तेजी लाने के लिए कुछ वर्ष पहले त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (ए पी डी आर पी) की शुरूआत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस तिथि को उक्त कार्यक्रम शुरू हुआ था तथा 31 मार्च, 2005 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितनी राशि खर्च की गयी है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रम में व्यापक फेरबदल की आवश्यकता महसूस की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) उक्त कार्यक्रम में फेरबदल के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी करने, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने, राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने तथा उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार के लिए वर्ष 2002-03 में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) शुरू किया।

इस कार्यक्रम के दो घटक हैं अर्थात (i) निवेश घटक तथा (ii) प्रोत्साहन घटक। निवेश घटक के अंतर्गत उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता के रूप में निधियां जारी की जाती हैं। एपीडीआरपी के प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत ऐसी यूटिलिटियों को नकद हानि में हासिल कमी का 50% अनुदान के रूप में दिया जाता है, जो आधार वर्ष 2000-01 के अनुसार अपनी नकदी हानियों में कमी करते हैं। सरकार ने अब तक एपीडीआरपीके निवेश घटक के अंतर्गत 19182.33 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की हैं जिसमें एपीडीआरपी घटक के अंतर्गत 11279.87 करोड़ रुपये है तथा सरकार ने कार्यक्रम के इस घटक के अंतर्गत 5642.56 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। एपीडीआरपी के प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत प्रोत्साहन के रूप में राज्यों को 471.36 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ग) से (ङ) प्रत्येक परियोजना के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन घटक बनाए गए हैं जिसे पूरा किया गया है। अब तक, 66 परियोजनाओं के स्वतंत्र मूल्यांकन हेतु एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद, दी इनर्जी एण्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टेरी) नई दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेमेंट (आईआईएम) अहमदाबाद, एसबीआई कैपिटल मार्केट लि. मुम्बई और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) नई दिल्ली को सौंपा गया है। कार्यक्रम में परिवर्तन यदि कोई है तो वह मूल्यांकन रिपोर्ट के परिणामों पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

रियल एस्टेट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

564. श्री के.एस. राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'रियल एस्टेट' में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का उपयोग आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियों दोनों के लिए ही किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) वर्तमान में स्वतः मार्ग के अंतर्गत 100% की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) टाऊनशिप, आवास, निर्मित अवसंरचना तथा संरचना-विकास परियोजनाओं, (जिनमें आवास, वाणिज्यिक परिसर, होटल, विश्राम गृह, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं, शहर तथा क्षेत्रक स्तर की अवसरंचना शामिल है किन्तु इन तक सीमित नहीं है) में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अध्यधीन अनुमत है:-

(1) प्रत्येक परियोजना के अधीन विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र निम्न प्रकार होगा :-

(i) शोधित आवासीय प्लाटों के विकास के मामले में 10 हेक्टेयर का न्यूनतम भू-क्षेत्र।

(ii) संरचना-विकास परियोजनाओं के मामले में 50,000 वर्ग मीटर का नयूनतम निर्मित क्षेत्र।

(iii) संयुक्त परियोजना के मामले में, उक्त दोनों में से कोई भी एक शर्त पर्याप्त होगी।

(2) निवेश आगे निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन भी होगा :-

(i) भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यमों के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर का तथा पूर्णतया स्वामित्वाधीन अनुषंगी कंपनियों के लिए 10 मिलियन अमरीकी डालर का न्यूनतम पूंजीकरण। निधियां कंपनी के व्यवसाय के आरम्भण के छः महीनों के भीतर लाई जानी अपेक्षित होंगी।

(ii) मूल निवेश को न्यूनतम पूंजीकरण के पूर्ण होने से तीन वर्ष की अवधि से पूर्व प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता। तथापि, एफआईपीएस के माध्यम से सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करके निवेशक को इससे पूर्व निकासी की अनुमति दी जा सकती है।

(3) कम से कम 50% परियोजना का विकास समस्त सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त करने की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक है। निवेशक को अविकसित प्लाटों को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) परियोजना राज्य सरकार/संबंधित म्युनिसिपल/स्थानीय निकाय के प्रयोज्य भवन निर्माण नियंत्रण विनियमों, उपविधियों, नियमों तथा अन्य विनियमों में यथा निर्धारित भूमि उपयोग अपेक्षाओं तथा सामुदायिक सुविधाओं एवं आम सुविधाओं की व्यवस्था सहित मानकों तथा मानदंडो के समनुरूप होगी।

(5) निवेशक समस्त आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा जिनमें निर्माण/विन्यास योजनाएं, आंतरिक एवं परिधीय क्षेत्रों तथा अन्य अवसंरचना सुविधाओं का विकास, विकास बाह्य विकास एवं अन्य प्रभारों का भुगतान तथा राज्य सरकार/संबंधित म्युनिसिपल/स्थानीय निकाय के प्रयोज्य नियमों/उपविधियों/विनियमों के अंतर्गत यथानिर्धारित अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना शामिल है।

(6) विकासकर्ता द्वारा उक्त शर्तों के अनुपालन का अनुवीक्षण भवन निमार्ण/विकास योजनाओं का अनुमोदन करने वाली राज्य सरकार/संबंधित म्युनिसिपल/स्थानीय निकाय द्वारा किया जाएगा।

(ग) और (घ) जी हां। ऊपर निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अध्ययीन ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आवासीय और वाणिज्यिक, दोनों प्रकार के परिसरों के लिए अनुमत है।

हथकरघा समितियों के लिए योजनाएं

565. श्री मोहन रावले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परिधान निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश हेतु हथकरघा समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण

566. श्री बालशोवरी वल्लभनेनी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए हाल ही में, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 487 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस उद्देश्य हेतु 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान मांगा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) इस राशि को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश से प्राप्त परियोजना प्रस्ताव के आधार पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) ने चार जिलों पर आधारित परियोजनाओं, जिनका परिव्यय 160.95 करोड़ रुपये है, का अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अंतर्गत 6.5 लाख ग्रामीण घरों (5.2 लाख बीपीएल घरों समेत) का विद्युतीकरण शामिल है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत अतिरिक्त 18 जिला आधारित परियोजनाएं प्रेषित की हैं जो आर.ई.सी. के विचाराधीन हैं।

(ङ) कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा स्कीमों के संबंध में दी गई प्रगति रिपोर्ट के आधार पर निधियां किश्तों में जारी होनी हैं। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा ठेका प्रदान किए जाने पर प्रथम किश्त जारी होनी हैं।

विदेशी कंपनियों द्वारा खनन पट्टा

567. श्री जुएल ओराम : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलियाई कंपनियों सहित कुछ विदेशी कंपनियां भारत में खनन पट्टा लेने के इच्छुक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पट्टे पर देने के लिए किन खानों नर विचार किया जा रहा है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (ग) भारतीय कंपनियां, जो विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम हैं, के पक्ष में खनन पट्टे प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों से निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

क्रं. सं.	आवेदक का नाम	खनिज	राज्य	प्रवर्तक विदेशी कंपनी को राष्ट्रीयता
1.	मैं. ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट इंडिया प्रा. लि.	गार्नेट	आन्ध्र प्रदेश	केनेडियन
2.	मैं. ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट इंडिया प्रा. लि.	गार्नेट	आन्ध्र प्रदेश	केनेडियन
3.	मैं. ट्रांसवर्ल्ड गार्नेट इंडिया प्रा. लि.	स्वर्ण, तांबा, सीसा जस्ता, चांदी और अन्य सभी सम्बद्ध खनिज	आन्ध्र प्रदेश	आस्ट्रेलियन

(घ) प्रासंगिक अधिनियम और नियमों को ध्यान में रखते हुए इन प्रस्तावों की जांच के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

समेकित ऊन सुधार कार्यक्रम

568. श्री दुष्यंत सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दसवीं योजना के दौरान समेकित ऊन सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई उपलब्धियों का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद ने एकीकृत ऊन सुधार कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन किया है। इस संस्थान द्वारा प्रस्तुत पहली रिपोर्ट में राज्यों द्वारा केन्द्रीय निधियों के उपयोग के संबंध में उपलब्धिया निम्नलिखित रूप में दर्शाई गई है :-

मद	राज्य	वर्ष 2003-2004			वर्ष 2004-2005	
		आवंटन (रु.)	उपयोग		उपयोग (2003-5)	
			राशि (रु.)	% आवंटन	राशि (रु.)	% आवंटन*
कुल निधि (रु.)	गुजरात	13,350,000	1,630,612	21.42	6,249,056	59.02
	हिमाचल प्रदेश	12,505,000	देरी से जारी निधियां		9,963,068	79.67
	जम्मू व कश्मीर	37,085,000	14,446,000	38.95	16,724,000	84.05
	उत्तरांचल	7,612,000	2004 में गठित बोर्ड		5,820,741	76.46

*वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए संचयी

टिप्पणी : गुजरात को वर्ष 2004-05 के लिए 43.2 लाख रु. की राशि और जारी की गई थी।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विकास

569. श्री सनत कुमार मंडल : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) इस पर निजी उद्यमियों की क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) जी हां। ग्रिड्-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निजी भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिउ वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिसमें पूंजीगत/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास और करों एवं शुल्कों से राहत शामिल है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश संभाव्यता वाले राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत को अधिमान्य शुल्क-दर दी जा रही है। अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों और द्वीपसमूह क्षेत्रों को अपेक्षाकृत उच्च्व स्तर की केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(ग) और (घ) दिनांक 31.3.2005 की स्थिति के अनुसार, देश

में कुल संस्थापित क्षमता का लगभग 6 प्रतिशत (6160 मेवा.) अक्षय स्रोतों से प्राप्त होता है। पिछले 3 वर्षों (वित्त वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05) के दौरान लगभग 18 प्रतिशत, अर्थात 2643 मेवा. की अतिरिक्त संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कमीशन की गई है। इसमें से, पवन विद्युत से 13 प्रतिशत (1967 मेवा.), लघु पनबिजली से 2 प्रतिशत (267 मेवा.) और जैव-ऊर्जा से लगभग 3 प्रतिशत (407 मेवा.) प्राप्त हुआ है। कुल ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत संस्थापित क्षमता में दो-तिहाई से अधिक भाग निजी क्षेत्र का है और लगभग एक-तिहाई भाग सरकार का है।

[हिन्दी]

किसानों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण

570. श्री चन्द्रभान सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के छोटे किसानों की संख्या कितनी है जिन्हें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वार ऋण दिया गया है; और

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण प्राप्त करने में किसानों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता हासिल हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) नाबार्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्ष में अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए ऋण निम्नानुसार हैं :

वर्ष	बकाया ऋण		जारी ऋण	
	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए)
2003	154582	180.27	16054	47.67
2004	147515	230.05	19046	65.81
2005	144474	264.20	23823	74.34

विद्यमान प्रणाली पिछड़े वर्गों से संबंधित जानकारी अलग से प्रदान नहीं करती।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अलग-अलग उधार खातों को ऋण प्रदान करने के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली की पहुंच बढ़ाने में सफल रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 2004-05 के दौरान 4192 स्व-सहायता समूहों का भी वित्तपोषण किया है और संचयी रूप से राज्य में 17678 स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सेवाएं प्रदान की हैं।

[अनुवाद]

एल आई सी के सेटेलाइट केन्द्र

571. श्री किसनभाई वी. पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) ने देश में सेटेलाइट केन्द्र खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान एल आई सी का राज्यवार ऐसे कितने केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(घ) ऐसे केन्द्र खोलने के लिए क्या मान-दण्ड निर्धारित किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) ने अपने 20 कार्यालयों में सेटेलाइट केन्द्र खोले हैं। सेटेलाइट कार्यालय चिकित्सा मामले के संबंध में प्रस्ताव जमा का संग्रहण और चिकित्सा प्रस्ताव का पंजीकरण करेंगे तथा इसे मूल शाखा को भेजेंगे। गैर-चिकित्सीय मामलों के संबंध में, प्रस्ताव का पंजीकरण होगा और ग्रीन चैनल के अधीन इसको पूरा किया जाएगा और दूसरे काउन्टर पर प्रथम प्रीमियम प्राप्ति (एफ पी आर) जारी की जाएगी। सेटेलाइट कार्यालय में सभी कार्य एकल स्रोतीय अवधारणा के अधीन किए जाएंगे। सेटेलाइट कार्यालय, प्रीमियम संग्रहण, ऋण देने/अभ्यर्पण करने/पुन: प्रवर्तन बोली लगाने, पता/नामांकन/समनुदेशन में परिवर्तन करने जैसी पालिसीधारकों की सेवाओं की देख-रेख भी करेगा।

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान, एल आई सी का प्रस्ताव 30 सेटेलाइट केन्द्र खोलने का है, जिनमें पश्चिम बंगाल, दिल्ली और

महाराष्ट्र-प्रत्येक में 5 तमिलनाडु और कर्नाटक-प्रत्येक में 3, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश-प्रत्येक में 2 और छत्तीसगढ, केरल और गुजरात-प्रत्येक में एक-एक केन्द्र।

(घ) इस प्रकार के केन्द्र खोलने के लिए निर्धारित सिद्धान्त निम्नलिखित है: 1. मुख्य शाखा का प्रमुख मुख्य प्रबंधक होगा।2. मुख्य शाखा में कम से कम 15 विकास अधिकारी, 600 एजेन्ट और चालू और चुकता पालिसियों को मिलाकर 1.50 लाख। 3. मुख्य शाखा को गत वित्तीय वर्ष में कम से कम 10000 पालिसियां पूरी कर लेनी चाहिए। 4. जहां 1991 की जनगणना की तुलना में 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कम से कम 50% हो। 5. जहां नए आवासीय कार्यालय खण्डों और नए औद्योगिक एकक अस्तित्व में आए हों।

वित्तीय तथा अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

572. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वित्तीय तथा अन्य क्षेत्रों में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु क्षेत्रवार क्या कार्य योजना तैयार की गई है;

(ग) इससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) इससे मुद्रास्फीति की दर तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से रोकने में किस तरह मदद मिलेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के सम्बन्ध में, निम्नलिखित वित्तीय सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत है:-

(i) 19 एनबीएफसी गतिविधियों में, न्यूनतम पूंजीकरण मानकों के अध्यधीन 100% तक प्रत्यक्ष विदेश निवेश अनुमत है।

(ii) बैंकिग क्षेत्र में, उच्चतम सीमा के अध्यधीन।

(iii) आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों के सम्बन्ध में उच्चतम सीमा के अध्यधीन।

पृथक रूप से, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उच्चतम सीमा के अध्यधीन अनुमत है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की पुनरीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। सामान्यत: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह घरेलू निवेश्य संसाधनों का संवर्धन करते हैं।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में धोखाधड़ी के मामले

573. श्री रघुनाथ झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2001-2004 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने 4,478 करोड़ रु. की शुल्क राशि की धोखाधड़ी/अनुमानित धोखाधड़ी के 5573 मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो धोखाधड़ी में लिप्त कंपनियों का ब्यौरा क्या है और उन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान उन कंपनियों से कितनी राशि वसूली गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी

574. श्री पारसनाथ यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने बाम्बे और नेशनल स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाने का निर्णय लिया है और सदस्यों ने इस ड्यूटी को निवेशकों/अंतरपणनकर्त्ताओं पर थोप दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्य सरकारों ने भी महाराष्ट्र राज्य के बाहर टर्मिनलों के माध्यम से काम करने वाले बी एस ई/एन एस ई के सदस्यों पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई है;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए दोहरी स्टाम्प ड्यूटी लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय ने सभी स्टॉक कारोबारों विशेषकर नॉन-डिलीवरी आधारित कारोबार पर से राज्यों में दोहरी स्टाम्प ड्यूटी लगाना समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों को कोई अनुदेश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इन अनुदेशों को लागू किया है; और

(च) यदि नहीं, तो सामान्य निवेशकों के हितों की रक्षा करने के मद्देनजर इन अनुदेशों को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमाणिक्कम) : (क) से (ग) भारत के संविधान के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटियां (परन्तु स्टाम्प ड्यूटी की दरों सहित नहीं) समवर्ती सूची की 44 वीं प्रविष्टि के अंतर्गत आती है। अतः केन्द्र और राज्य दोनों के पास इस संबंध में कानून बनाने की शक्तियां हैं। स्टाम्प ड्यूटी की दरों के संबंध में केन्द्र सरकार के पास संघ सूची की प्रविष्टि 91 में सूचीबद्ध 10 साधनों के संबंध में दरें निर्धारित करने की शक्तियां हैं जबकि राज्यों के पास राज्य सूची की प्रविष्टि 13 के परिणामस्वरूप शेष सभी साधनों के संबंध में शक्तियां हैं। स्टाम्प ड्यूटी से होने वाले राजस्व को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित किया जाता है। सामान्यतः स्टाम्प ड्यूटी विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा संबंधित राज्य में प्रमुख निवेशक को ब्रोकर द्वारा प्रेषित की गई प्रतिभूति लेन-देन के संबंध में संविदा पत्र पर लगाई जा रही थी। महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई स्टाम्प अधिनियम, 1958 को संशोधित कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप ट्रेडिंग सदस्य द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किए गए लेन देनों के अभिलेख स्टाम्प ड्यूटी के अध्यधीन हो गए हैं, जिसमें महाराष्ट्र में स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होने वाले लेन-देन भी शामिल होंगे, परन्तु जो निवेशक महाराष्ट्र से बाहर अवस्थित है उनके लिए परिणामस्वरूप ऐसे दलाल/निवेशक कुछ मामलों में दो राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी के अधीन आ रहे हैं।

(घ) से (च) महाराष्ट्र सरकार द्वारा किये गये संशोधनों/विधिक वैधता को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती दी गई है। भारत संघ को भी इस मामले में वादी बनाया गया है। वर्तमान में मामला न्यायालयाधीन है। इसे देखते हुए केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कोई भी अनुदेश राज्य सरकारों को जारी नहीं किए हैं।

[हिन्दी]

न्यायालयों को धनराशि

575. **श्रीमती नीता पटैरिया :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में न्यायिक प्रशासन को उन्नत बनाने के उद्देश्य से न्यायालय भवनों के निर्माण, उनमें बढ़ोतरी करने तथा फेरबदल करने हेतु स्वीकृत के लिए केन्द्र सरकार के पास 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

पारेषण व संवितरण घाटा

576. **श्री प्रभुनाथ सिंह :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्युत चोरी और बिना मीटर की आपूर्ति के कारण 20,000 करोड़ रु. का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पारेषण और संवितरण प्रणाली में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) मांग और आपूर्ति में अंतर को कम करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं/किए जाने का प्रस्ताव है और इसका ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) वर्ष 2003-04 के दौरान वाणिज्यिक हानियां, जिसमें विद्युत यूटिलिटियों की चोरी आदि के कारण होने वाली हानियां शामिल है, 20623 करोड़ रुपये थी।

(ख) सरकार द्वारा पारेषण और वितरण प्रणाली में सुधार के लिए किए गए उपाय ये हैं-

(i) 11के वी फीडरों की मीटरिंग एवं उपभोक्ता मीटरिंग;

(ii) ऊर्जा गणना एवं लेखा परीक्षा;

(iii) विद्युत अधिनियम 2003 में विद्युत की चोरी से संबंधित प्रावधानों का सुदृढ़ीकरण;

(iv) एपीडीआरपी के अंतर्गत उप पारेषण व वितरण प्रणाली का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण;

(v) एपीडीआरपी के अंतर्गत राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा नकद हानियों में कमी को प्रोत्साहित करना;

(vi) हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) का शुभारंभ;

(vii) आईटी अनुप्रयोगों का शुभारंभ;

(ग) अप्रैल, 2005 से अक्टूबर, 2005 की अवधि के लिए देश में विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) देश में विद्युत की मांग एवं आपूर्ति के बीच अंतराल को पाटने के लिए निम्नांकित उपाय किए जा रहे है:

(i) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 41,110 मे.वा. क्षमत संवृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से केन्द्रीय क्षेत्र में 22,832 मे.वा., राज्य क्षेत्र में 11,157 मे.वा. व निजी क्षेत्र में 7,121 मे.वा. होगा।

(ii) नव स्थापित यूनिटों का शीघ्र स्थिरीकरण।

(iii) उत्पादन क्षमता के ईष्टतम उपयोग एवं विद्युत के अंत: क्षेत्रीय पारेषण के लिए सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण।

(iv) वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए भारत सरकार त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को कार्यान्वित कर रही है ताकि राज्यों में उप पारेषण व वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन हो सके, जिससे पारेषण एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी आए तथा विद्युत क्षेत्र को वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त हो। एपीडीआरपी के अंतर्गत उप पारेषण व वितरण प्रणालीगत स्कीमों के लिए राज्यों को निधियां उपलब्ध कराई जा रही है।

(v) मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण उपाय।

(vi) पुरानी एवं अकुशल उत्पादक इकाईयों के नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार के लिए पावर वित्त निगम द्वारा ऋण पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराना।

(vii) अपेक्षाकृत तीव्र गति से हाइड्रो शक्यता का संदोहन।

विवरण

विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति

(आंकड़े मि.यू. में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 05 से अक्टूबर, 05			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी (-) (मि.यू.)	(%)
1	2	3	4	5
चंडीगढ़	814	812	-2	-0.2
दिल्ली	13,790	13,602	-188	-1.4
हरियाणा	14,669	13,498	-1,171	-8.0
हिमाचल प्रदेश	2,375	2,371	-4	-0.2
जम्मू और कश्मीर	4,895	4,351	-544	-11.1
पंजाब	23,624	21,515	-2,109	-8.9
राजस्थान	17,251	16,871	-380	-2.2
उत्तर प्रदेश	32.468	25,567	-6,901	-21.3
उत्तरांचल	2,940	2,871	-69	-2.3
उत्तरी क्षेत्र	112,826	101,458	-11,368	-10.1

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	7,567	7,341	-226	-3.0
गुजरात	32,636	29,678	-2,958	-9.1
मध्य प्रदेश	18,454	16,612	-1,842	-10.0
महाराष्ट्र	55,901	47,999	-7,902	-14.1
दमन और दीव	763	763	0	0.0
दादर नगर हवेली	1,435	1,435	0	0.0
गोवा	1,345	1,345	0	0.0
पश्चिम क्षेत्र	118,101	105,173	-12,928	-10.9
आंध्र प्रदेश	29,760	29,333	-427	-1.4
कर्नाटक	18,361	18,236	-125	-0.7
केरल	7,795	7,738	-57	-0.7
तमिलनाडु	32,526	32,340	-186	-0.6
पांडिचेरी	1,005	1,005	0	0.0
लक्षद्वीप#	14	14	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	89,447	88,652	-795	-0.9
बिहार	4,648	4,098	-550	-11.8
डीवीसी	5,713	5,668	-45	-0.8
झारखंड	2,307	2,230	-77	-3.3
उड़ीसा	8,762	8,655	-107	-1.2
पश्चिम बंगाल	15,195	14,920	-275	-1.8
सिक्किम	126	125	-1	-0.8
अंडमान-निकोबार#	140	100	-40	-28.6
पूर्वी क्षेत्र	36,751	35,696	-1,055	-2.9
अरुणाचल प्रदेश	121	120	-1	-0.8
असम	2,362	2,217	-145	-6.1
मणिपुर	305	296	-9	-3.0
मेघालय	810	681	-129	-15.9
मिजोरम	130	121	-9	-6.9
नागालैंड	262	249	-13	-5.0
त्रिपुरा	460	413	-47	-10.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	4,450	4,097	-353	-7.9
अखिल भारत	361,575	335,076	-26,499	-7.3

लक्षद्वीप व अंडमान निकोबार द्वीप समूह-स्टैण्ड एलान सिस्टम, इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय जरूरत एवं उपलब्धता को पूरा नहीं करेंगे।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

577. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं की राज्यवार कुल संख्या कितनी है और इनकी लागत कितनी है; और

(ख) 1 अप्रैल, 2001 से 31 मार्च, 2004 तक स्वीकृत कुल विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं में से महाराष्ट्र का हिस्सा कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलनीमनिक्कम) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) उक्त अवधि के दौरान अनुमोदित की गई विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की कुल लागत में महाराष्ट्र का हिस्सा 6.22 प्रतिशत है।

एल आई सी की नई योजनाएं

578. श्री ई.जी. सुगवनम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा निगम के पालिसीधारकों की संख्या कितनी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एल आई सी के कारोबार का ब्यौर क्या है और चालू वर्ष के दौरान कितने कारोबार की आशा है;

(ग) क्या एल आई सी का विचार अपने पालिसीधारकों से संबंधित आंकड़ोकं के लिए विश्वस्तरीय डाटा वेयरहाउसिंग सुविधा स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एल आई सी का विचार स्टाक में अधिक धन निवेश करने का है और इस वर्ष के दौरान नई योजनाएं आरम्भ करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) नई योजनाओं को आरम्भ करने से कितनी धनराशि एकत्र होने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) देश में आज की स्थिति के अनुसार, जीवन बीमा निगम के पालिसीधारकों की संख्या 16.18 करोड़ है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एल आई सी के कारोबार का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	पालिसियां	बीमित राशि (करोड़ रु. में)	एफपीआई* (लाख रु. में)
2004-05	23959703	182860.26	1217411.13
2003-04	26951919	199698.31	856686.58
2002-03	24529946	179683.04	968886.85

(*एफ पी आई-प्रथम प्रीमियम आय)

चालू वर्ष के दौरान कारोबार की संभावना निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	पालिसियां	एफ पी आई (लाख रु. में)
2005-06	33200000	1689600.00

(ग) और (घ) जी, हां। एल आई सी ने आंकड़ा संग्रहण सुविधा की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जो पोलिसियों और पूरे देश में फैले हुए सभी पालिसीधारकों की पालिसियों के लेन-देन के बारे में एक केन्द्रीयकृत स्थान पर आंकड़ों का संग्रहण करेगा।

(ङ) और (च) जी, हां। वर्ष के दौरान, अक्तूबर 2005 तक, एल आई सी ने अनुपूरक बाजार प्रचालनों के माध्यम से पिछले वर्ष 6673 करोड़ रुपए की समतुल्य राशि की तुलना में इक्विटी पर लगभग 6915 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिससे केवल 232 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि का पता चलता है। एल आई सी की इक्विटी बिक्री भी पिछले वर्ष की 3092 करोड़ रुपए की तुलना में 4532 करोड़ रुपए अधिक थी, जिससे पिछले वर्ष के 1238 करोड़ रुपए की तुलना में 2000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ।

(छ) नई योजनाओं के अधीन संग्रहित की जाने वाली राशि के लिए अलग से कोई लक्ष्य नहीं है।

[हिन्दी]

खानों को बंद करना

579. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार विशेषकर राजस्थान में कितनी खानो को बंद किया गया है;

(ख) क्या बन्द हुई खानों का पुनरुद्धार किये जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो इन्हें कब तक पुनरुद्धार किये जाने की सम्भावना है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान

बंद की गई खानों की संख्या का राज्य वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

क्रम सं.	राज्य सरकार का नाम	वर्ष 2002-03 में बंद की गई खानों की संख्या	वर्ष 2003-04 में बंद की गई खानों की संख्या	वर्ष 2004-05 में बंद की गई खानों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	39	05	01
2.	असम	00	00	00
3.	बिहार	02	02	61
4.	छत्तीसगढ़	01	01	62
5.	गोवा	01	09	198
6.	गुजरात	27	48	06
7.	हरियाणा	103	00	00
8.	हिमाचल प्रदेश	00	00	00
9.	जम्मू और कश्मीर	00	00	00
10.	झारखंड	01	12	175
11.	कर्नाटक	01	00	07
12.	केरल	00	00	02
13.	महाराष्ट्र	00	00	73
14.	मणिपुर	00	00	00
15.	मेघालय	00	00	00
16.	मध्य प्रदेश	02	00	93
17.	उड़ीसा	00	00	00
18.	राजस्थान	144	21	127
19.	तमिलनाडु	00	00	01
20.	उत्तर प्रदेश	00	00	00
21.	उत्तरांचल	02	00	00
22.	पश्चिम बंगाल	00	00	00
	कुल	323	98	809

(ख) से (घ) खनिज संसाधनों की उपलब्धता, दुबारा मांग होने और खनन अर्थव्यवस्था में सुधार जैसे अनेक कारकों पर बंद हुई खानों का पुनरुद्धार निर्भर करता है। कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

वस्त्रों पर शुल्क

580. श्री रविचन्दन सिप्पीपराई : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के लिए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत 7 वर्षों के भीतर वस्त्रों पर प्रशुल्क 0-5 प्रतिशत तक कटौती किये जाने की जरूरत है जो 1 जनवरी, 2006 से लागू हो जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समझौते की विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने पहले ही वस्त्रों से सम्बधित 189 प्रशुल्क लेनों पर से शुल्क और अन्य 117 वस्त्र मदों को हटाने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) जी हां। संविदाकारी देशों के बीच आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार (साफ्टा) पर

हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) संविदाकारी देशों के क्षेत्रों के बीच सामानों के व्यापार और सीमा-पार आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए अवरोध समाप्त करना;

(2) मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्वच्छ प्रतियोगिता के लिए स्थितियां पैदा करना और उनके अपने-अपने आर्थिक विकास के स्तरों और तरीके को ध्यान में रखते हुए सभी संविदाकारी देशों को उचित लाभ सुनिश्चित करना;

(3) इस करार के कार्यान्वयन और लागू करने, इसके संयुक्त प्रशासन एवं इसके विवादों को हल करने के लिए एक प्रभावशाली तंत्र बनाना; और

(4) क्षेत्रीय सहयोग को और आगे बढ़ाने एवं इस करार के आपसी लाभों में वृद्धि करने के लिए एक रूप-रेखा स्थापित करना।

(ग) और (घ) सरकार ने सतत चर्चाओं में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार करार (साफ्टा) के तहत चरणों में कतिपय वस्त्र उत्पादों के आयात पर विशिष्ट शुल्क हटाने की पेशकश की है। साफ्टा देशों से भारत में आयात के खतरे के आधार पर इस अध्ययन ने विशिष्ट शुल्क वाली वस्त्र मदों (6 डीजिट एचएस वर्गीकरण) की पहचान चार श्रेणियों में की है, यथा-

(1) न्यूनतम दबाव श्रेणियां - 99 मदें।

(2) कम दबाव श्रेणियां - 90 मदें।

(3) मध्यम दबाव श्रेणियां - 39 मदें।

(4) भारी दबाव श्रेणियां - 43 मदें।

सरकार ने भारत की 429 वस्त्र टैरिफ लाइनों (6 डिजिट एचएस वर्गीकरण पर) की संवेदनशील सूची से 116 वस्त्र टैरिफ लाइनों को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है।

एस एस आई को ऋण

581. श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री पी. मोहन :
श्री राजनारायन बुधौलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर.बी.आई. ने मध्यम उद्योगों को ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करने और लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के बीच समन्वय करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लघु उद्योगों के वित्त पोषण की नई प्रणाली को कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा;

(घ) इससे लघु उद्योग क्षेत्र को किस सीमा तक लाभ मिलेगा;

(ङ) क्या सरकार का विचार लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ऋण राशि में वृद्धि करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पिछले एक वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को राज्य-वार कितनी ऋण राशि प्रदान की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 मई, 2005 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक बेकों को "लघु उद्यम वित्तीय केन्द्रों" (एसइएफसी) के लिए योजना का शीघ्र क्रियान्वयन शुरू करने का सुझाव दिया है। योजना के अंतर्गत बैंकों को अपनी शाखाओं और सिडबी की शाखाओं के बीच बेहतर समन्वय संबंधी तंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जो सिडबी और कार्यनीतिक भागीदार बैंकों द्वारा तैयार किए जाने वाले परस्पर सहमत परिचालनात्मक तौर-तरीके के संबंध में एसएमई (अत्यन्त लघु और सेवा क्षेत्र) के सह-वित्तपोषण के लिए लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा पहचाने गए उद्योग समूहों में स्थित हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने शुरू में इस योजना को 149 उद्योग समूहों में क्रियान्वित करने का निर्णय लिया था और अब तक 9 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) 31 मार्च, 2004 के दौरान लघु उद्योग को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की राज्य-वार राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपए हजार में)

राज्य	लघु उद्योग को कुल अग्रिम	
	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3
हरियाणा	46313	23073619
हिमाचल प्रदेश	17963	2909928
जम्मू-कश्मीर	7882	1886422
पंजाब	99640	45506933
राजस्थान	57663	20864293
चंडीगढ़	3331	3890335
दिल्ली	28764	43924710
असम	25419	3257093
मणिपुर	2741	231665
मेघालय	3211	342660
नागालैंड	2294	229582
त्रिपुरा	7351	299431
अरुणाचल प्रदेश	669	65777
मिजोरम	1054	97877
सिक्किम	378	51387
बिहार	89544	5928170
झारखंड	37049	6358953
उड़ीसा	42247	8584646
पश्चिम बंगाल	384499	38470678
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	805	227973
मध्य प्रदेश	52712	17151905
छत्तीसगढ़	14579	5239700
उत्तर प्रदेश	177325	46517727
उत्तरांचल	9274	2627080
गुजरात	56335	34883593
महाराष्ट्र	79802	107686758
दमन और दीव	362	231008
गोवा	3077	1455856
दादर और नागर हवेली	316	136507
आंध्र प्रदेश	70564	37339573
कर्नाटक	66396	34694058
केरल	96413	17165157
तमिलनाडु	222201	71172364
पांडिचेरी	1326	607713
लक्षद्वीप	23	2319
अखिल भारत	1709522	583113450

[हिन्दी]

एसबीआई द्वारा बैंकों का अधिग्रहण

582. श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री आलोक कुमार मेहता :
श्री बाडिगा रामकृष्णा :

डा. के. धनराजू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में इण्डोनेशिया के पी.टी. मोनेक्स बैंक की 76% इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य ऐसे विदेशी बैंकों का ब्यौरा क्या है जिनका अधिग्रहण एस.बी.आई. ने अभी तक किया है;

(घ) इससे भारतीय स्टेट बैंक को क्या लाभ होने की संभावना है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान पी.टी. मोनेक्स बैंक सहित ऐसे बैंकों की वित्तीय स्थिति क्या रही?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने प्रबंधन नियंत्रण सहित 76% इक्विटी स्टेक अर्जित करने के लिए इंडोनेशिया के पीटी बैंक इन्डो मोनेक्स, जकार्ता के प्रधान शेयरधारकों, के साथ एक लेन-देन किया है।

(ग) एसबीआई ने इंडियन ओशन इन्टरनैशनल बैंक लिमिटेड, मारीशस में भी प्रबंधन नियंत्रण समेत 51% इक्विटी स्टेक अभिगृहीत किए हैं।

(घ) इन अभिग्रहणों से एसबीआई को कारबार प्रोफाइल तैयार करने के लिए वर्धित उत्पादन-पूर्व अवधि निर्धारित किए बिना विद्यमान ग्राहक आधार, शाखा नेटवर्क, परिचालन प्रणालियां तथा स्थानीय बाजारों में त्वरित पहुंच प्राप्त होगी।

(ङ) इंडियन ओशन इन्टरनैशनल बैंक (आईओआईबी), मारीशस और पीटी बैंक इन्डो मोनेक्स, इंडोनेशिया की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :-

(राशि अमरीकी मिलियन डालर में)

	आईओआईबी, मारीशस			पीटी बैंक इन्डो मोनेक्स		
	दिसम्बर,02	दिसम्बर,03	दिसम्बर,04	दिसम्बर,02	दिसम्बर,03	दिसम्बर,04
जमाराशियां	95.268	97.920	102.963	27.9630	31.0853	33.2247
अग्रिम	52.909	48.352	47.096	19.0779	20.0898	20.4332
निवल लाभ	1.426	1.377	1.112	0.0522	0.1496	0.2721

[अनुवाद]

भागीदारी में लोच और कर स्थिति को जोड़ने वाली नई योजना

583. श्री. मनोरंजन भक्त : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भागीदारी में लोच और कर स्थिति को जोड़ने वाली कोई नई योजना आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना

584. श्री उदय सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हस्तनिर्मित फाइबर यार्न आयात शुल्क में कटौती सहित कई उपायों की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वस्त्र उद्योग में पिछले कुछ वर्षों में मंदी आई है; और

(घ) यदि हां, तो देश में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) पोलिएस्टर/नाइलोन चिप्स, यार्न, फाइबर और मानव निर्मित फाइबरों के मध्यवर्तियों सहित मान-निर्मित फाइबर एवं यार्न के आयात पर सीमा शुल्क बजट 2005-06 में 20% के घटाकर 15% कर दिया गया है। सरकार ने वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन के लिए हाल ही में निम्नलिखित कदम भी उठाए है:-

(1) टीयूएफएस के लिए आबंटन प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए 10% की अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी सहित बढ़ाकर 435 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(2) वस्त्र उत्पादों एवं हौजरी की 30 मदों की लघु उद्योग से अनारक्षण के लिए पहचान की गई है।

(3) हथकरघा क्षेत्र के उत्थान के लिए एक समूह विकास दृष्टिकोण शुरू किया गया है। हथकरघा बुनकरों के लाभार्थ बुनकर बीमा योजना और स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है।

(4) पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न और पोलिएस्टर टेकसचराइण्ड यार्न पर उत्पाद शुल्क 24% से घटाकर 16% कर दिया गया है।

(5) अकेली टेकसचराजिंग इकाईयों को सेनवेट ऋण के साथ 8% उत्पाद शुल्क पर अथवा सेनवेट ऋण के बिना शून्य शुल्क पर वैकल्पिक सेनवेट योजना प्रदान की गई है।

(6) विशिष्ट वस्त्र मशीनरी मदों, कच्ची सामग्री और उन मशीनों के विनिर्माण के लिए अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों पर शुल्क 20% से कम कर 10% कर दिया गया है। कुछ अन्य मशीनों पर 5% का मौजूदा रिआयती शुल्क जारी रखा जा रहा है।

(ग) सरकार द्वारा किए गए उपायों से वस्त्र क्षेत्र में निवेश के विकास को गति मिली है और मंदी समाप्त हुई है। इससे विश्व बाजार में भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए उत्पादन लागत कम करने में भी सहायता मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों में उचंत खाते

885. **श्रीमती निवेदिता माने :**

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन लाइन टैक्स एकाउंटिंग प्रणाली के अंतर्गत सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के उचंत खातों में करोड़ों रुपये पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में जिम्मेवारी निर्धारित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसी खामियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) आन लाइन कर लेखांकन प्रणाली के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास उचंत खाते में प्रत्यक्ष कर की कोई राशि नहीं पड़ी हुई है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, लागू नहीं होता।

पंजाब में वैट

586. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पंजाब के पड़ोसी राज्यों में वैट की दरें पंजाब की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को पजाब के विभिन्न व्यापारिक संगठनों से भी राज्यों में एक समान वैट दरें लागू करने और इस मामले की समीक्षा के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारत के संविधान की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 54 के तहत राज्य बिक्री कर (राज्य वैट भी, जिसने राज्य बिक्री कर को प्रतिस्थापित किया है) राज्य का विषय है। राज्य वैट से संबंधित सभी मामलों पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति (ई सी) का गठन किया गया है। अधिकार प्राप्त समिति ने 1 अप्रैल, 2005 से कार्यान्वित राज्य वैट के अंतर्गत कर की दरों की संरचना का निर्णय लिया है। तथापि, अधिकार-प्राप्त समिति ने कुछ मामलों में राज्यों को लचीलापन अपनाने की अनुमति दी है। उदाहरण के लिए प्रत्येक राज्य स्थानीय महत्व की वस्तुओं के रूप में 10 मदों को कर से छूट प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को औद्योगिक निविष्टियों की अपनी सूची अधिसूचित करने का हक है जो 4 प्रतिशत कर की दर के अध्यधीन होगी। ऐसे लचीलेपन के परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में दरों में कुछ सीमित अन्तर आ सकता है। इसके अलावा यह भी सत्य है कि कुछ राज्यों ने कुछ मदों के संबंध में अधिकार प्राप्त समिति की अनुमोदित दरों से विचलन किया है। तथापि, अधिकार प्राप्त, समिति इस मामले का सावधानीपूर्वक अनुवीक्षण कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राज्य सभी मदों के संबंध में अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित दरों को अपनाएं।

(ग) राजस्व विभाग को पंजाब में वैट दरों के संबंध में विभिन्न व्यापार संगठनों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, जिन्हें अधिकार-प्राप्त समिति के पास समुचित विचार के लिए भेज दिया गया है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

587. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी :
श्री असादूद्दीन ओवैसी :
श्री सी.के. चन्द्रप्पन :
डा. चिन्ता मोहन :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002 में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों (बी.पी.एल) की पहचान के लिए अपनाई गई पद्धति के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 2001 की जनगणना के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची उपलब्ध न होने की वजह से गरीबी उन्मूलन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्यों से 2001 की जनगणना के आधार पर ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करने को कहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा धनराशि जारी करने के उद्देश्य से ऐसी सूचियां भेजने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है;

(छ) किन-किन राज्यों ने अपनी सूचियां सरकार को भेज दी हैं; और

(ज) लक्ष्यों के अनुसार गरीबी उन्मूलन योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बी.पी.एल. जनगणना 2002 कराने की पद्धति के बारे में सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। विशेषज्ञ समूह द्वारा सिफारिश की गई पद्धति को राज्य सरकारों, केन्द्रीय

मंत्रालयों और इस क्षेत्र के शिक्षाविदों तथा पेशेवरों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया गया था। मंत्रालय को इस पद्धति के खिलाफ कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है, तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा व्यक्त की गई शंकाओं को समय-समय पर दूर किया गया।

(ग) से (छ) सरकार बी.पी.एल. जनगणना 2002 के परिणामों पर आधारित बी.पी.एल. सूची, जिसे इसलिए पूरा नहीं किया जा सका था क्योंकि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था, की गैर-मौजूदगी में विभिन्न गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामने आने वाली कठिनाइयों से अवगत है। सरकार ने राज्यों से 2001 की जनगणना के आधार पर बी.पी.एल. परिवारों की सूची तैयार करने के लिए नहीं कहा है। तथापि, विधि मंत्रालय की सलाह पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से हाल ही में यह कहा गया है कि वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 5 मई, 2003 के आदेशों की अवहेलना किए बिना 3-4 माह की अवधि के भीतर बी.पी.एल. जनगणना 2002 के परिणामों को अंतिम रूप दें। निधियों की रिलीज का संबंध बी.पी.एल. सूची की प्रस्तुति से नहीं है।

(ज) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निगरानी एवं मूल्यांकन की व्यापक प्रणाली शुरू की है जिसके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षाओं के नतीजे से यह पता चला है कि योजनाओं का कार्यान्वयन कुल मिलाकर दिशा-निर्देशों के अनुसार हो रहा है और जहां कहीं भी कोई कमी नजर आती है, उस पर उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

आयकर विवरणी भरना

588. श्री निखिल कुमार :
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने हाल ही में अपने कार्यभर को कम करने के लिए वेतनभोगी वर्ग को आयकर विवरणी भरने से मुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लाखों केन्द्रीय कर्मचारी प्रत्येक वर्ष आयकर विवरणी भरने के लिए अकारण परेशान होते हैं;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा आयकर विवरणी भरना कब से समाप्त किये जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या 72 वर्ष की आयु से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को भी समान छूट दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कानून प्रत्येक व्यक्ति पर आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए दायित्व डालता है यदि उसकी आय नियत न्यूनतम सीमा से अधिक है। तथापि, वेतनभागी करदाताओं की सुविधा हेतु उनकी आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने कतिपय कदम उठाए हैं जैसे-

(i) एक सरल विवरणी का रूपांकन

(ii) स्रोत पर कर कटौती-सह विवरणी प्रपत्र का रूपांकन

(iii) निम्नलिखित के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करने की स्कीमों को जारी करना-

(क) नियोजक

(ख) ई-मध्यस्थ

(ग) इन्टरनेट

(घ) आयकर देने वाले किसी कर्मचारी की वार्षिक आय की सूचना देने की अपेक्षा को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कर्मचारियों के लिए एक सरलीकृत स्कीम है कि वे अपने नियोजक के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करके अपनी आय की सूचना दें। यह सरलीकृत स्कीम 1,50,000 रु. तक सकल वार्षिक वेतन वाले कर्मचारी पर लागू है और न कि-

(i) कारोबार अथवा व्यवसाय से आय; अथवा

(ii) पूंजीगत अभिलाभप से आय; अथवा

(iii) कृषि जनित आय ; अथवा

(iv) कोई अन्य आय जिससे नियोजक से भिन्न किसी व्यक्ति से स्रोत पर कर कटौती की गई है।

(ङ) और (च) भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रायोजक बैंकों के पास आर.आर.बी.
की जमा राशि

589. श्री बसुदेव आचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रायोजक बैंकों के पास एस.एल.आर. तथा गैर-एस.एल.आर. दोनों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी) ने कितनी धनराशि जमा करवाई है;

(ख) एस.एल.आर., गैर-एसएल.आर. और विशेष चालू खातों पर प्रायोजक बैंकों द्वारा आर.आर.बी. को कितनी ब्याज दर की पेशकश की गई है;

(ग) प्रायोजक बैंक से आर.आर.बी. द्वारा लिये गए पुनर्वित्त की राशि कितनी है; और

(घ) आर.आर.बी. के कुल बकाया अग्रिम राशि का कुल कितने प्रतिशत पुनर्वित्त प्रायोजक बैंक और नाबार्ड ने किया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) प्रायोजक बैंकों द्वारा दिए गए अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सांविधिक चलनिधि अनुपात और गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात की निधियां क्रमशः 1923744.76 लाख रुपये तथा 1517174.89 लाख रुपये हैं।

(ख) प्रायोजक बैंकों को दिए गए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पास रखी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की एसएलआर सावधि जमाराशियों पर प्रायोजक बैंकों की अधिकतम सावधि ब्याज दर से 0.5 प्रतिशत अधिक ब्याज का भुगतान करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी कोई ब्याज-दर निर्धारित नहीं की है जिसका भुगतान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की गैर-एसएलआर जमाराशियों पर प्रायोजक बैंकों द्वारा किया जाना है। तथापि, प्रायोजक बैंकों के पास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखी गई चालू खाता जमाराशियों के संबंध में प्रायोजक बैंकों द्वारा ब्याज का भुगतान परस्पर सहमत दरों पर किया जाता है।

(ग) वर्ष 2004-05 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रायोजक बैंकों से लिए गए पुनर्वित्त की राशि 441.37 करोड़ रुपये है।

(घ) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया अग्रिमों की तुलना में प्रायोजक बैंकों और नाबार्ड के पुनर्वित्त का प्रतिशत क्रमशः 1.34% तथा 15.44% है।

भारतीय स्टॉक बाजार

590. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टॉक बाजार पिछले दो महीनों के दौरान तेजी से गिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2005 के पिछले दो महीनों के प्रत्येक महीने में एफआईआई द्वारा कितना निवेश किया गया; और

(घ) स्टाक बाजार को राहत पहुंचाने के लिए और एफआईआई के संबंध में विनियामक नीति लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पन बिजली उत्पादन

591. प्रो. एम. रामदास : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वर्ष 2005-2006 हेतु जल विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में धीमी प्रगति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) लिग्नाइट आधारित 500 मेगावाट वाली नेवेली टी.वी. विस्तार-II और बरसिंगसर विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) 2005-06 के लिए देश में जल विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य 91,480 एम यू है और अप्रैल में अक्टूबर 2005 की अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य 59,681 एम यू का। अप्रैल-अक्टूबर 2005 के दौरान वास्तविक जल विद्युत उत्पादन 65ए 886 एम यू था जो कि इस अवधि के लक्ष्य से 10.40% अधिक है। अत: लक्ष्य को प्राप्त करने में धीमी प्रगति नहीं हो रही है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नेवेली टी पी एस एक्स-II (3+250=550 मेगावाट) का निष्पादन नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन एल सी) द्वारा किया जा रहा है, मैसर्स भेल को मुख्य संयंत्र आदेश अगस्त में दिया गया है और उत्पादन प्रारंभ होने का समय जनवरी, 2009 तथा जून 2009 है इसका कार्य प्रगति में है।

बरसिंगसर लिगनाइट टी पी पी (2+125-250 मेगावाट) का निष्पादन एन एल सी द्वारा किया जा रहा है। प्रारम्भिक जांच कार्य प्रगति में है और आर ई सी के साथ निधि को वित्तपोषित किया जा रहा है। मुख्य संयंत्र पैकेज के लिए बोलियां 17.6.2005 को खोली गई थी और ये मूल्यांकन के अधीन हैं। दिसम्बर 2005 तक स्वीकृति पत्र (एल ओ ए) रखे जाने की सम्भावना है और यूनिट 1 और 2 के चालू होने का समय क्रमश: दिसम्बर 2008 और जून 2009 है।

औद्योगिक घरानों द्वारा बैंक आरम्भ करना

592. **डा. एम. जगन्नाथ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक घरानों और वित्तीय संस्थानों द्वारा बैंकों को आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) औद्योगिक और वित्तीय संस्थानों द्वारा आरम्भ किये जाने वाले बैंकों के खाताधारकों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक घरानों तथा वित्तीय संस्थाओं को फिलहाल नये बैंक खोलने की अनुमति देने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण

593. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान और 2005-06 में अब तक किन-किन राज्यों ने ग्रामीण विद्युतीकरण के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ख) क्या उच्च विद्युत लागत की वजह से ग्रामीण क्षेत्र के निवासी विद्युत का उपयोग करने में असमर्थ हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की लागत में कटौती के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) देश के सभी राज्यों का पूर्ण विद्युतीकरण कब तक किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाई) के अंतर्गत पूरे देश में 2005-06 के लिए 10,000 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। उक्त स्कीम 27 राज्यों में क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। बिहार और उत्तर प्रदेश में 1027 गांवों के विद्युतीकृत होने की सूचना है। बिहार में यह संख्या 521 तथा उत्तर प्रदेश में 506 है।

(ख) और (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत टैरिफ का निर्धारण विद्युत विनियामक आयोगों का सांविधिक कार्य है। राष्ट्रीय विद्युत नीति गरीब श्रेणी के उपभोक्ताओं को किफायती दर पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सहायता देने की आवश्यकता समझता

है। राष्ट्रीय नीति के अनुसार जो उपभोक्ता प्रति माह एक विनिर्दिष्ट स्तर, अर्थात 30 यूनिट से कम विद्युत खपत करते हैं, उन्हें क्रांस-सब्सिडी वाले टैरिफ के रूप में सहायता दी जानी चाहिए।

इसके अलावा राज्य सरकार अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत विशेष समूह के उपभोक्ता को एक सीमा तक सब्सिडी दे सकते हैं, जिसके अंतर्गत अंतिम रूप से आवश्यक बजटीय प्रावधान करना होगा ताकि यूटिलिटी को वित्तीय समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े और इसका प्रचालन प्रभावित न हो। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2003-04 में कृषि उपभोक्ताओं को 24.13% विद्युत बेची गई।

(घ) आरजीजीवीवाई केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई है जिसके अंतर्गत ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन तथा ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना तैयार करने के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी देने का प्रावधान है। इससे नियत लागत कम होगी और विद्युत की लागत में कमी आएगी। पर्याप्त क्षमता वाले वितरण नेटवर्क से भी वितरण हानियों में कमी होगी, जिससे विद्युत वितरण की लागत में कमी आएगी।

विद्युत अधिनियम, 2003 का एक मुख्य उद्देश्य दक्षता लागत हासिल करने के उद्देश्य से विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

मेगा विद्युत नीति, जिसके अंतर्गत घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के लिए पूंजीगत उपस्कर के आयात तथा विचारित निर्यात पर शून्य-शुल्क का प्रावधान है, के अंतर्गत लाभ उन सभी अंतःराज्जीय परियोजनाओं के लिए लागू कर दी गई है, जो थर्मल के अंतर्गत 1000 मे.वा. तथा हाइडल परियोजना के लिए 500 मे.वा. की न्यूनतम पात्रता को पूरा करते हैं।

इसके अलावा भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए निम्नलिखित वित्तीय उपाय किए हैं-

— पारेषण एवं वितरण उपस्करों पर कुल शुल्क को 25% (मूल सीमा शुल्क) + 4% (विशेष अतिरिक्त शुल्क) से 10% (बीसीडी) + 16% (सीवीडी) तक कम करना।

— विद्युत मीटरों पर सीमा शुल्क 25% से घटाकर 15% करना।

— कोयला पर सीमा शुल्क को 25% से घटाकर 5% करना।

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन के लिए तथा सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी करने के लिए शुरू की गई है जिसके फलस्वरूप विद्युत वितरण की लागत में कमी आएगी।

(ङ) वर्ष 2009 तक देश के सभी गैर-विद्युतीकृत गांव विद्युतीकृत हो जाएंगे तथा सभी ग्रामीण घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी।

[हिन्दी]

विद्युत स्टेशन का विस्तार

594. **श्री टेक लाल महतो :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो जिले के लाल पनिया विद्युत स्टेशन के विस्तार का कार्य आरम्भ हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) इस स्टेशन के निर्माण के परिणामस्वरूप कितने किसान विस्थापित हुए हैं;

(ङ) क्या अभी तक इन किसानों के परिवारों का पुनर्वासन किया गया है तथा उन्हें मुआवजा दिया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो विस्थापित परिवारों का कब तक पुनर्वास और स्टेशन को कब तक चालू किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तेनुघाट (लाल पनिया) थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार हेतु विश्वव्यापी निविदा जारी की गई है। परियोजना के लिए खर्च किए जाने वाली कुल निधियां 2365.82 करोड़ रुपये बताई गई है, जिसमें से 1,892.00 करोड़ रुपये का वित्तपोषण पावर फाइनेंस कारपोरेशन के माध्यम से तथा शेष 473.82 करोड़ रुपये का व्यय तेनुघाट विद्युत निगम लि. द्वारा अपने निजी संसाधनों के जरिए पूरा किया जाना है।

(घ) तेनुघाट विद्युत निगम लि. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परियोजना के विस्तार के कारण किसी भी किसान को विस्थापित नहीं किया जाएगा।

(ङ) और (च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कंपनियों के भ्रामक विज्ञापन

595. श्री ब्रजेश पाठक : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्यौहारों के दौरान कंपनियां उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए भ्रामक विज्ञापन जारी करती हैं, जोकि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार के अंतर्गत अनुचित व्यापार व्यवहार के दायरे में आते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए भ्रामक विज्ञापनों को जारी करने के मामले में एम आर टी पी ने कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक कंपनियों के नामो सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) और (ख) त्यौहारों के दौरान उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले भ्रामक विज्ञापन एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 36 क के अन्तर्गत अनुचित व्यापार व्यवहार के दायरे में आते है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने त्यौहारों के दौरान उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए जारी किए गए भ्रामक विज्ञापन जारी करने के लिए तीन जांचे संस्थित की। इन जांचों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम	संक्षिप्त विषय	वर्तमान स्थिति
1.	स्पैक्ट्रम मैगजीन लिमिटेड	विभिन्न गिफ्ट तथा पुरस्कार देने वाली "ए एंड एम मेगा दिवाली आफर" शीर्षक से प्रतिवादी द्वारा प्रोमोटिड स्कीम।	मामला आगे की कार्रवाई के लिए 7.12.2005 के लिए सूचीबद्ध किया गया है
2.	मैसर्स अम्बा ज्वैलर्स	प्रतिवादी द्वारा खुदरा बाजार में थोक मूल्य दर से 5790 रु. प्रति दस ग्राम की दर पर सोने को बेचने व पुरस्कार देने के बारे में करवा चौथ की पूर्व संध्या से दिवाली तक विज्ञापन दिया।	आयोग ने प्रतिवादी को ऐसा या इसी प्रकार का अन्य विज्ञापन न देने के लिए एक अन्तरिम व्यादेश जारी किया। मामला आगे की सुनवाई के लिए 17.1.2006 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
3.	एल जी इलैक्ट्रानिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	प्रतिवादी कंपनी ने "मंगल ही मंगल आफर दिस दिवाली" शीर्षक से स्कीम प्रोमाट की।	आयोग ने प्रतिवादी को उक्त या इसी प्रकार का किसी अन्य रूप में या किसी भी मीडिया में विज्ञापन पुनः प्रकाशित/देते रहने को नियंत्रित करने के लिए एक अन्तरिम व्यादेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक जारी किया है। मामला आगे की सुनवाई के लिए 14.12.2005 के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

[अनुवाद]

स्व-सहायता समूहों को ऋण

596. श्री पी. मोहन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूरे देश में, विशेषकर तमिलनाडु के स्व-सहायता समूहों के लाभ के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान तमिलनाडु में एस एच जी को कितनी धनराशि का ऋण संवितरित किया गया;

(ग) क्या ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एस एच जी को ऋण स्वीकृत किए जाने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) गत तीन वर्ष के दौरान स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को तमिलनाडु राज्य एवं देश भर में संवितरित राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	अखिल भारत	तमिलनाडु
2002-03	1022.34	222.85
2003-04	1855.53	505.91
2004-05	2994.25	746.47

(ग) और (घ) बैंक एसएचजी को बिना किसी संपार्श्विक के ऋण देते हैं और विभिन्न राज्य सरकारों ने एसएचजी ऋणों पर स्टाम्प शुल्क माफ किया है। एसएचजी से ऋण आवेदन प्राप्त होने पर, बैंक सामान्यतया अपने निर्धारित मानदंडों के अनुसार एसएचजी की रेटिंग (क्रम निर्धारण) करते हैं। यदि एसएचजी क्रम निर्धारण मानदंडों को पूरा करते हैं, तब बैंक समूह की बचतों के गुणज में ऋण मंजूर करते हैं। बैंक आम तौर पर ऋण करार एवं परस्पर करार प्राप्त करते हैं।

(ङ) एसएचजी को ऋण मंजूर करने के लिए अपनाए गए मानदंड, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार हैं :-

- समूह को न्यूनतम छह माह की अवधि के लिए सक्रिय रूप से अस्तित्व में/बना रहना होना चाहिएं।
- समूह को स्वयं के संसाधनों से सफलतापूर्वक बचत एवं ऋण परिचालन करने चाहिएं।
- समूह को उचित खाते/रिकार्ड रखने चाहिएं।
- स्व-सहायता समूहों को लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करना चाहिएं।

छठा वेतन आयोग

597. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि छठे वेतन आयोग का गठन 1 जनवरी, 2003 तक कर दिया जाए ताकि इसकी रिपोर्ट जनवरी, 2006 तक आ जाए;

(ख) यदि हां, तो अभी तक छठे वेतन आयोग का गठन न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न स्थानों तथा व्यक्तियों से अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पांचवें वेतन आयोग की उक्त सिफारिश को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है, चूंकि पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की महंगाई भत्ते की 50 प्रतिशत राशि को महंगाई वेतन के रूप में विलयन संबंधी सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया

गया है। सरकारी कर्मचारियों को वर्ष में दो बार अर्थात् जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते की दो किस्तें जारी करके मुद्रास्फीति से भी बचाया जाता है। इस समय वेतन आयोग का गठन करने का कोई औचित्य नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस संबंध में सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशनों/फैडरेशनों के साथ-साथ जे.सी.एम. (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) की राष्ट्रीय परिषद से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

हथकरघा वस्तुओं का निर्यात

598. श्री रामजी लाल सुमन :
श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्री जसुभाई धनाभाई बारड़ :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प तथा हथकरघा वस्तुओं का शिल्प-वार कुल कितना निर्यात किया गया और इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में हस्तशिल्प तथा हथकरघा वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान हस्तशिल्प मदों का कुल लक्ष्य एवं शिल्पवार निर्यात संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 1-4-2003 से आई टी सी (एच एस) कोड में संशोधन कर दिए जाने के कारण अप्रैल, 2003 से हथकरघा मदों के निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इसमें हथकरघा उत्पादों का अलग-अलग वर्गीकरण नहीं है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के कुल वर्षवार लक्ष्य तथा वर्ष 2002-03 के लिए हथकरघा मदों का उत्पादन समूहवार निर्यात संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) देश से हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पादों के निर्यात में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं: विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेना; क्रेता विक्रेता बैठकों का आयोजन; विदेशों में प्रचार; बाजार अध्ययन आयोजित करना; बाजार मांग के अनुसार उत्पादों का विकास; निर्यातकों में विपणन आसूचना का प्रसार; निर्यात प्रक्रिया एवं पैकेजिंग पर सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करना, डलास (यू.एस.ए.) में शोरूम/वेयरहाउस खोलना; सीआईएस, दक्षिण अफ्रीका, लेटिन अमरीकी एवं आसिआन देशों में नए बाजारों का पता लगाना; करघों एवं विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं का तकनीकी उन्नयन, प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि; हथकरघा उत्पादन केन्द्रों को मिलगेट दरों पर हैंक यार्न की सप्लाई; नई दिल्ली में भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेले का आयोजन तथा ग्रेटर नोएडा में भारतीय एक्सपोजीशन मार्ट एवं विशेष आर्थिक जोन्स् की स्थापना करना।

विवरण-I

हस्तशिल्प के निर्यात में लक्ष्य एवं उपलब्धि

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

	मदें	2002-03	2003-04	2004-05
	1	2	3	4
	लक्ष्य	10470.00	12950.00	14383.00
	उपलब्धि			
क.	कालीन एवं अन्य फर्श बिछावन			
1.	ऊनी	2293.79	2617.85	2389.82
2.	रेशमी	209.42	120.48	150.11
3.	संश्लिष्ट	87.05	41.46	43.69
	कुल (क)	2590.26	2779.79	2583.62
ख.	अन्य हस्तशिल्प			
1.	कलात्मक धातुपात्र	2165.21	2642.42	3364.93
2.	काष्ठपात्र	511.35	609.07	721.18

1		2	3	4
3.	मशीन से छपे वस्त्र स्कार्फस्	1466.52	1611.43	1848.76
4.	कशीदाकारीकृत एवं कोशिए	2477.75	3286.05	4199.86
5.	कलात्मक शॉलें	21.70	43.27	53.65
6.	जरी एवं जरी की वस्तुएं	159.47	210.54	252.28
7.	नकली आभूषण	138.79	161.90	200.56
8	विविध हस्तशिल्प	1391.62	1900.46	2391.48
	कुल (ख)	8343.41	10465.14	13032.70
	कुल योग (क+ख)	10933.67	13244.93	15616.32

विवरण-II

हथकरघा के निर्यात में लक्ष्य एवं उपलब्धि

(आंकड़े लाख रुपये में)

क्रमांक	उत्पाद समूह का नाम	2002-03
1	2	3
	लक्ष्य	266200.00
	उपलब्धियां	
I.	कपड़े	
1.	वास्तविक मद्रासी रुमाल	1214.00
2.	लुंगियां	4022.75
3.	धोतियां	33958.30
4.	साड़ियां	1093.74
5.	शर्टिंग	5110.79
6.	फर्निशिंग्स	2341.61
7.	अन्य	36552.70
	कुल कपड़े	84293.89
II.	मेड-अपस्	
1.	ब्रैड लिनन	3951.06
2.	टेबल लिनन	4719.12
3.	टॉयलेट एवं किचन लिनन	4356.93
4.	बैडस्प्रैडस	11636.62
5.	पर्दे	17367.24
6.	फर्निशिंग मदें	94071.12
7.	फर्श बिछावन	26102.39
8.	क्लोदिंग उपसाधन	6560.66
9.	अन्य	10267.80
	कुल मेड-अपस्	179032.93
	कुल योग	263326.82

वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के लिए लक्ष्य क्रमशः 264200.00 लाख रुपये और 292000.00 लाख रुपये रहा है।

[अनुवाद]

भारत निर्माण

599. श्री राजापति सांबासिवा राव :
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों तथा सिंचाई कार्यों में आ रहे वित्त-पोषण के अंतर को कम करने के लिए एक पृथक वित्त-पोषण वातायन खोलने हेतु केन्द्रीय वित्त मंत्री से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को निर्देश देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत निर्माण-सड़कों, विद्युतीकरण, जलापूर्ति, सिंचाई, आवास तथा टेलीफोन कनेक्टिविटी को दायरे में लेने वाले बुनियादी ढांचे हेतु चार वर्ष की अवधि की समयबद्ध योजना है;

(ग) क्या सरकार ने भारत निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजस्व के जरिये जुटाई गई राशि के 30,000 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिए हैं और 4000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष विदेशी सहायता के वित्त अंतराल को अभी पाटना शेष है;

(घ) क्या नाबार्ड से इस अंतर को पाटने को कहा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रधान मंत्री द्वारा इस दिशा में क्या अन्य निर्देश जारी किए गए तथा ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जूट का निर्यात

600. श्री जसुभाई धनाभाई बारड़ : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में जूट के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में यह कितना बढ़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा जूट के निर्यात को भविष्य में और बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (ग) जी हां। वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम पांच महीनों के दौरान पटसन सामानों के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। उसे निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है :-

मात्रा : हजार मी. टन

मूल्य : रु./मिलियन

अमरीकी डालर/मिलियन

पटसन उत्पादों की प्रमुख श्रेणियां	अप्रैल-अगस्त 2005		अप्रैल से अगस्त 2004	
	मात्रा	मूल्य/रु.	मात्रा	मूल्य/रु.
हैसियन	35.4	978.77	22.7	592.99
सैकिंग	16.8	462.99	12.5	319.01
यार्न	31.8	1105.21	38.5	1043.74
जेडीपी	--	1024.60	--	522.27
अन्य	6.3	204.47	5.6	16.34
कुल	90.3	3776.04	79.3	2637.35
		= 86.63 अमरीकी डालर		= 56.96 अमरीकी डालर

स्रोत : पटसन विनिर्माण विकास परिषद, कोलकाता

अप्रैल-अगस्त, 2005 के दौरान निर्यात, भारतीय रुपये में अप्रैल-अगस्त, 2004 की इसी अवधि की तुलना में 43% अधिक है। मात्रा के रूप में, अप्रैल-अगस्त 2004 की अवधि की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2005 के दौरान संचयी निर्यात भी 14% अधिक है।

(घ) सरकार अनेक योजनाओं के माध्यम से पटसन सामानों के निर्यात को बढ़ावा दे रही है जैसे :-

- बाह्य बाजार सहायता (ईएमए) योजना, जो 1988-89 से लागू है, से निर्यातक एफओबी मूल्य पर विशिष्ट दर पर विशिष्ट पटसन उत्पादों के निर्यात पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

- शुल्क हकदारी पास बुक (डीईपीबी) योजना, जो जुलाई, 2002 से लागू है, से निर्यातक विशिष्ट पटसन उत्पादों के निर्यात पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

- वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा घोषित शुल्क वापसी-2005-06 में अन्य बातों के साथ-साथ 5.5.2005 से शुल्क वापसी के लिए विशिष्ट पटसन और पटसन उत्पाद शामिल हैं।

- पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) की जेएमडीसी प्रोत्साहन योजना।

- विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन, नए विविधीकृत पटसन उत्पादों का विकास आदि जैसी जेएमडीसी की बाजार संवर्धन योजनाएं।

ब्याज दरों में कटौती

601. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष से अपने-अपने ऋणों पर ब्याज में कटौती की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) से उधार से संबंधित मुद्दों पर जिसमें उधार की लागत भी शामिल है, राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अनुरोध किए गए हैं और टिप्पणियां दी गई हैं। ये इन मुद्दों पर निर्णय लेने में तहत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। तथापि, राज्य सरकारों को एनएसएसएफ से ऋणों पर ब्याज की दर जमाकर्ताओं को भुगतान किए गए ब्याज और डाक विभाग/बैंकों तथा लघु बचत एजेंटों को भुगतान की गई प्रबंधन लागत पर निर्भर करती है। आज की स्थिति के अनुसार ऐसे ऋणों पर ब्याज की दर को कम करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

खस्ताहाल सहकारी बैंक

602. **श्री जुएल ओराम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खस्ताहाल सहकारी बैंकों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके खराब कार्यकरण के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) 30 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी बैंकों पर यथा लागू) की धारा 11(1) के प्रावधानों का पालन न करने वाले राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के संबंध में राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए संविधिक निरीक्षणों के आधार पर तय किए गए कमजोर/रुग्ण शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) सहकारी बैंकों के खराब कार्यनिष्पादन के मुख्य कारण कारबार की कम मात्रा, कम संसाधन आधार, कम उधार सदस्याता, प्रबंधन के लोकतंत्रीकरण और व्यवसायीकरण का अभाव, ऋणों और अग्रिमों की खराब गुणवत्ता, अधिक अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए), कुशल जनशक्ति का अभाव, निधियों की उच्च्व लागत, आस्तियों से कम आय, उच्च्व लेन-देन लागतें और अपर्याप्त मार्जिन हैं।

(घ) अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे का पुनरुद्धार करने के लिए, प्रो. ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता वाले कार्य बल की रिपोर्ट राज्य सरकारों के परामर्श से कार्यान्वयन के लिए सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए दृष्टिकोण दस्तावेज (विजन डॉक्यूमेंट) तैयार किया है और शहरी सहकारी बैंकों के लिए ''मध्यावधिक ढांचा'' (एमटीएफ) विकसित करने की प्रक्रिया में है। इसमें शहरी सहकारी बैंकों के लिए राज्य स्तरीय कार्य बल के माध्यम से कमजोर बैंकों के पुनरुद्धार और अलाभकारी बैंकों के अविघटनकारी समापन और शहरी सहकारी बैंकों में कौशल और सूचना प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए समयबद्ध कार्य योजना की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, छोटे बैंकों को निर्धारित वित्तीय पैरामीटरों को पूरा करने के लिए अधिक समय देने के लिए, आस्ति के वर्गीकरण और आय की पहचान संबंधी मानदंडों के लिए द्वि-स्तरीय ढांचा स्थापित किया गया है।

विवरण-I

बैंककारी विनियमन अधिनियमन, 1949 (ए.ए.सी.एस.) की धारा 11(1) 30 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार अनुपालन न करने वाले राज्य सहकारी बैंक तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का विवरण

राज्य सहकारी बैंक

क्र. सं.	अनुपालन न करने वाले एस.सी.बी.का नाम	राज्य
1.	अरुणाचल प्रदेश राज्य सहकारी शीर्ष बैंक लि.	अरुणाचल प्रदेश
2.	असम सहकारी शीर्ष बैंक लि.	असम
3.	मणिपुर राज्य सहकारी बैंक लि.	मणिपुर
4.	मिजोरम सहकारी शीर्ष बैंक लि.	मिजोरम
5.	नागालैंड राज्य सहकारी बैंक लि.	नागालैंड
6.	त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक लि.	त्रिपुरा

जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

क्र. सं.	राज्य	डी.सी.सी.बी. की कुल सं.	अनुपालन न करने वाले डीसीसीबी की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	22	10
2.	बिहार	22	18
3.	झारखंड	8	6
4.	गुजरात	18	6
5.	जम्मू-कश्मीर	3	3
6.	कर्नाटक	21	4
7.	मध्य प्रदेश	38	24
8.	छत्तीसगढ़	6	4
9.	महाराष्ट्र	31	11
10.	उड़ीसा	17	4
11.	पंजाब	18	0
12	राजस्थान	27	3
13.	तमिलनाडु	24	9
14.	उत्तर प्रदेश	50	29
15	उत्तरांचल	9	
16.	पश्चिम बंगाल	17	2
17.	हिमाचल प्रदेश	2	0
18	हरियाणा	19	0
19.	केरल	14	1
	कुल	366	135

विवरण-II

कमजोर/रुग्ण यू.सी.बी का राज्य-वार वर्गीकरण

(31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार)

राज्य	श्रेणी III	श्रेणी IV	कुल
1	2	3	4
गुजरात	87	46	133
कर्नाटक	118	40	158
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	27	13	40
उड़ीसा	4	2	6

1	2	3	4
पंजाब	2	4	6
तमिलनाडु	54	10	64
असम	5	5	10
आंध्र प्रदेश	31	17	48
राजस्थान	4	1	5
जम्मू एवं कश्मीर	2		2
पश्चिम बंगाल	4	6	10
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	7	8	15
महाराष्ट्र/गोवा	124	62	186
दिल्ली	1	1	2
बिहार/झारखण्ड	1		1
केरल	26	13	39
कुल	497	228	725

यू.सी.बी. : अरबन कापरेटिव बैंक

काला धन

603. **श्री रघुनाथ झा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मूल्य के काले धन का खुलासा किया गया;

(ख) काले धन को एकत्रित न किए जा सकने को सुनिश्चित करने के लिए नियमों को कड़ा बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर अधिकारियों ने फिल्मी सितारों पर भी छापे मारे और यदि हां, तो उनसे कितना काला धन प्राप्त हुआ; और

(घ) आयकर अपवंचन के लिए फिल्मी सितारों के विरुद्ध फिल्मी सितारे-वार क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) काले धन को प्रकट करवाने के लिए आयकर विभाग विभिन्न उपाय करता है। अन्य उपायों के साथ-साथ इनमें तलाशी एवं जब्ती करना और सर्वेक्षण कार्रवाईयां तथा उपयुक्त मामलों में विवरणियों की संवीक्षा करना शामिल है। तथापि, काले धन का मूल्य केवल कानूनी उचित प्रक्रिया जिसमें अधिकरण और/अथवा न्यायालयों में अपीलीय कार्यवाहियों का पूरा होना शामिल है, जिसमें कई वर्ष लग सकते हैं, के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है।

गत तीन वर्षों के दौरान विभाग की तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई के दौरान जब्त की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	जब्त की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रुपए में)
2002-03	515.86
2003-04	231.37
2004-05	202.27

(ख) सरकार ने हाल ही में दो अतिरिक्त कर अपवंचन रोधी उपाय किए हैं। जून, 2005 से आगे बचत खातों से भिन्न एक विशिटीकृत राशि से अधिक बैंकों से नकद आहरण के संबंध में 0.1% की दर से 'बैंकिंग नकद संव्यवहार कर' लगाया जा रहा है। एक विशिष्टीकृत राशि से अधिक बैंक निक्षेपों के नकदीकरण पर भी कर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त सभी बैंकों के लिए यह बाध्यकारी कर दिया गया है कि वे उन सभी निक्षेपों के बारे में आयकर विभाग को सूचित करें जिन्हें स्रोत पर कर कटौती पर ब्याज से छूट दी गई है।

(ग) फिल्म अभिनेताओं के लिए भी तलाशी और जब्ती कार्रवाइयां की गई थीं। गत तीन वित्तीय वर्षों में इन मामलों में जब्त की गई कुल परिसम्पत्तियां 100.56 लाख रुपए की थीं और आरम्भिक अनुमानों के अनुसार कर अपवंचन की कुल राशि 498.18 लाख रुपए थी। इन कर कार्यवाहियों में से कुछ अपीलीय स्तर पर और अभियोजना के भी अधीन हैं।

(घ) आयकर विभाग कर अपवंचन से निपटने के लिए विभिन्न

निवारक एवं दण्डात्मक उपाय करता है, जिनमें तलाशी एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण कार्रवाई, आयकर विवरणियों की संवीक्षा, शास्ति का अधिरोपण और उपयुक्त मामलों में अभियोजन चलाना शामिल है। ये कार्रवाईयां फिल्म अभिनेताओं पर समान रूप से लागू होती हैं। चूंकि विभाग द्वारा केन्द्रीय रूप से व्यवसाय-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, अत: यह सूचना प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

आईसीआईसीआई बैंक

604. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनी अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय संस्था के रूप में आईसीआईसीआई बैंक को कोई विशेष दर्जा मिला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक में बढ़ती हुई विदेशी हिस्सेदारी के संदर्भ में सरकार इस दर्जे की समीक्षा करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं। आई.सी.आई.सी.आई बैंक लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कोई विशेष दर्जा नहीं रखता। यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंसशुदा बैंकिंग कंपनी है और जिसे कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सेवा कर

605. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा कर के माध्यम से सरकार ने कितना राजस्व अर्जित किया तथा इसमें टेलीफोन विभाग की कितनी हिस्सेदारी थी;

(ख) चालू वर्ष के दौरान सेवा कर के माध्यम से कितना राजस्व अर्जित होने की संभावना है;

(ग) क्या सेवा कर के दायरे को बढ़ाने से आम लोग तथा गरीब लोग बहुत प्रभावित हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो आम लोगों को ध्यान में रखते हुए सेवा कर क्षेत्र को युक्तिसंगत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सेवाकर (अखिल भारत) से संगृहीत राजस्व और टेलीफोन कन्नेक्शन के संबंध में किसी टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवा के लिए संगृहीत राजस्व निम्नवत है:

(अंनतिम आंकड़े)

वर्ष	सभी सेवाओं से (करोड़ रु. में)	टेलीफोन कन्नेकशन के संबंध में सेवा से (करोड़ रु. में)
2002-03	4,122	1,576
2003-04	7,891	2,673
2004-05	14,196	3,934

(ख) वर्ष 2005-06 के लिए बजट अनुमान 17,500 करोड़ रु. है।

(ग) और (घ) सेवाकर आधार को व्यापक बनाते समय सभी संगत तथ्यों को शामिल किया जाता है। सेवा प्रदाता जिनकी गत वित्त वर्ष के दौरान प्रदान की गई कराधेय सेवाओं का कुल मूल्य 4 लाख रु. से अधिक नहीं है, के मामले में सेवाकर के उद्ग्रहण से पूर्ण छूट प्रदान करके लघु सेवा प्रदाताओं की शिकायतों का ध्यान रखा जाता है। ऐसे सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को चालू वित्त वर्ष में 4 लाख रु. की कराधेय सेवाओं के कुल मूल्य तक सेवाकर के उद्ग्रहण से छूट दी गई है।

[हिन्दी]

धनराशि का आबंटन

606. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य विशेषकर राजस्थान को चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या आबंटित धनराशि का पूरा उपयोग किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उन राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने अपने हिस्से की धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ) वार्षिक योजना 2005-06 के लिए, योजना आयोग ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों हेतु 18676.15 करोड़ रुपये के परिव्यय को अनुमोदित किया है जिसमें राजस्थान राज्य के लिए 1905.76 करोड़ रुपये शामिल है। 2005-06 के लिए राज्य वार वार्षिक योजना परिव्यय संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

वर्ष 2009 तक देश में सभी घरों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए, अप्रैल, 2005 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की गई थी। 2005-06 के दौरान, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत, 740 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इसके अलावा, सितम्बर, 2005 तक त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत मंजूर की गई, जारी की गई और प्रयोग की गई निधियों की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

वार्षिक योजना 2005-06 के लिए अनुमोदित परिव्यय

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित राज्य	2005-06 (अनुमोदित)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	515.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	80.73
3.	असम	586.29
4.	बिहार	476.54
5.	छत्तीसगढ़	100.00
6.	गोवा	111.52
7.	गुजरात	830.49
8.	हरियाणा	445.00
9.	हिमाचल प्रदेश	115.83
10.	जम्मू और कश्मीर	1153.41
11.	झारखंड	401.37
12.	कनार्टक	1849.73
13.	केरल	750.00
14.	मध्य प्रदेश	1322.97
15.	महाराष्ट्र	711.63
16.	मणिपुर	57.90
17.	मेघालय	213.00
18.	मिजोरम	61.26
19.	नागालैंड	63.45
20.	उड़ीसा	795.71
21.	पंजाब	955.75
22.	राजस्थान	1905.76
23.	सिक्किम	36.40
24.	तमिलनाडु	1362.36
25.	त्रिपुरा	52.34

1	2	3
26.	उत्तर प्रदेश	710.09
27.	उत्तरांचल	327.77
28.	पश्चिम बंगाल	2078.55
	उप योग (राज्य)	18071.36
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25.00
2.	चंडीगढ़	28.64
3.	दादर और नगर हवेली	9.42
4.	दमन और दीव	12.98
5.	दिल्ली	486.54
6.	लक्षद्वीप	8.21
7.	पांडिचेरी	34.00
	उप योग (केन्द्र शासित प्रदेश)	604.79
	कुल (राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश)	18676.15

विवरण-II

30 सितम्बर, 2005 की स्थितिनुसार एपीडीआरपी निवेश की स्थित

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृति	जारी	कांऊटरपार्ट फंड समेत कुल उपयोगिता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1460.36	566.76	933.22
2.	बिहार	854.05	313.18	182.86
3.	छत्तीसगढ़	407.70	159.21	133.28
4.	दिल्ली	922.61	105.51	863.23
5.	गोवा	294.01	113.40	96.55
6.	गुजरात	1083.22	400.26	673.15
7.	हरियाणा	431.95	168.99	210.58
8.	झारखंड	423.65	153.87	136.90
9.	कर्नाटक	1186.31	435.45	798.69
10.	केरल	863.63	230.55	256.67
11.	मध्य प्रदेश	663.20	129.87	147.49
12.	महाराष्ट्र	2231.58	268.23	729.56
13.	उड़ीसा	592.22	74.02	48.14
14.	पंजाब	715.57	178.74	230.23
15.	राजस्थान	1193.25	385.83	612.36
16.	तमिलनाडु	948.12	441.82	727.00
17.	उत्तर प्रदेश	1091.30	134.52	138.94
18.	पश्चिम बंगाल	442.20	92.92	144.24
	कुल	15804.93	4353.13	7063.09
	विशेष श्रेणी राज्य			
19.	अरुणाचल प्रदेश	82.69	36.68	5.60
20.	असम	650.73	158.85	90.46
21.	हिमाचल प्रदेश	322.77	163.92	152.08
22.	जम्मू और कश्मीर	1100.13	314.97	233.73
23.	मणिपुर	141.62	2.67	2.67
24.	मेघालय	227.44	58.38	25.57

1	2	3	4	5
25.	मिजोरम	108.74	78.01	28.96
26.	नागालैंड	122.27	42.83	23.61
27.	सिक्किम	164.19	154.73	126.82
28.	त्रिपुरा	146.74	37.64	14.35
29.	उत्तरांचल	310.08	240.76	151.30
	कुल	3377.40	1289.43	855.15
	सकल योग	19182.33	5642.56	7918.24

[अनुवाद]

जूट प्रौद्योगिकी मिशन

607. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जूट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जूट प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मिशन के क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) जी हां, पटसन प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि अभी इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

(ग) प्रस्तावित पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखितानुसार हैं :-

- (i) उन नई किस्मों का विकास कर जिनमें उच्च सेल्लूलोस मात्रा, सेल्यूलोस में लिगनिन का निम्न स्तर और महीन रेशे हैं (ii) अल्पावधि की फसलों का विकास कर और (iii) वैज्ञानिक कृषिगत प्रथाओं का संवर्धन कर पटसन फाईबर की उपज और गुणवत्ता में सुधार लाना।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्य ढांचे के माध्यम से उत्कृष्ट बीजों के विकास और आपूर्ति के लिए मौजूदा अवसंरचना सुदृढ़ करना।
- रिबन रेटिंग, इनजाइम रेटिंग और अन्य नई निकासी प्रौद्योगिकियां अपनाने पर बल देते हुए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम क्रियान्वित करना।
- उचित कीमत पर पटसन उद्योग को गुणवत्ता के कच्चे माल की आपूर्ति में वृद्धि करना ताकि उद्योग पटसन विविधीकृत उत्पादों (जेडीपी) के लिए बेहतर गुणवत्ता यार्न, ट्वाइन और फैब्रिक के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करे।
- लुगदी और कागज उद्योग में सन हेम्प, रेमी, पटसन और मेस्टा की वाणिज्यिक उपयोगिता की संभावनाओं का पता लगाना।
- उपलब्ध बाजारों में सुधार लाकर मजबूत बाजार संपर्क स्थापित करना तथा पटसन उत्पादकों के लाभ के लिए उपलब्ध अवसंरचना संबंधी सुविधाओं से बाजार सुविधाओं का ग्रामीण नेटवर्क स्थापित करना।
- पटसन उद्योग के संयंत्र और मशीनरी का आधुनिकीकरण करने का प्रयास करना, अधिक संसाधन प्रभावी और ऊर्जा प्रभावी प्रौद्योगिकी अपनाने पर ध्यान देना, पटसन विविधीकृत उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक अपनाना तथा कौशलों एवं प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना और उनकी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि करना।
- कच्चे पटसन और विविधीकृत पटसन उत्पादों की खपत बढ़ाने के उद्देश्य से बाजार संवर्धनात्मक क्रियाकलाप शुरू करना तथा नये क्षेत्रों का पता लगाना और निर्यात के माध्यम से आय बढ़ाना।

(घ) पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के ब्यौरे अभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने हैं।

सुनामी से प्रभावित ग्रामीणों को रोजगार

608. श्री मनोरंजन भक्त : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सुनामी आपदा के बाद अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सुनामी से प्रभावित कितने लोगों को रोजगार दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) जी हां।

(ख) अंडमान व निकोबार प्रशासन ने बताया है कि इससे निपटने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. आजीविका के सभी मामलों के समन्वय तथा निगरानी के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर समन्वय समिति गठित की गई है।

2. विभिन्न मध्यवर्ती आश्रय-स्थलों में गैर-सरकारी संगठनों की मदद से उद्योग विभाग ने आजीविका आवश्यकता मूल्यांकन सर्वेक्षण कराया है।

3. गैर-कृषि क्षेत्र के तहत लोगों के लिए आजीविका योजना तैयार करने के लिए कार्यबल भी गठित किया गया है जिसमें वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं।

4. विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा रोजगार सृजन के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं।

5. पदों के भरने संबंधी रोक हटा ली गई है।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सृजित किए जाने वाले संभावित 72.84 लाख श्रमदिनों में से 9.18 लाख श्रमदिन पहले ही विभिन्न विभागों ने सृजित कर लिए हैं। इसके अलावा, अनुमान है कि नियमित सरकारी नौकरियों में 1460 रोजगार सृजित होंगे।

हथकरघा क्षेत्र के लिए नीति

609. **श्री उदय सिंह :**
श्री अधीर चौधरी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा क्षेत्र के लिए एक अलग नीति की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पिछले वर्षों में हथकरघा बुनकरों की अनदेखी की गई और वे समाप्त होने की कगार पर हैं; और

(घ) यदि हां, तो हथकरघा क्षेत्र के लिए नई नीति से इस क्षेत्र को बढ़ावा देने में कितनी सहायता मिलने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र नीति वर्ष 2000 में घोषित की गई थी। हथकरघा क्षेत्र भी राष्ट्रीय वस्त्र नीति 2000 के भाग के रूप में बना है।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र नीति 2000 में निगमित राष्ट्रीय हथकरघा नीति का विवरण नीचे दिया गया है :-

हथकरघा क्षेत्र अपनी विरासत एवं परम्परागत उत्तम शिल्पकारिता के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र से लाखों बुनकरों एवं शिल्पकारों का जीविकोपार्जन होता है। यह क्षेत्र केवल टिकाऊ ही नहीं बल्कि कई दशकों से अपनी सहज क्षमता जैसे : कम मात्रा में उत्पादन में लचीलापन नवीनीकरण के लिए उदारता, कम स्तर का पूंजी निवेश एवं वस्त्र डिजाइन की असीम संभावता के कारण अग्रसर है। सरकार इस क्षेत्र को लगातार प्राथमिकता देगी। वैश्विक बाजार के लिए इसकी विशिष्टता के संवर्धन एवं विकास के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :-

- कम मूल्य वर्धित मदों के उत्पादन में कार्यरत बुनकरों के लिए उन्हें वस्त्र क्षेत्र या अन्य संबंधित क्षेत्र में विकल्पी रोजगार पाने में सक्षम बनाने हेतु उनके कौशल उन्नयन के उद्देश्य से प्रशिक्षण मापदंड विकसित किए जाएंगे जो वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा में विद्यमान नहीं रह सकेंगे।

- बुनकरों के लिए बेहतर कार्य वातावरण तैयार करने एवं उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से व्यापक कल्याणकारी उपायों का कार्यान्वयन जारी रखा जाएगा।

- अनुसंधान एवं विकास, डिजाइन इनपुट कौशल उन्नयन एवं विपणन संपर्कों में प्रभावकारी सहायता प्रणाली उपलब्ध करवाई जाएगी।

- हथकरघा बुनकरों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हैंक यार्न बाध्यता आदेश एवं हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण)

अधिनियम, 1985 के तहत जारी आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी।

- बुनकर सेवा केन्द्रों को समसामयिक प्रवृत्तियों और कार्यक्षमता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, निफ्ट एवं निड की तरह डिजाइन कुशलता की गतिविधियों सहित उनकी उपयुक्त क्रियाकलापों के अनुरूप पुर्नजागृत किया जाएगा।

- हथकरघा क्षेत्र की सफलता के लिए वाणिज्यिक एवं विपणन केन्द्र-बिंदु के रूप में होंगे, मूल्य वर्धित वस्त्रों के उत्पादन के लिए योजनाओं की वर्तमान पैकेज को सुप्रवाही बनाया जाएगा, नवीकरण, बाजारोन्मुख योजनाएं शुरू की जाएगी और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त उपक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा। हथकरघा की ब्रांड इक्विटी को यथासंभव वाणिज्यिक रूप में उपयोग किया जाएगा।

(ग) और (घ) भारत सरकार देश में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, विपणन संवर्धन कार्यक्रम, मिल गेट कीमत योजना, कार्यशाला-सह-आवास योजना, बुनकर कल्याण योजना, हथकरघा निर्यात योजना, समेकित हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना, हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन इत्यादि कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त समेकित हथकरघा समूह विकास (आईएचसीडी) महात्मा गांधी बुनकर योजना एवं स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी नई योजनाएं चालू वित्त वर्ष में शुरू की गई हैं। शीघ्र ही हैण्डलूम मार्क शुरू किया जाएगा जिससे हथकरघा क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी।

वर्ष 2004-05 में हथकरघे का उत्पादन 5744 मिलियन वर्ग मीटर था जबकि वर्ष 2003-04 में यह उत्पादन 5493 मिलियन वर्ग मीटर था जो कि बढ़ोतरी को दर्शाता है। वर्ष 2005-06 की पहली शुरूआत में इसे 17.9% की बढ़त के रूप में दर्ज किया गया।

मूल्यांकन समितियों की स्थापना

610. श्री रवि प्रकाश वर्मा :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी के आधार पर बड़ी परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकन समिति का गठन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ)सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख जी, हां। सरकार ने सरकारी निवेश बोर्ड की तर्ज पर एक मूल्यांकन समिति गठित करने का निर्णय लिया है जिसे सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) वाली उन परियोजनाओं को मंजूरी देने का प्राधिकार होगा जहां परियोजना की पूंजी लागत अथवा उसकी आधारभूत परिसंपत्तियों की लागत 100 करोड़ रु. से अधिक हो। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (अध्यक्ष);

(ख) सचिव, योजना आयोग;

(ग) सचिव, व्यय विभाग;

(घ) सचिव, विधि कार्य विभाग; और

(ङ) परियोजना को प्रायोजित करने वाले विभाग के सचिव।

पीपीपी मूल्यांकन समिति द्वारा आकलित की गई परियोजनाओं को अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) से (ङ) पीपीपी मूल्यांकन समिति पीपीपी परियोजनाओं के लिए अलग-अलग परियोजनाओं का आकलन करेगी और इसके लिए कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

निधियों का उपयोग न करना

611. प्रो. एम. रामदास : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत मंत्रालय ने दसवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय का पूरा उपयोग नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्दिष्ट निधियों का उपयोग न करने पर देश में चल रही व भविष्य की विद्युत परियोजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) 10वीं योजना के लिए विद्युत मंत्रालय की आरंभिक योजना परिव्यय 1,43,399 करोड़ रुपये थी तथा मध्यावधि योजना परिव्यय 92,941 करोड़ रुपये आंकी गयी है। योजनावधि के अंतिम तीन वर्षों में योजनागत व्यय 32,338.11 करोड़ रुपये रहा है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए यह व्यय 19,140.11 करोड़ रुपये है। योजना में अभी तक एक वर्ष शेष है, अर्थात 2006-07।

(ग) और (घ) कुछ परियोजनाओं को शुरू करने में कठिनाई तथा अन्य कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के कारण योजनागत परिव्यय के वास्तविक समुपयोग में कुछ कमी होगी। किंतु मंत्रालय मध्यावधि योजना में निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के वास्तविक निष्पादन की लगातार मानीटरिंग कर रहा है।

केले का विलोपन

612. डा. एम. जगन्नाथ : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीड़कों तथा बीमारियों की वजह से निकट भविष्य में केलों का विलोपन हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो केलों को विलोपन से बचाने के लिए क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रयास प्रस्तावित है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्यमंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, न्यू साइंटिस्ट (जनवरी, 2003) की रिपोर्ट के अनुसार, एक प्रमुख अनुसंधानकर्ता ने बताया है कि केला 2 बीमारियों, नामतः पनामा रोग और ब्लैक सिगाटोका के द्वारा विलोपित हो सकता है जो अफ्रीका, दक्षिण अमेरीका और एशिया में देखी गई हैं। तथापि, अमेरिकन फाइटोपैथोलोजिकल सोसाइटी (ए पी एस) और यू एन खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि केला विलोपन की कगार पर नहीं है क्योंकि इन बीमारियों के घातक सिद्ध होने की संभावना नहीं है। ये बीमारियां कवकनाशियों और कीटनाशियों के प्रयोग द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, रोपण के लिए व्यापक आनुवंशिक विविधता युक्त जर्मप्लाज्म के प्रयोग और आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित रोग प्रतिरोधी पादपों के विकास से भी इस समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी। आनुवंशिक इंजीनियरिंग और जिनोमिक्स पर भारत और विदेशों के कई अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अध्ययन किये जा रहे हैं।

अभी तक भारत में केले के विलोपन का कोई जोखिम नहीं है क्योंकि केले की खेती बहुक्लोनीय प्रणाली के अंतर्गत की जाती है, जबकि लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों में केले को एकक्लोनीय प्रणाली द्वारा उगाया जाता है। भारत में केले की कई किस्में होती हैं; जिसमें से कुछ एक महत्वपूर्ण जीन पूल का निर्माण करते हैं जिनका प्रयोग उन्नत किस्मों के विकास में प्रमुख पीड़कों और बीमारियों के लिए प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने में किया जा सकता है।

दिल्ली की माइक्रो जोनिंग

613. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री हेमलाल मुर्मू :
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री संतोष कुमार गंगवार :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृदा घटकों के आधार पर दिल्ली की माइक्रो जोनिंग पूर्ण हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश के अन्य भागों में ऐसी माइक्रो जोनिंग करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा यह अध्ययन कब तक किया जाएगा और कब तक पूरा हो जाएगा; और

(च) इससे किस हद तक भारी नुकसान और जीवन की क्षति को कम किया जा सकेगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। भू-वैज्ञानिक और भू-तकनीकी विशिष्टताओं पर आधारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन सी टी) दिल्ली का प्रथम स्तर पर माइक्रो जोनिंग अध्ययन (1 : 50, 000 पैमाने पर) पूरा कर लिया गया है। अध्ययन के अनुसार रा.रा. क्षेत्र दिल्ली को लगभग समान भूकम्पी जोखिम और भू-प्रतिक्रिया प्रणाली वाले नौ (9) एककों में समूहबद्ध किया गया है।

(ग) से (ङ) गुवाहाटी और बंगलौर के लिए भी ऐसे ही अध्ययन आरम्भ किये गये हैं। यह अभी विभिन्न स्तरों पर चल रहे हैं। गुवाहाटी और बंगलौर के माइक्रो जोनिंग का कार्य क्रमशः 2007 तथा 2008 तक पूरा होने की आशा है।

(च) माइक्रो जोनिंग और भवन संहिताओं के अनुपालन से जीवन और सम्पत्ति की हानि, कम से कम होने में मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

अनपरा विद्युत संयंत्र

614. श्री ब्रजेश पाठक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उ.प्र. में 500 मेगावाट अनपरा विद्युत संयंत्र की पांचवी इकाई को बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति के लिए संघ सरकार ने क्या कदम उठाए है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित अनपरा विद्युत संयंत्र (500 मे.वा.) की पांचवी यूनिट की वाटर वाल ट्यूब लिकेज के कारण 6 दिनों तक (अर्थात 7 से 13 सितम्बर, 2005 तक) अनिवार्य बंदी की गई थी।

(ग) राज्य में विद्युत आपूर्ति एवं वितरण की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी की होती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों में विभिन्न उपभोक्ता समूहों/क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति के संबंध में प्राथमिकता निर्धारण करते हैं। भारत सरकार राज्य सरकारों को क्षमता अभिवृद्धि, केन्द्रीय क्षेत्र उपक्रमों के जरिए केन्द्रीय क्षेत्र में बल्क पारेषण प्रणाली की स्थापना तथा केन्द्रीय जेनरेटिंग स्टेशनों के अनावंटित कोटे से अतिरिक्त सहायता का प्रबंध कर उनके उक्त प्रयासों में मदद करती है। उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(i) हाल ही में केन्द्रीय क्षेत्र में रिहंद एसटीपीएस यूनिट 3 (500 मे.वा.) और धौलीगंगा एचपीएस (280 मे.वा) के आरंम्भ हो जाने से उत्तर प्रदेश का सुनिश्चित हिस्सा 2788 मे.वा. से बढ़कर 2992 मे. वा. हो गया है।

(ii) टांडा टीपीएस (440 मे.वा.) का पूर्ण उत्पादन तथा राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र यूनिट 3 और 4 के अस्थायी आवंटन में से 66 मे. वा. उत्तर प्रदेश को आवंटित है।

(iii) वर्तमान में केन्द्रीय जेनरेटिंग स्टेशनों के अनावंटित कोटे से उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित आवंटन किए गए हैं-

- उत्तरी क्षेत्र के केन्द्रीय जेनरेटिंग स्टेशनों के अनावंटित कोटे से विभिन्न समय में 221-276 मे.वा. विद्युत।
- राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र यूनिट 3 और 4 के अनावंटित कोटे से विभिन्न समयों में 11-15 मे.वा. का आवंटन।
- पूर्वी क्षेत्र के केन्द्रीय जेनरेटिंग स्टेशनों के अनावंटित कोटे से लगभग 50 मे.वा. विद्युत का आवंटन।

(iv) उत्तर प्रदेश एनएचपीसी की दुलहस्ती एचईपी (390 मे.वा.), टीएचडीसी की टिहरी एचईपी चरण-1 (1000 मे.वा.), एनटीपीसी की ऊंचाहार-3 (210 मे.वा.) तथा रिहंद-2 (500 मे.वा.) और राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र यूनिट 5 (220 मे.वा.) से भी विद्युत प्राप्त होगी, जो क्रियान्वयनाधीन है।

(v) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण: उत्तर प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जुलाई, 2005 में त्रिपक्षीय एवं चारपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 63 जिलों के लिए लगभग 2156 करोड़ रुपये की लागत पर प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं जिनमें से आरईसी द्वारा वर्तमान तारीख तक स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए लगभग 640 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं।

(vi) त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी): एपीडीआरपी स्कीम के अंतर्गत राज्य में उपपारेषण एवं वितरण प्रणाली के सुधार के लिए लगभग 1091 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसमें लगभग 340 करोड़ रुपये एपीडीआरपी घटक के रूप में शामिल हैं। इसमें से लगभग 130 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं तथा लगभग 139 करोड़ रुपये का उपयोग हो चुका है (काऊंटर पार्ट वित्त पोषण समेत)। काऊंटर पार्ट वित्तपोषण के रूप में 369.85 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से उत्तर प्रदेश ने 84.16 करोड़ रुपये का आहरण कर लिया है।

भूकंप प्रवण क्षेत्र

615. श्री रामजी लाल सुमन :
डा. चिंता मोहन :

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय तथा सिंध-गंगा क्षेत्र की तलहटी का क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र में बदल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्रों में भूकंप की तीव्रता के संबंध में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो भूकंप की तीव्रता सहित ऐसे क्षेत्रों को जिन श्रेणियों में रखा गया है, उनके नाम क्या हैं;

(ङ) क्या इन क्षेत्रों में भूकंप की पूर्व सूचना देने के लिए सरकार ने कोई प्रबंध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) अनेक एजेंसियों से प्राप्त विभिन्न वैज्ञानिक जानकारियों, अर्थात क्षेत्र की संरचनात्मक स्थितियां, भूकंपों की आवर्तिता, उनकी तीव्रता और अधिकतम स्थल-गतिवर्धन, आदि के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार किए गए, देश के भूकंपीय क्षेत्र-मानचित्र के अनुसार भारत को चार भूकंपीय क्षेत्रों, नामतः, क्षेत्र-II से V तक, में बांटा गया है। क्षेत्र-V को भूकंप की दृष्टि से अत्यंत सक्रिय क्षेत्र और क्षेत्र-II को सबसे कम सक्रिय क्षेत्र माना जाता है। इस मानचित्र के अनुसार, हिमालय के तलहटी क्षेत्र और सिंध गंगा क्षेत्र को भूकंपीय क्षेत्र-IV और V में वर्गीकृत किया गया है।

(ङ) और (च) भूकंप की पूर्व सूचना प्राप्त करना संभव नहीं है क्योंकि स्थान, समय और परिणाम के संबंध में भूकंप की घटना का उचित रूप से सही पूर्वानुमान लगाने के लिए विश्व में कहीं भी कोई वैज्ञानिक तकनीक उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक सहायता

616. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान भारत को दी जाने वाली सहायता को दोगुना करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक प्रमुख ने अगस्त व सितम्बर, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसकी शर्तें व निबंधन क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच परस्पर सम्मत भारत से संबंधित विश्व बैंक की देश-कार्यनीति (जुलाई 2004-जून 2008) के अंतर्गत इन चार वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में बैंक की उधार-राशि को बढ़ाकर प्रति वर्ष 2.5 से 3 बिलियन अमरीकी डालर किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) विश्व बैंक के अध्यक्ष ने 18-20 अगस्त, 2005 के दौरान भारत का दौरा किया।

(घ) से (च) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआर डी) द्वारा दी जाने वाली 325 मिलियन अमरीकी डालर की

ऋण राशि हेतु "महाराष्ट्र जल-क्षेत्र सुधार परियोजना" पर दिनांक 19.8.2005 को नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री और विश्व बैंक के अध्यक्ष की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह ऋण 20 वर्ष की अवधि में देय है जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। ब्याज-दर का निर्धारण 6 माह के लिबोर और परिवर्तनीय विस्तार के आधार पर किया जाएगा।

रेपो दर में वृद्धि

617. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने फिक्स्ड रिजर्व रेपो दर में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे क्रेडिट की लागत पर क्या प्रभाव पड़ने की आशा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) वर्तमान सूक्ष्म अर्थव्यवस्था तथा सम्पूर्ण मौद्रिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत निर्धारित व्युत्क्रम रेपो दर को 26 अक्टूबर, 2005 से 25 आधार बिन्दु बढ़ाकर, 5.00 प्रतिशत से 5.25 प्रतिशत कर दिया है।

(ग) रेपो दरों का ऋण लागत पर आनुक्रमिक प्रभाव नहीं होता है, जो बैंक दर, रेपो दर, आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) इत्यादि सहित विभिन्न कारकों द्वारा भी प्रभावित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मूल्य स्थिरता पर बल, वास्तविक ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त नकदी के प्रावधान तथा अर्थव्यवस्था में निर्यात समर्थन एवं निवेश मांग के साथ सामन्जस्य रखते हुए मौद्रिक नीति की संपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए से मौद्रिक उपाय करता है।

कपास का उत्पादन

618. श्री जुएल ओराम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कपास का कुल उत्पादन कितना हुआ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कपास का कुल निर्यात/आयात कितना हुआ;

(ग) क्या कपास उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या भारतीय कपास निगम कपास उत्पादकों से सीधे कपास खरीदने तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाली है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कपास का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है:-

मात्रा : 170 कि.ग्रा. की लाख गांठों में

वर्ष (कपास मौसम)	मात्रा
2002-03	136.00
2003-04	179.00
2004-05	243.00

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से कपास का निर्यात और आयात नीचे दिए गए अनुसार रहा :-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	निर्यात	आयात
2003-04	942.37	1570.03
2004-05	364.49	1099.60
2005-06 (अगस्त तक)	475.33	271.74

स्रोत : भारतीय विदेश व्यापार सांख्यिकी, डीजीसीआईएस, कोलकाता।

(ग) और (घ) यह सच नहीं है कि कपास उत्पादकों को कपास के लिए न्यूनतम समर्थन नहीं मिल रहा है। भारतीय कपास निगम कपास की कीमतों के एमएसपी स्तर पर पहुंचने पर एमएसपी अभियान चलाता रहा है। सीसीआई के अतिरिक्त सरकार ने एमएसपी अभियान चलाने के लिए एक अतिरिक्त मूल्य समर्थन एजेंसी के रूप में नेफेड को भी नियुक्त किया है।

(ङ) और (च) सीसीआई कपास उत्पादकों से अथवा कृषि उत्पाद विपणन समिति बाजारों (एपीएमसी) में लाईसेंस धारक अपने कमीशन एजेंटों के माध्यम से सीधे ही एपीएमसी में कपास की खरीद करता रहा है। तथापि, मध्यप्रदेश में एपीएमसी अधिनियम में कमीशन एजेंटों को शामिल किए बिना कपास उत्पादकों से सीधी खरीद किए जाने का प्रावधान है। सीसीआई मध्य प्रदेश में कपास कृषकों से सीधे ही कपास की खरीद कर रहा है। आंध्र प्रदेश में यद्यपि एपीएमसी अधिनियम में लाईसेंसधारक कमीशन एजेंटों के माध्यम से कपास की खरीद किए जाने का प्रावधान है तथापि, 2005-06 के मौसम में राज्य सरकार ने सीसीआई को इन कमीशन एजेंटों को शामिल किए बिना सीधे ही कपास उत्पादकों से कपास की खरीद करने की अनुमति दे दी है। तदनुसार, सीसीआई ने आंध्र प्रदेश में कपास कृषकों से सीधी खरीद करना शुरू कर दिया है। सीसीआई ने अन्य राज्य सरकारों को भी सूचित किया है कि वे कमीशन एजेंटों को शामिल किए बिना अपने उत्पाद सीधे ही सीसीआई को बेचने के लिए किसानों को प्रेरित करें।

आयकर संग्रहण में कमी

619. श्री मनोरंजन भक्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चालू वित्त वर्ष के पूर्वार्द्ध में आयकर संग्रहण में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के उत्तरार्द्ध के दौरान राजस्व हानि को पूरा करने के लिए सरकार का क्या निवारक उपाय करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं, अपितु चालू वित्त वर्ष के पूर्वार्द्ध में गत वित्त वर्ष की समनुरूपी अवधि में आयकर संग्रहण की तुलना में कुल आयकर संग्रहण में 24.14% की वृद्धि रही है।

(ख) उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कंपनियों का बंद होना

620. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कितनी कंपनियां बंद हुई;

(ख) क्या सरकार ने इन कंपनियों के बंद होने के संबंध में कोई छानबीन की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन कंपनियों ने कार्य करना बन्द कर दिया था, उनकी संख्या निम्न प्रकार से है :-

(i)	2002-03	:	951
	2003-04	:	498
	2004-05	:	1777
	योग	:	3226

(ii) सरलीकृत निकास योजना के अंतर्गत 25.3.2003 से 31.3.2004 के दौरान हटायी गई कंपनियों की संख्या-26,714

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आर.आर.बी. का सीडी अनुपात

621. प्रो. एम. रामदास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सीडी अनुपात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में आर.आर.बी. के सीडी अनुपात की क्या प्रवृत्ति रही;

(ग) सीडी अनुपात में वृद्धि के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार सीडी अनुपात के लिए द्वि-स्तरीय प्रणाली के प्रस्ताव को अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का ऋण जमा (सीडी) अनुपात बढ़ोतरी की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2002-03 में यह अनुपात 44.23%, वर्ष 2003-04 में 46.34% तथा वर्ष 2004-05 में 52.89%, था।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सीडी अनुपात में वृद्धि करने के लिए कई उपाय किये गए हैं जैसे वर्ष 2003-04 में आर आर बी के लिए प्राथमिक क्षेत्र उधार को बकाया अग्रिमों के 40% से 60% तक बढ़ाना तथा कृषि ऋण को दुगुना करना। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीडी अनुपात में सुधार करने के लिए आर आर बी को अपने पूर्व दिशानिर्देशों को दुहराया है।

राज्यों/क्षेत्रों में कम ऋण की समस्या की प्रकृति एवं प्रमात्रा की जांच करने तथा आवश्यक उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था। सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 9 नवम्बर, 2005 को आर आर बी सहित सभी वाणिज्य बैंकों को परिपत्र संख्या आरपीसीडी एलबीएस.बीसी. सं. 47/02.13.03/2003-06 जारी किया है जिससे आर आर बी में सीडी अनुपात में सुधार होने की सम्भावना है।

(घ) आर आर बी के सीडी अनुपात की संगणना की प्रणाली को बदलने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश

622. **श्री ब्रजेश पाठक :**
श्री खारबेल स्वाई :
श्री के.सी. पलनिसामी :
श्री एन.एन. कृष्णदास :
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :
श्री काशीराम राणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लाभ वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के छोटे अंश के विनिवेश पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार और उदार बनाने की दृष्टि से वर्तमान एफ डी आई नीति की समीक्षा करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलनीमनिक्कम) : (क) और (ख) सरकार ने बड़े, लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को घरेलू स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने और चुनिन्दा सूचीबद्ध, लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (नवरत्नों के अलावा) में इक्विटी के छोटे भाग को बेचने का सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया है।

सरकार द्वारा विनिवेश संबंधी निर्णय सुस्थापित प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए मामला-दर-मामला आधार पर लिए जाते हैं। सरकार में समय-समय पर विचार-विर्मश किया जाता है और औपचारिक निर्णय मंत्रिमण्डल/आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति (सीसीईए) में लिए जाते हैं।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरण को होने वाली क्षति

623. **श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के उत्खनन के कारण पर्यावरण की भारी क्षति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उन मामलों में जहां पर्यावरण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, खनन पट्टे को रद्द करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) यह माना गया है कि कुछ मामलों में खनन कार्यकलाप की वजह से पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके मद्देनजर, पट्टाधारकों के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की अपेक्षाओं का पालन करना आवश्यक है। उल्लंघनों के मामलों में दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है और अनेक चूककर्ता खानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं।

(ग) उचित खनन योजना के बिना किसी भी पार्टी, निजी या सरकारी, को कोई खनन पट्टा प्रदान नहीं किया जा सकता है। ऐसी खनन योजना में सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित और लागू की जाने वाली पर्यावरणीय प्रबंधन योजना भी शामिल होती है।

[अनुवाद]

टेक्सटाइल पार्कों को राजसहायता

624. श्री राजापति सांबासिवा राव : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बैंकों द्वारा मंजूर की जाने वाली निधियों के साथ टेक्सटाइल पार्कों को राजसहायता जारी करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार द्वारा प्रोमोटरों को सब्सिडी उपलब्ध कराने की संभावना है;

(ग) क्या इन टेक्सटाइल पार्कों को पूंजी राजसहायता देने का प्रस्ताव उन्हें बिना अधिक देरी के पार्क परियोजना शुरू करने के लिए निधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ब्रिज लोन के रूप में काम करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (घ) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के तहत विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) के लिए भारत सरकार का हिस्सा अनुदान अथवा इक्विटी के रूप में जारी करने का कार्यक्रम निम्नलिखितानुसार है:-

(1) भारत सरकार के कुल हिस्से का 30% परियोजना अनुमोदन समिति (पीएसी) द्वारा परियोजना के अनुमोदन के तत्काल बाद अग्रिम में देना है। तथापि, पहली किश्त जारी करने से पूर्व यह देखा जाएगा कि परियोजना को वित्तीय संस्था द्वारा विश्वसनीय परियोजना के रूप में आंका गया है और एकीकृत वस्त्र पार्क के लिए भूमि एस.पी.वी. द्वारा खरीदी गई है।

(2) भारत सरकार के कुल हिस्से का 30% पहली किश्त के उपयोग के बाद एवं जब एसपीवी द्वारा आनुपातिक व्यय (अर्थात एसपीवी के शेयर के 30%) का लिया गया हो।

(3) भारत सरकार के कुल हिस्से का 30% दूसरी किश्त के उपयोग के बाद एवं जब एसपीवी द्वारा आनुपातिक व्यय (अर्थात एसपीवी के शेयर के 30%) का लिया गया हो।

(4) भारत सरकार के कुल हिस्से का 10% परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद तथा जब एकीकृत वस्त्र पार्क में 25% इकाइयों ने अपना उत्पादन शुरू कर दिया हो।

वैट

625. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को अधिक व्यापार पाने के लिए कीमतों में अन्तर की लड़ाई से बचने के लिए पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो वित्त मंत्री द्वारा सभी मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र का मुख्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैट संबंधी अधिकार प्राप्त समिति ने यह सिफारिश की है कि सख्त प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा समान आधार मूल्य के उल्लंघन को रोका जाना चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो वैट कार्यान्वयन पर वित्त मंत्री के पत्र पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलनीमनिक्कम) : (क) से (घ) भारत के संविधान की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 54 के तहत राज्य बिक्री कर (राज्य वेट भी, जिसमें राज्य बिक्री कर प्रणालियों को प्रतिस्थापित किया है) राज्य का विषय है। बिक्री कर और राज्य वैट से संबंधित सभी मामलों पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार-प्राप्त समिति (ई सी) का गठन किया गया है। ई सी ने यह निर्णय लिया था कि सभी राज्यों द्वारा बिक्री कर की एकसमान न्यूनतम दरों (यू एफ आर) को अपनाया जाना चाहिए और समिति राज्यों को इनका पालन करने की सलाह देती रही है। 9 जुलाई, 2005 को हुई ई सी की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी राज्य सोने/बुलियन के संबंध में 1 अगस्त, 2005 तक और अन्य सभी मदों पर 1 सितम्बर, 2005 तक एक समान न्यूनतम दरों का अनुपालन करें, जिसके न किए जाने पर मामले को उचित प्रशासनिक कार्रवाई के लिए भारत सरकार को सूचित किया जाएगा। यद्यपि इस संबंध में अधिकार प्राप्त समिति से कोई औपचारिक संदर्भ/अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी माननीय वित्त मंत्री ने 31 अगस्त, 2005 को सभी मुख्यमंत्रियों को अर्धशासकीय पत्र लिखा, जिसमें उनको अधिकार प्राप्त समिति द्वारा तय की गई एक समान न्यूनतम दरों के अनुरूप अपनी कर दरों को बनाने का अनुरोध किया। माननीय वित्त मंत्री ने बताया कि एक समान न्यूनतम दरों को क्रियान्वित करने का बुनियादी उद्देश्य राज्यों के बीच दर स्पर्धा को रोकना था, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को किसी उल्लेखनीय आनुपातिक लाभ के बिना सभी राज्यों को राजस्व हानि हो रही थी। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पहले ही माननीय वित्त मंत्री के पत्र का उत्तर दे दिया है और उनका उत्तर काफी सकारात्मक है।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे लिए दुख की बात है कि मुझे बार-बार आपसे अपील करनी पड़ रही है। अध्यक्षपीठ के प्रति सामान्य शिष्टाचार भी नहीं दिखाया जा रहा कि वह सुन लें कि अध्यक्ष महोदय क्या कहना चाहते हैं।

अब मैं स्वयं को और इस सभा के अधिकारों को आपके हवाले नही करूंगा।

मैं, आज मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए सभा को स्थगित कर रहा हूं। उसके बाद सभा की कार्यवाही चलायी जाएगी।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, सर्व श्री जार्ज फर्नान्डीज, बृज किशोर त्रिपाठी, सुखदेव सिंह ढींडसा, अनन्त गीते, के. येरननायडु और योगी आदित्यनाथ, इन सभी सांसदों ने निम्नलिखित विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है:

> "वित्तीय लाभ के लिए देश के हितों के साथ समझौता करने हेतु कांग्रेस पार्टी तथा इसके नेताओं की कथित संलिप्तता, जैसाकि मित्रो खिन्न अभिलेखागारों, वोल्कर समिति के प्रतिवेदन तथा मोयनिहान की पुस्तक से पता चलता है तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इसकी जांच की आवश्यकता ।"

यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक की अध्यक्षता में एकल सदस्य जांच समिति का गठन किया है जो वोलकर प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट तथ्यों की जांच करेगी। इन तात्कालिक सूचनाओं में वोलकर रिपोर्ट के साथ-साथ मित्रोखिन्न अभिलेखागारों तथा मोयनिहान की पुस्तक का भी उल्लेख किया गया है।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 58 में अन्य बातों के साथ-साथ, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सूचना की ग्राह्यता से संबंधित शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है तथा यह भी कहा गया है कि सूचना हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय, जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की हो, तक सीमित रहेगा।

इसके अतिरिक्त नियम 59 के अनुसार 'साधारणतया ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हो जो किसी न्यायिक या अर्धन्यायिक कृत्य करने वाली किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो।'

माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी तात्कालिक सूचनाओं में किसी एक विशिष्ट विषय का उल्लेख नहीं है तथा उनमें सरकार की सीधी जिम्मेदारी भी प्रतीत नहीं होती है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वोलकर समिति रिपोर्ट से सम्बन्धित मामला पहले ही पाठक समिति के जांचाधीन है।

चूंकि सूचनाएं एक से अधिक मामलों से सम्बन्धित हैं तथा उनकी विषय वस्तु भी स्पष्ट नहीं है, अतः सभा के अन्य कार्यों का स्थगन कर इस मामले पर शीघ्र चर्चा करवाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसके साथ ही इन सूचनाओं में भारत सरकार की सीधी जिम्मेदारी भी कहीं प्रतीत नहीं होती। इतना ही नहीं ये मामले हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय पर आधारित नहीं है। इसलिए नियमों के अंतर्गत ये सूचनाएं अध्यक्षपीठ द्वारा ग्राह्यता की पात्र नहीं है।

इसके अतिरिक्त मैंने पहले ही लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 184 के अंतर्गत एक प्रस्ताव की सूचना स्वीकार कर ली है जो माननीय सदस्य प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और माननीय श्री संतोष गंगवार ने दी है जिन्होंने वोल्कर समिति रिपोर्ट के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी हैं। यद्यपि नियम 184 के अंतर्गत भी ऐसी बहस की अनुमति नहीं दी जाती क्योंकि मामला जांचाधीन है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, फिर भी मैंने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 188 के परंतुक के अंतर्गत अध्यक्ष के रूप में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए प्रस्ताव को स्वीकार किया है। चूंकि नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव पहले से सूची में है और इस पर प्रश्न काल और सभा पटल पर पत्र रखने तथा अन्य मामलों के तुरंत पश्चात विचार किया जाना है, इसलिए मेरे द्वारा बताए गए कारणों के अतिरिक्त मैं स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को स्वीकार नहीं करता।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, एडजर्नमैन्ट मोशन हम दोबारा पेश कर देंगे, परन्तु श्रीमती सोनिया गांधी और श्री नटवरसिंह जी के इस्तीफे की जो हमारी मांग है...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़) : यह क्या है, किस बात पर है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस दफा यह आपके ऊपर निर्भर करता है।

(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : कितने रैकलैस होकर यहां बात करते हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.05 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमने कुछ चर्चाएं की थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम पत्रों को सभा पटल पर रखते हैं। श्री प्रणव मुखर्जी - मद सं.-3

रक्षा मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(एक) भार इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2841/2005]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी) : मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से मणिपुर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 द्वारा तुरंत विधान बनाए जाने के कारण बताने वाले

व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2842/2005]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1086(अ), जो 1 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें जूट पैकिंग सामग्री में कतिपय वस्तुओं की आज्ञापक पैकिंग को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2843/2005]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नालॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ फैशन टेक्नालॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2844/2005]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिजय हान्डिक) : महोदय, श्री सुरेश पचौरी की ओर से मैं संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2003-2004 का 54वां वार्षिक प्रतिवेदन।

(2) प्रतिवेदन के अध्याय 10 में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह को स्वीकार न किए जाने के कारणों को बताने वाला ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2845/2005]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिजय हान्डिक) : महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अधीन निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रपति द्वारा 31 अक्तूबर, 2005 को प्रख्यापित मणिपुर विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 (2005 का संख्यांक 3) तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2846/2005]

(2) राष्ट्रपति द्वारा 31 अक्तूबर, 2005 को प्रख्यापित कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का संख्यांक 4)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2847/2005]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) क्रेनों के रिमोट कंट्रोल के लिए 335 मेगाहर्ट्ज बैंड में कम शक्ति के उपकरणों का प्रयोग (अनुज्ञप्ति आवश्यकता से छूट) नियम, 2005 जो 12 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 532(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिटीजन बैंड 26.957-27.283 मेगाहर्ट्ज में कम शक्ति के उपकरणों का प्रयोग (अनुज्ञप्ति आवश्यकता से छूट) नियम, 2005 जो 12 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 533(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2848/2005]

[डा. शकील अहमद]

(2) (एक) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स (सी-डाट), नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फार डेवलपमेंट आफ टेलीमैटिक्स (सी-डाट), नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2849/2005]

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन) : महोदय मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर आफ दि इंस्टीट्यूट आफ इकॉनामिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर आफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ इकॉनामिक ग्रोथ, दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2850/2005]

वित्त मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) "लाल बहादुर शास्त्री जन्म शताब्दी (1904-2004) की समृति में 100 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2005" जो 14 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 578(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) "अनेकता में एकता की विषय-वस्तु के साथ 10 रुपए के द्विधातु सिक्के का निर्माण नियम, 2005" जो 14 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 579(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) "दाण्डी यात्रा के 75 वर्ष (1930-2005) की स्मृति में 100 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2005" जो 15 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 586(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2851/2005]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी का अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) का.आ. 1195 (अ) जो 26 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 1196 (अ) जो 26 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनियम दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 1215 (अ) जो 31 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 1327 (अ) जो 16 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके

द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का.आ. 1407 (अ) जो 27 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 1408 (अ) जो 27 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 1428 (अ) जो 30 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 1488 (अ) जो 15 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यसत्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ. 1541 (अ) जो 26 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 1542 (अ) जो 26 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का.आ. 1551 (अ) जो 31 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 587 (अ) जो 15 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 मई, 2001 की अधिसूचना संख्या 55/2001-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 569 (अ) जो 8 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट गैर-परम्परागत सामग्री नामशः कृषि, वानिकी, औद्योगिक, कृषि-औद्योगिक, नगरपालिका और शहरी अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट अथवा पोलट्रि अपशिष्ट का उपयोग करके किसी विद्युत परियोजना की आरंभिक स्थापना के लिए अपेक्षित मशीनरी, यंत्र और उपकरण तथा संघटक के लिए कतिपय शर्तों के अध्यधीन 5 प्रतिशत की रियायती सीमा शुल्क विहित करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 628 (अ) जो 13 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना संख्या 25/2002-सी.शु में कतिपय संशोधन किए गए हैं, ताकि छूट को विनिर्दिष्ट माल तक बढ़ाया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 555 (अ) जो 1 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अगस्त, 2004 की अधिसूचना संख्या

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

85/2004-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2852/2005]

(3) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 554(अ) जो 1 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया जनवादी गणराज्य तथा जर्मनी में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित होने वाले तथा भारत में आयातित सभी श्रेणी के एक्रायलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को पदनामित प्राधिकारी द्वारा यथा संस्तुत नई दरों पर जारी रखना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 558(अ) जो 5 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 अगस्त, 2000 की अधिसूचना संख्या 109/2000-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 585(अ) जो 14 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पोटेशियम परमेगनेट के आयात पर महानिदेशक, प्रतिपाटन एवं सम्मिलित शुल्क की सिफारिशों पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को जारी रखना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 590(अ) जो 16 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पोलैंड, सऊदी अरब, रूस, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीयन संघ में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित महानिदेशक, प्रतिपाटन और सम्मिलित शुल्क द्वारा की जा रही लंबित अल्पावधि जांच की समीक्षा पूरा होने तक ओक्सो एल्कोहलें के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क में उद्ग्रहण की वैधता का विस्तार करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 594(अ) जो 19 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना संख्या 128/2000-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 608(अ) जो 22 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना संख्या 36/2005-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 614(अ) जो 27 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित रबड़ रसायनों नामश: एम बी टी और एम बी टी एस पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने से है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 635(अ) जो 17 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पोलीटेट्राफ्लोरोथिलीन के आयात पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाने से है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 636(अ) जो 18 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 8 अगस्त, 2003 की अधिसूचना संख्या 124/2003-सी.शु. को रद्द करने से है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 642(अ) जो 20 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और स्वीडन में उद्भूत पैंटाराएथ्रीटोल पर महानिदेशक, प्रतिपाटन एवं सम्मिलित शुल्क की सिफारिश पर अस्थायी प्रतिपाटन शुल्क लगाने से है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 643(अ) जो 20 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय यूरोपीय संघ, चीन जनवादी गणराज्य, चीनी ताइपेई और संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विशेषीकृत रबर रसायनों पर प्रतिपाटन और सम्मिलित शुल्क महानिदेशालय की सिफारिशों पर अंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2853/2005)

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 618(अ) जो 30 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित दो अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 570(अ) जो 8 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट गैर परम्परागत सामग्री अर्थात कृषि, वानिकी, औद्योगिक, कृषि औद्योगिक, नगर पालिका और शहरी अपशिष्ट, जैविक अवशिष्ट अथवा पोलट्रि अपशिष्ट का उपयोग करके किसी विद्युत परियोजना की आरंभिक स्थापना के लिए अपेक्षित मशीनरी, यंत्र और उपकरण तथा संघटक को उत्पाद शुल्क से कतिपय शर्तों के अध्यधीन पूर्णतया छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 2854/2005]

(5) सेनवेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 9 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 641(अ) जो 20 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उक्त नियमों की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप विनिर्दिष्ट करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 2855/2005]

(6) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत सेवा कर (छठी संशोधन) नियम, 2005 जो 20 अक्तूबर, 2005 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 639(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2856/2005]

(7) सेवाकर (विशेष श्रेणी के व्यक्तियों का पंजीकरण) नियम, 2005 के नियम 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 640(अ) जो 20 अक्तूबर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय पंजीकरण के प्रयोजन के लिए प्रारूप विनिर्दिष्ट करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2857/2005]

(8) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1132(अ) जो 12 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 अगस्त, 1998 की अधिसूचना संख्या का.आ. 709(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (22वां संशोधन) नियम, 2005 जो 8 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1247(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 2858/2005]

(9) (एक) भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निवेश केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 2859/2005]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21 की उपधारा (4) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के वर्ष 2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2860/2005]

(3) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क की उपधारा (4) के अंतर्गत उक्त अधिनियम के वर्ष 2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2861/2005]

(5) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 2862/2005]

(7) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 2863/2005]

अपराह्न 12.06 बजे

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 को श्री पी.ए. संगमा, मेघालय के तुरा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने तत्काल प्रभाव से लोक सभा से अपनी सदस्यता त्याग दी है। मैंने दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.07 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं 30 अगस्त, 2005 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् चौदहवीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विस्थापित व्यक्ति दावे तथा अन्य विधि निरसन विधेयक, 2005;

(2) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2005;

(3) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) विधेयक, 2005;

(4) आप्रवास (वाहक दायित्व) (संशोधन) विधेयक, 2005;

(5) भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2005;

(6) उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 2005;

(7) रेल (संशोधन) विधेयक, 2005;

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित तीन विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2005;

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक, 2005;

(3) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक, 2005;

अपराह्न 12.07½ बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

सातवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी) : महोदय, मैं औषधों और भेषजों की उपलब्धता और मूल्य प्रबंधन के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।*

अपराह्न 12.07¾ बजे

रेल संबंधी स्थायी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं 'यात्री सुविधाएं' विषय पर समिति के चौथे प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति (2005-06) के पन्द्रहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.08 बजे

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति

इक्यानवेंवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह (टिहरी गढ़वाल) : महोदय, मैं 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्यकरण' के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 91वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या वक्तव्य सभा पटल पर रखे जाए? क्या आप इसे नहीं चाहते हैं?

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : नही, महोदय... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगले सप्ताह के कार्य के बारे में वक्तव्य और सदस्यों द्वारा निवेदन पर चर्चा करते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगले हफ्ते का बिजनैस भी नहीं लेने देंगे?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वह तो लिस्ट में आ जाएगा।.. .*(व्यवधान)*

---

*प्रतिवेदन 28 सितम्बर, 2005 को निदेश 71क के अंतर्गत, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, लोक सभा, अध्यक्ष को प्रस्तुत किया और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 280 के अंतर्गत सातवें प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की अनुमति दे दी थी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अगले हफ्ते के कार्य के विषय नहीं रखेंगें, तो कैसे काम चलेगा?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : महोदय क्या मैं वक्तव्य सभापटल पर रख सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ यही कहना चाहता।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यकर्ता वृतात में सम्मिलित नही किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतात में सम्मिलित नही किया जाए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सभी पक्षों से सहयोग करने के आश्वासन पर मैं गैर सरकारी कार्यों के लिए सभा की बैठक 3.30 बजे तक के लिए स्थगित कर रहा हूं।

अपराह्न 12.10 बजे

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.35 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.35 बजे पुन: समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्यों पर चर्चा करेंगे। मद संख्या 21, श्री के.सी. सिंह ''बाबा''।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 3.35½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुर:स्थापित

(एक) मेधावी छात्र (उच्चतर अध्ययन में सहायता) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री के.सी. सिंह ''बाबा'' (नैनीताल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेधावी छात्रों को उनका उच्चतर अध्ययन जारी रखने के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि मेधावी छात्रों को उनका उच्चतर अध्ययन जारी रखने के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

(दो) वृद्ध व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपबंध विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे वृद्ध व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

''कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे वृद्ध व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.11.2005 में प्रकाशित।

श्री के.एस. राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36½ बजे

(तीन) अंतर-जातीय विवाह (आरक्षण उपबंध) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अंतर-जातीय विवाह करने वाले व्यक्तियों और उनकी संतानों को राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अंतर-जातीय विवाह करने वाले व्यक्तियों और उनकी संतानों को राज्य के अधीन सेवाओं मे नियुक्तियों एवं पदों में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस.के. खारवेनथन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

(चार) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक (धारा 2 का संशोधन) 2005*

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37½ बजे

(पांच) बेरोजगार उन्मूलन विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश से बेरोजगारी का उन्मूलन करने की स्कीम का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश से बेरोजगारी का उन्मूलन करने की स्कीम का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

(छह) मुम्बई एशियाटिक सोसायटी विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुम्बई एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था को, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय इस समय

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.11.2005 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.11.2005 में प्रकाशित।

[श्री के. चन्द्रप्पन]

मुंबई में है, राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उससे संबंधित कतिपय विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मुम्बई एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था को, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय इस समय मुंबई में है, राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उससे संबंधित कतिपय विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 27 लेंगें।

श्री ए. कृष्णास्वामी - अनुपस्थित

अब श्री संतोष गंगवार कार्यमंत्रणा समिति का 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

अपराह्न 3.40 बजे

कार्यमंत्रणा समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : महोदय, मैं कार्य मन्त्रणा समिति का 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

संविधान संशोधन विधेयक, 2004

(नए अनुच्छेद 47क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 28 पर चर्चा करेंगे। इसके लिए आवंटित समय तीन घंटे था हमने इसमें से 2 घंटे 27 मिनट पहले ही खर्च कर लिए है। जब सभा स्थगित हुई थी तो श्री राम कृपाल यादव बोल रहे थे।

अब, मैं श्री राम कृपाल यादव से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी बात कहें। अनुपस्थिता अब, श्रीमती परमजीत कौर गुलशन बोलेगी।

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन** (भटिंडा) : नोबल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है "किसी देश की सम्पति उसके शिक्षित और स्वस्थ नागरिक है। यह सम्पति किसी देश को महाशक्ति में बदल सकती है।" आज हम भारत को महाशक्ति बनाने के बारे में चर्चा कर रहे है आइए देखते है कि स्वप्न क्षेत्र में भारत की स्थिति क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार इसके नागरिको को मौलिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना ही इसका दायित्व है और होना चाहिए। इसकी वास्तविक स्थिति यू एन जी पी पर विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र संगठन के मानव विकास प्रतिवेदन 2004 में दर्शायी गयी है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी कुल आय का 4.9% ही इस पर व्यय करता है।यदि हम केन्द्र सरकार और मेरे राज्य के बजट को जोड़ते है तो यह 25000 करोड रुपये बनता है लेकिन स्वास्थ्य सेवा में सरकार केवल 11% ही खर्च कर रही हैं। और शेष राशि निजी क्षेत्र द्वारा खर्च की जाती है। निजी क्षेत्र का वास्तविक उद्देश्य लोगों की सहायता करना नही होता है वल्कि उन्हे लूटना होता है। भारत में निजी क्षेत्र का स्वास्थ्य क्षेत्र पर काफी दबदबा है। गरीब व्यक्ति प्राइवेट डाक्टरो से ना तो इलाज करवा सकता है और न ही वह कीमती दवाईयां खरीद सकता है।

यह वास्तव में दुर्भाग्य पूर्ण बात है कि भारत में जन स्वास्थ्य सेवा का स्तर काफी खराब हैं सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में मौलिक स्वास्थ्य सेवा और दवाईयों की काफी कमी रहती है। भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है लेकिन शहरी क्षेत्रों की तुलना में गांवों में अस्पताल और औषधालय की संख्या 15 प्रतिशत से भी कम है। यदि हम पंजाब की बात करें तो हमें पता चलता है कि वहां ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की स्थिति काफी दयनीय है। वहां मरीजो के बजाय अस्पताल बीमार है। पिछले चार वर्षों में वहां डाक्टरों की कोई नई भर्ती नही हुई है। यदि हम केवल लुधियाना के मशीनवारा क्षेत्र की बात करे तो वह 117 गांवो के लोगों के लिए केवल 2 डाक्टर तैनात है। अस्पतालों में डाक्टरों और औषधियों का अभाव है और वे पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के न होने का बारवान कर रहे है। औषधियों की भारी कमी और डाक्टरों की

---

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

अनुपलब्धता के कारण लोग एड्स, कैंसर ह्रदय रोग हैजा मलेरिया से मर रहे है और तपेदिक बड़ी मात्रा में व्याप्त है। गरीब लोग देखभाल के अभाव में मर रहे है और सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही हैं। क्या सरकार अपने नागरिक को प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रही है? सरकार इसे प्रदान नहीं कर रही है यदि हम ग्रामीण लोगों को मौलिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में असफल होते है तो आने वाले समय में लोगों का विश्वास प्रजातंत्र से उठ जायेगा।

समय की यह मांग है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक अस्पताल और औषधालय खोले जाए। इन अस्पतालों में आधुनिकमत मशीनें लगायी जानी चाहिए मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से मालवा क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं जहां हजारों कैंसर रोगियों की इलाज के अभाव में मृत्यु हो रही है। इस क्षेत्र के जल में ऐसे हानिकारक तत्व पाये जाते है जिनसे कैंसर रोग होता हैं अत: मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि मालवा क्षेत्र में पूर्णतया सज्जित आधुनिक अस्पताल खोला जाए ताकि कैंसर के उन रोगियों को जिन्हें इलाज के लिए राजस्थान जाना पड़ता है इसी क्षेत्र में उचित और प्रभावशाली उपचार सुविधा उपलव्ध कराई जा सके।

[हिन्दी]

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली) : उपध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने के लिए समय दिया। जब इस बिल के पीछे के उद्देश्यों और इसमें कही बातों को आदमी पढ़ता है तो इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जो भी चीजें कही गई हैं, उससे हर एक व्यक्ति इत्तेफाक रखेगा। स्वास्थय के ऊपर इस बिल ने जिस तरह से हमारा ध्यान आकर्षित किया है, जिस तरह से इसमें स्वास्थ्य की समस्याओं के बारे में सदन से अपनी राय व्यक्त करने को कहा गया है, यह बहुत ही सराहनीय बात है। इसमें कहा गया है कि संविधान में बदलाव की आवश्यकता है, उन उद्दश्यों को पूर्ति करने के लिए जिन उद्देश्यों के लिए यह बिल प्रस्तुत किया गया है। इस पर मैं सुधाकर जी से थोड़ा भिन्न मत रखता हूं, क्योंकि हमारे संविधान में बीते वर्षों में बार-बार कोर्टों द्वारा टिप्पणी की गई है, जिसमे यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि स्वास्थ्य को पूर्ण अधिकार की एक जगह अभी भी संविधान में मिली हुई है। मैं आपकी अनुमति से ऐसी ही टिप्पणियों को कोट करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेन्ट में आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के तहत हमारे संविधान में बड़े साफ तौर पर यह कहा गया है कि

[अनुवाद]

''किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतन्त्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएंगा, अन्यथा नही।'' आर्टिकल 47 डायरेक्टिव प्रिंसीपल के अंतर्गत भी कहा गया है कि ''राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों में मानेगा।''

[हिन्दी]

इसके अलावा सर्वोचय न्यायालय ने कई वार अपने जजमेन्ट में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत मिलने वाली सेवाओं को एक तरह से ह्यूमन राइट्स का या फण्डामेंटल राइट्स का दर्जा दिया हुआ है। जब-जब भी संविधान की एनालेसिज की जाती है या कोई टिप्पणी की जाती है तो यह बात साफ तौर पर आती है। सरकारें भी इस बात को मानती हैं। मेरी यही सोच है कि इससे किसी रूप में संविधान में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। हां, संसद के माध्यम से बार-बार इस बात को उठाना चाहिए, तमाम ऐसे मुद्दों को सरकार के सामने लाना चाहिए और यह चुने हुए प्रतिनिधियों का और हर एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। स्वास्थ्य सेवा, जो शायद सामाजिक सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, उसको हम और सुदृढ़ करें, उसको हम जनव्यापी करते चले जाएं और ऐसी एक स्वास्थ्य सेवा बनाएं जिसमें देश के हर एक व्यक्ति को, खासकर जो बिलकुल सीमान्त का है या जो गरीब है, उसे वह स्वास्थ्य सेवा मिल सके, उसे भी जीने का, स्वस्थ रूप से जीने का हक मिले, जिस तरह से सदन में बैठे हुए हर सदस्य को सरकार की सेवाएं और सुविधाएं मिलती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष जी हिन्दुस्तान के स्वास्थ्य का ढांचा वर्ष 1945 में गठित भोरे कमेटी की रिकमेंडेशन्स पर आधारित है। स्ववतन्त्रता मिलने के बाद भारत की तमाम सरकारों ने स्वास्थ्य विभाग को दी हुई रिकमेंडेशन्स के अनुरूप धीरे-धीरे स्वास्थ्य का एक जाल-सा पूरे देश में बिछाया है। उनमें हेल्थ सैन्टर, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र जिला स्तर पर जिला अस्पताल, रैफरल अस्पताल और स्पैशलिटी सैन्टर की सुविधाएं इत्यादि हैं। सभी सरकारों ने अपनी तरफ से यह कोशिश भी की है कि इस कमेटी के हिसाब से या समय-समय पर जो सुझाव आए हैं, उन बदले हुए मापदडों के हिसाब से डाक्टर और बिस्तर पर्याप्त मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों को मिलें। उन्होंने कोशिश की है, लेकिन हमें वह कोशिश दो बातों में अधूरी दिखती है। पहले मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य की किस अवस्था में हम आज हैं। पिछले 15-20 सालों में और उसके पहले जब देश की आधारशिला रखी गई थी, तो कम से कम आर्थिक क्षेत्र में और इस देश को बलशाली देश बनाने में, ऐसा देश

[श्रीमती परमजीत कौर गुलशन]

बनाने में जहां हर व्यक्ति को समानता मिले, समान अधिकार मिलें, इस देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। 55 साल का इतिहास कहीं-कहीं कम रहा है, लेकिन ज्यादातर ऐसा इतिहास रहा है जिसमें हर हिन्दुस्तानी को गर्व जरूर रहा है, उसके बावजूद हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़े रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों में हमारी स्थिति काफी कमजोर है। जहां विकसित क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर वैसे तो अपने में बहुत छोटा सा आंकड़ा है और यह दिखाता है कि जितने बच्चे जिन्दा पैदा होते हैं, हजार बच्चों में से कितने बच्चे सालभर के होते-होते जीवित बच पाएंगे, लेकिन यह आंकड़ा अपने में स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाता है और सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा बनकर निकलता है। शिशु मृत्युदर इस बात को दिखाती है कि जब मां के पेट में बच्चा था, तब वह कितनी स्वस्थ रही, अपने बचपन में कितनी स्वस्थ रही, उसके शरीर में गर्भ धारण करने की शक्ति रही हो, बच्चा जब उसके पेट में था, तब क्या उसे तमाम उपचार की चीजें, जो इस देश के संविधान द्वारा, इस देश की संसद द्वारा और इस देश के पूरे हैल्थ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बच्चों को जिन्दा रखने में आवश्यक मानी गई हैं, वे सुविधाएं उन बच्चों को पूर्णरूप से मिल पाई हैं। जन्म के बाद उन्हें अस्पतालों में, घरों में, खाने के हिसाब से, साफ पानी, सैनीटेशन आदि में जिस तरह की केयर मिलनी चाहिए, क्या वह मिलती रही है। शिशु मृत्युदर एक और बहुत बड़ी चीज भी दर्शाती है कि क्या प्रथम वर्ष में लड़की और लड़के पर हम उतना ही ध्यान दे पाते हैं जितना दोनों को एक मनुष्य मानकर देना चाहिए। उस शिशु मृत्युदर में यह देश दुनिया के तमाम देशों में कहीं न कहीं अपने आपको बहुत पीछे पाता है। अगर 160-170 देश देखे जाएं तो मेरे ख्याल से हम कहीं 110-130 के रैंक पर आते हैं। जहां एक तरफ जापान, कनाडा, यूरोप और अमरीका के बहुत से देशों में शिशु मृत्युदर 15-16 प्रतिशत आंकड़े के आस-पास घूमती है, हमारे देश में वह 1960-70 के बीच में उपर-नीचे होती रहती है। मैंने सुना है कि शायद 60 के आंकड़े को हमने थोड़ा सा कम किया है। यही नहीं, 90 का दशक शिशु मृत्यु दर के घटने के क्रम में रोगों का दशक भी रहा है। सन् 1950 के बाद से इस देश में जिस गति से शिशु मृत्यु दर गिरती जा रही थी, वह1990-92 के बाद एक तरफ से थम सी गई और उस गिरावट के ग्राफ में एक प्लेटो के रूप में आने लगी। इस देश में यह अत्यंत चिन्ताजनक बात है। हमारे जो साथी केरल से आए हैं, वे इस बात को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। उनके राज्य ने उन्हीं अवस्थाओं के साथ, उसी तरह के सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में, शिशु मृत्युदर 12-15-16 के आस-पास कर रखी है और वह आज से नहीं बल्कि इस तरह का कीर्तिमान उन्होंने 10-15 साल पहले ही पा लिया था। इसके साथ-साथ तमाम पड़ोसी प्रदेश हैं, जैसे अगर हम तमिलनाडु की बात करें, उनके थोड़े उत्तर में महाराष्ट्र की बात करें, उनके बगल में कर्नाटक की बात करें, वहां भी शिशु मृत्यु दर काफी हद तक घटकर, 40 के आंकड़े में आ गई है और वहां की सरकारें जिस तरह काम कर रही हैं, हो सकता है कि वह और भी नीचे गिरे। अगर हम और उत्तर की तरफ चलें और उत्तर भारत के इतिहास को देखें, उत्तर भारत की वर्तमान स्थिति को देखे, चाहे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा की स्थिति हो, वहां की स्थिति बड़ी भयानक प्रतीत होती है। कहीं शिशु मृत्यु दर 80 है, कहीं 90 है, कहीं 95 है और कई जिले ऐसे हैं जहां 100-110 का आंकड़ा भी पार कर जाती है। हमें हर वर्ष जिला स्तर पर नहीं, कम से कम राज्य स्तर पर भारत सरकार द्वारा, रजिस्ट्रार द्वारा इन आंकड़ों की कुछ न कुछ झलक जरूर मिलती है। हर बार जब वे आंकड़े आते हैं, तो यही बात प्रतीत होता है कि तमाम कोशिशों के बावजूद मूलभूत सुविधाएं, जो अपने बच्चों को, अपनी माताओं को, अपनी गरीब जनता को हमें देनी चाहिए, उसमें भारत सरकार और प्रदेश सरकारे कहीं न कहीं पीछे रही है। इसमें समाज का भी एक रोल है। समाज को शायद और जागृत करने की आवश्यकता है। समाज में जो लोग माता या पिता बनते हैं, उन सबको भी इस बात को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है कि किस तरह से वे अपने बच्चों की देखभाल करें। घरों में अपनी लड़कियों की देखभाल करें, खासकर उन बहुओं की देखभाल करें जिनके पेट में बच्चा होता है। लेकिन वह बात अलग है सरकार की इसमें जो भूमिका रही है, वह अपने आप में उस अपेक्षित स्तर से बहुत पीछे रही है।

इसी तरह अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, उसमें जरूर साल दर साल थोडी बहुत प्रगति होती चली गयी है। आज औसतन रूप में, अगर मैं बहुत ज्यादा गलत नहीं हूं तो कोई भी हिन्दुस्तानी जिसका जन्म आज इस वर्ष या पिछले दो-चार वर्षों में हुआ है, अमूमन हम मान लेंगे कि वह 60 या 65 वर्ष की उम्र तक जीवित रह पायेगा। अपने में एक गरीब देश के लिए, ऐसे देश के लिए, जिसको अपने देश पर राज्य करने का अधिकार केवल 45-50 वर्ष पहले ही मिला, उसके लिए यह लाइफ ऐक्सपैक्टेंसी पिछले 30-40 साल में 20-25 वर्ष तक बढ़ाना बहुत अभूतपूर्व प्रगति है। अगर हम इस तरह की प्रगति को यूरोपीय देशों से कहीं न कहीं कम्पेयर करें तो इस तरह की 30-35 साल की बढ़ोतरी लाइफ ऐक्सपेक्टेंसी में उन देशों ने 100-150 या 200 सालों में एचीव की होगी, जो हमारे देश ने पिछले 30-35 सालों में प्राप्त कर ली। लेकिन इस समय हमारी जो प्रगति का स्तर है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ, उसे कम्पयेर करें तो वहां

भी शिशु मृत्युदर की तरह ही हम बहुत पीछे हैं। हम इन दो आंकड़ों से आगे बढ़े और उन छोटी-छोटी चीजों को ध्यान से देखें जिनमें सरकार के जो कार्यक्रम है, न केवल उनकी उपलब्धियों के बारे में थोड़ा हमें पता चलता है लेकिन उसका जो डायरेक्ट असर लोगों की जिंदगी पर होता है, उसका भी थोड़ा बहुत असर हमको पता चलता है।

आज कई दशकों से हम इम्यमनाइजेशन का कैम्पेन बहुत जोर-शोर से इस देश में चला रहे हैं। यहां मैं केवल पोलियो की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन एसेंशियल, उन बहुत ही महत्वपूर्ण टीकों की बात कर रहा हूं, जिन्हें बच्चों को पहले साल में, कुछ नौ महीने के बाद, कुछ छः महीने के बाद, कुछ तीन महीने के बाद और कुछ जन्म के एक महीने के बाद ही, कहीं टीकों के रूप में या गोली के रूप में देना अत्यंत आवश्यक है। इससे कुछ ऐसी भयंकर जानलेवा बीमारियों से उसकी जिंदगी बचती है, जिन जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए हमारी साईंस के पास क्योर है लेकिन वह दर इम्यूनाइजेशन के बाद, हर भरसक कोशिश के बावजूद भी बहुत पीछे रहती है। वैसे तो आंकड़ों को अगर आप देखिये और अलग-अलग दवाइयों की बात खासकर पहली डोज, दूसरी डोज में 70-80 परसेंट से लेकर 95 परसेंट तक एचीवमैंट रेट कई जगहों पर हमको दिखाई देता है लेकिन पूर्णरूप से इम्यूनाइजेशन को हम देखें और आखिरी गोली तक उसी बच्चे का हम स्वरूप देखें तो वह मामला अपने आप धीरे-धीरे गिरता चला जाता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो गरीब प्रदेश हैं, मैं केरल की बात नहीं कर रहा, तमिलनाडु की बात नहीं कर रहा, वहां हो सकता है कि ये आंकड़े ज्यादा बेहतर हों, लेकिन उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और असम में मेरे ख्याल से 50-55 परसेंट से ज्यादा नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरीके से हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि ऐसा विकसित देश जो ऐटामिक एनर्जी में इतना आगे बढ़ चुका है और जिसके पास इतनी क्षमता है कि वह व्यक्ति को अगले 10-15 वर्षों तक चांद तक भेज पाये, वह समान रूप से अपने बच्चों का टीकाकरण भी नहीं कर पाता। इसमें बात खर्चे की नहीं है। मेरे ख्याल से सब सरकारें यह बात कह चुकी हैं कि पर्याप्त मात्रा में ड्रग्स ऐवेलेबल हैं लेकिन टीके को उस बच्चे तक पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं।

मैं एक बात और कहूंगा कि कई बीमारियों में धीरे-धीरे, जहां हमको लगता था कि पिछले 10-15 सालों में हमने कहीं न कहीं अंकुश पा लिया है, कंट्रोल कर लिया है, वे बीमारियां आज धीरे-धीरे उस अंकुश से हटकर एक बड़ा व्यापक और विकराल रूप लेती चली जा रही हैं। यह भी चिंता का विषय बनता जा रहा है। इन बीमारियों से अलग हटकर अगर हम अपने आप में समाज के अंतर को देखें तो सबसे पहले महिला और पुरूष के अंतर के प्रति मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि पैदा होने के समय से लेकर अपनी मृत्यु तक हर रूप में हम महिलाओं के प्रति कहीं न कहीं ऐसा व्यवहार करते हैं जो लड़कों से भिन्न होता है, चाहे खाना खिलाने की बात हो, चाहे बचपन में टीकाकरण की बात हो, चाहे बीमारी के बाद उसे अस्पताल ले जाने की बात हो, चाहे उसे पर्याप्त भोजन देने की बात हो, इन चीजों में हमारी बच्चियां, क्योंकि हमारे समाज में आज भी उनको बच्चों के प्रति समानता से नहीं देखते हैं, इसलिए वे पिछड़ती चली जा रही हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

यह बात सत्य है और यह बात मेडिसिन ने भी हमें बताई है कि अमूमन तौर पर एक गर्ल चाइल्ड जो है, एक लड़के से ज्यादा तन्दुरुस्त होती है और अमूमन रूप में अगर कहीं लड़के पचास साल तक जीते हैं जो उसी अवस्था में लड़कियां 55 से लेकर 60 साल तक जीनी चाहिए। अगर कहीं सौ में से पांच लड़के मरते हैं तो सौ में से दो या तीन लड़कियां ही मरेंगी क्योंकि शारीरिक रूप से प्रकृति ने उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से जूझने के लिए लड़कों से ज्यादा बलशाली बनाया है। हमारे पास केवल बाहुबल है जिसे हम मानते हैं कि हम महिलाओं से ज्यादा शक्तिशाली हैं लेकिन प्रकृति ने लड़कियों और महिलाओं के शरीर में ऐसी शक्तियां सृजित की हैं कि प्राकृतिक बीमारियों से जूझने में वे हमसे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। लेकिन हमारे समाज में अपने ही लोगों के बीच में हम ऐसी कुरीतियां चला चुके हैं कि उस प्राकृतिक शक्ति को भी ध्वंस करते हुए हम हर चीज में लड़कियों को लड़कों से पीछे रख रहे हैं। इंफेंट मार्टेलिटी रेट्स जो लड़कियों के हैं, यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि लड़कों से वे बहुत ज्यादा हैं। कुछ ऐसे इलाकों में जैसे बुन्देलखंड के इलाके में मैंने काफी गहन रूप से काम किया है, वहां थोड़ा सा मैंने रिसर्च भी किया है और वहां मैंने पाया कि कुछ जगहों पर लड़कियों के मृत्यु-दर लड़कों से दुगुने और तिगुने हैं। यह बात उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के बुन्देलखंड इलाके की ही नहीं है बल्कि राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में भी है। वह तो केवल हमारे देश के आदिवासी आंचल ऐसे हैं, जहां उन्होंने हमेशा लड़के और लड़की को एक समान पाया है, वे उन्हें एक समान देखते हैं और एक समान व्यवहार करते हैं। वहां इन आंकड़ों का अंतर हम नहीं देखते हैं। उसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो 17 से लेकर 20 तक, उस उम्र को छोड़कर जब औरतें प्रजनन की उम्र में आ जाती हैं, जहां शायद स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक कारणों से उनकी मृत्यु-दर पुरुषों से ज्यादा होनी चाहिए, वहां तक लड़कियों का डैथ-रेट लड़कों से आगे चला जाता है।

[श्रीमती परमजीत कौर गुलशन]

यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि देश की जो हैल्थ व्यवस्था है, हमारे जो आंकड़े हैं, वे कई मायने में पीछे चलते चले जा रहे हैं।

अब मैं आखिर में कहना चाहता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि मुझे थोड़ा सा समय आप जरूर दें तथा मैं सदन से भी निवेदन करूंगा कि मुझे उनका थोड़ा-बहुत बोलने के लिए संरक्षण मिले। जो हमारी हैल्थ की प्रणाली है, जब वोहरा कमेटी रिपोर्ट बनी थी और उसके बाद 1950 और 1960 के दशक में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जब चर्चाएं हुई थीं तो बार-बार यह बात प्रबल रूप से निकलकर सामने आई कि विशेषकर थर्ल्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जहां कि ज्यादातर व्यक्ति गरीब और असहाय हैं और वे अपने आप से हैल्थ की कीमत का खर्च नहीं उठा पाएंगे, प्राइमरी हैल्थ सैन्टर हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज रहेगी। इसीलिए प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर हमें सारा ध्यान रखना चाहिए और इसी आधार पर पीएचसीज और एसएचसीज, प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स तथा सब हैल्थ सेंटर्स, जो हमारी सम्पूर्ण हैल्थ व्यवस्था के हैल्थ सेंटर्स थे और इसीलिए अलमा-आटा डिक्लेरेशन जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ, उसने भी इस बात को पुख्ता रूप से सामने किया कि हम प्राइमरी हैल्थ सेन्टर या हौलिस्टिक या काम्प्रीहेंसिव स्तर पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। बहुत से देशों ने, मेरे ख्याल से इसमें हिन्दुस्तान भी है और कोई ऐसा देश नहीं बचा है जिसने कि अलमा-आटा डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर अपने नहीं किये हैं। लेकिन उसके कुछ साल बाद एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हुई। डब्ल्यूएचओ जिसने एक तरीके से अलमा-आटा डिक्लेरेशन को सामने किया था, उसने अपनी रणनीति बदली। जो कारण वे सामने प्रस्तुत करते हैं, वे कारण बहुत कंविंसिंग नहीं है। मैं किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहता हूं लेकिन कहीं न कहीं डब्ल्यूएचओ या बाकी स्वास्थ्य संस्थाओं की मंशाओं पर थोड़ा-बहुत प्रश्न तो उनके इस कदम से जरूर उठता है।

एक तरफ जब हमने माना कि प्राइमरी हैल्थ केअर उस तरह की हैल्थ केअर जो बच्चे को मिलनी चाहिए, गरीब के घर तक जानी चाहिए, उसको उन बीमारियों के लिए मिलनी चाहिए, उसे उस तरह के न्यूट्रिशन के लिए मिलनी चाहिए जिनसे वह सर्वदा वंचित रहता है, उससे हटकर कई देशों ने बल्कि हिन्दुस्तान ने तो सात आठ ऐसी बीमारियां चुनी जिनसे सबसे ज्यादा लोगों की मृत्यु होती थी और एक सलेक्टिव प्राइमरी हैल्थ सेंटर करके एक नया, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर इस देश में खड़ा कर दिया। भारत सरकार भी पूर्ण रूप से उसी सलेक्टिव प्राइमरी हैल्थ सेंटर को सुचारू रूप से चलाने में लग गई है। मैं उस जगह बैठकर यह कह रहा हूं, जहां प्राइमरी हैल्थ सेंटर का डाक्टर बैठा होता है, ऐसे सब हैल्थ सेंटर में एन एम की नर्स बैठी होती है और वह बेचारी और वह बेचारा दिन-प्रतिदिन भारत सरकार के मांगे हुए तमाम दस्तावेजों पर, भारत सरकार द्वारा बनाई हुई तमाम बड़ी-बड़ी पुस्तिकाओं को भरता रहता है, और उसी से पूरी की पूरी स्वास्थ्य प्रणाली आज तक कई दशकों तक चलती रही है। आज जो थोड़ा-बहुत हमारा स्वास्थ्य का सिस्टम चरमराया है, उसमें इस तरह के बदलाव का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। यह ठीक है कि हमने टी.वी. के द्वारा थोड़ी-बहुत कोशिश जरूर की कि हम पोलियों पर तथा स्माल पॉक्स पर जीत हासिल करें लेकिन हमारी वह कोशिश प्राइमरी हैल्थ सेंटर की तरफ ज्यादा नहीं पहुंच पाई है।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का काफी समय दिया है और मैं सिर्फ दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

मैं आपके और सदन के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि अपने प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स पर जिस तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है और जिस तरह से धन आवंटित करने की आवश्यकता है, उसे पुनः किया जाए। यही नहीं, हमारे हैल्थ पर्सनल में बदलाव की बहुत आवश्यकता है। हमने कई चीजों में अमेरिका को अपना आदर्श माना है। कुछ लोगों और खासकर हमारे विपक्ष के साथी पिछले कई वर्षों से अमेरिका को अपना आदर्श मानते चले आए हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि पिछले चार-पांच सालों में उन्होंने भी अपना मन बदला है। लेकिन हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कई प्रकार से अमेरिका की इंश्योरेंस पालिसी पर आधारित स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति आकर्षित हो रही है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि अमेरिका का यह माडल कम से कम हमारे देश के लिए आत्मघाती है। यहां के गरीब आदमी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वह इंश्योरेंस के माध्यम से अपने स्वास्थ्य का हक ले सके। इंश्योरेंस जिस तरीके से न केवल इस देश में, बल्कि अन्य देशों में भी बनता है, उसमें गरीब को छोड़िए, एक समृद्ध पढ़ा-लिखा आदमी भी इंश्योरेंस की पालिसी के तहत मिलने वाले स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले पाता है।

महोदय, इंग्लैंड और दूसरे सोशलिस्ट कंट्रीज ने अभी भी एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे हम देख सकते हैं। आज इंग्लैंड की स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। लेकिन बड़ी अचम्भे की बात है कि किसी भी देश

में जब स्वास्थ्य व्यवस्था की बात आती है तो इंग्लैंड की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में कभी भी उल्लेख नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें इंश्योरेंस का कहीं कोई रोल नहीं है, उसमें प्राइवेट मेडिसिन का कहीं कोई रोल नहीं है, उसमें प्राइवेट डाक्टर का कोई रोल नहीं है। भले ही यह व्यवस्था बुरी हो लेकिन कम से कम उसका उल्लेख ऐसी बुरी प्रणाली के रूप में तो किया ही जाना चाहिए, लेकिन उसका एक भी उल्लेख नहीं मिलता है। यही नहीं हमारे देश में भी उन प्रणालियों का जिनमें सार्वजनिक रूप से सकारात्मक कदम लिए गए हैं, जहां-जहां लो-कास्ट हैल्थ कदम लिए गए हैं, वे उदाहरण भी आज हमें देखने को नहीं मिलेंगे। मैं किसी पर लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हमारे यहां अस्पतालों के जो उदाहरण दिए जाते हैं, वह हैं एस्कार्ट्स और अपोलो के उदाहरण। मैं मानता हूं कि इन अस्पतालों ने इस देश की प्रगति में बड़ा योगदान दिया है। इनमें जो डाक्टर हैं, वे बड़े कुशल हैं, वे देश की सेवा करते हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूं। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसे कोई प्राइमरी हैल्थ सेन्टर या जिला अस्पताल नहीं मिल पाते हैं, जिनको हम उदाहरण के रूप में आपने सामने रख सकें। अगर नहीं मिल पाते हैं तो इससे मेरी इसी बात को बल मिलता है कि हमारी जो स्वास्थ्य प्रणाली है, वह इतनी कमजोर हो गयी है कि उसमें हम एक-आधे उदाहरण भी नहीं ढूंढ पाते हैं। हालांकि सरकार और मंत्रालय के अधिकारीगण तो सदैव ही उदाहरण ढूंढने में कुशल होते हैं, लेकिन हम अपनी प्रणाली में दो-चार ऐसे उदाहरण भी नहीं देख पाते हैं, जिन्हें हम अपने सामने, समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें।

धीरे-धीरे हमारी स्वास्थ्य प्रणाली में प्राइवेट सैक्टर का रोल बहुत भयानक तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। औपचारिक सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 50 से 55 प्रतिशत लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं और मात्र 30 प्रतिशत लोग सरकारी प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स में जाते हैं। यह जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली लोगों के पास तक नहीं पहुंच पा रही है और हमारी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था और लोगों के बीच में जो प्राइवेट सैक्टर घर करता चला जा रहा है, उसके लिए भी हमारी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान देना पड़ेगा। अगर वह दूरी प्राइवेट डाक्टर पूर्ण कर सकता है तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि सरकारी डाक्टर या सरकारी हैल्थ वर्कर उस दूरी का पूर्ण न कर सके। इस दृष्टि से हमारा रूरल हैल्थ मिशन इस दूरी को जरूर कम कर सकेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बात पर गहन ध्यान दें और राज्य सरकारों के सहयोग से यह प्रयास करें कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स को और भी मजबूत बनाया जा सके।

मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले इस बिल की मंशा का पूर्ण समर्थन करतेहुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए संविधान में कोई बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि मैं अगले माननीय सदस्य से बोलने का अनुरोध करूं, एक विधेयक है जिसे पुरःस्थापित किया जाना है। मैं श्री ए. कृष्णास्वामी से अनुरोध करता हूं कि वह विधेयक को पुरःस्थापित करें।

अपराह्न 4.09 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुरस्थापित—जारी

(सात) अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग (सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री ए. कृष्णास्वामी : महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 25.11.2005 में प्रकाशित।

अपराह्न 4.10 बजे

संविधान संशोधन विधेयक, 2004 - जारी

(नए अनुच्छेद 47क का अंतःस्थापन)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : इस बिल पर बहस के लिए जो समय निर्धारित था, वह खत्म हो गया है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो एक घंटे का समय इस बिल के लिए एक्सटेंड कर दें।

कई माननीय सदस्य : ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री शैलेन्द्र कुमार जी को इस बिल पर बोलने का मौका दे रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (नए अनुच्छेद 47क का अंतःस्थापन) पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने साथी सुधाकर रेड्डी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सदन में एक अच्छा बिल पेश किया है। मैं इसके समर्थन में अपनी बात कहना चाहूंगा।

अपराह्न 4.11 बजे

[डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय, आम आदमी के लिए जो मूलभूत अधिकार हैं, उनमें स्वास्थ्य भी एक है। लेकिन स्वास्थ्य के अधिकार से आज हमारे देश में आम आदमी वंचित है। देश को आजाद हुए 50 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम स्वास्थ्य से सम्बन्धित सुविधाओं को आम जनता तक नहीं पहुंचा सके हैं। यह बात सत्य है कि देश की समृद्धि में शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आज सभी राज्यों की जो अपनी आधारभूत चिकित्सा सुविधा है, उसके अलावा इस विधेयक में भी यह बात कही गई है कि प्रत्येक क्षेत्र के स्तर पर हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में देखें, खासकर जो ग्रामीण इलाकों से चुनकर आते हैं, वहां चाहे ब्लाक स्तर पर हो या पंचायत स्तर पर हो, जहां भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, उसकी हालत बहुत दयनीय है। मुझे याद है मेरे क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। जो मशीन लगाई गई है, मेरे ख्याल से एक या दो बार उद्घाटन के अवसर पर ही उसका उपयोग हुआ होगा, बाकी के समय में वह बंद पड़ी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सुविधाओं की तो कमी है ही, साथ ही जो ट्रेंड डाक्टर्स हैं, जो एम.बी.बी.एस. हैं, वे भी गांव में नहीं रहना चाहते, वे शहरों में रहते हैं। आप सब जानते हैं कि शहर से गांव की दूरी कम से कम 50-60 किलोमीटर तो होती ही है। इसलिए कोई भी डाक्टर देहात में रहना पसंद नहीं करता। देहात में अगर हम एक्सपर्ट डाक्टर्स को रखना चाहें, तो उनके लिए और उनके बच्चों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन हम उन्हें वे सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, जिससे वे गांव में रहने के लिए आकर्षित हो सकें और स्वास्थ्य मिशन को आगे बढ़ाया जा सके।

दूसरी चिंता का विषय है कि हिन्दुस्तान में चाहे शहरों मलिन बस्ती हो या गांवों की स्थिति जो है, खासकर जनजातीय क्षेत्रों की, दूर-सुदूर वनों के क्षेत्रों में जाकर देखें, वहां स्वास्थ्य की स्थिति बहुत दयनीय है और आम लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में मुश्किल हो रही है। मुझे दुख होता है कि इसी सदन में पहले हम लोगों ने तय किया था कि जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा होगी और सदन करीब एक महीना चला था, लेकिन उस पूरे सत्र में इस विषय पर चर्चा नहीं हो पाई। आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या की है। इस ओर भी हमें विशेष तौर से ध्यान देना होगा।

दूसरी बात, सरकारी अस्पतालों की स्थिति के बारे में आज सभी जानते हैं। वहां पर अच्छी-अच्छी मशीनें तो हैं लेकिन वे खराब पड़ी रहती हैं। सरकारी डाक्टर्स निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अपने नर्सिंग होम्स चला रहे हैं जहां वे मरीजों को बुलाकर महंगी-महंगी दवाएं दे रहे हैं, जिससे अमीर लोगों का इलाज तो हो जाता है लेकिन गरीब आदमी का इलाज नहीं हो पाता है और वह सरकारी अस्पताल की दवाइयों से वंचित रह जाता है।

आज सरकारी अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब है और वहां पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों की संख्या नहीं है जबकि मरीजों की संख्या बढ़ती जाती है। हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख हैं। अस्पतालों में स्ट्राइक होती है, मरीज मर रहा हो लेकिन उनका नारा रहता है कि "हमारी मांगें पूरी हों चाहे कोई मजबूरी हो"। अस्पतालों की स्थिति बहुत दयनीय है और गंभीर से गंभीर बीमारी से मरीज मरता रहता है लेकिन उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए सरकारी अस्पतालों में सरकारी कर्मचारियों की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए।

माननीय संदीप जी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल की कोई तुलना नहीं हो सकती है। हिंदुस्तान के कोने-कोने में जो अस्पताल हैं वहां केरल की पढ़ी-लिखी नर्सेज और डाक्टर्स पूरी ईमानदारी के साथ अस्पतालों को चला रहे हैं। अस्पतालों की और ज्यादा व्यवस्था सभी राज्यों में होनी चाहिए जिससे वहां की प्रशिक्षित नर्सेज और डाक्टर्स पूरे हिंदुस्तान के कोने-कोने में भेजे जा सकें। यह देखने की आज जरूरत है।

मैं दवाओं के बारे में भी कहना चाहूंगा कि दवाओं की इन अस्पतालों में आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए जोकि आज किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं है। हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों के पास जब कोई मरीज आ जाता है जिसके पास पर्ची बनाने तक के पैसे नहीं होते हैं, आने-जाने का किराया नहीं होता है तो हम लोग अपनी जेब से पैसा देते हैं और अस्पताल के सुप्रीटेंडेंट को लिखते हैं कि इसका इलाज सही तरीके से हो और इसको अस्पताल की तरफ से दवा मिले और इसको अस्पताल में भर्ती किया जाए। लेकिन यह हो हमेशा हो नहीं पाता है। अगर डाक्टर्स देखते भी हैं तो मरीज को बाहर से लाने के लिए महंगी-महंगी दवाएं लिख देते हैं जबकि उन गरीब आदमियों का इलाज अस्पताल द्वारा दी गयी दवाओं से होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस ओर भी हमें ध्यान देना होगा।

निजी अस्पतालों में इतना ज्यादा खर्च आता है कि वहां गरीब आदमी जा नहीं पाता है और केवल अमीर आदमियों का ही इलाज ये निजी अस्पताल करते हैं। गांव की हालत बहुत बुरी है। वहां पर केवल आरएमपी, जिन्हें हम झोला-छाप डाक्टर्स कहते हैं वहीं मरीजों को देखते हैं जोकि विशेषज्ञ नहीं होते हैं। इसलिए उन्हें पता नहीं होता है कि कौनसी सूई किस बीमारी में लगानी होती है जिससे कभी-कभी मरीज को और कष्टों का सामना करना पड़ जाता है और उसका सही तरीके से इलाज नहीं हो पाता है। यह जो अधिनियम आया है इसमें एक हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की बात कही गयी है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी को और सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हमारे ग्रामीण स्तर पर खुले हैं उनमें दवाइयों की अच्छी व्यवस्था, प्रशिक्षित डाक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस विधेयक में जो धारणा है कि प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाए, वह एक अच्छी बात होगी। हमारे संविधान के मूल अधिकारों में अधिकार दिया गया है कि मूलभूत सुविधाएं सभी को, प्रत्येक नागरिक को दी जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को, प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश के 17 राज्यों में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चलाये जा रहे हैं। प्राथमिक रूप से इन मिशनों को चलाने की बात कही गयी है और मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। आठ हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था इसमें की गयी है। मेरा निवेदन है कि इनको और बढ़ाकर, अन्य राज्यों में भी इस व्यवस्था को शुरू किया जाए ताकि आम व्यक्ति को यह सुविधा मिल सके। जहां तक आंकड़ों की बात है, आज स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत 129वें स्थान पर पहुंच गया है, यह बहुत चिंता का विषय है। जब देश आजाद हुआ था, तब हमने एक सपना सजोया था कि मूलभूत सुविधा, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा, हम प्रत्येक नागरिक को दे सकें, लेकिन आज स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भारत 129वें स्थान पर है। यह बहुत चिंता का विषय है। इस विषय पर सरकार को विचार करना चाहिए।

आज नयी-नयी बीमारियां सामने आ रही हैं। हेपेटाइटिस एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, यह एड्स से भी ज्यादा गंभीर बीमारी है। अभी हमारे देश में पोलियों उन्मूलन के लिए काम किया जा रहा है। पोलियों उन्मूलन के लिए गांव के स्तर पर प्रचार-प्रसार के जरिए अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य है कि हम देश को वर्ष 2008 तक पोलियो मुक्त कर देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि हेपेटाइटिस बी और सी के टीकाकरण के लिए भी सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हिंदुस्तान के जो भी बच्चे और जवान हैं, उनको हेपेटाइटिस का मुक्त टीका लग सके, ताकि हिंदुस्तान एक स्वस्थ्य हिंदुस्तान बन सके। हमारी सरकार और माननीय मंत्री भारत को दुनिया का महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात सोच रहे हैं, वह भी तभी पूरा हो पाएगा।

मैं कहना चाहूंगा कि कुष्ठ रोग के क्षेत्र में हमने पर्याप्त मात्रा में कंट्रोल किया है और उस पर काबू पा लिया है, लेकिन साथ ही साथ समाज की मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है। समाज की मानसिकता बदलेगी, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। हमारे पोलियोग्रस्त विकलांग भाइयों या कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए हमें आगे आना होगा। हमारे देश में एड्स या अन्य गंभीर बीमारियों के जो मरीज हैं, उनके प्रति समाज के तमाम व्यक्तियों की जिम्मेदारी होती है, उनको समाज के प्रति सजग रहना चाहिए और उन्हें ऐसा प्यार दें, ताकि वे यह महसूस कर सकें कि हम हिंदुस्तान के एक अच्छे नागरिक हैं। मैं आंकड़ों के बारे बताना चाहूंगा। मैं दो-तीन प्वाइंट कहकर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। हमारे देश में रोजना चार सौ गर्भवती महिलाएं दम तोड़ती हैं। आज चाहें तो देख सकते हैं कि दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ियों में जो गरीब महिलाएं रहती हैं, जो लेबर का काम करती हैं, वे आज भी एनीमिया की बीमारी से ग्रस्त हैं। एनीमिया के कारण तमाम महिलाओं का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान न चला पाएं, तो कम से कम जो दिल्ली

[श्री शैलन्द्र कुमार]

की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाली गरीब महिलाएं हैं, जिनके स्वास्थ्य के लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं कर पा रहे हैं, उस ओर अभियान चलाकर ध्यान दें।

जन स्वास्थ्य रक्षक के बारे में पहले भी सदन में बात हो चुकी है। हमारे समाजवादी चिंतक स्वर्गीय राज नारायण जी ने गांव के स्तर पर एक जन स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति की थी। आज उनकी स्थिति बहुत खराब है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे, ताकि जो पहले से जन स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त हैं, उन्हें गांव में भेजकर, उनकी सेवाएं ली जा सकें।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति जी, निश्चित रूप से श्री सुर्वतम सुधाकर रेड्डी जी ने संविधान में यह संशोधन लाकर संविधान के अनुच्छेद 47 में संवर्धन करने के लिए प्रस्ताव दिया है। देश की आजादी के बाद स्वास्थ्य के प्रति जो सजगता का भाव है, उसका अभाव रहा होगा, ऐसा कहना ठीक नहीं है। लेकिन जिस गति से इसका विस्तार होना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में जो संरक्षा और सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए, जिसे हेल्थ कांशस कहते हैं, ऐसा करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में हम सफल नहीं हुए। आज ऐसा लगता है कि ''बंदी जीवन के बंधन बदले कारागार वही है बदल गया कुछ लोगों का जीवन, आंसू पीने वालों का परिवार वही है।''

गांवों में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधा नहीं है, अर्थात गांवों को विकास करने के जो अवसर और आयाम मिलने चाहिए, उसके लिए जितने प्रयास किए जाने चाहिए थे वे हो नहीं पाए हैं। अभी भी पानी की शुद्धता के बारे में कोई कह नहीं सकता कि उसे शुद्ध पानी मिलता है। नदियों के किनारे गांव बसते हैं। अगर नदियों का पानी शुद्ध नहीं है तो उसके शुद्धिकरण के संयंत्र लगने चाहिए। इस पर अतिरिक्त खर्च होता है। वहां के स्थानीय निकाय इस दिशा में प्रयास नहीं करते हैं। उनके पास पीने के पानी को शुद्ध करने के पर्याप्त साधन नहीं हैं। पहली बार शुद्ध वायु और पानी देने की शुरूआत हुई थी। गांवों में शुद्ध वायु मिलना सम्भव है लेकिन वहां शुद्ध पानी का अभाव है। पहली बात यह है कि पहले शुद्ध पानी का प्रबन्ध करना चाहिए। शुद्ध पानी उपलब्ध हो जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। पानी को शुद्ध और विकसित करने के लिए कोई बता सकता है कि पानी को शुद्ध करने के लिए क्या किया जा सकता है? पानी को शुद्ध करने के लिए कोई साधन नहीं हैं। कई जगह पानी को शुद्ध करने के उपाय किए गए लेकिन पानी इतना गहरा चला गया है कि पानी मिलता नहीं है चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या दूसरा कोई स्थान हो। पानी का लैवल नीचे जा रहा है। पानी के बाद जरूरी चीज शुद्ध वायु और शुद्ध परिवेश है।

आज अस्पताल गांवों तक पहुंच नहीं रहे हैं। गांवों की पहुंच अस्पतालों तक हो जाए, ऐसा कोई प्रबन्ध होना चाहिए। हम जैसे दूर संचार के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं क्या इस क्षेत्र में ऐसा करना संभव नहीं है? जो लोग मुश्किलों में आ जाते हैं, हम उनको मुश्किलों से निकाल नहीं पाते हैं। आज भी ऐसे गांव हैं, जहां रास्ते न बनने से लोगों को बहुत मुश्किल होती है। गांवों में नदियों और नालों की वजह से वहां के लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच नहीं पाते हैं। यह एक विषय नहीं है। इसके साथ संबद्ध कई विषय हैं। इनके साथ देश का सर्वांगीण विकास जुड़ा है। अगर हम मनुष्य के बारे में विचार करें तो सबसे जरूरी चीज शरीर ही है। पहला सुख निरोगी का है। उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं। शरीर निरोग कैसे रहे? मंद बुद्धि और आत्मा, क्या ऐसा मनुष्य के बारे में माना जाए? अच्छे और स्वस्थ शरीर में अच्छे विचार आते हैं। अच्छे विचारों को साकार करने के लिए अच्छे समाज की जरूरत होती है। अच्छे स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र बनता है। हम ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे तो देश का विकास होगा। हम कहते हैं कि वहां कोई जाता नहीं है लेकिन क्या वहां जाने लायक कोई रास्ता है?

हमने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की। सरकार चाहेगी कि और गांवों तक पहुंच बने। जब तक गांवों तक पहुंच नहीं बनेगी, तब तक यह बात बनने वाली नहीं है। गांवों तक पहुंच बनेगी तो गांवों के लोग शहर तक भी आ जाएंगे। जन स्वास्थ्य रक्षक की बात कही जाती है। हमने इसकी अस्थायी व्यवस्था की है- चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या पंचायत के क्षेत्र में हो। सामान्य आदमी को अगर ज्वर आ रहा है या कहीं दर्द हो रहा है, इसके निवारण के लिए सामान्य औषधि होती है लेकिन वे औषधियां मंहगी होती जा रही हैं। एक जमाने में वे बहुत सस्ती होती थीं। जो औषधियां आम आदमी आम बीमारियों के लिए यूज करते हैं, उनके दामों को कम रखना चाहिए और वे सब जगह सुलभ हो जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदय, आप स्वयं एक डाक्टर हैं। आपको चिकित्सा के कारण जो प्रसिद्धि मिली है, वह सब को मालूम है। सामान्य

लोगों की मांग के अनुसार वे दवाइयां उन्हें उपलब्ध हो जाएं तो अच्छा होगा। यह अलग बात है कि जो डाक्टर विशेषज्ञ नहीं हैं, वे गांवों में इस प्रकार का उपचार कर देते हैं कि कई केस बिगड़ जाते हैं जिससे बहुत मुश्किल होती है। यह बहुत बड़ी बात है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। संविधान के संशोधन के बारे में कहा गया है कि।

[अनुवाद]

राज्य प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करेगा जिसमें सारी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसमें मूल बात कह दी गई है। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि पोषण तथा जीवन स्तर को ऊपर उठाना और जन स्वास्थ्य में सुधार लाना राज्य का दायित्व है।

[हिन्दी]

तीन बातें कही गई हैं- एक बात कही गई कि न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। पौष्टिक आहार खाने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए, इसका अन्दाज शहरों के लोगों को भी नहीं हो रहा है। तो उसे न्यूट्रीशन किस प्रकार उपलब्ध होना चाहिये, उसे क्या खाना है, उसे क्या पीना है, उसके लिये यह सब हो सकेगा। इस प्रकार के प्रचार की आवश्यकता है। दूसरा स्टैंडर्ड आफ लिविंग के लैवल के लिये मुश्किल है। वह कहां रहता है- ऐसे लोग बस्ती में रहते हैं जहां साफ-सुथरी जगह नहीं है। उसे स्टैंडर्ड मेनटेन करने के लिए ठीक खाना होगा, उसके लिये इन्दिरा आवास लगा हुआ है लेकिन गरीब लोगों के लिये ऐसी जगह होती है जहां किसी का क्लेम नहीं होता है, वह जगह पूर्ण रूप से आुविधाजनक होती है। वहां निश्चित रूप से अस्वास्थ्यकर वातावरण होता है। गरीब लोगों के लिये ठीक ढंग से स्वास्थ्य सुविधायें होनी चाहिये लेकिन प्रामाणिक रूप से उसके लिये रोटी, कपड़ा और मकान मिल जायें जिससे उसका गुजारा हो सके। स्वस्थ्य वातावरण में उसका स्टैंडर्ड आफ लिविंग आदि जरूरी चीजें हैं। लेकिन वह कहां रहता है, क्या खाता है और क्या कमाता है, इन सब चीजों के लिए एक लम्बा समय लगने वाला है। जन सामान्य के लिये स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करा देना, समाज में एक व्यक्ति के लिये कुछ न कुछ उपलब्ध करा दें जिससे उसका स्वास्थ्य ठीक ढंग से रह सके। बहुत सी बीमारियों के उपचार करना जिसमें सरकार द्वारा उसे मदद मिलती है लेकिन उसे प्राप्त करने में उसे कितनी मुश्किल होती है। यदि हम स्वास्थ्य के लिये सहायता हेतु कुछ फंड्स मांगने जाते हैं तो उसके लिये चीफ मिनिस्टर सहायता फंड, प्राइम मिनिस्टर सहायता फंड बने हुये हैं लेकिन उन से उसे कितनी मदद मिलती है। चाहे कितनी भी गम्भीर बीमारी हो और उसपर उसका एक लाख रुपया खर्च होने वाला हो, उसे केवल 25 हजार रुपये से ज्यादा नहीं मिल पाता है। इस छोटी सी राशि से कुछ होने वाला नहीं है। यदि उसे मैडिकल सहायता देनी ही है तो मैडिकल बिल पूरा का पूरा दिया जाना चाहिये। मोटे तौर पर एक आम आदमी, जो हम तय कर रहे हैं, निश्चित रूप से जब हमने बाबा साहेब अम्बेडकर स्वास्थ्य योजना शुरू की थी तो उसकी जानकारी संसद सदस्यों तक पहुंचाने का काम किया है लेकिन यह लोगों तक पहुंच जाये और उसका लाभ उठाने के लिये जो कुछ करने की जरूरत हो, करना चाहिये। गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों और कमजोर वर्गों के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में हमें रियायत देनी होगी। इसके लिये हम लोगों को बेसिक हैल्थ सैंटर्स स्थापित करने चाहिये जिससे आम पब्लिक को मैडिकल सहायता उपलब्ध हो सके। इसे मिनिमम तो करना ही चाहिये। इन सब के लिये उसे 1000 करोड़ रुपये की जरूरत होने वाली है। मेरा प्रश्न है कि यह 1000 करोड़ रुपया कहां से आयेगा? इसके लिये सरकार क्या उपाय करने वाली है? इसके लिये राज्य सरकारों से कहा जाना चाहिये कि क्या वह अनुदान देने वाली हैं जो 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के अनुपात में होगा। राज्य सरकारें मोबाइल अस्पताल चलायें। इसके चलने की स्थिति में सुधार होना चाहिये। गांव में रहने के लिये किसी प्रकार का मकान नहीं है, परिवेश नहीं है। उसके बच्चे पढ़ना चाहें तो सुविधा नहीं है। अगर डाक्टर है तो वह भी अपने बच्चों को डाक्टर बनाना चाहेगा तो उसके लिये सुविधा नहीं है। अगर मोटे तौर पर इन सारी परिस्थितियों पर सर्वांगीण विचार करके कोई योजना बनायी जाये तो हम बना सकते हैं। अगर टुकड़े-टुकड़े में हम लोग करेंगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मुश्किल होगी। ऐसे पिछड़े और दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधायें पहुंचाने का काम करना चाहिये। ऐसे क्षेत्र इन सुविधाओं से वंचित हैं, और लोग मजबूरी में रह रहे हैं। गन्दी बस्ती कोई नहीं होती, लेकिन जो रह रहे हैं, उनकी मजबूरी है। यह हर शहर में मिलती है। आज देखिये दिल्ली में भी कई ऐसी बस्तियां हैं। मैट्रोपैलिटन सिटीज में लोग रोजगार के लिये आ रहे हैं, इसलिये यह संख्या बढ़ती जा रही है। उन्हें सिर छुपाने के लिये जगह नहीं मिलती। इसलिये इन लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये हम चाहेंगे कि प्रारम्भ से लेकर अंत तक अर्थात् बच्ची के विकास के लिये मां का विकसित होना जरूरी है। एक अच्छी मां एक अच्छी बच्ची को जन्म दे सकती है, एक अच्छी महिला अच्छे शिक्षण के बारे में सजग रह सकती है। वहां से शुरूआत करके कि कहीं बच्ची को कोई बीमारी तो नहीं, पोलियो तो नहीं, आज कल जो नाना प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, उससे निदान का क्या उपाय

[डा. सत्यनारायण जटिया]

हो सकता है, उसके लिये एक अभियान चलाना चाहिये। क्योंकि जो आजादी हमें मिल गई है, यह हमारी एक बड़ी शक्ति है और संयोग की बात यह है कि आज हम 47वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, हमारा जो संविधान बना है, निश्चित रूप से कल 26 नवम्बर, 1949 को इसके आत्मार्पित होने का काम हुआ है और उसमें कहा गया है-

हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को, यानी हम किसी भी नागरिक को नहीं छोड़ेंगे, प्रत्येक नागरिक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्‌द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

अब इसमें जो कहा गया है कि हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम स्वयं इस संविधान को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई विभेद किसी के साथ नहीं होगा। इसलिए किसी के साथ कोई विभेद न हो, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि मनुष्य को उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ उपाय करने के लिए जो-जो भी सुविधाएं हम उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं, सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उन्हें उपलब्ध कराने के उपाय करें तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आज इस अवसर पर मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि श्री रेड्डी जी जो प्रस्ताव सदन में लाये हैं, उसमें किस तरह से दुर्गम क्षेत्रों और ऐसे क्षेत्रों में जहां इंसानी जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, वहां स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएं।

सभापति महोदय, अभी मध्य प्रदेश राज्य में हमने दीनदयाल चिकित्सा योजना की शुरुआत की है। उसमें अनुसूचित जाति और गरीब लोगों के लिए चिकित्सा की सुविधा देने का काम शुरू किया गया है। ऐसी अन्यान्य योजनाओं के माध्यम से हमें लोगों को सहायता पहुंचाने का काम करना चाहिए। इसलिए आज इस अवसर पर मैं आपके प्रति धन्यवाद देना चाहूंगा और इस उम्मीद के साथ यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा-

सर्वे भवन्तु सुखिन्, सर्वे सन्तु निरामया,

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद दुख भाग्भवेत।

सभी सुखी हों, सभी निरोग, कोई न पावे दुख शोक। इस विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें आगे आकर जिन लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंची है, उन तक ये सुविधाएं पहुंचाई जाएं। जो लोग अपने सामान्य अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, यदि उन लोगों तक इस सहायता को पहुंचाने का काम करेंगे तो जरूर उन लोगों का कल्याण होगा। इसलिए जो प्रस्ताव सदन में आया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री ए.के.एस. विजयन** (नागापट्टिनम) : *माननीय सभापति महोदय, आरम्भ में मैं बताना चाहता हूं कि रोटी, कपड़ा और मकान लोगों की मुख्य आवश्यकता है। इनके साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा सुविधाएं आधुनिक युग में आवश्यक वस्तुएं बन गई हैं। अब मैं संविधान संशोधन विधेयक पर अपने विचार रखूंगा जिसमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता पर बल दिया गया है। मैं अध्यक्ष पीठ को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने द्रविड मुनेत्र कषगम की ओर से मुझे इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात हमने गणराज्य की स्थापना की है। हम स्वयं अपने शासक बन गए हैं। हमने संविधान बनाया है और उसके अनुरूप शासन चलाया जाता है। संविधान में सरकार और इसके नागरिकों दोनों के कर्त्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य सभी व्यक्तियों को जन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। उसी संविधान में कर्त्तव्यों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि स्वास्थ्य सेवा राज्य सूची में आती हैं। यद्यपि इसे राज्य सरकारों को सौंपा गया है कई राज्य सरकारें इस में बुरी तरह से असफल रही हैं। यही एक कारण है कि हमारे सम्माननीय मित्र श्री एस. सुधाकर रेड्डी ने संविधान में नए अनुच्छेद 47क का अंतःस्थापन करने के लिए इस संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया हैं।

कई गांवों में देखा गया है कि डाक्टर गांवों में नहीं रहते। कई गांवों में तो हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक नहीं दिखाई देते हैं। अन्य गांवों में यदि डाक्टर और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दिखाई देते हैं तो

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

वहां पर्याप्त औषधियां और कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते हैं। यह शोचनीय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के छह दशकों के बाद भी बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विकसित नहीं किया गया है। इसमें वाणिज्यिक मानसिकता वाले लोगों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों की संख्या में तेजी मे वृद्धि हुई है। ये जनता का खून चूस रहे है। इसका दण्ड उन लोगों को मरना पड़ रहा है जो उनकी अधिक फीस नहीं दे पातें है। वह झोला छाप डाक्टरों के पास जाते है और उन्हे अपनी जान की कीमत चुकाकर इलाज कराना पड़ता है यह एक समाजिक समस्या है। हमें इसका निदान करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों दोनों में रहने वाले गरीबों का पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक, जिसपर अभी हम विचार कर रहे हैं, में भी सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस विधेयक में कहा गया है कि प्रत्येक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं अवश्य प्रदान की जाएं और उसमें पर्याप्त कर्मचारी और प्रशिक्षित डाक्टर तथा औषधियां होनी चाहिए। इस विधेयक में इस बात पर बल दिया गया है कि यह सब प्रदान करना सरकार का मूलभूत दायित्व होना चाहिए। श्री सुधाकर रेड्डी के विधेयक में इसी मांग पर बल दिया गया हैं।

संघ सरकार कई योजनाएं और कार्यक्रम बनाती हैं। इसमें दूरदर्शिता है इसमें दिल और दिमाग भी है लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। इसके साथ-साथ हम देखते है कि कई राज्य सरकारें अपने कर्तव्य के प्रति काफी लापरवाह है। कई राज्यों में तो हमें देखने को मिलता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में रिक्त पद कई दशकों से भरे नही गए हैं। न तो प्रशिक्षित डाक्टर है, नहीं प्रशिक्षित नर्सें है और यहां तक कि आवश्यक औषधियां भी उपलब्ध नही है। अधिकतम समय महत्वपूर्ण टीके तक उपलब्ध नही होते है। अब रेबिज वेक्सिनों की भी कमी हो गई है। तमिलनाडु में हमें यही शोचनीय दशा देखने को मिली है। अत: तमिलनाडु को कार्यनिष्पादन के इस क्षेत्र में पिछड़े हुए राज्यों की सूची में सम्मिलित किया जाता है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सुनामी आई थी। गांवों का पुनर्निर्माण करते हुए वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित किया जाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 में कहा गया है कि महिलाओं को, विशेषकर जब वह गर्भवती हों, पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात देखभाल आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान आवधिक चिकित्सीय जांच आवश्यक है क्योंकि स्वस्थ नागरिक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जब हमारे नेता डा. कालिंगनार सत्ता में थे तो उन्होंने सरकार के माध्यम से आवश्यक चिकित्सा राहत और वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ऐसे नियमों को बनाती है जिसमें गर्भवती महिलाओं को उचित प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवा और औषधियां प्रदान की जा सके। समाज के गरीबों और दलित वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं और यह हमारे लिए एक चुनौती है।

दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान मात्र 23,096 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। इसमें से अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों के रखरखाव के लिए 12,069 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। जब हम सकल घरेलू उत्पाद और वितरण प्रतिशत को देखते है तो स्वास्थ्य मंत्रालय को आवंटित किया गया धन बहुत कम लगता है। डा. अबुंमणि रामदास, हमारे स्वास्थ्य मंत्री तमिलनाडु से हैं उनके हाथ मजबूत करने के लिए हमें उन्हे अतिरिक्त धन देना चाहिए ताकि वह स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ कर सकें। मैं अध्यक्षपीठ के साथ-साथ अपने सम्माननीय सहयोगी श्री सुधाकर रेड्डी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण (बाढ़) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री सुधाकर रेड्डी का आभार प्रकट करता हूं कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक उन्होंने सदन में प्रस्तुत किया। आजादी के इतने वर्षों बाद इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी है। यह बात सही है कि हमारे देश में आजादी के बाद कई क्षेत्रों में प्रगति हुई है, लेकिन केन्द्र और राज्यों के स्तर पर जो प्रगति और जागरूकता शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आनी चाहिए थी, वह नहीं आ पाई, चाहे किसी का राज रहा हो। आज आजादी के इतने वर्षों बाद हम इस देश में बहस कर रहे हैं कि प्रत्येक गांव में एक अस्पताल सुसज्जित हो। इससे शर्मनाक बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। जो लोग आज सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं और जो नीतियां बनाने का काम करते हैं, व्यवस्थापिका सभाओं में रहते हैं, उनके लिए यह बड़ी भारी चुनौती है कि वर्षों बाद आज हम इस विषय पर बहस कर रहे हैं। सम्यक विकास की बात दीक्षित जी तथा कई आदरणीय साथियों ने की है कि इनफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सड़क, पानी और बिजली आदि की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। उसी से जुड़ा हुआ स्वास्थ्य है। किसी गांव में सड़क

[श्री विजय कृष्ण]

नहीं है, पीने का पानी शुद्ध नहीं है, बिजली भी नहीं है। अगर वहां स्वास्थ्य का काम करना भी चाहेंगे तो पूरे संसाधन मौजूद नहीं हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाकों में जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और इसके नीचे एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र तथा स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। इनमें सप्ताह में दो दिन भी डाक्टर्स के जाने की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ प्रशिक्षित दाई और कम्पाउंडर वहां रहते हैं। किसी-किसी जगह पर सप्ताह में तीन दिन डाक्टर जाते हैं, लेकिन जरूरी सामान के अभाव में वे भी सही ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। ब्लाक स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायत स्तर पर भी कुछ नहीं किया गया है। कुछ क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है, लेकिन गांवों में झोलाछाप डाक्टर अभी भी बैठे हैं। स्वास्थ्य केंद्र गांवों में भी होने चाहिए, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर और डाक्टर बनाना चाहते हैं। आज गांवों में डाक्टर्स के रहने के लिए भवन नहीं है। कहीं जाने के लिए रास्ता नहीं है और कई गांवों में रहने का वातावरण ठीक नहीं है। कोई डाक्टर वहां नहीं रहना चाहेगा। मैं उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश के हजारों गांवों के बारे में जानता हूं और बिहार के बारे में तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। एक डाक्टर ने कहा कि मेरा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। आप मुझे सस्पेंड ही तो करा सकते हैं। मैं बाद में फिर से बहाल हो जाऊंगा। नीचे की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए हम जितना खर्च कर रहे हैं, उसका सही उपयोग होना चाहिए। बुनियादी तौर पर यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बीहड़ इलाकों में जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों के अंदर पहुंचना मुश्किल है, इन क्षेत्रों में यह काम किसी तरह से करना चाहिए। वहां डाक्टरों के रहने की व्यवस्था, वहां सड़कों की सुविधा है या नहीं और सामयिक विकास की दिशा में ज्यादा ध्यान देना होगा। इन बीहड़ इलाकों में गर्भवती महिलाएं प्रसव वेदना से छटपटाती रहती हैं, रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं लेकिन रास्ता सही न होने के कारण तथा दूसरी सुविधाएं समय पर न मिलने के कारण ब्लाक के स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। इन लोगों को सामान्य सुविधाएं तक नहीं मिल पाती हैं। सामान्य बीमारी के समय और प्राकृतिक हादसे के समय ये केन्द्र ज्यादा मजबूती से काम कर सकते हैं। इन सेवाओं से स्वास्थ्य केंद्रों को ज्यादा से ज्यादा सुसज्जित करना चाहिए।

बाढ़ के समय डायरिया और कोलेरा बड़े पैमाने पर फैलता है। पीने के खराब पानी के बारे में अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे कि 15 से 20 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। आने-जाने की कोई सवारी नहीं होती और कहीं-कहीं तो सड़कें भी नहीं हैं। कहीं नाव से भी जाना पड़ता है। डायरिया, कोलेरा तथा प्रसव से छटपटाती महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने के लिए समुचित प्रबंध होना चाहिए। इन बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने हेतु हमें ध्यान देना चाहिए। आपने जो निचली इकाई बना रखी है, जो उप-स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर कुछ नहीं है। वहां सिर्फ एक प्रशिक्षित दाई और एक कम्पाउंडर होता है। दवाई की कोई व्यवस्था वहां नहीं है।

महोदय, वहां कुछ नहीं है न दवा है और स्वास्थ्य के नाम पर न कोई और सुविधा। स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत उत्साह के साथ काम कर रहे हैं और कई क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है, जैसे-कुष्ठ रोग की समाप्ति, एड्स के प्रति जागरूकता तथा काला-अजार से होने वाली मौतों में कमी आदि। मैं अच्छे कामों की सराहना करता हूं, लेकिन एड्स के प्रति जागरुकता के नाम पर वॉलंट्री आर्गेनाइजेशन बहुत पैसा लूट रही हैं। स्वास्थ्य विभाग, एड्स जागरुकता के नाम पर पैसों की लूट का अड्डाबना हुआ है। कोई भी वालंट्री आर्गेनाइजेशन आए, दर्ख्वास्त दे, उसे धन आबंटित कर दिया जाता है और वह पैसा लूटकर चली जाती है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री जी को इस विषय में सावधानी भी बरतनी चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में वॉलंट्री आर्गेनाइजेशन ने स्वास्थ्य के नाम पर, स्वास्थ्य विभाग को लूट का अड्डा बना रखा है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि यदि इतना पैसा ग्रामीण क्षेत्रों में साधारण ऑपरेशन की व्यवस्था करने पर, वहां डॉक्टर मौजूद रहें, दवाएं उपलब्ध रहें, इस पर व्यय कर दें और ये सब काम कर दिए जाएं, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए चिकित्सा के मामले में बहुत बड़ा काम होगा।

महोदय, हमें संविधान ने जीने का अधिकार दिया है। इस सरकार को नागरिकों से जीने का अधिकार छीनने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आप गांवों में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध न करा के, देश लोगों को, जीने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। आप देश की जनता को जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। चिकित्सा की व्यवस्था करना आपका दायित्व है। इसमें देश के लोगों का कोई कसूर नहीं है। इसलिए आपको इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में, नीचे की इकाइयों में सिकित्सा की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए।

महोदय, देश में आयुर्वेद एवं होम्योपैथ पद्धति से चिकित्सा की नीचे की इकाइयों में कोई व्यवस्था नहीं है। अभी शैलेन्द्र सिंह जी ने स्वास्थ्य रक्षक सेवकों की बात कही। आयुर्वेद एवं होम्योपैथ की

व्यवस्था बड़े-बड़े अस्पतालों में तो ठीक है। बड़े अस्पतालों के स्तर पर दोनों की अलग-अलग चिकित्सा की व्यवस्था है, लेकिन यह सुविधा केवल विशेषज्ञ स्तर पर है। ऐसी व्यवस्था नीचे की इकाइयों में भी हो, जहां मरीज आयुर्वेद एवं होम्योपैथ पद्धति से चिकित्सा करा सकें। हम अभी तक छोटी यूनिटों में इन दोनों पद्धतियों से चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। इसलिए इस दिशा में काम करना है और हमें देखना है कि हम छोटी यूनिटों में इन पद्धतियों से चिकित्सा की कितनी व्यवस्था कर सकते हैं। ये सब बातें बहुत जरूरी हैं और हमें इप पर ध्यान देना चाहिए।

महोदय, आज आदमी अपनी औसत उम्र भी नहीं जी रहा है। चिकित्सा के अभाव में लोग रोज कुत्ते-बिल्ली की तरह मर रहे हैं। देश के नागरिकों के लिए औसत उम्र जीने के लिए जो स्थितियां होनी चाहिए, वे नहीं हैं, जबकि इसके लिए सरकार का सांवैधानिक दायित्व है। रोजाना लोग मर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में इन मरने वाले आदमियों को जिंदा रखने हेतु क्या उपाय है? आजादी के इतने वर्षों के बाद, देश में इतने वर्षों में चाहे किसी भी पार्टी की सरकारें रही हों, आज तक हम आदमी को स्वस्थ जीवन का अधिकार नहीं दे सके हैं। हम केवल थीसिस और एंटी थीसिस की बात करते हैं। हम गांधी जी के अनुसार अंतिम व्यक्ति को जो सुविधा देना चाहते हैं, वह आज तक नहीं दे सके हैं। आज गांधी जी के कहे अनुसार समाज के अंतिम व्यक्ति को हम सुख-सुविधाएं नहीं पहुंचा सके हैं। आज समाज का अंतिम व्यक्ति कराह रहा है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे स्वास्थ्य केन्द्र, एडीशनल स्वास्थ्य केन्द्र और उप स्वास्थ्य केन्द्रों को दुरुस्त किया जाना चाहिए ताकि रोज-रोज की कठिनाइयों से लोगों को निजात मिल सके और प्रसव सुविधा के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं न मर सकें।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

[अनुवाद]

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी) : महोदय, मैं अपने मित्र द्वारा प्रस्तुत संविधान में एक नये अनुच्छेद 47क को जोड़ने संबंधी संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

संविधान का अनुच्छेद 47 देश के नागरिकों को कुछ हद तक स्वास्थ्य की गारंटी देता है। हमें स्वतंत्र हुए 55 वर्षों से ज्यादा हो गए। फिर भी मेरे क्षेत्र में इस सम्बंध में कोई सुधार नजर नहीं आता। इसलिए देश में स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तथा सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि वह संविधान के अनुरूप कुछ करें, यह संशोधन जरूरी है।

वर्तमान में अपने देश में अस्पतालों की हालत बहुत ही खराब है। वहां पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं है और दवाइयां उपलब्ध नही होती है। महत्वपूर्ण दवाइयों की आपूर्ति की कमी है। इसलिए इस क्षेत्र में निजी क्षेत्रों के लिए काम करने मे बहुत ही अच्छा अवसर है। बड़ी संख्या में निजी अस्पताल खुल रहे है। लेकिन स्थिति यह है कि निजी अस्पताल लोगों का शोषण कर रहे है। यहां तक कि गरीब और निरक्षर लोग भी निजी अस्पतालों में जा रहे हैं लेकिन उनका शोषण सबसे ज्यादा हो रहा है। इसलिए अपने देश में अच्छे सरकारी अस्पताल खोलकर निजी अस्पतालों द्वारा इस प्रकार के शोषण को रोका जाना चाहिए। जब हम गांवो में जाते हैं तब हम पाते है कि वहां स्थिति बहुत ही दयनीय हैं। गांवों तथा पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की स्थिति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वास्थ्य संबंधी उचित देखभाल के अभाव में वे सबसे ज्यादा कष्ट का सामना कर रहे हैं। अन्य राज्यों की तुलना में केरल की स्थिति कुछ बेहतर हैं। लेकिन केरल में भी केवल खंड स्तर पर ही एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। और सभी गांवो में ऐसे केन्द्र नहीं है। सात या आठ गांवो को मिलाकर एक खंड बनता है। खंड स्तर पर केवल एक प्राथमिक केन्द्र है। आम लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए यह बहुत ही अपर्याप्त है। अभी तक केरल में स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिए, मेरा नम्र निवेदन है कि आम लोगों की हितों की रक्षा हेतु स्वास्थ्य क्षेत्र में हम कुछ करें।

माननीय मंत्री ने 2005 के बजट-सत्र के दौरान कहा था कि आम लोगों को स्वास्थ्य संबंधी देख-भाल के लिए एक समेकित सेवा उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य देख भाल कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अनुमोदन किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि उस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए गए हैं। इस कार्यक्रम को बिना किसी विलंम्व के जोरदार ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य देख-भाल संबंधी सेवाएं मिल सकें। यदि इस संशोधन को मंजूरी मिल जाती है, तो इस क्षेत्र में कुछ करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाएगी। केवल एक संकल्प पारित कर देना या केवल एक अधिनियमन पर्याप्त नहीं है। यदि संविधान में संशोधन होता है तो सरकार के लिए कुछ करना अनिवार्य हो जाएगा। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि इस संशोधन को स्वीकृत किया जाए।

श्री ब्रह्मानन्द पंडा (जगतसिंह पुर) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री एस सुधाकर रेड्डी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। इस सभा में कहा जाता है कि हम गरीबों और दलितों के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले गरीब लोगों न्यूनतम स्वास्थ्य की सुविधाओं से भी वंचित है। मैं उड़ीसा राज्य का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां जनजातीय और आंतरिक भागों में रहने वाले लोग दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। उन्हें कभी भी स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी सुविधायें उपलब्ध नही होती जोकि भारतीय संविधान के अंतर्गत दी गई न्यूनतम सुविधा है। मेरा नम्र निवेदन है कि यह ऐसा राज्य है जहां की आबादी 47.13 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। राज्य की अधिकांश आबादी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का है। कोरापुर के भीतरी भागों मृत्यु-दर बहुत ज्यादा है। बच्चों की मृत्यु होने पर तथा कथित डाक्टर उसके कारणों का पता नहीं लगा पाते। अधिकांश क्षेत्रों में न तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द है नही सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में अस्पताल हैं लेकिन मरीजों की देख-भाल करने के लिए डाक्टर नहीं हैं।

अपराह्न 05.00 बजे

मैं राजनीति के क्षेत्र में नहीं था। पहली बार मैं राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया क्योंकि मैं एक अधिवक्ता था। एक बार जब मैं अपने चुनाव क्षेत्र से गुजर रहा था तो मैंने पाया कि ये डाक्टर गर्भवती महिलाओं की भी देखभाल नहीं कर रहे थे। पूछने पर मैंने पाया कि एक अस्पताल है लेकिन गर्भवती महिलाओं की देखभास के लिए वहां कोई डाक्टर नहीं है। हम गरीबों और दलितों की स्वास्थ्य की हालत में सुधार के सबंध में बड़ी-बड़ी बाते करते हैं, और यदि ये महिलाएं वास्तव में न्यमनतम सुविधाओं से भी वंचित हैं तो क्या ऐसी स्थिति में एक सम्पन्न भारत का सपना देखना हमारे लिए गर्व की बात हैं। क्या भारत के संविधान में दिए गए वचनों का वास्तव में पालन हो रहा है?

उस संबंध में मेरा नम्र निवेदन है कि यह देश की सबसे बड़ी पंचायत है जहां लोगों की बात वास्तविक समस्याओं को उठाया जाता है तथा उनको आवाज मिलती है। मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र जगतसिंह में भीषण-तूफान के बाद मैंने पाया कि कैंसर, सफेद दाग ह्दयाघात और मलेरिया के मामलों की संख्या आकाश छू रही थी। उपचार के लिए सुविधा एकदम अनुपलब्ध थी। इरसामा, कोकतपुर, और बामीकुडा जैसे आंतरिक भागों में, जो समुद्री क्षेत्र के बहुत नजदीक हैं, लोगों को मिली अस्पताल में उपचार कराने के लिए लगभग 50 कि.मी. चलना पड़ता है। उन क्षेत्रों में पहुंचना वास्तव में असंभव है। ऐसी परिस्थितियों में, महोदब, मेरा नम्र निवेदन है कि जब तक उन क्षेत्रों में चल स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध नही करायी जाएंगी तब तक उन लोगों के लिए मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करना कठिन होगा। उड़ीसा भाषा मे एक कहावत है, "स्वास्थ्य ही संम्पदा है।" लेकिन हम पाते है कि लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति कभी नहीं होती है।

इस संबंध में इस सभा के समक्ष मैं बताना चाहूंगा कि गरीबों में निर्धनतम लोगों की उपेक्षा की जा रही है। इसलिए, मैं नम्र निवेदन करता हूं कि उन स्वास्थ्य केन्द्रों में पर्याप्त निधियां पर्याप्त प्रशिक्षण केन्द्रों, चल सुविधाओं और डाक्टरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। वास्तव में मरीजों की देख-रेख के लिए वहां एक डाक्टर होना चाहिए। आजकल एक नारा प्रचलित है कि हम सभी गरीबों और दलितों की सेवा के लिए हैं। लेकिन मैं पाता हूं कि केवल सम्पन्न लोग ही नर्सिंग होम में जाकर उन सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। डाक्टर निजी प्रेक्टीश में लगे हुए हैं। वे कभी भी गरीब रोगियों का इलाज नहीं करते। दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं। उपचार की कोई सुविधा नहीं है। मान लीजिए कि एक रोगी मधुमेह से पीड़ित है जिसका इलाज बहुत ही मंहगा है और वह विभिन्न प्रकार की जांच नहीं करा सकता। इन सुविधाओं के लिए वह किसी प्रयोगशाला में नहीं जा सकता। मैं एक ऐसे गांव में गया हूं जहां मैंने पाया कि एक गरीब व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित था और स्थानीय डाक्टर ने उसका इलाज नहीं किया। मेरे हस्तक्षेप के बाद, जब मैने इस मामले को जिला समाहर्ता और स्थानीय तहसीलदार की जानकारी में लाया, तो डाक्टर ने उसका इलाज किया और उसका कुछ न्यूनतम उपचार किया गया जिसके चलते वह ठीक हो गया। इसलिए इस संदर्भ में, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि चूंकि उड़ीसा बहुत ही पिछड़ा राज्य है और वहां अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे है, इसलिए, वहां स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हाल ही में, नवरंग पुर क्षेत्र में कई समाचार पत्रों एवं मीडिया में यह खबर आई है कि परिवार नियोजन आपरेशन असफल रहा है। यद्यपि परिवार नियोजन आपरेशन दो बार किया गया फिर भी यह असफल रहा। इसलिए यदि ऐसा हमारे देश के प्रजातांत्रिक ढांचे में हो रहा है जब कि हम सभी एक सम्पन्न भारत के निर्माण के लिए चिंतित हैं, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, कि एक सम्पन्न भारत का सपना तभी पूरा होगा यदि गरीबो और दलितों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जहां तक उड़ीसा राज्य का संबंध हे, और चूंकि वहां मलेरिया के कारण मृत्यु-दर बहुत अधिक है, राज्य के लोगों के लिए यह एक

निरंतर बने रहने वाला खतरा हो गया है। मुझे वास्तव में पता नहीं कि इस प्रकार की भयानक स्थिति से उबरने के लिए भारत सरकार ने कौन-कौन से ठोस कदम उठा रही है। ऐसी परिस्थियों में इस सभा तथा माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी यह अपील करना चाहूंगा स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष सहायता दी जानी चाहिए। जब तक इसे प्राथमिकता नहीं दी जाती है, जब तक भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त न्यूनतम जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता तब तक हमारे सपने वास्तव में पूरा नहीं होगा तथा गरीबों और दलितों को लाभ नहीं मिल पायेगा।

इन्ही शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति जी, माननीय सदस्य श्री सुधाकर रेड्डी जी ने जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है, मैं उसका प्रिंसीपली समर्थन करता हूं। यह कहना कि पूरे देश के अंदर पचास सालों में इस विषय पर कोई काम नहीं हुआ है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत से काम होने अभी बाकी हैं। जो काम बाकी हैं, उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं उसके लिए हमको सोच-विचार करके काम करना है। संविधान संशोधन करने से यह समस्या हल हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। अभी जितने प्राइमरी हेल्थ सैन्टर्स हैं, वे केन्द्र सरकार की स्कीम्स के अंतर्गत हैं, जिन्हें राज्य सरकार लागू करती है। स्वास्थ्य राज्य का विषय है और केन्द्र का भी विषय है। अलग-अलग बीमारी में अलग-अलग तरह के मिशन बनाकर, अलग-अलग कार्यक्रम बनाकर हम उसके निवारण की कोशिश करते हैं। यदि इस दृष्टि से देखें, तो नेशनल हेल्थ पालिसी को रिव्यू करने की आवश्यकता है। जितनी जल्दी यह रिव्यू हो सके उतना ही अच्छा होगा। इसमें हम "हेल्थ फार आल" को किस तरह से कार्यान्वित कर सकते हैं, इस बात को देखते हुए हमें विचार करना होगा। हमारे मंत्री जी योग्य हैं और काम भी करना चाहते हैं। इन्हें सब कुछ मालूम है।

अपराह्न 5.09 बजे

[श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन हुए*]

मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। मैं उनको यह बताना चाहता हूं आज देश में प्राइमरी हेल्थ सैन्टर्स की क्या हालत है? वहां एक डाक्टर और नर्स हैं, जबकि वहां कम से कम आठ नर्स होनी चाहिए। वहां स्टाफ पर्याप्त मात्रा में नहीं है। एक सैन्टर पर कम से कम तीन-चार सौ मरीज आता है, लेकिन वहां एक ही डाक्टर होता है। इस तरह से जो कमी है, उस कमी को दूर करने की आवश्यकता है। किन-किन चीजों की कमी है, उनको देखने की आवश्यकता है। यदि सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना चाहते हैं तो हमें इस कमी को दूर करना होगा, नहीं तो यह समस्या दूर नहीं हो सकती है।

दूसरी बात, एक शिकायत है कि दवाइयां नहीं हैं। हम केन्द्र शासित इलाके से आते हैं। हमारे यहां ज्यादा शिकायत नहीं है लेकिन बाकी प्रदेशों में बहुत ज्यादा शिकायत है कि वहां दवाइयां नहीं हैं। हमें भी सीजीएचएस की सुविधा प्राप्त है। ऐसा कहा जाता है कि यहां सस्ती दवाइयां हैं, जो ठीक नहीं हैं, आप खरीद लें तो वे अच्छी हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, मंत्री जी इसकी जांच करवाकर देखें। यदि इसमें कोई सच्चाई है, तो उसे ठीक किया जाए।

नेशनल इलनेस फण्ड, जो बीपीएल के लोगों के लिए, जिन्हें बड़ी बीमारी होने पर स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए सहायता मिलती है, उसकी रकम इतनी कम है कि उससे कुछ नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप बिलो पावरटी लाइन के लोगों को सुविधा देना चाहते हैं तो फण्ड एलोकेशन को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे आने वाले समय में उनको लाभ हो।

केन्द्र और राज्यों के एक साथ बैठने की जरूरत है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आप जो पैसा देते हैं, वह कहीं-कहीं खर्च नहीं हो पाता है। ऐसा सुनने में आता है कि किसी-किसी जगह विकास के काम में पैसा खर्च नहीं होता और वापस आ जाता है। मैंने यह भी सुना है कि इस बारे में जांच करने के लिए एक कैबिनेट कमेटी बनी है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि जहां हम तीस करोड़ की आबादी से एक सौ दस करोड़ की आबादी तक पहुंच गए हैं, हमारे साथी ने जनसंख्या पालिसी के संबंध में कहा है, यह बात बिलकुल सही है कि आज इस देश में जितनी जनसंख्या है, उसके जरिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है। माननीय सदस्यगण इस विधेयक के लिए प्रदान किया गया अतिरिक्त समय पूरा हो चुका है। अभी इस विधेयक पर आठ लोगों को बोलना है। यदि सभा सहमत हो तो इस विधेयक के लिए समय में एक घंटे की वृद्धि कर दी जाए।

श्री के.एस. राव (एलूरू) : इस विधेयक के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया जाए।

सभापति महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त : मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पहला काम कन्सालिडेशन का होना चाहिए। जहां काम में डिफेक्ट है, स्टाफ की कमी है, उसे पूरा करने की जरूरत है। कई जगहों पर सब-सैन्टर्स नहीं हैं। अगर उन जगहों पर स्टाफ को थोड़ा स्ट्रेन्दन किया जाए तो इससे भी लाभ होगा। हमारे देश में पैसे वाले लोगों के लिए इलाज की कमी नहीं है, इलाज की कमी गांव में रहने वाले गरीब तबकों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए है। अगर इस स्थिति को सही करना चाहते हैं तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जितना जल्दी संभव हो, सभी स्वास्थ्य मंत्रियों की एक मीटिंग बुलाएं और नयी हेल्थ पालिसी लाएं। इसमें हम हेल्थ फार आल भी कर सकते हैं।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि गरीब तबके के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पालिसी बनायी जाए। अगर हर जगह 50 हजार रुपये तक की हेल्थ इंश्योरेंस रहेगी तो उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा होगी। हेल्थ ऐश्योरेंस करने से उन्हें लाभ हो सकता है। मैं एक ही बात कहकर समाप्त करूंगा क्योंकि मुझे बहुत अधिक बातें नहीं कहनी हैं। जो दूर-दराज के इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके हैं, नार्थ ईस्ट, अंडमान और लक्षद्वीप आदि के इलाके हैं, वहां मेडिकल स्पेशलाइज्ड ट्रीटमैंट का कोई अरेंजमैंट नहीं है। एक-एक आदमी को इलाज के लिए 25-50 हजार रुपये लेकर चेन्नई, हैदराबाद या कोलकाता जाना पड़ता है। यह बहुत मुश्किल की बात है। इन सब दूर-दराज के इलाकों में आपको इलाज के लिए स्पेशल बंदोबस्त करना चाहिए क्योंकि सामाजिक न्याय तभी होगा जब सब इलाकों के लोगों की देखभाल सही ढंग से होगी। मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : सभापति महोदय, प्राथमिक चिकित्सा संबंधी बिल, जो रेड्डी जी द्वारा पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। पहले जमाने में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय चलता था जिसमें चिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमा डिग्री दी जाती थी। वह कोर्स तीन वर्ष का था लेकिन आज उस कोर्स को बंद कर दिया गया है। मेरा कहना है कि इस कोर्स को पुन: लागू किया जाये क्योंकि ग्रामीण विकास में ऐसे कार्यक्रम नहीं होने से आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डाक्टर वहां नहीं रहते। पहले गांव में वैद्य नाड़ी देखकर लोगों का इलाज करते थे। छोटी-मोटी बीमारियां, जैसे चोट लगाना, पेट फूलना या आंख में कुछ पड़ जाना आदि के लिए वे दवाई देते थे तो लोग ठीक हो जाते थे। वहां के लोग सुई नहीं लगाते थे। गांव में आयुर्वेदिक चिकित्सा को मान्यता दी जाती थी लेकिन आज वह मान्यता समाप्त हो गयी है। हमारा कहना है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा को पुन: मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता है। आज जो बीआईएमएस या एमबीबीएस डाक्टर्स हैं, वे सुई लगा देते हैं या बोतल चढ़ा देते हैं। इससे कई कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। वहां डाक्टर्स तथा चिकित्सा के पर्याप्त उपकरण नहीं रहने से इलाज में कमी होती है। कभी-कभार कम्पाउंडर मरीज को गलत सुई लगा देता है जिससे मरीज सीरियस हो जाता है। इसी तरह गांवों में सीरियस बीमारी के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती।

गांव में प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता क्यों है, इसके उदाहरणस्वरूप मैं बताना चाहूंगा कि गांव में एक व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया लेकिन वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में न कुत्ते के इलाज का इंजेक्शन है और न ही फ्रिज है। वह व्यक्ति भौंकते-भौंकते हुए मर जाता है। इसी तरह किसी को सांप या बिच्छु ने काट लिया तो तात्कालिक इलाज न मिलने से उसका जहर उसके शरीर में फैल जाता है और जहर फैलने से वह आदमी मर जाता है। गांव में मलेरिया और फाइलेरिया की बीमारी भी होती है। गांव में फाइलेरिया की दवाई भी आवश्यक है। इसी तरह टीबी की बीमारी है। कई बीमारियों के लिए खून पेशाब के जांच की जरूरत है लेकिन उनकी जांच करने के लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं है। अगर गांव में पूरी तरह से प्राथमिक उपचार नहीं होगा, तो गांव के लोग क्या करेंगे? गांव में 10-20 किलोमीटर दूर तक रोड नहीं है। वहां आवागमन की सुविधा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास साइकिल है। शहरों में लोगों के पास मोटर साइकिल, जीप और कार वगैरह हैं, जिनमें जाकर लोग अपना इलाज कराते हैं लेकिन गांव में लोग ऐसे ही जाते हैं। अगर मरीज ज्यादा बीमार है तो उसे पलंग पर ले जाते हैं। प्रसव के समय महिला को कहीं ले जाने की व्यवस्था नहीं है। उस समय उसे नर्स की आवश्यकता होती है लेकिन वह भी वहां नहीं होती। गांव में दाई द्वारा प्रसव करवाया जाता है परन्तु कभी-कभी दाई के इलाज से महिला के शरीर में गड़बड़ी हो जाती है। इस तरह कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए शासन को उपाय करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में दवाइयां नगण्य होती हैं। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 50-100 गांव में होता है, जहां 10 या 15 हजार रुपये की दवाइयां होती हैं, जो साल भर के लिए होती हैं लेकिन वहां मरीज इतने होते हैं कि वे दवाइयां केवल एक महीने के लिए ही पर्याप्त होती हैं। वे लोग साल भर क्या करें? वहां जांच के लिए एक्सरे मशीनें नहीं हैं। अगर किसी की किडनी की जांच

करनी है तो जांच करने की मशीन नहीं है। इसी तरह किसी आदमी को टीबी है तो उसकी मशीन नहीं है। जब तक गांव में पूरी तरह प्राथमिक उपचार नहीं होगा, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक कुछ नहीं होगा। लोगों में बीमारियां बढ़ती ही रहेंगी। गांव में पीने के पानी की व्यवस्था है लेकिन वह पानी साफ नहीं है। गांव में कभी मलेरिया होता है तो कभी हैजे की शिकायत हो जाती है। गांव में तालाब है लेकिन तालाब में डालने के लिए दवाई की आवश्यकता है। गांवों में जो नलकूप लगे हुए हैं, उनमें भी समय-समय पर दवाई डालने की आवश्यकता है। गांवों में लोगों को छोटी-मोटी बीमारियां ज्यादा होती हैं जिनसे निपटने के लिए और उपचार के लिए गांव में डाक्टर्स, नर्स और कम्पाउंडर का होना आवश्यक है। गांवों के अस्पतालों में दवाइयों की मात्रा बढ़ाई जाए और पुरानी चिकित्सा पद्धति को लागू किया जाए। बीमारियों के उपचार के लिए अधिकतर लोग शहरों की ओर जाते हैं लेकिन हमारा निवेदन है कि गांवों में एलोपैथिक और होम्योपैथिक डाक्टर्स की जरूरत है लेकिन गांवों में ऐसे कोई डाक्टर्स नहीं हैं। एक गांव से दूसरे गांव के बीच में पांच कि.मी. तक के अन्तराल में आयुर्वेदिक डाक्टर होना चाहिए तथा छोटी जनसंख्या वाले गांव में दो कि.मी. या एक कि.मी. के अन्तराल पर डाक्टर का होना बहुत ही आवश्यक है जिससे ग्रामीण लोगों को बीमारियों के उपचार में किसी तरह की असुविधा न हो।

गांव में अधिकतर मेहनतकश लोग हैं, किसान लोग हैं और उन्हें ज्यादातर छोटी-मोटी बीमारियां होती हैं, चाहे वह खराब पानी पीने से हो या गांव में चूंकि ज्यादा अच्छा फल-फूल नहीं मिलता है, वे कई बार कम कीमत पर खराब फल-फूल खरीदकर खा लेते हैं जिससे उनको बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि वहां इस दिशा में उचित प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है। गांवों में लोग तम्बाकू इत्यादि खाते रहते हैं जिससे वे कई बार कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं। इस दिशा में भी गांव में एक शिक्षक की आवश्यकता है जो उनको इस बारे में समझाए। गांवों में पंचायत स्तर पर भी उनको इस बारे में बताया जाना चाहिए।

इसीलिए मेरा निवेदन है कि गांव में छोटी-छोटी बीमारियों को रोकने के लिए प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर ध्यान दे तथा इसके लिए अधिक बजट दे। पिछली बार सरकार ने इस बारे में कहा था। सरकार इसे जल्दी से जल्दी राज्य सरकारों को दे जिससे राज्य सरकार इसे लागू करें। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मेरे मित्र श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी एक नया अनुच्छेद लाने के लिए यह संविधान (संशोधन) विधेयक लाए हैं जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या का ध्यान रखा जाएगा। हम हमारे देश के प्रत्येक गांव में एक पूर्णतया सुसज्जित स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं।

महोदय, यदि हम वास्तव में इस बात को जानें कि अपनी स्वतन्त्रता के 58 वर्षों के पश्चात हम कहां खड़े हैं तो हमें इस विधेयक की महत्ता का पता लगेगा। अभी हमारे 94 प्रतिशत से अधिक चिकित्सक और 68.5 प्रतिशत अस्पताल शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। अतः, यह कैसी दुखद स्थिति है। 94 प्रतिशत चिकित्सा और 68.5 प्रतिशत अस्पताल शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। इसका अर्थ यह है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 27.8 प्रतिशत लोगों को अधिकांश चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 63 प्रतिशत लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या का बहुत छोटा सा अंश उपलब्ध है। इस संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करते समय हमें इस स्थिति को ध्यान में रखना होगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जिस प्रकार लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए कहा गया है अर्थात स्वास्थ्य के संबंध में अवसरों की समानता प्रदान करना, हमें उसी प्रकार की सेवा लोगों को देनी चाहिए। हम किस प्रकार के अवसर प्रदान कर रहे हैं? हम सभी को इस स्थिति को उलटने के लिए इसे बहुत गंभीरता से लेना होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि शहरी लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुखद जीवन जीना चाहिए। मेरा यह अर्थ नहीं है। शहरी लोगों को तो समुचित स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराई जानी ही चाहिए परंतु इसके साथ-साथ गांव के लोगों को भी समुचित स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस विधेयक का यही उद्देश्य है।

आज यह स्थिति है कि शायद ही उनका ध्यान रखा जाता है। उनकी स्थिति इतनी दुखद है। संभवतः यह कहना अधिक उचित होगा कि वे हमारे द्वारा निर्मित किए गए नर्क में रह रहे हैं। इस स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए। यह स्थिति बेहतर हो सकती है यदि हम इस विधेयक के प्रस्तावक द्वारा सुझाए गए उपायों को अपना लें। इसके पश्चात, संभवत्या मंत्री जी की ओर से यह पूछा जाएगा कि धन कहां है। सरकार अक्सर यही प्रश्न पूछती है। लेकिन आज वास्तविकता यह है कि हम अपनी स्वास्थ्य परिचर्या पर अपने सकल घरेलु उत्पाद का एक प्रतिशत से भी कम व्यय करते हैं। इसे और अधिक स्पष्ट

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

करते हुए हम अपने सकल घरेलु उत्पाद का केवल 0.98 प्रतिशत ही स्वास्थ्य परिचर्या पर व्यय करते है। क्या यह पर्याप्त है? हम इसे किस प्रकार औचित्यपूर्ण ठहरा सकते हैं?

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार सं.प्र.ग. सरकार इस परिस्थिति को बदलने का प्रयास करेगी। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह सुझाव दिया गया है कि 0.98 प्रतिशत व्यय किए जाने के स्थान पर हमें स्वास्थ्य परिचर्या पर तीन से चार प्रतिशत व्यय करना चाहिए। यदि सरकार इस प्रकार का उपाय करती है तो आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या सरकार यह कर रही है। मैं बहुत आश्वस्त नहीं हूं। वादे किए जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। मैं एक बहुत सुनिश्चित राजनैतिक इच्छाशक्ति पर आधारित कार्यवाही की मांग करता हूं। क्या यह संभव है?

अब, मेरे मित्र श्री हमजा द्वारा केरल के बारे में कही गई बात के मामले को लेते हैं। मैं उनकी बात में सुधार कर रहा हूं। केरल में यह स्थिति है कि प्रत्येक गांव प्रत्येक पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। प्रत्येक खण्ड में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। केरल में यह कैसे संभव है? यदि आप राज्यों की सूची लें और उनके संसाधनों को देखें तो पाएँगे कि केरल उतना सम्पन्न राज्य नहीं है। केरल निर्धनतम राज्यों में से एक है। जहां तक राज्यों की समृद्धि का संबंध है तो केरल उसमें बहुत निचले पायदान पर है। लेकिन केरल ने यह दिखाया है कि गरीब लोगों, गांव में रहने वाले लोगों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। इसके बाद, निश्चित रूप से उन्होंने यह निर्णय लिया और इसे क्रियान्वित किया। यह राज्य इस स्थिति में पहुंच गया है जहां सभी पंचायतों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिसमें एक चिकित्सक, नर्स, दाई और अन्य चिकित्सकीय कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। ऐसा क्यों है?

मेरा तात्पर्य अन्य राज्यों को कुछ गलत कहने का नहीं है। लेकिन जब केरल इसे हासिल करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर धन व्यय करता है, यदि आप आंकड़ों को लें तो आन्ध्र प्रदेश द्वारा व्यय किए गए धन से इसमें 10 गुना का अंतर है। मध्य प्रदेश द्वारा व्यय किए गए धन से इसमें 30 गुना का अंतर है। अत: राजनैतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। राजनैतिक इच्छाशक्ति तभी आ सकती है जब आप यह महसूस करें कि गांवों में रहने वाले लोग भी इसी देश के नागरिक हैं और उनके साथ भी अन्य नागरिकों की भांति ही व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत से मामलों में इसे महसूस नहीं किया जा रहा है। अब, इसे किस प्रकार हासिल किया जा सकता हे? यह प्रत्येक राज्य को निर्धारित करना है। यदि वे यह कहते हैं कि उनके पास धन नहीं है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि उनके पास संसाधन हैं। अन्य बहुत सी चीजों में करने के लिए संसाधन हैं।

बहुत सा धन वसूल किया जाना है परन्तु सरकार इसमें असफल रही है। यदि बड़ी कंपनियों पर बकाया कर की राशि को वसूल कर लिया जाता है तो वही हजारों-हजार करोड़ रुपये होगा। सरकार गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के आंकड़ों को नहीं सुनना चाहती। हम सभी यह जानते हैं कि बैंकों को धोखा देने वाले चूककर्ताओं को दिया गया एक अच्छा नाम है गैर-निष्पादनकारी आस्तियां। यह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है। यदि वे इसका एक हिस्सा भी वसूल कर सकें और इसे गरीब ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु निर्धारित कर दें तो संभवत: हम एक या दो कदम आगे बढ़ सकेंगे। अन्यथा, हम केवल - 'सब के लिए स्वास्थ्य' का नारा ही लगाते रह जाएँगे। मेरे विचार से केन्द्रीय मंत्री भी केवल यह नारा ही लगाते हैं कि सबके लिए 'स्वास्थ्य'। लेकिन ये केवल खाली शब्द ही रह जाएँगे, यदि इसके लिए कार्यवाही नहीं की गई तो यह केवल एक ऐसा स्वप्न ही रह जाएगा जो कभी पूरा नहीं होगा। श्री सुधाकर रेड्डी सरकार से यह चाहते हैं कि वह इस संशोधन को स्वीकार करे और ऐसी कार्यवाही करे जिससे इस देश के ग्रामीणों को किसी स्वतन्त्र देश की भांति ही एक बेहतर अवसर मिले और वे एक बेहतर जीवन तथा बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या व्यवस्था के प्रति आश्वस्त हो सकें। यदि इसे हासिल किया जा सका तो इस देश में जीवन बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। हम आज जिन समस्याओं को देखते हैं उनमें से बहुत सी नहीं रहेंगी। यह शोषण की दोहरी प्रकृति है। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि सभी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएँ केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सिमटी हुई हैं। यदि गांवों के लोग जो कि गरीब हैं, थोड़ी सी भी स्वास्थ्य परिचर्या हासिल करना चाहें तो उन्हें अधिक धन व्यय करना पड़ता है क्योंकि वहां आसपास कोई चिकित्सक या अस्पताल नहीं होता। उन्हें चिकित्सक तक पहुंचने के लिए एक न्यूनतम चिकित्सा हासिल करने के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है, जबकि शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य पर औसतन कम व्यय करना पड़ता है।

प्रत्येक लाख लोगों पर औसतन एक बिस्तर उपलब्ध है। अत: आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे इतने सारे लोग एक बिस्तर से ही काम चला पाएँगे। उन्हें निजीक्षेत्र के अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ेगा जिनके बारे में जो अमृत्य सेन, जो कि नोबल पुरस्कार विजेता

और भारत का गौरव हैं, ने सबसे अच्छी टिप्पणी की है। जब वे भारत में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य परिचर्या पर अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल और निजी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाएं फर्जी चिकित्सकों और धोखेबाजी के आधार पर चल रही हैं। मैं डा. अमृत्य सेन को उद्वत कर रहा हूं। अत: गांवों में रहने वाले लोगों को जो कि हमारी जनसंख्या का 68 प्रतिशत हैं, फर्जी चिकित्सक और धोखेबाजी मिल रही है। क्या इसे चलने दिया जा सकता है? उन्हें कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी? वे 58 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हमने भारत को एक गणतन्त्र घोषित किया था और जब प्रत्येक को अवसर की समानता प्रदान की गई थी। लेकिन अभी भी वे निजी क्षेत्र के अस्पतालों की महंगी चिकित्सा सेवा प्राप्त कर रहे हैं। जिन्हें प्रो. अमृत्य सेन ने फर्जी चिकित्सकों और धोखेबाजी की संस्थाएं बताया है। यह एक शर्मनाक स्थिति है। मुझे लगता है कि इस सभा के दोनों पक्ष इस शर्म की भावना के हिस्सेदार होंगे।

हम एक कदम उठाऐंगे और इस संशोधन को स्वीकार करेंगे तथा स्वयं को प्रतिबद्ध करेंगे। जब आप संविधान में एक नए अनुच्छेद को स्वीकार करेंगे तो यह एक बड़ी प्रतिबद्धता होगी। यह आपकी इस देश के लोगों के प्रति प्रतिबद्धता होगी; गणतन्त्र के 58 वर्षों के बाद आम लोगों को थोड़ी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने की प्रतिबद्धता।

महोदय, मैं इस संशोधन को स्वीकार करता हूं और मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान करने हेतु आपका आभारी हूं।

डा. पी.पी. कोया (लक्षद्वीप) : माननीय सभापति महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

यह विधेयक मेरे अथवा मेरे सहयोगी मंत्री, डा. अंबुमणि रामदास द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए था क्योंकि हमारे मेडिकल स्कूल के दौरान हमें स्वास्थ्य समस्या की गहराई के बारे में बताया गया था। हमने चिकित्सा शास्त्र के कुछ पहलुओं के बारे में सीखा और फिर हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैं अत्यधिक ग्रामीण परिवेश से आया हूं और चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, यह विधेयक हम में से एक को प्रस्तुत करना चाहिए था। मैं श्री सुखवरम सुधाकर रेड्डी को यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं जो संविधान की उद्देशिका में निर्धारित महत्वकांक्षा और सिद्धांत को पूरा करेगा।

संविधान में स्वास्थ्य को हमारे लक्ष्य और उद्देश्य का भाग घोषित किया गया था। हमें इसके प्रति जागरूक होने में 58 वर्ष का समय लगा लेकिन देर आए, दुरूस्त आए। इसलिए मैं श्री रेड्डी को धन्यवाद देता हूं। मैं पूर्णत: उनका समर्थन करता हूं।

नि:संदेह भारत एक महान देश है। अब तक भारत महाशक्ति बन गया होता। नि:संदेह, यदि गणना की जाए तो हम विश्व में दूसरे स्थान पर होंगे। उद्योग, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्रों में भी कोई देश भारत का आसानी से मुकाबला नहीं कर सकता है। हमें गर्व है कि हमारी समृद्ध विरासत और इतिहास है। विश्व के इस क्षेत्र अर्थात् हमारे देश में बहुत पहले चिकित्सा, चिकित्सीय उपचार तथा मेडिकल प्रैक्टिस विकसित हो जानी चाहिए थी। ईसा के पैदा होने से पहले भारत ही एक ऐसा देश था जहां चिकित्सा उपचार फल-फूल रहा था तथा सुश्रुत जैसे चिकित्सकों ने शल्यचिकित्सा की थी। हमारी आयुर्वेद तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियां, आधुनिक युग की कसौटी पर आज भी खरे उतरे हैं। हमें इस महान देश के नागरिक होने का नि:संदेह गर्व है। एलोपैथी शुरू होने से पहले भारत में मेडिकल प्रैक्टिस का इतिहास रहा है। इस देश की जनता को हमारी चिकित्सा शास्त्र की सेवाएं मिल रही थी। यदि आप भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, फिर वह कश्मीर हो अथवा कन्याकुमारी, आपको देसी दवाओं से इलाज करने वाले लोग मिल जाएंगे और वे सफल भी हो रहे है। इसलिए इन चिकित्सा पद्धतियों को तराशा जाना चाहिए था।

भारत ने बड़े पैमाने पर एलोपैथी चिकित्सा पद्धति अपनाई और इससे हमारे देश की पद्धति को आघात लगा। सरकार तथा इस महान देश के विचारशील लोगों के कारण अब हमने हमारी चिकित्सा पद्धतियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। हमारा 'आयुष' नामक एक विभाग है जो आयुर्वेद, योग, युनानी तथा सिद्ध पद्धतियों को देखता है। अब इन सभी चिकित्सा पद्धतियों का ध्यान रखा जाता है। यदि एलोपैथी डाक्टर उपलब्ध नहीं होता तो हम अक्सर इन पद्धतियों से जुड़े डाक्टर को बुलाते हैं। नि:संदेह वे प्रसव पीड़ा तथा अन्य ऐसे महत्त्वपूर्ण मामले नहीं देखते हैं। इसलिए हम चिकित्सा शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है।

भारत एक और तथ्य पर गर्व कर सकता है। अमरीका में चिकित्सा सेवाएं तो उपलब्ध हैं लेकिन हमारा महान देश वहां श्रमशक्ति भेजता है। अमरीका में चिकित्सा पद्धति चला रहे चिकित्सा संबंधी श्रमशक्ति का एक बड़ा प्रतिशत भारत का है। ब्रिटेन के मामले में भी यही बात लागू होती है। यूरोपीय देशों में भी यही बात लागू होती। खाड़ी देशों में भी अब हमारे देश के लोग छाए हुए हैं। हमारे देश के

[डा. पी.पी. कोया]

डाक्टर ही नहीं अपितु, उप चिकित्सीय कार्मिक भी इन देशों के स्थानीय लोगों को संतोषजनक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

अगर हमारा देश धन जुटा पाता है तो वह चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वोत्तम होता। मेरे माननीय मित्र, श्री सी.के. चन्द्रप्पन केरल के शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता पर बात कर रहे थे। डाक्टर के रूप में मैं जानता हूं कि इसका समाधान नहीं निकला है। मैं जानता हूं कि यहां पांच सितारा अस्पताल हैं लेकिन कौन उनकी सुविधाएं उठा सकता है।

हाल ही में, मैं पांच सितारा अस्पताल में गया था। मैंने वहां बाहर खड़े गरीब आदमी के रिश्तेदार से पूछा कि क्या हुआ और उनकी हालत कैसी है। वह व्यक्ति रोने लगा। वास्तव में उसने जोर-जोर से रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कि क्या हुआ और क्या मैं किसी प्रकार से उसकी सहायता कर सकता हूं। उसने कहा कि निःसंदेह आप उसकी सहायता कर सकते हैं। मेरी समस्या यह है कि मैं वहां खड़ा हूं। 'सिस्टर' बार-बार आकर पूछती कि श्री अहमद का रिश्तेदार कौन है तो मैंने कहा कि मैं हूं। इस पर उन्होंने कहा कि कृपया ये दवाएं ले आइए। वह व्यक्ति पर्ची लेकर कैमिस्ट की दुकान पर गया। उसके पास केवल 100 रुपए थे। दवाएं मेज पर रख दी गई और उसे 5000 रुपए का बिल दे दिया गया। ऐसा प्रत्येक तीन या चार घंटे के अंतर पर होता। इतने बड़े अस्पतालों में उसके पास एक दिन के लिए 25,000 रुपये होने चाहिए। इसलिए, लोग यह लागत वहन नहीं कर पाते है।

पहले, हृदय उपचार केवल 1000 रुपये में होता था। अब हृदय के एक बाल्व और दोनों वाल्व को बदलने की भी सुविधाएं हैं। वाल्व बदले जा सकते हैं लेकिन किस लागत पर? इसकी लागत 2 लाख अथवा 3 लाख रुपये आती है। जब हम बिल माननीय प्रधानमंत्री के राहत कोष में भेजते है तो वे केवल 30,000 रुपये स्वीकृत करते है। बाल्व बदलने की बात तो जाने दीजिए हम तो चीरा भी नहीं लगा सकते। इसलिए शहरी लोग भी सुरक्षित नहीं है।

निःसंदेह, जब हम विद्यार्थी थे और जब माननीय मंत्री, डा. अंबुमणि राम्दास एक विद्यार्थी थे, तब बहुत कम मेडिकल कम्पनियां थी तथा दवाएं दुर्लभ थी। दवाएं बहुत सस्ती थी। एक रुपए में दवाएं उपलब्ध थी। हमारे प्रोफेसर आयरन गोलियां लिख कर देते थे जो 10 पैसे से भी कम में आती थी। अब बहुत सी मेडिकल कम्पनियां आ गई हैं। प्रत्येक औषधि का वैश्वीकरण हो गया है, लेकिन किस लागत पर? यदि आप डॉक्टर की लिखी पर्ची लेकर मेडिकल की दुकान पर जाएं तो वह आपको 1000 रुपये का बिल दे देगा। यदि कोई इस बिल की राशि की प्रतिपूर्ति करते हैं तो वह व्यक्ति दवा खा सकता है अन्यथा उसे दवा वापस करके उसे भूल जाना चाहिए। यह स्थिति है। शहरी ही नहीं अपितु आम लोग भी सुरक्षित नहीं है। केवल कुछ अमीर लोग इन दवाओं को खरीद सकते है।

गुर्दे बदलने की सुविधा है। एक ही क्यों, हमारे पास दोनों गुर्दे बदलने की सुविधा है। लेकिन किस लागत पर? कौन यह लागत वहन कर सकता है। यह हमारी पहुंच से बाहर है। मेरे सहयोगी, श्री सुधाकर रेड्डी ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं। भारत में इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। जैसाकि मेरे माननीय सहयोगी श्री सी.के. चन्द्रप्पन ने कहा कि इसके लिए थोड़े से धन की आवश्यकता है। हमारे पास श्रमशक्ति है। हर कोई डाक्टर को दोष दे रहा है। मैं भी डॉक्टर हूं। मैंने भी ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है। हर कोई डॉक्टर को दोष दे रहा है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सेवा क्यों नहीं करता।

मुझसे पहले वक्ता ने कहा कि इस बात का विश्लेषण किया जाना चाहिए वे ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं गए। यदि ऐसा स्थान है जहां मानव जाति खुशी से रह सकती है तो वे वहां निश्चित रूप से जाते। हम जानते है कि केरल में हर थोड़ी दूरी पर एक डाक्टर है और उसका व्यवसाय फल-फूल रहा हैं। ऐसा बुनियादी ढांचे के कारण है। वह और उसका परिवार वहां रह सकता है तथा उसके बच्चों को शिक्षा मिल सकती और इन सुविधाओं के अभाव में वह गांव में क्यों जाए। इस तरह बुनियादी ढांचे का विकास समस्या थी और यदि देश के हर क्षेत्र में यह ढांचा विकसित हो जाता है तो निश्चित रूप से लोग वहां जाएंगे और उन्हें कोई संकोच नहीं होगा।

जैसाकि आपने कहा, यहां इतने डाक्टर है जो रोजगार के लिए चक्कर काट रहे हैं। उनके पास रोजगार नहीं है। निःसंदेह, उदारीकरण के पश्चात् हर वर्ष इतने डाक्टर बन रहे हैं और वे भी खाड़ी देशों में जा रहे हैं। वे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वे वहां जाना चाहते हैं। वे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें उचित और शालीन ढंग से जीना है। इसलिए वे खाड़ी अथवा पश्चिमी देशों अथवा अन्य स्थानों पर जाते हैं।

इस महान देश में भी उनके लिए काफी अवसर है और निश्चित रूप मे हमें थोड़ी धनराशि खर्च करनी पड़ेगी और बुनियादी ढांचा तैयार

करना होगा। आखिर लोग वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? मान लो, मैं जा रहा हूं, मैं वहां केवल नुस्खे लिखने के लिए नहीं जाऊंगा। यह जांच पर निर्भर करता है। जब तक ग्रामीण क्षेत्र में जांच के लिए उचित सुविधाएं नहीं होंगी। डॉक्टर वहां नहीं जाएगा क्योंकि अब पुराना समय नहीं है। पहले, नब्ज देखकर वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकता था। अब पढ़ाई बदल गई है। हम जांच पर काफी निर्भर रहते है। जब तक खून, पेशाब अथवा थूक की जांच नही होती, उपचार संभव नहीं है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के बुनियादी ढांचे बनाए जाने चाहिए। निश्चित रूप से हमारे डाक्टरों और उपचिकित्सीय कर्मचारियों को वहां जाना चाहिए। समस्या बुनियादी ढांचे के विकास की है न कि विशेषरूप से डॉक्टरों की। मैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गया हूं।

मैंने देखा है कि उप चिकित्सीय कर्मचारी भी वहां बैठते हैं। उन्हें मोपेड अथवा छोटा स्कूटर दिया जाता है; वे कुछ घंटे गांव में बिताने के बाद बड़े-बड़े शहरों में वापस आ जाते हैं ताकि खुशी से जीवन बिता सकें। हम इस वास्तविकता को स्वीकार करें कि लोग वहां क्यों नहीं जा रहे हैं; डॉक्टर वहां क्यों नहीं जा रहे हैं; उप चिकित्सीय कर्मचारी वहां क्यों नहीं जा रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए तो लोग अवश्य वहां जाएंगे और लाभ कमाएंगे। इन सब बातों के लिए मैं बीच में एक बात कह सकता हूं कि हमें धनराशि और इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, सबके पास इच्छाशक्ति होनी चाहिए। लेकिन केवल इच्छाशक्ति से बात नहीं बनेगी। काम करने की इच्छाशक्ति से हमें पर्याप्त धनराशि जुटानी चाहिए। तभी श्री सुधाकर रेड्डी का विधेयक साकार होगा।

निःसंदेह, जैसाकि मैने कहा, इस विधेयक को सिद्धांत रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यह एक बात है। मैं अभी भी खुश नहीं हूं क्योंकि स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता है। इस विधेयक के समर्थन और क्रियान्वयन के लिए और अधिक भागीदारी होनी चाहिए थी। फिर भी, श्री सुधाकर रेड्डी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपने हमारी आंखे खोल दी है। हम इसे चुनौती के रूप में लेते है। मैं विधेयक का वास्तव में समर्थन करता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों से इसका समर्थन करने का अनुरोध करता हूं।

मुझे, मेरे युवा सहयोगी तथा माननीय मंत्री डा. अंबुमणि रामदास से विशेष अपील करनी है। इस अवसर का लाभ उठाए तथा विधेयक प्रस्तुत करे तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक भारतीय, चाहे वह कस्बे में रहता है या ग्रामीण क्षेत्र में, उन्हें अपेक्षित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराएं। हमें अपनी तकनीक विकसित की हैं। हमने चेचक को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। हम पोलियो उन्मूलन करेंगे। हम प्रतिरक्षण योजना के अंतर्गत आने वाले सभी संक्रामक रोगों को समाप्त कर देंगे। मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कर लेंगे। मलेरिया, तपेदिक जैसे रोगों तथा अन्य रोगों को समाप्त किया जा रहा है। हमने लगभग उन्हे नियंत्रित कर लिया है। मुझे विश्वास है कि हमारी जीत होगी। लेकिन हममें श्री रेड्डी द्वारा प्रस्तुत विधेयक को समझने की समझ होनी चाहिए तथा उसे स्वीकार करने के लिए निष्ठा होनी चाहिए तथा इसे सही अर्थ में क्रियान्वित किया जाए।

एक बार फिर इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : माननीय सभापति महोदय, श्री सुधाकर रेड्डी द्वारा प्रस्तुत इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं भी स्वयं को अन्य मित्रों के साथ सम्बद्ध करता हूं जिन्होंने यह संशोधन विधेयक लाने के लिए श्री सुधाकर रेड्डी की प्रशंसा की है। मैं केवल यही सोच रहा हूं कि क्या यह विधेयक देश में स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकेगा। किसी समुदाय अथवा नागरिक अथवा राष्ट्र की स्वास्थ्य दशा विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे आर्थिक कारक सामाजिक कारक राजनैतिक कारक और स्वास्थ्य कारक। क्या राज्य के नीति निदेशक तत्वों में संशोधन करके ही हम देश में स्वास्थ्य का समग्र विकास हासिल कर सकते हैं, अथवा जैसा श्री चंद्रप्पन ने कहा है कि क्या हमें स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।

श्री सुधाकर रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधन में स्वास्थ्य के केवल एक ही पक्ष अर्थात स्वास्थ्य के उपचारात्मक पक्ष पर विचार किया गया है। किंतु स्वास्थ्य का संवर्धनात्मक पक्ष और स्वास्थ्य का निरोधात्मक पक्ष भी है। जब हम तीनों पक्षों को लेते हैं तो क्या लोगों का पूर्ण स्वास्थ्य विकास हो सकता है। इसलिए जब हम स्वास्थ्य देखरेख के विकास के बारे में बात करते हैं तो हमें इसके लिए जरूरी सभी आवश्यक शर्तों और पर्याप्त शर्तों पर भी ध्यान देना चाहिए। जहां मैं श्री सुधाकर रेड्डी की इस बात से सहमत हूं कि उनका विधेयक स्वास्थ्य विकास हेतु आवश्यक शर्त पूरी करता है वहीं मैं उनसे असहमत भी हूं क्योंकि यह स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक पर्याप्त शर्तें पूरी नहीं करता।

मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दयनीय दशाओं के बारे में उनसे अवश्य सहमत हूं। मैं इस विचार से भी सहमत हूं कि इस देश के लगभग 300 से 400 मिलियन लोगों का मानना है कि उन्हें उनकी

[प्रो. एम. रामदास]

स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और अच्छी सेवाओं तक उनकी पहुंच नहीं है। बड़े पैमाने पर गरीबी, अज्ञानता, दरिद्रता, बेरोजगारी, आय की कमी, रोजगार की कमी है। इन सबके कारण समाज में अच्छे स्वास्थ्य की कमी होती है।

इसके परिणामस्वरूप, गत 58 वर्षों में स्वास्थ्य विकास के हमारे समस्त प्रयासों के बावजूद भी आज भारत की स्वास्थ्य की स्थिति पूर्वी एशियाई देशों की तुलना में अच्छी नहीं है। आज कुछ सूचकों की वैल्यू 25 वर्ष पहले पूर्वी एशियाई देशों की वैल्यू से भी बहुत कम है। आज भी शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, मृत्यु दर और स्वास्थ्य के विभिन्न सूचक उन मिलेनियम विकास लक्ष्यों से बहुत पीछे हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमने अपने सामने रखा था।

मैं इन सब चीजों से सहमत हूं परन्तु केवल स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके ही हम सभी के लिए स्वास्थ्य अथवा लोगों के लिए समुचित स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं जुटा सकते। आज हमें जिस चीज की जरूरत है वह है धन और हमें आज सूझबूझ पूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों, व्यवहारिक नीतियों और कार्यक्रमों की जरूरत है और जैसा इन्होंने कहा है कि हमें सबसे ज्यादा राजनैतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है।

आज केरल आर्थिक रूप से सबसे गरीब राज्यों में से एक है परन्तु यह सामाजिक रूप से प्रगतिशील राज्यों में से एक है। केरल एक अद्वितीय माडल पेश करता है जहां बेहतर आर्थिक और सामाजिक कारकों से बेहतर स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था विकसित हो पाई है। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन केरल को एक ऐसे राज्य के माडल के रूप में उद्धृत करता है जहां स्वास्थ्य स्थिति अच्छी है। केरल ने दिखाया है कि हरेक पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें अच्छे लोग काम करते हैं। यह उपलब्धि संविधान में संशोधन के द्वारा प्राप्त नहीं हुई बल्कि सरकार सामाजिक दायित्व के कारण प्राप्त हुई है। भले ही वह कांग्रेस (आई) सरकार थी आवश्यक कम्यूनिस्ट सरकार थी। केरल की संस्कृति का स्थायी सत्य यह है कि वे सामाजिक समानता। अवसरों की समानता के समर्थक हैं जिनका अधिकांश भारतीय राज्यों में पालन नहीं किया जाता। एक तरह से सामाजिक विकास के माडल के रूप में केरल एक अलग राज्य है।

इसलिए, केवल संवैधानिक गारंटी अथवा संशोधनों से ही इस देश में सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इनके संशोधन में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का जिक्र किया गया है मूल अधिकारों का नहीं। यदि वह इस संशोधन विधेयक को मूल अधिकारों की श्रेणी के अंतर्गत लेकर आते तो सरकार को इसे लागू करना पड़ता और उसे सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी पड़ती। दुर्भाग्यवश वह इसे राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत लेकर आए हैं जो केवल इच्छाजनित धारणा है। राज्य सरकार विचार कर सकती है कि वह लोगों को सभी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी परंतु वे क्या गारंटी प्रदान करते हैं? इसलिए, समस्या का संवैधानिक रास्ते से समाधान करने के बजाय मेरा विचार है कि इस समस्या का समाधान एक वचनबद्ध सरकार के द्वारा करना पड़ेगा। यदि आप मुझसे पूछें कि क्या यह वचनबद्धता आज सरकार में है तो मेरा जवाब होगा 'हां'। डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली वर्तमान संप्रग सरकार इस देश के सामाजिक विकास के प्रति वचनबद्ध है। आप गत 18 माह में लाये गए विभिन्न कानूनों को देखिये। इस देश के इतिहास में पहली बार यह सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक लेकर आई है जो रोजगार को एक मूल अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है और यह व्यवस्था करता है कि हरेक घर में लोगों को एक आय प्राप्त होगी। यदि हर घर में एक आय प्राप्त है तो वहां पोषण, भोजन और स्वच्छता सभी कुछ मिलता है और स्वास्थ्य की स्थिति में स्वतः ही सुधार होता है। इसलिए, लोगों के स्वास्थ्य में संवर्धन इन कारकों पर निर्भर करता है जिन पर सरकार अब ध्यान दे रही है।

हमारे स्वास्थ्य मंत्री युवा और ऊर्जावान है और इस देश में सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रति वचनबद्ध है। जिस दल से वह संबंधित हैं उसने इस बात का आह्वान किया है कि आज भारत के हरेक नागरिक को उतनी ही स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए जितनी भारत के राष्ट्रपति को मिलती हैं। इस देश के किसी अन्य दल ने यह नहीं कहा कि इस देश में एक आम आदमी को उतनी ही स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी जितनी भारत के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति को मिल सकती है। यह हमारा दल है, यह वह दल है जिससे स्वास्थ्य मंत्री का संबंध है और जिसने यह कहा है। आप पिछले 18 माह में स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वह स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं और देश में स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं। क्या किसी को संदेह हो सकता है कि यह सरकार उस वचन-बद्धता के साथ स्वास्थ्य के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती?

मेरा विचार है कि हमें और उपलब्धियां प्राप्त करनी पड़ेंगी किंतु हम इसे संवैधानिक रास्तों के माध्यम की बजाय इस प्रकार की

प्रतिबद्धता से प्राप्त कर सकते हैं। यह सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार वाक्य पर चलती है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर पके हुए पोषक खाद्य पदार्थ प्रदान करने का कार्यक्रम है।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम में उल्लेख किया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में दो प्रतिशत से तीन प्रतिशत तक स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि की जाएगी चार प्रतिशत तक नहीं जैसा कि श्री चंद्रप्पन ने कहा है। इन 20 वर्ष बाद ही चार प्रतिशत हासिल कर पाएंगे। इस समय यदि इसे दो प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत कर दिया जाता है तो हमें प्रसन्नता होगी। इसे दो प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने का वचन दिया गया है।

यह सरकार गरीब लोगों के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लेकर आई है। यह सरकार कई अन्य योजनाएं भी लाई हैं जिससे बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इसलिए, न्यूनतम साझा कार्यक्रम ने इसका वचन दिया है और संप्रग के सदस्य के तौर पर मैं कह सकता हूं कि यह सरकार राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के सभी प्रावधानों को गम्भीरता से लागू करने के प्रति वचनबद्ध है।

इस सबके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री की सलाह पर एक नई अभूतपूर्व योजना, "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" लागू की है। यदि आपने इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का विस्तार से अध्ययन किया हो तो आपने संशोधन विधेयक में जो भी मांग की है, आपने जो भी सुविधाएं मांगी हैं वे इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नीति में मिलेंगी। इसमें उपकेंद्रों में सुधार लाने और उन्हे मजूबत बनाने की रणनीति है। इसमें कहा गया है:

"प्रत्येक उप-केंद्र में स्थानीय कार्रवाई के लिए 10,000 रुपए प्रति वर्ष की दर पर खुला धन उपलब्ध होगा। उप-केंद्रों को एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों तरह की आवश्यक ओषधियों की आपूर्ति की जाएगी।

अतिरिक्त परिव्यय के मामले में बहुद्देशीय श्रमिकों और अन्य को धन दिया जाएगा।"

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाने के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कहता है:

- "प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आवश्यक गुणवत्ता वाली औषधियों और उपकरणों की पर्याप्त तथा नियमित आपूर्ति होगी;
- डाक्टरों की कमी को दूर करते हुए 50 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, विशेषकर अधिक ध्यान देने योग्य राज्यों में 24 घंटे की सेवा का प्रावधान किया जाएगा;
- मानक उपचार दिशानिर्देशों और प्रोटोकोल का पालन किया जाएगा;
- 24 घंटे की रेफरल सेवा के लिए 100 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो का दर्जा बढ़ाया जाएगा;
- प्राथमिक स्वास्थ्य केद्र के स्तर पर एक के अलावा दूसरे
- डाक्टर-एक पुरुष और एक महिला की व्यवस्था आवश्यकता के आधार पर की जाएगी जहां तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का संबंध है, वर्तमान 3222 सामुदायिक स्वास्थ्य केद्रों को 24 घंटे प्रथम रेफरल अस्पताल के रूप में चलाया जाएगा;
- अवसंरचना, कर्मचारी, उपकरण, प्रबंधन इत्यादि के लिए नए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंड निर्धारित किए जाएंगे।"

आपने संशोधन विधेयक में जो भी इच्छा की है उन सबका राष्ट्रीय मिशन में ध्यान रखा गया है। इस वर्ष अर्थात 2005-06 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर परिकय को 20 प्रतिशत बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के वायदों को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य व्यय में बीस प्रतिशत की वृद्धि भारत के बजट इतिहास में कभी भी नहीं की गई। अठारह राज्यों को इससे लाभ होगा परन्तु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सम्पूर्ण देश पर केंद्रित होगा। हम कामना करते हैं कि यह मिशन वह सब हासिल कर पाये जिसकी आवश्यकता है।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं आपकी अच्छी भावना की कद्र करता हूं। हम आपके विचार का समर्थन करते हैं कि चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए किंतु चिकित्सा सुविधाओं में आवश्यकता के अनुसार नहीं वरन पर्याप्त समुचित सुधार किया जाना चाहिए। और इन दोनों शर्तों को पूरा करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। मुझे आशा है कि आपके दल और अन्य दलों के समर्थन से संप्रग सरकार अपने लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगी।

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं श्री सुधाकर रेड्डी, माननीय संसद सदस्य का ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूं, कि वह यह अमैन्डमैन्ट 47(ए)-

[अनुवाद]

"राज्य प्रत्येक गांव में सभी बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं सहित एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करेगा।"

[हिन्दी]

इस बिल के माध्यम से संसद में लाये हैं। इसके साथ ही मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वह बिल लाकर उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों के लिए किया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां मौजूद हैं। इस सदन के माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे केवल स्टेट तक सीमित न रखें, केन्द्र सरकार भी इस ओर ध्यान दे। मैं पहले भी एम.पी. रहा हूं और तब भी मैंने अपने विचार सदन में रखे थे। मैंने कहा था कि देश में नेशनल पालिसी फार हैल्थ केयर लाना काफी आवश्यक है। जैसा कि आपने इसमें लिखा भी है, आपने भारत सरकार की संचित निधि में से करीब 100 करोड़ रुपये का प्रावधान भी इसके लिए रखा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब शाम के 6.00 बज गए हैं आप कृपया अपना भाषण आगे फिर जारी रखें। अब सभा सोमवार, 28 नवम्बर, 2005 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थागित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार, 28 नवम्बर, 2005/ 7 अग्रहायण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्री वी.के. ठुम्मर	41
2.	श्री अजीत जोगी	42
3.	श्री राजेश मिश्रा श्री पारसनाथ यादव	43
4.	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई	44
5.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री रवि प्रकाश वर्मा	45
6.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	46
7.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	47
8.	श्री रघुराज सिंह शाक्य श्री प्रभुनाथ सिंह	48
9.	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	49
10.	श्री मनोरंजन भक्त	50
11.	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	51
12.	श्री उदय सिंह श्री अधीर चौधरी	52
13.	श्री कैलाश मेघवाल श्री रघुवीर सिंह कौशल	53
14.	श्रीमती निवेदिता माने श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	54
15.	श्री एम. अंप्पादुरई	55
16.	श्री नवजोत सिंह सिद्धू डा. एम. जगन्नाथ	56
17.	श्री अनन्त नायक श्री परसुराम माझी	57
18.	श्री चन्द्रभूषण सिंह श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	58
19.	श्री निखिल कुमार श्रीमती किरण माहेश्वरी	59
20.	श्री प्रबोध पाण्डा श्री किसनभाई वी. पटेल	60
21.	श्री बसुदेव आचार्य	61

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अतिथन, श्री धनुष्कोडी आर.	437,
2.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	491,
3.	आर्चाय, श्री बसुदेव	464, 589,
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	474, 519, 548, 587
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	446, 488, 560, 622,
6.	अहीर, श्री हंसराज जी.	515,
7.	अंगडि, श्री सुरेश	459,
8.	आठवले, श्री रामदास	470, 544,

1	2	3
9.	"बचदा", श्री बची सिंह रावत	562,
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	448, 485, 561, 598, 600,
11.	बर्मन, श्री रनेन	544
12.	बखला, श्री जोवाकिम	544
13.	भक्त, श्री मनोरंजन	535, 583, 608, 619,
14.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	526, 579, 606, 620,
15.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	581,
16.	चक्रवर्ती, श्री अजय	465, 533, 541,
17.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	554, 558, 587,
18.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	458,
19.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	488, 512,
20.	चिन्ता मोहन, डा.	498, 556, 563, 587, 615
21.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	485, 529,
22.	चौधरी, श्री पंकज	461,
23.	चौधरी, श्री अधीर	539, 584, 609,
24.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	509,
25.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	489,
26.	धनराजू, डा. के.	507, 533, 582,
27.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	442, 513,
28.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	537, 542, 585, 590,
29.	गणेशन, श्री एल.	506,
30.	गंगवार, श्री संतोष	501, 613,
31.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	542,
32.	जगन्नाथ, डा. एम.	530, 592, 612,
33.	झा, श्री रघुनाथ	454, 573, 603,
34.	जिन्दल, श्री नवीन	463,
35.	करुणाकरन, श्री पी.	499,
36.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	511,
37.	खैरे, श्री चंद्रकांत	438, 520, 577, 604, 623,
38.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	457, 532,
39.	खन्ना, श्री अविनाश राय	534
40.	खारवेनथन, श्री एस.के.	458, 529,
41.	कृष्ण, श्री विजय	458, 516,
42.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	622,
43.	कुप्पुसामी, श्री सी.	450,
44.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	510,
45.	'ललन' श्री राजीव रंजन सिंह	486, 498, 563, 587, 598,
46.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	533,
47.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	483, 485,
48.	महाजन, श्री वाई.जी.	444, 458,
49.	महतो, श्री बीर सिंह	560,
50.	महतो, श्री सुनिल कुमार	446,
51.	महताब, श्री भर्तृहरि	483, 529,

1	2	3
52.	महतो, श्री टेक लाल	472, 546, 594,
53.	माझी, श्री परसुराम	523,
54.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	501, 613,
55.	मंडल, श्री सनत कुमार	440, 569,
56.	माने, श्रीमती निवेदिता	537, 585,
57.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	588,
58.	मेघवाल, श्री कैलाश	531, 613,
59.	मेहता, श्री आलोक कुमार	533, 582,
60.	मिश्रा, डा. राजेश	531,
61.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	457, 460,
62.	मोहन, श्री पी.	482, 552, 581, 596,
63.	मोहिते, श्री सुबोध	497,
64.	मुन्शी राम, श्री	510,
65.	मुर्मू, श्री हेमलाल	492, 613,
66.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	475, 513,
67.	निखिल कुमार, श्री	539, 588,
68.	ओराम, श्री जुएल	483, 505, 567, 602, 618,
69.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	496, 587,
70.	पलनिसामी, श्री के.सी.	529, 622,
71.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	500,
72.	पासवान, श्री रामचन्द्र	540,
73.	पासवान, श्री वीरचन्द्र	453,
74.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	509,
75.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	485, 571,
76.	पटैरिया, श्रीमती नीता	457, 460, 517, 575,
77.	पाठक, श्री ब्रजेश	477, 549, 595, 614, 622,
78.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	493,
79.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	436,
80.	पटले, श्री शिशुपाल	510,
81.	पिंगले, श्री देविदास	481, 513,
82.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	473,
83.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	479, 551,
84.	राजेन्द्रन, श्री पी.	456, 554,
85.	रामदास, प्रो. एम.	469, 543, 591, 611, 621,
86.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	495, 572, 582,
87.	राणा, श्री काशीराम	462, 509, 622,
88.	राव, श्री के.एस.	502, 564
89.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	487, 557, 599, 616, 624,
90.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	444,
91.	रावले, श्री मोहन	503, 556, 565,
92.	रावत, श्री अशोक कुमार	510,
93.	रावत, श्री कमला प्रसाद	449,
94.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	492, 522, 581, 607,

1	2	3
95.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	471, 545,
96.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	494,
97.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	489, 558, 587,
98.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	525, 584,
99.	साई प्रताप, श्री ए.	478, 550,
100.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	455, 485, 533, 625,
101.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	468,
102.	सरोज, श्री दरोगा प्रसाद	476,
103.	सरोज, श्री तूफानी	466,
104.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	553,
105.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	490, 559,
106.	शैलेन्द्र, कुमार, श्री	451,
107.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	533, 582,
108.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	474, 519, 548, 587, 610,
109.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	510,
110.	सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.	480, 531, 563,
111.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	538, 586,
112.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	544, 547,
113.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	457, 570,
114.	सिंह, श्री दुष्यंत	445, 483, 568,
115.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	542, 585, 590,
116.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	518,
117.	सिंह, श्री मोहन	489,
118.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	576,
119.	सिंह, श्री राकेश	457, 460,
120.	सिंह, डा. राम लखन	457, 460, 467,
121.	सिंह, श्री सुग्रीव	485, 555,
122.	सिंह, श्री सूरज	540,
123.	सिंह, श्री उदय	536, 584, 609,
124.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	524, 529, 580,
125.	सुगावनम, श्री ई.जी.	441, 524, 578, 605,
126.	सुमन, श्री रामजीलाल	486, 556, 598, 615,
127.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	484, 554, 597,
128.	स्वाई, श्री खारबेल	622,
129.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	439, 521,
130.	थामस, श्री पी.सी.	514,
131.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	447,
132.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	443, 527, 593, 613,
133.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	504, 543, 566, 601, 617,
134.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	534, 581,
135.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	474, 519, 587, 610.
136.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	508,
137.	यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु	518, 599,
138.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	512,
139.	यादव, श्री पारसनाथ	574,
140.	जाहेदी, श्री महबूब	452, 486, 491, 528.

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य	:	
वित्त	:	47, 50, 51, 52, 54, 58, 61
विधि और न्याय	:	48
खान	:	57
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	
महासागर विकास	:	
विद्युत	:	43, 49
ग्रामीण विकास	:	41, 45, 53, 56, 59, 60
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
वस्त्र	:	42, 44, 46, 55.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य		474, 583, 595, 620
वित्त	:	438, 441, 442, 449, 450, 451, 454, 461, 466, 475, 477, 479, 482, 486, 491, 494, 495, 496, 501, 502, 504, 507, 509, 516, 518, 520, 527, 532, 533, 534, 536, 537, 539, 540, 542, 552, 554, 555, 556, 558, 564, 570, 571, 572, 573, 574, 577, 578, 581, 582, 585, 586, 588, 589, 590, 592, 596, 597, 599, 601, 602, 603, 604, 605, 610, 616, 617, 619, 621, 622, 625
विधि और न्याय	:	453, 484, 514, 531, 541, 549, 550, 575
खान	:	452, 472, 567, 579, 623
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	457, 481, 490, 528, 569
महासागर विकास		448, 506

विद्युत	:	436, 443, 447, 456, 458, 460, 467, 468, 471, 478, 487, 497, 498, 505, 510, 513, 525, 535, 546, 553, 560, 561, 562, 563, 566, 576, 591, 593, 594, 606, 611, 614
ग्रामीण विकास	:	437, 444, 455, 463, 480, 488, 492, 499, 500, 512, 515, 517, 523, 526, 529, 544, 557, 559, 587, 608
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	440, 445, 464, 493, 511, 543, 548, 551, 612, 613, 615
वस्त्र	:	439, 446, 459, 462, 465, 469, 470, 473, 476, 483, 485, 489, 503, 508, 519, 521, 522, 524, 530, 538, 545, 547, 565, 568, 580, 584, 598, 600, 607, 609, 618, 624

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/14/3/2005 (एन०)

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।